लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

6th
LOK SABHA DEBATES

Fifth Session

[पांचवा सत्र]

[खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 20 जुलाई, 1978/29 आषाढ़, 1900 (शक)
No. 4, *Thursday*, *July* 20, 1978/*Asadha* 29, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 61, 63 से 65	Starred Question Nos. 61, 63 to 65	1—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 62, 66 से 75 और 77 से 80	Starred Questions Nos. 62, 66 to 75 and 77 to 80	12—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 601 से 627, 629 से 657, 659 से 671, 673 से 676 और 778 से 800	Unstarred Questions Nos. 601 to 627, 629 to 657, 659 to 671, 673 to 776 and 778 to 800	22—117
	Correcting Statements to—	
(एक) अतारांकित प्रश्न संख्या 5828 दिनांक 6-4-1978	(i) USQ No. 5828 dated 6-4-1978	118
(दो) अतारांकित प्रश्न संख्या 9142 दिनांक 4-5-1978	(ii) USQ No. 9142 dated 4-5-1978	118
(तीन) अतारांकित प्रश्न संख्या 10089 दिनांक 15-5-1978	(iii) USQ No. 10089 dated 15-5-1978	118—119
(चार) अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 दिनांक 16-3-1978 के शुद्धि करने वाले विवरण	(iv) USQ No. 3149 dated 16-3-1978	119
आगरा में हुई वारदातों की न्यायिक जांच कराने के लिये संसद सदस्य श्री एम० एन० गोविन्दन नायर द्वारा की गई भूख हड़ताल के बारे में	Re. Fast by Shri M. N. Govindan Nair, M.P. for judicial inquiry into incidents in Agra	119—120, 122
दिल्ली के भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री कृष्णचन्द्र की मृत्यु के बारे में	Re. Death of Shri Krishan Chand former Governor of Delhi.	120
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	120—121
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
उत्तर-प्रदेश, आसाम और बिहार में बाढ़—	Floods in U.P., Assam and Bihar—	121—123
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt	121
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	121—122
श्री रामविलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	123
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	123
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	123
श्री जनार्दन पुजारी	Shri Janardhana Poojary	

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पुछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
प्रधानमंत्री के बैल्जियम, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की हाल ही की यात्रा के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Prime Minister's visit to Belgium, U.K. and U.S.A.—	124—128
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	124—128
कार्य-मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	128
19 वां प्रतिवेदन	Nineteenth Report	128
लोक पाल विधेयक—	Lok Pal Bill—	128—129
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन— प्रस्तुत किया गया	(i) Peport of Joint Committee—*Presented.*	128
(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य— सभा पटल पर रखा गया।	(ii) Evidence before Joint Committee—Laid on the Table	128—129
नियम 377 के अन्तर्गत—	Matters Under Rule 377—	129—130
(एक) भतपूर्व गृहमंत्री द्वारा श्री कान्तिभाई देसाई और कुछ मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के कथित आरोप—	(i) Charges of corruption against Shri Kantibhai Desai and some Ministers reported to have been made by the former Home Minister.	129
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	129
(दो) पिछड़ी जातियों के लिये सेवाओं में पदों के आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय नीति की घोषणा करने में विलंब—	(ii) Delay in announcing national policy on reservation of posts in services for backward classes.	129
श्री हुकम देव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	129
(तीन) हिन्द महासागर का विसैन्यीकरण	(iii) Demilitarisation of Indian Ocean—	129
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	129
(चार) आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की खराब स्थिति के समाचार—	(iv) Reported poor performance of Calcutta Station of all India Radio	130
श्री राज कृष्ण डान	Shri Raj Krishna Dawn	130
(पांच) दिल्ली में बसों के ड्राइवरों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि के समाचार—	(v) Reported increase in accidents because of negligence of drivers of buses in Delhi.	130
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh.	130
सीमा शुल्क टेरिफ (संशोधन) विधेयक—	Customs Tariff (Amendment) Bill—	130—137
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Aggarwal	130—131
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta	131
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	132
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	132—133
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	133
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor	133
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	133—134
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	134
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	134—135

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE S
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	135
चौधरी बलवीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	135
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	135—137
खंड 2 से 4 और 1—	Clauses 2 to 4 and 1 —	137
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to pass, as amended—	137—138
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Aggarwal	137—138
वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण विधेयक—	Air (Prevention and Control of Pollution) Bill—	138—140
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री सिकन्दर बख़्त	Shri Sikander Bakht	138—139
श्री बी० पी० कदम	Shri B. P. Kadam	139—140
श्री दुर्गाचन्द	Shri Durga Chand	140
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	140

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 20 जुलाई, 1978/29 आषाढ, 1900 (शक)
Thursday, July 20, 1978/Asadha 29, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल

***61. श्री रामजी लाल सुमन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल कानूनी थी और उनकी मुख्य मांगें क्या थी;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारियों द्वारा काम बंद किए जाने से पूर्व मांगो के औचित्य और जनता को हो सकने वाली असुविधा को देखते हुए कोई पहल की थी; और

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए किन्ही ठोस उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिल्ली राज्य विद्युत् श्रमिक यूनियन तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम मजदूर संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में 20 जून, 1978 और 28 जून, 1978 से हड़ताल पर जाने के अपने इरादे को सूचित करते हुए क्रमशः 3 जून तथा 8 जून, 1978 को नोटिस दिए थे । तथापि, दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम में कोई हड़ताल नहीं हुई और संबंधित पक्षों के बीच समझौते हो जाने के बाद हड़ताल के नोटिस वापिस ले लिए गए ।

Shri Ramji Lal Suman : As has been the practice in the part the Hon. Minister is depending upon official figures. Just now he has said that DESU Mazdoor Sangh had served notices on June 3 and June 8, 1978 respectively intimating their intention to go on strike from June 20, 1978 and June 28, 1978. But according to press reports the sabotage and stoppage of electricity supply took place on the 8th June and the army was called for help. You try to solve our problem and tell us the main demands of workers, the efforts made to avert the strike and the decision taken by the Government indicating the propriety of strike, loss due to strike and the number of workers arrested.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि दिल्ली राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन और डेसु मजदूर संघ ने हड़ताल का नोटिस दिया था लेकिन हड़ताल हुई नहीं । सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किया है वह नई दिल्ली पालिका विद्युत प्रदाय कर्मचारी संघ के बारे में है जिन्होंने 1 मई को नोटिस दिया था और यह सच है कि उनकी हड़ताल 6 जून से 14 जून तक चलती रही । नोटिस मिलने के बाद समझौता वार्ता सम्बन्धी कार्यवाही चलती रही और दोनों पक्षों को बुला कर समझौते के प्रयास होते रहे । अचानक ही 6 जून को यूनियन ने हड़ताल कर दी । औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 21(1)(घ) के अधीन जब बातचीत चल रही हो तब हड़ताल को वैध करार नहीं दिया जा सकता । जब 6 जून को हड़ताल की गई तो उन्हें इस बात पर राजी करने के लिए प्रयास किए गए कि वे कोई अन्य शान्तिपूर्ण

उपाय अपनाए । आगे बातचीत एवं इस आश्वासन कि मांगों पर विचार किया जाएगा, हड़ताल वापिस ले ली गई । इस यूनियन की 24 मांगे थी 1 दूसरी यूनियन की 13 एवं तीसरी की 20 मांगे थी । पहली यूनियन की मुख्य मांग यह थी कि विद्युत तथा जल प्रदाय एवं मलकथन विभाग के लिए नई दिल्ली नगरपालिका में एक अलग सैल बनाया जाए और वर्ष 1971-72 के लिए आग्रहपूर्वक अदायगी की जाए ।

Shri Ramji Lal Suman: May I know whether efforts were made to avoid strike and how a number of arrest took place when no strike took place. Why 4 trade unionists and 14 employees were suspended ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : हड़ताल टालने का एक ही उपाय था—आपसी बातचीत । ऐसा ही किया गया । गिरफ़्तारियां इस कारण हुई क्योंकि गैर कानूनी हड़ताल की गई और रक्षा सैनिकों को बुलाना पड़ा ।

अध्यक्ष महोदय : कितने लोग गिरफ़्तार हुए ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं; मैं बाद में आंकड़े दे दूंगा ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : दिल्ली के विद्युत कर्मचारियों का लक्ष्य जनता को परेशानी में डालना है । यदि उनकी 54 मांगे मान ली जाती है तो सरकार को कितना खर्च वहन करना पड़ेगा ? यदि कल वे फिर हड़ताल करते है तो सारा शहर अंधकारमय हो जाएगा, हस्पताल के मरीजों को नुक्सान होगा और सभी आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । क्या मंत्री महोदय वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे । सभी राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे है । यदि उनकी मांगे नाजायज हैं तो उनकी मांगों को सीधे ही अस्वीकार क्यों नहीं किया जाता ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता कि उनकी मांगे नाजायज हैं अथवा जायज़ हैं : चूंकि ये मांगे कई किस्म की हैं और इनमें से कुछ मांगे ऐसी है जिनमें व्यय नहीं होना है, अत: मागों को स्वीकार करने में कितना व्यय आएगा, इसका अनुमान हमने नहीं लगाया है ।

Dr. Baldev Prakash: I would like to know whether incidents of sabotage took place during strike and some equipments and cables were removed as a result of which people experienced difficulties; if so, what action has been taken by the Government in this regard?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए । यह हमारे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूर संघों के साथ करार

*63. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी मजदूर संघों ने 28 जन, 1978 को एक दिन की हड़ताल करने निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी ;

(ग) क्या मजदूर संघों के नेताओं और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद यह हड़ताल टल गई थी ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) इस करार को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 28 जून, 1978 को एक दिन की हड़ताल करने का फैसला सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूर संघो के नई दिल्ली में 15 मई, 1978 को हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में लिया गया । इस सम्मेलन में कुछ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(ख) इस सम्मेलन की मांगें निम्नलिखित थी :—

(1) सरकारी क्षेत्र के और विभागीय उपक्रमों में सामूहिक सौदाकारी का पूर्ण और निरंकुश अधिकार ।

(2) सामुहिक सौदाकारी की प्रक्रिया में सरकार या सार्वजनिक उद्यम ब्युरो द्वारा हस्ताक्षेप न करना सामूहिक सौदाकारी द्वारा किए गए समझौतों का तत्काल कार्यान्वयन ।

(3) महंगाई भत्ते द्वारा निर्वाह लागत में वृद्धि को निष्प्रभावी (न्यूट्रेलाइज) करना ।

(4) श्रमिकों की उचित मांगों को स्वीकार करके मजदूरी वार्ताओ का शीघ्र निपटारा ।

(5) जीवन बीमा निगम में नोटिस को शीघ्र वापिस लेना ।

(ग) और (घ) : हड़ताल को टालने के लिए ट्रेड यूनियन नेताओं और सरकार के बीच 26 जून, 1978 को विचार-विमर्श हूआ । इन विचार-विमर्शों से वे गलतफहमियां दूर हो गई जो ट्रेड युनियनों के दिमाग में सामूहिक में सौदाकारी और अन्य मामलों के संबंध में थीं। इसके पश्चात् ट्रेड यूनियन नेताओं ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सलाह दी कि वे 28 जून, 1978 को हड़ताल न करे ।

(ङ) आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

Shri L. L. Kapoor: In the statement laid on the Table, the reply to my question, particularly Parts (c) and (e), has not been given. I want to know from the Hon. Minister the decision of the Government on the demands of the Unions of Public Sector Undertakings in respect of which they have given notice. Have the Government accepted their demand for collective bargaining in the Public Sector, and if so, whether this principle of collective bargaining will be applied to the Private Sector also and what would be the legal backing behind it?

Mr. Speaker: If you will ask too many questions, it will take a long time to reply.

Shri L. L. Kapoor: I have asked only one question so far.

I want to know what was the object of setting up the Wage Cell in the Labour Ministry and what have been the conclusions of their study. As a result of these conclusions, will such Cells be set up in various Ministries? What arrangements are being made to remove disparities and differences in the pay scales in various areas of Public Sector?

श्री रवीन्द्र वर्मा : उनकी मुख्य मांग मजदूर संघों द्वारा सामूहिक बातचीत करने के अधिकार से एवं इस आशंका से सम्बन्धित हैं कि सामूहिक बातचीत पर कोई रोक लगाई गई है । कुछ मांगे जीवन बीमा निगम से भी संबंधित है और विवरण में दी गई हैं । सामूहिक बातचीत का अधिकार एक स्वीकृत अधिकार है और सरकार ने माना है कि मजदूर संघ को सामूहिक बातचीत का अधिकार है । जहां तक इस अधिकार के बारे में युनियन की आशंका का प्रश्न है, 26 जून को हूई बातचीत में यह आशंका दूर कर दी गई थी । माननीय सदस्य ने वेतनमानों की एकरूपता एवं मजूरी सैल के कार्य के बारे में प्रश्न पूछा है । श्रम मंत्रालय के मजूरी सैल का कार्यक्रम प्रश्न की परिधि से बाहर है । चर्चा के दौरान मजदूर संघों को यह महसूस हूआ कि उनकी मांगे या तो मान ली हैं या आगे बातचीत के दौरान मांगों को स्वीकार करने के द्वार खुले हैं ।

Shri L. L. Kapoor: Sir, I wanted to know what arrangements the Government was going to make to remove the anomaly of different scales of pay in different Public Undertakings, and to bring them at the same level? What arrangements are being made to give the same facilities to the labourers of the unorganised sector. Will they also be given their right of allowances and bonus?

श्री रवीन्द्र वर्मा : जहां तक असंगठित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, यह एक बिलकुल अलग प्रश्न है । मंत्रालय तथा सरकारी उपक्रम ब्यूरों में मजदूर संघ के संगठनों के साथ वेतनमानों की समानता और महंगाई भत्ते के प्रश्न पर चर्चा की जाएगी ।

श्री चित्त बसु : उनकी मुख्य मांग मजूरी सम्बन्धी बातचीत को पूरा करने के बारे में है । क्या सरकार ने निर्णय किया है कि अन्य विभागों/संगठनों की भांति सरकारी उपक्रमों में भी वेतनमानों का संशोधन किया जाएगा । क्या भूतलिंगम प्रतिवेदन, जिसमें मजूरी पर रोक लगाने की बात की गई है, को देखते हुए सरकार यथा संभव राष्ट्रीय मजूरी नीति बनायेगी ताकि इस प्रकार के प्रतिबन्धों का सवाल पैदा न हो ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह ग़लतफहमी थी कि सरकार मजूरी-रोक की नीति का पालन कर रही है । मैंने सदन के अन्दर और बाहर भी इस से इन्कार किया है और कहा है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है । मजदूर सघों एवं मजदूर संघ के नेताओं की यह आशंका थी सरकार भूतलिंगम समिति की नियुक्ति के माध्यम से मजूरी-रोक की नीति अपना रही है और इसीलिए किसी भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजूरी में संशोधन या मजूरी को बढ़ाने के बारे में सरकार ने कोई बातचीत नहीं की । यह सच नहीं है और न ही इस में कोई तथ्य है । इसलिए समिति की नियुक्ति के बाद भी 16 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बातचीत की गई । 26 जून को हुई बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार की मंशा मजूरी पर रोक लगाने की नहीं है । दूसरे सरकारी उपक्रमों पर सामूहिक बातचीत करने या मजूरी के संशोधन करने या निर्वाह लागत में वृद्धि के निस्प्रभावन के बारे में मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने पर कोई रोक नहीं है । जहां तक सरकारी उपक्रम ब्यूरो का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर भी चर्चा के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि ब्यूरो द्वारा मजूरी संशोधन तथा महंगाई भत्ते पर बातचीत के लिए मार्गनिर्देशी सिद्धान्त बनाने में मजदूर संघों के साथ सलाह करने के लिए उचित तरीका निकाला जाएगा ।

Shri Om Prakash Tyagi : Are the Government aware that there are different pay scales and grades for the same post in different branches of the same Public Undertakings on account of which there is dissatisfaction among the workers ? If so, will the Government introduce uniform pay scales in different branches of the same Public Undertakings ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में एक ही जैसे कार्य वाले पदों क लिए विभिन्न वेतनमान हैं । सरकार की प्रवृत्ति एकरूपता लाने में रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी उपक्रम ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तनशीलता के अनुरुप एकरूपता लाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने का प्रयास किया है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : सरकार ने गलत धारणा की बात की है । एक परिपत्र भेजा गया था और यही परिपत्र समस्या का कारण बना है । मजदूर संघ इस बारे में जानते हैं । मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि सरकारी उपक्रम ब्यूरो ने यह सलाह दी है कि सरकार को महंगाई भत्ते में प्रति प्वांइट 1 रुपया 30 पैसे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उन्होंने चर्चा के दौरान इसका उद्धरण भी दिया था । अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह पूरा उत्तर दें ताकि कोई गलत-फहमी न रहे ।

मंत्री महोदय ने 26 जून को हुई बातचीत में हड़ताल को टालने का जिक्र किया है । खेद की बात है कि विवरण में यह नहीं जोड़ा गया कि वे कागजात कौन से थे जिन पर मजदूर संघ नेताओं के हस्ताक्षर थे । मंत्री महोदय ने बताया कि अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या जीवन दीमा निगम के साथ बातचीत शुरु हो गई है और नहीं तो कब शुरु होगी । दूसरे, मंत्री महोदय ने मजदूर संघों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार यथा संभव शीघ्र बोनस नीति घोषित कर देगी । मैं जानना चाहती हूं कि बोनस नीति की घोषणा कब तक कर दी जाएगी अन्यथा मुझे आशंका है कि गड़बड़ी एवं आशंकाएं फैलेंगी ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : सबसे पहले तो मैं उस परिपत्र के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से, माननीय सदस्य के कथनानुसार, गलतफहमियां फैली हैं ।

बातचीत पर कोई रोक नहीं लगाई गई । परिपत्र में केवल यह कहा गया था कि विषमतांए हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि जब तक आय और मजूरी की नीति नहीं बना ली जाती, कोई भी सरकारी उपक्रम सरकार की विशिष्ट अनुमति लिए बिना किसी भी करार को अन्तिम रूप न दे । परिपत्र का आशय यह था कि सरकार विषमताओं को बढ़ने न दे ।

जहां तक जीवन बीमा निगम के प्रश्न का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने 26 जून को हुई बैठक में यह पक्का आश्वासन दिया था कि नोटिस की समाप्ति नए समझौत के लिए बातचीत करने पर रोक नहीं लगाती और इसलिए नए समझौते के लिए बातचीत शुरु होगी या शुरु हो चुकी होगी। मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि बातचीत शुरु हो गई है अथवा नहीं।

जहां तक बोनस का प्रश्न है, मैं इसकी शीघ्र घोषणा के महत्व से अवगत हूं और आशा करता हूं कि शीघ्र ही इस की घोषणा हो जाएगी।

Forcible Conversion of Hindus in Pakistan

†*64. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether reports have come to Government's notice that Hindu families living in areas in Pakistan bordering Rajasthan are being forced to adopt Islam and inhuman treatment is being meted out to them by the police in case of refusal;

(b) whether reports of crossing over into Rajasthan of a large number of Hindus from Pakistan have also been received; and

(c) if so, the Government of India's reaction thereto?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) : सरकार को इस आशय की रिपोर्टें मिली है कि मई में पकिस्तान के दस हिन्दू परिवार जिनकी कुल सदस्य संख्या 65 थी, भारत के राजस्थान क्षेत्र में घुस आये थे और इसका कारण उन्हें धार्मिक रूप से परेशान किया जाना बताया जाता है। ये रिपोर्टें पाकिस्तान के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास की सूचना में लायी गयीं जिन्होंने बाद में सरकार को सूचित किया कि पाकिस्तान सरकार को अभी तक इस प्रकार के प्रत्यावर्तन का कोई संकेत नहीं मिला है। राजदूतावास ने भारत सरकार से संबद्ध व्यक्तियों के वैयक्तिक विवरण मांगे हैं। यह सूचना राजदूतावास को भेज दी गयी है।

पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाये जाएगें कि पाकिस्तान में हिन्दू किसी भी तरह अपने को असुरक्षित न समझें और उन्हें सीमा पार कर भारत आने की जरूरत महसूस न हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि इस तरह के प्रश्न पूछने दिए जायेंगे तो क्या इससे नियम 41 के उपबंधों का उल्लंघन नही होगा। हमारे पाकिस्तान के साथ मत्रीपूर्ण सम्बन्ध है और इस तरह के प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा रही है। इसका क्या कारण है ? जब पुलिस द्वारा जांच की जा रही हैं तो आप इस तरह की महत्वपूर्ण बातें मत पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : म नहीं समझता कि इसमें किसी तरह की कानूनी आपत्ति है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 41 के अन्तर्गत।

श्री समर गुह : विभाजन के समय सभी नेताओं ने नियम 41 से भी अधिक महत्वपूर्ण वचन दिया था। उसके पश्चात् नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ था... (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 41 में कहा गया है :—"उसमे किसी मित्र देश के प्रति अविनयपूर्ण निदेश नहीं होगा।" क्या यह नियम 41 का उल्लंघन नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप इस देश को हिन्दूओं का देश कहना चाहते हैं ? यह आपका काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा काम केवल इस सभा की कार्यवाही चलाना है।

श्री वयालार रवि : श्रीमान मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से सहमत हूं। आप इस तरह के प्रश्न क्यों पूछने देते हैं? (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह समाचार पत्रों में छपेगा और फिर इससे बहुत गड़बड़ी पैदा होगी।

श्री वयालार रवि : जब मैं भारत में हुए किसी मामले पर किसी प्रश्न की सूचना देता हूं तो आपका सचिवालय कहता है कि वे प्रश्न को स्वीकार कर लेंगे वशर्ते कि हमें मंत्रालय से उसका निश्चित उत्तर मिले । उन्हें प्रश्न स्वीकार करने से पूर्व मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है । सचिवालय ने अवश्य ही यह प्रश्न मंत्रालय को भेजा होगा और मंत्रालय ने भी अवश्य इस पर अपनी सहमति दी होगी । मैं नहीं समझता कि विदेश मंत्री इस तरह के प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं । हमने यह प्रश्न मंत्रालय को भेजा और मंत्रालय ने उत्तर दिया है । उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की । यही कारण है कि इसे स्वीकार किया गया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उत्तर दिया जा चुका है । अब केवल अनुपूरक प्रश्न पूछने हैं । अब यह बात उठाने में कोई औचित्य नहीं है । यह बात पहले उठायी जानी चाहिए थी ... (**व्यवधान**)

श्री ए० सी० जार्ज : हमारे विदेश मंत्री हमारे पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं । हमें इस तरह के प्रश्नों की अनुमति नहीं देनी चाहिए । विदेश मंत्री तथा सरकार के लिए यही उचित है कि वे अब आगे और उत्तर न दें क्योंकि इससे अवश्य ही लोगों की भावनाएं भड़केंगी जो कि दोनो देशों के हित में नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने दिया गया उत्तर देख लिया है ? मंत्री जी ने उत्तर देते हुए पूरी सावधानी बरती है ।

श्री ए०सी० जार्ज : आप इतने उदार तथा दयालू हैं कि आपके लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने से रोकना कठिन हो जायेगा । (**व्यवधान**)

Chowdhary Balbir Singh: Mr. Speaker when you have allowed to ask questions then why do these people let not ask the questions. Was India divided with consent ? ...(Interruption).

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न पढ़ लिया है । हमने इसे मंत्रालय को भेजा था । उनसे उत्तर प्राप्त करने के पश्चात ही हमने इसे सूची में रखा । मंत्रालय ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की और कोई विपरीत उत्तर नहीं दिया है । यदि मुख्य उत्तर विपरीत नहीं है तो अनुपूरक प्रश्न भी वैसे नहीं हो सकते ।

Chowdhary Balbir Singh: India was divided and due to partition some people remained there. Now they are facing difficulties there that is why they are crossing over to India. Mahatma Gandhi had said that India will be divided on my dead body, but ultimately they agreed to divide India. Today they are in trouble because of partition. Can we not talk here about giving them relief?

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न का शीर्षक क्या है ? आपने इसकी अनुमति कैसे दी ?

श्री पी०वेंकट सुब्बैया : जब आपने इसे सभा में स्वीकार कर लिया है तो फिर यह सभा की धराहेर बन जाती है और इसलिए अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछने से नहीं रोक सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कंवर लाल गुप्त को बुला लिया है । आप हमेशा हर एक से पहले बोलना चाहते हैं । मैंने आपकी बात सुन ली है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न का शीर्षक बहुत ही कठोर है "पाकिस्तान में हिन्दुओं को बलात इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर बाध्य किया जाना" । यह शीर्षक है । इस तरह का प्रश्न स्पष्ट रूप से नियम 41 के उपनियम (उन्नीस) उपबन्धों का उल्लंघन करता है । इसमें कहा गया है :—

"उसमें किसी मित्र देश के प्रति अविनयपूर्ण निर्देश नहीं होगा ।"

हमारे पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है । अतः यह प्रश्न स्वीकार करने योग्य नहीं था । उत्तर चाहे कुछ भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता । प्रश्न की ग्राह्यता उत्तर द्वारा निर्धारित नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं आपके समक्ष खड़ा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता भी खड़े हैं । मैंने उन्हें बुला लिया है । आधे दर्जन लोग खड़े हैं । एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति को बुलाया जा सकता है ।

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, we want friendly relations with Pakistan, Bangla Desh, U.K., China, Russia and America. Does it mean that questions can be asked about the Indian immigrants living in England, America, Africa and about the refugees of Bangla Desh, Pakistan, etc., but we cannot ask question here about this matter? **(interruption)** This is not the question of Hindu-Muslims. **(interruption).**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, the Hon. Prime Minister has recently visited America. There he asked the Indians to think for their country. If you have any difficulty, we will talk to your Government **(interruption).**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात समझ ली है । श्री चन्द्रप्पन ।

श्री कंवर लाल गुप्त : वे राजनीतिक दृष्टिकोण से बाहर होकर यह कर रहे हैं ।

चौधरी बलवीरसिंह : उठे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चन्द्रप्पन को बुलाया है । मैं किसी और की बात नहीं सुन सकता ।

चौधरी बलवीर सिंह : हर एक की नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : और बलवीरसिंह भी उनमें से से एक हैं । **(interruption)**

Chowdhary Balbir Singh: Mr. Speaker, kindly listen us also. We are also sitting here **(interruption)**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रश्न में उल्लेख है कि राजस्थान की सीमा के पास पाकिस्तान के क्षेत्र में रह रहे हिन्दू परिवारों को बलात इस्लाम स्वीकार कराने का समाचार है । यदि इस नाजुक मामले पर सभा में चर्चा होती है तो इससे दोनों देशों के सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा बल्कि इससे देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जायेगा । सभा के लिए यह अत्यधिक चिन्ता की बात हो जायेगी । अतः इस सभा के अभिरक्षक के रूप में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभा में इस प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति न दें और देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा न करें ।

श्री समर गुह : मैं उसी क्षेत्र का हूं जिसका दुर्भाग्य से विभाजन हो गया था । अत्याचारों तथा अन्य कारणों से मुझे वहां से यहां आना पड़ा । पहले उस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पाकिस्तान या बंगला देश के इस प्रश्न की तुलना इंग्लैंड या अमरीका से नहीं की जा सकती । तीन हजार वर्षों की सभ्यता को भुलाया नहीं जा सकता । हमारे भाषायी, सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य सम्बन्धों तथा समन्वय को समाप्त नहीं किया जा सकता । आपको याद होना चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा मामला है ।

श्री समर गुह : आपको याद होना चाहिए श्री जिन्हा सहित सभी नेताओं द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए वचनों के आधार पर विभाजन हुआ था । आपको यह भी याद होना चाहिए कि 1947 में यह एक मुख्य मामला था । श्री जिन्हा ने कराची से तथा पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली से सभी अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया । यह आश्वासन भी दिया गया था कि उन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक—सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जायेगी । उस आश्वासन के आधार पर यदि यहां किसी मुसलमान को हिन्दू धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जायेगा तो मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान को विरोध करने का पूरा अधिकार है । यदि पाकिस्तान या बंगला देश में किसी से बलात धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो, विभाजन के समय सभी राष्ट्रीय नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है । अतः यह हमारा नैतिक अधिकार है और इससे हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध खराब नहीं होंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह भाषण दे रहे है तो मैं क्या कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह क्या आप रूक नहीं रहे है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बाला पजनौर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उनकी बात सुन रहा हूं जिन्हें इस पर आपत्ति है तथा जो इसका समर्थन कर रहे हैं।

Shri Ugra Sen: Your ruling is that during question hour no one can raise point of order.

अध्यक्ष महोदय : श्री उग्र सेन कृपया मेरी बात सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बलवीर सिंह जो लोग इस पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, मैं उनकी बात सुन रहा हूं । यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपकी बात भी सुनूंगा ।

श्री आरविन्द बाला पजनौर : श्री कंवर लाल गुप्त तथा श्री समर गुह की बात सुनकर मुझे बाध्य होकर यह निवेदन करना है । मेरा पहला निवेदन यह हैं...

(व्यवधान)

यदि सत्तारूढ़ दल ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता है तो यह उनके लिए एक खतरनाक उदाहरण है । आश्चर्य है कि वरिष्ठ मंत्री मौन साधे हुए हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Can we raise point of order during question hour? Please do not set a new practice.

श्री आरविन्द बाला पजनौर : मेरे लिए यह एक समस्या है । आश्चर्य होता है कि वरिष्ठ मंत्री कैसे चुपचाप बैठे हैं । यदि दल पर सभा में नियंत्रण नहीं हो सकता तो वे इस पर बाहर से नियंत्रण कर सकते है। मेरा निवेदन तीन बातों पर है ।

सर्वप्रथम आपने कहा कि तर्क यह है कि जैसा कि श्री बसु ने बताया यह ग्राह्य नहीं है । वे कुछ लोगों पर निर्णय थोप रहे हैं । मैं कोई भी पक्ष नहीं ले रहा । मैं यह सब कुछ सब लोगों को सुनने के बाद कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : हम इस देश में धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति वचनबद्ध हैं और हमें ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अध्यक्ष का सम्बन्ध है, उसका नीति से किसी भी तरह का सम्बन्ध नहीं है । अध्यक्ष का काम केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं मैं किसी प्रश्न को अनुमति केवल तभी दे सकता हूं जबकि उससे किसी नियम का उल्लंघन हो रहा हो । किसी नीति के बारे में मैं प्रश्न अस्वीकार नहीं कर सकता चाहे वह ठीक हो अथवा गलत । श्री बसु ने कहा है कि इस प्रश्न की ग्राह्यता के नियम 41 का उप-नियम (उन्नीस) का उल्लंघन होता है । उस नियम में कहा गया है :—

"(उन्नीस)

इस विशेष मामले में पाकिस्तान के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है । केवल इतना कहा गया है कि पाकिस्तान में कुछ तत्व लोगों को बलात इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं । मैं नहीं समझता कि यह नियम के विरुद्ध है । इसलिए प्रश्न की अनुमति दी गई है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आपने सारा नियम नहीं पढा है । ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय आपने सारा नियम नहीं पढ़ा है । आपने केवल उप-नियम (उन्नीस) पढ़ा है ।

Shri H. L. Patwari: You please sit down.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं केवल भगवान के कहने पर बैठूंगा। आपने केवल एक ही उप नियम का उदाहरण दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि नियम 376 में यह व्यवस्था है कि व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । आपने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है । जिन सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मुझे उनकी बात सुननी है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आपने कहा है कि आप उनकी बात भी सुनेंगे जिन्हें इस पर आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : सभी नहीं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आपने कहा है कि जिन्हे इस पर आपत्ति है, आप उनकी बात भी सुनेंगे । आपने केवल उप-नियम (उन्नीस) का उदाहरण दिया है । कृपया उप-नियम (सोलह) भी देखिये । उप नियम (सोलह) में कहा गया है :—

"उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण के अन्तर्गत विषय नहीं उठाये जायेंगे जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो ।"

और इसलिए पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में मंत्री जी को कोई ज्ञान या जानकारी नहीं है । उन के पास कोई उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?... (व्यवधान)

श्री समर मुकर्जी : यदि आप अनुमति दें तो हम सब सभा से बाहर चले जाते हैं । हमने यह सोच लिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विभाजन न होने दें ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा निवेदन है कि इस मामले में कतिपय सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त हैं । यह कोई तकनीकी मामला नहीं है । यह ठीक है कि यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता । इसमें इस देश के धर्मनिरपेक्षवाद के कुछ मामले हैं । इसलिए यदि इस प्रश्न को स्वीकार किया गया तो हम सभा से बाहर चले जायेंगे ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : हम सब सभा से बाहर निकल जायेंगे । ... (व्यवधान)

श्री पी० के० वेंकटसुब्बैया : आपने कहा है कि सरकार का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है जबकि इस अमानवीय व्यवहार के मामले में पुलिस सक्रियता से कार्य कर रही है । और इससे दोनों देशों की मैत्री पर प्रभाव पड़ेगा । जिसे पुनः कायम किया जा रहा है । इसलिए श्रीमान इसके विरोध में हम सभा से बाहर जा रहे है ... (व्यवधान)

(इसके पश्चात श्री यशवन्तराव चव्हाण तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : आपकी मर्जी है ।

श्री समर गुह : यह और कुछ नहीं बल्कि एक दूसरे ढंग की साम्प्रदायिकता है (व्यवधान) मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी हूं । मैंने अपने मुसलमान मित्रों की रक्षा करने में कई बार अपने आपको जोखिम में डाल दिया था । मेरा यह कहने का अधिकार है कि वे आज किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं । (व्यवधान) पाकिस्तान को हमें पुछने का अधिकार है कि (व्यवधान) हम यहां इसका विरोध करते हैं .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह क्या आप यह समझते है कि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष का है ?

श्री समर गुहा : यह और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की साम्प्रदायिकता है । वे इसका प्रदर्शन करना चाहते है किंतु इस तरह की बाते और साम्प्रदायिकता का राजनितिक करण अन्तोगत्वा उनके लिए अहितकर होगा वे इसके साथ खिलवाज कर रहे है ।

Shri Atal Behari Vajpayee: Mr. Speaker, before I reply to this question I would like to say that unfortunately the opposition has given this issue a political colour. I want to know whether such questions were not asked when Mr. Chavan was External Affairs Minister? If anything happens in Pakistan and that affects India, issues can be raised in that regard in the House. Such matters have been raised in the past and will be raised in future also.

You have allowed this question and I am prepared to reply to it. All the hon. members are wise here.

Some Hon. members : All are not wise.

Shri Atal Behari Vajpayee : We expect from the hon. members that they will not ask any such supplementaries which may affect our friendship with our neighbour unnecessarily but it does not mean that the facts are left undisclosed. I regret that this issue has been made a secular issue. We also believe in secularism, but secularism does not mean that it should be given political colour and the situation created for walk out.

I want to know whether Dr. Karan Singh is walking out or coming in?

A wrong precedent is being established in the House to-day. I want the opposition to reconsider their attitude. This matter is concerned with Pakistan and therefore I will be very brief. The entire House and the country should be unanimous about this question. But if the opposition parties are bent on giving it a political colour, the people of the country will condemn them. **(Interruption).**

(*The original reply to Question No.* 64)

(a) to (c) : Government have received a report to the effect that 10 Hindu families consisting of a total of 65 persons from Pakistan had crossed into India in the Rajasthan Sector in May, allegedly because of harassment on religious grounds. The Reports were brought to the notice of the Pakistan Embassy in New Delhi who have subsequently informed Government that the Government of Pakistan have not so far been able to find any trace of such migration. The Embassy has asked the Government for personal particulars of the individuals concerned. This information has been supplied to the Embassy.

The Government have been assured by the Government of Pakistan that all steps would be taken to ensure that Hindus in Pakistan do not in any way feel insecure and find it necessary to cross the border into India.

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमाणी ।

(कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं)

Grant of telephone connections on medical grounds in Trans-Jamuna area of Shahdara, Delhi.

*65. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the time by which telephone exchange in trans-Jamuna area of Shahdara will be expanded and new telephone connections granted to the people there;

(b) whether temporary connections for six months even on medical grounds are not granted in Shahdara area due to the shortage of lines and if not, the total number of applications for connections on medical grounds received in 1976-77 and 1977-78 and the number of temporary connections granted as also the number of applicants who have not been granted connections;

(c) the details of Government's policy in regard to granting telephone connections immediately to those who have applied on medical grounds; and

(d) if not, the main reasons therefor?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) The tentative programme for expansion of telephone exchanges in Trans-Jamuna area of Shahdara is placed on the Table of the House (Table 1 of statement).

(b) Yes, Sir. Temporary telephones are not being sanctioned temporarily in Shahdara area due to shortage of lines and over-loading of exchanges.

The details of applications received for temporary telephones on medical grounds is placed on the Table of the House. (Table 2 of statement).

(c) 5% of spare capacity is reserved to meet the temporary, casual and priority demands. Temporary telephones are provided on medical and other grounds subject to availability of spare capacity in an exchange.

(d) The main reasons for not providing temporary telephones is non-availability of spare capacity in an exchange.

Statement

Table 1

Information regarding programme for expansion of Telephone exchanges in Trans-Jamuna area of Shahdara.

No. of additional lines proposed to be provided	Tentative target subject to any unforeseen hold-ups	Remarks
1600	March 1979	Extension of existing Shandara East Exchange from 2400—4000 lines.
1000	March 1982	Extension of Shahdara East Exchange from 4000 to 5000 lines.
6000	June 1982	Imported Equipment to be installed in a new exchange at South Shahdara.

Table 2

Information regarding applications received for Temporary telephones on medical grounds

	1976-77	1977-78
No. of applications for connections on medical grounds received in Shahdara and Shahdara East areas	138	132
No. of temporary connections sanctioned	86	47
No. of applications not gratned	52	85

Shri Ugra Sen: Mr. Speaker, my first objection is that the Hon. Minister has not given us the notice about our question. We should have been given that information earlier. I want to know the number of applications received for new telephone connections in Shahadara area and the number of connections granted. I also want to know the number of applications for temporary connections on medical ground received during 1976-77 and 1977-78 and the number of the temporary applications accepted.

Shri Narhari Prasad Sai: As has been mentioned in the statement, there is a proposal to provide 1600 additional lines by March, 1979. The number of applications for temporary connections received on medical ground during 1976-77 was 138 and in 1977-78 it was 132. In 1976-77, 86 applications and in 1977-78, 47 applications were accepted. The number of applications rejected during 1976-77 was 52 and in 1977-78 it was 85.

Shri Ugra Sen: Mr. Speaker, it is question hour and I have right to ask questions. But due to uproar in the House, it is difficult to ask questions. It is your responsibility to maintain peace in the House. You have given ruling that no point of order will be raised during the question hour, but to-day you voilated your own ruling and allowed to raise a point of order. I strongly oppose it. We want that time should be extended by an hour.

Mr. Speaker: No. The time is over. It is 12 O'clock.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Telegraph and Telephone Facilities for Farmers in Rural Areas

†*62. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the steps taken by the Central Government during the last one year to provide telegraph and telephone facilities in rural areas of the country; and

(b) the number of new villages provided with those facilities and the expenditure incurred in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) The policy for providing telegraph and teltphone facilities was liberalised so as to cover all places with a population of 5,000 in ordinary areas and 2,500 in hilly and backward areas. Further the target for opening Public Call Offices (for telephone facility) was stepped up from 1,000 to 2,000 and the target for Combined Offices (for telegraphs facility) was stepped up from 1300 to 2300.

(b) As a result of the liberal policy, a total of 2789 new stations were provided with Public Call Offices. 2507 Telegraph offices were also opened during the year 1977-78. The expenditure incurred on this account during 1977-78 was approximately Rs. 7.30 crores.

लू लगने के कारण हुई मृत्य

*66 **श्री द्वारिका नाथ तिवारी :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में अप्रैल, मई और जून के महीनो में लू लगने से होने वाली मौतों के आंकड़े रखती है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितनी मौतें हुई; और

(ग) क्या लू के प्रभाव को कम करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हुई हानि

*67. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 1977-78 के दौरान कुल कितनी वित्तीय हानि हुई और इस हानि के कारण क्या हैं; और

(ख) सरकार इस हानि को रोकने के लिए तथा संयंत्र को लाभकारीस्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाने को 11.79 करोड़ रूपये की हानि हुई है । अभी ये आंकड़े अस्थायी है । हानि के मुख्य कारण बिजली और अच्छे किस्म के कोयले की अपर्याप्त सप्लाई से उत्पादन कम होने के अलावा, प्राडक्ट-मिक्स का प्रतिकूल होना और कुछ मदों विशेषत रेलवे के लिए तैयार किए गए पहियों और धुरों, स्लीपरों और फिश-प्लेटों के लिए मूल्य अलाभ कारी होना है ।

(ख) (1) अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना:—रेलवे के लिए तैयार किए जाने वाले माल के अलावा इस्पात की अन्य मदों के मल्यों में 5-6-78 से शोधन संकर दिया गया है । इस संशोधन से होने वाले वित्तीय लाभ कारखाने के वर्ष 1978-79 के हिसाब-किताब में लक्षित होंगे । जहां तक भारतीय रेलवे के लिए तैयार की गई मदों का सम्बन्ध है यह महसूस किया गया है कि इनके लिए अदा किए जा रहे मूल्य उचित नहीं है । इस मामले में सम्बन्धित मंत्रालयों से लिखा पड़ी की जा रही है ।

(2) उत्पादन में वृद्धि करना:—पहिए और घुरे के कारखाने में उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए गए है ।

(3) उत्पादन में विविधता लाना :—उत्पादन में विविधता लाने के लिए योजनाएं कारखाने तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के विचाराधीन है ।

(4) अच्छी किस्म के कोयले और बिजली की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति .—स्थिति में सुधार लाने के लिए सम्बन्धित अभिकरणों से लगातार बातचीत की जा रही है ।

दिल्ली में टेलीफोन सेवा में सुधार करना

*68. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली में टेलीफोन सेवा विशेषकर बाहरी केन्द्रों के लिये ट्रंक बुकिंग सेवा के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाहीं की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां । कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ख) ट्रंक बुकिंग और अन्य विशेष सेवाओं में उपयुक्त स्तर तक की सेवा देने के लिये ट्राफिक की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त उपस्कर जोड़ने और अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

मंत्रालयों की सलाहकार समितियां

*69. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तसत्रावधि के दौरान दिल्ली में तथा दिल्ली के बाहर मंत्रालयों की कुछ सलाहकार समितियों की बैठकें हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कौन सी बैठकें दिल्ली में हुई और कौन सी दिल्ली से बाहर हुई तथा कहां पर हुई ;

(ग) दिल्ली के बाहर बैठकें आयोजित करने के क्या कारण थे तथा प्रत्येक बैठक की समय अवधि क्या थी ; और

(घ) क्या उक्त बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित करने के बारे में माननीय प्रधान मंत्री सहमत थे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(घ) क्योंकि सलाहकार समितियों की बैठकें संबंधित मंत्री जो समिति के चेयरमैन होते हैं, की इच्छानुसार विभिन्न स्थानों पर नियत की जाती है इसलिए बैठकों का स्थान नियत करने के लिए प्रधान मंत्री की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

विवरण

क्रम सं०	मंत्रालय का नाम	बैठक का स्थान	बैठक की अवधि
1	कृषि और सिचाई	नई दिल्ली	1 दिन
		चंडीगढ़	*1 दिन
2	वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता	हैदराबाद	*1 दिन
3	संचार	श्रीनगर	2 दिन
4	रक्षा	नई दिल्ली	1 दिन
5	शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति	नई दिल्ली	2 दिन
6	ऊर्जा	श्रीनगर	2 दिन
7	विदेश	शिमला	*1 दिन
		नई दिल्ली	1 दिन
8	वित्त	नई दिल्ली	1 दिन
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	नई दिल्ली	1 दिन
10	गृह	नई दिल्ली	1 दिन
11	सूचना और प्रसारण	नई दिल्ली	1 दिन
12	उद्योग	बम्बई	1 दिन
13	श्रम	बंगलौर	1 दिन
14	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य	नई दिल्ली	1 दिन
15	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	नई दिल्ली	1 दिन
16	रेल	नई दिल्ली	1 दिन
17	योजना	नई दिल्ली	1 दिन
18	नौवहन और परिवहन	नई दिल्ली	1 दिन
19	इस्पात और खान	श्रीनगर	*2 दिन
20	पर्यटन और नागर विमानन	नई दिल्ली	1 दिन
21	निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास	श्रीनगर	1 दिन

संसद सदस्यों की समिति जिसने "प्रतिवर्ष संसद का एक अधिवेशन दक्षिण में करने के प्रस्ताव की व्यवहार्यता और वित्तीय लक्ष्यार्थ के, प्रश्न की जांच की इस निष्कर्ष पर पहुंची कि त्रिवेन्द्रम अथवा बंगलौर में संसद का एक अधिवेशन करना व्यवहार्य नहीं है । तथापि, समिति ने सिफारिश की थी कि संसद का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन दक्षिण में करने के बजाय संसदीय समितियों और अनौपचारिक सलाहकार समितियों (जैसा कि वे उस समय कहलाती थीं) की बैठकें अन्तःसत्रावधि के दौरान समय-समय पर समिति की सुविधानुसार दक्षिण में की जानी चाहिए । समिति ने यह अनुभव किया कि यह सुझाव यदि क्रियान्वित किया गया तो प्रतिवर्ष संसद का एक अधिवेशन दक्षिण में करने के प्रस्ताव में अन्तर्हित उद्देश्य को, केन्द्रीय सरकार के कार्य को अधिक विस्थापन किए बिना और अनावश्यक अत्यधिक खर्चे के बिना, पूरा करने में बहुत हद तक सहायक होगा । सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया और निर्णय किया कि अन्तःसत्रावधि के दौरान सलाहकार समितियों की बैठकें समिति के चेयरमैन की इच्छानुसार दिल्ली से बाहर बुलाई जाएं ।

*(सरकारी दौरों पर लगे दिनों को छोड़कर)

कराकोरम रेंज पर सड़क का कथित निर्माण

70. **श्री समर गुह :**

श्री एफ० एच० मोहसिन :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में कराकोरम रेंज पर पाकिस्तान की चीन के साथ जोडने वाली सड़क के खोले जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई सड़क किस प्रकार की है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सड़क के निर्माण के विरुद्ध चीन अथवा पाकिस्तान से कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन सरकारों में से किसी की भी प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 800 कि० मी० लम्बी यह सड़क इस्लामाबाद के 60 मील उत्तर में स्थित हवेलियां को चीन और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर के बीच की सीमा पर स्थित खुनजेराब दर्रे से जोड़ती है जोकि समुद्र की सतह से लगभग 15,800 फुट उंचा है । बताया जाता है कि पाकिस्तान ने 1969 में चीन की तकनीकी सहायता से गिलगिट और मोरखुन के बीच निर्माण पूरा कर लिया था । प्राप्त समाचारों के अनुसार मोरखुन और खुनजेराब के बीच मुख्यमार्ग का अन्य भाग चीन ने 21 अक्तबर, 1969 को सम्पन्न चीन-पाक करार के बाद बनाया था । प्राप्त समाचारों के अनुसार यह पूरी सड़क 18 जून 1978 को पूरी तरह चालू हो गई थी ।

(ग) जी हां । दोनों सरकारों से विरोध प्रकट किया गया है ।

(घ) पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि जम्मु और कश्मीर में उनकी स्थिति के अनुसार वे इस विरोधी की वैधता को स्वीकार नही कर सकते हैं ।

चीन की सरकार ने 1969 में सड़क का निर्माण करने के हमारे विरोध का कोई उत्तर नहीं दिया है ।

इसी प्रकार, इस मुख्यमार्ग के उद्घाटन पर हमारी हाल की कार्यवाही के प्रति पीकिंग से कोई प्रतिक्रिया नही हुई है ।

श्रम न्यायालय, कानपुर में पड़े अनिर्णीत मामलें

*71. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित श्रम न्यायालय में इस समय कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं, सब से अधिक समय से ऐसे कितने मामले हैं और उन मामलों के निरटारे में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कर्मचारियों को परेशानी से बचाने के उद्देश्य से इन मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ग) भूतपूर्व ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन तथा टेनरी फुटवियर कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारियों के कितने मामले श्रम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं और ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कितना समय आवश्यक होगा तथा क्या उनका विचार देश के अन्य श्रम न्यायालयों में ऐसे विलम्बित विवादों के बारे में जांच करने और अनिर्णीत मामलों को निपटान हेतु और अधिक श्रम न्यायालय खोलने के लिए उचित कदम उठाने का है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

चीन के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका के दूरदर्शन पर प्रधान मंत्री का वक्तव्य

72. **श्री हितेन्द्र देसाई :**

श्री दुर्गा चन्द :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किये जाने के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की अपनी हाल की यात्रा के दौरान दुरदर्शन पर प्रधान मंत्री द्वारा दिय गये वक्तव्य का सही ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) इस सीमा-विवाद के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :(क) संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने रविवार, 11 जून, 1978 को एन०बी० सी० के "मीट द प्रेस" टी०वी० कार्यक्रम के अन्तगत एक भेंट में कहा कि भारत चीन के साथ सीमा के प्रश्न पर युद्ध या शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा और भारत में इतना धीरज है कि अगर चीन सचमुच चाहता है तो दोनों में पुनः मित्रता हो जाये जिससे कि सीमा का प्रश्न भी संतोषपूर्ण ढंग से हल हो जाए ।

(ख) चीन-भारत सीमा के अंकन से संबद्ध हमारी सरकार की नीति सर्वविदित है । अपनी नीति के अनुरूप और इस प्रश्न पर दोनों देशों के बीच मतभेदों पर ध्यान न देते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए काम करना भारत सरकार की नीति है । इसी संदर्भ में प्रधान मन्त्री ने चीन की सरकार के साथ उचित समय पर सीमा की समस्या के बारे में विचार विमर्श करने के लिए अपनी तत्परता की बात स्पष्ट की थी ।]

डा० तेजा का पार-पत्र

*73. **श्री जी० एस० बनतवाला :**
श्री मुक्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा डा० धर्म तेजा का पार पत्र किस तारीख को जब्त किया गया था ;

(ख) किन परिस्थितियों में 12 मई, 1978 को डा० धर्म तेजा को एक नया पारपत्र जारी किया गया था जबकि उनका पुराना पारपत्र जब्त किया गया था ;

(ग) नया पारपत्र जारी करने में कौन कौन और कितने व्यक्तियों का हाथ है ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस मामले में इस बीच कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) डा० धर्म तेजा का पासपोर्ट 18 अक्तूबर, 1976 को रद्द कर दिया गया था ।

(ख) से (घ) : पासपोर्ट के लिए डा० तेजा की प्रार्थना पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार यथोचित रूप से विचार किया गया था और 12 मई, 1977 को उन्हें पासपोर्ट जारी कर दिया गया था ।

कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

*74. **श्री राजकृष्ण डान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंजों से एक विशिष्ट समय में की गई कालों की कुल औसत संख्या कितनी है और उनमें से कितनी कालों पर बातचीत हो सकी ;

(ख) क्या 50 प्रतिशत टेलीफोन प्रयोक्ताओं को ही सही नम्बर मिल पाता है, जबकि बाकी 50 प्रतिशत को सदैव व्यस्त टोन मिलती है ; और

(ग) 197, 198 आदि जैसी लोक सहायता सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कार्रवाई की है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) इस प्रकार की कालों की गणना नहीं की जाती ।

(ख) ऐसा नहीं होता ।

(ग) इन सेवाओं में सुधार लाने के लिए की गई कार्रवाई संबंधी एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कलकत्ता टेलीफोन के बारे में की गई कार्रवाई

1. सभी एक्सचेंजों की विशेष सेवाओं के लिए पोजीशनों की संख्या, पर्याप्त आपरेटरों और अतिरिक्त जंक्शनों में वृद्धि कर के विशेष सेवाओं 197, 198 आदि में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

2. कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में सामान्य सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं :—

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान विस्तार

(क) **नए कनेक्शन**— 15,730 नए कनेक्शन दिए गए थे। इससे एक्सचेंज उपस्कर पर भार कम होगा क्यों कि काल करने की दर में कमी आ जाएगी।

(ख) **एस-टी-डी सेवा**—बर्दवान, सिलीगुरी और छपरा में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा (एक ओर से चालू की गई थी। राशि एस० टी० डी० सेवा 8 अन्य स्टेशनों में भी चालू की गई थी।

(ग) भरोसे की संचार सेवा देने के लिए जोकि केबुलों के खराब होने के कारण ठप्प न हो जाए, **प्रायोगिक** तौर पर टेलीफोन भवन और कलकत्ता के उपनगरों में कोसीपुर एक्सचेंज को जोड़ने वाला 30 चैनल का एक माइक्रोवेव डिजिटल लिंक चालू किया गया था।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान विस्तार की योजना :

(क) ऐसा प्रस्ताव है कि चालू वर्ष के दौरान 28,000 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) कलकत्ता ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज का 2,000 से 2,800 लाइनों तर विस्तार करने का प्रस्ताव है। कालों का तेजी से और प्रभावकारी पारेषण करने के लिए नौ पोजीशनों सहित एक ट्रांजिट मैनुअल ट्रंक एक्सचेंज भी चालू किया जाएगा।

(ग) 20,000 नए कनेक्शन देने का भी एक कार्यक्रम बनाया गया है जिससे अधिकांश इलाकों की प्रतीक्षा सूची काफी कम हो जाएगी।

(घ) कलकत्ता को एस० टी० डी० के द्वारा 15 नए स्टेशनों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ङ) आशा है कि कलकत्ता-लंदन अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सेवा चालू वर्ष के दौरान शुरू हो जाएगी।

(च) इन्टर-एक्सचेंज जंक्शनों पर अक्सर चोरियां होती हैं और लाइनें ठप्प हो जाती हैं। इन जंक्शनों पर बेहतर और भरोसे की सेवा देने के लिए टेलीफोन भवन से कई बाहरी एक्सचेंजों के लिए माइक्रोवेव डिजिटल लिंक स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ग) सेवा में सुधार लाने के लिए कार्रवाई :

(क) सभी एक्सचेंजों, बाहरी संयंत्रों और उपभोक्ताओं की संस्थापनाओं में सुधार कर के फिर से स्थापित करने का काम हाथ में ले लिया गया है ताकि यह कार्य 31 मार्च, 1979 तक पूरा हो जाए।

(ख) बेहतर सेवा देने के लिए तीन क्रासबार एक्सचेंजों का दर्जा पहले ही बढ़ाया जा चुका है और आशा है कि बाकी आठ क्रासबार एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाने का काम कुछ महिनों में पूरा हो जाएगा।

(ग) टेलीफोन केबुलों की क्षति कम हो--इसके लिए 4.1 किलोमीटर लम्बी केबुल नली (डक्क) बिछा दी गई है। मौजूदा मानसून के बाद केबुल नलियां बिछाने की और परियोजनाएं पूरी की जानी हैं।

(घ) 250 किलोमीटर जंक्शन केबुलों को प्रेशराइज कर दिया गया है। 31 मार्च 1989 तक 200 किलोमीटर और जंक्शन केबुलों को प्रेशराइज करने का कार्यक्रम है।

(ङ) टेलीफोन लाइनों में दोष रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जैसे नमीरोज व्यवस्था और जेली भरे केबुलों का प्रयोग करना।

(च) टेलीफोन भवन और कई अन्य कार्यालयों में सार्वजनिक शिकायत कक्ष खोले गए हैं जहां जनता की शिकायतों पर कार्रवाई की जा सके।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन

*75. **श्री सी० आर० नहाटा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में सरकार ने अभी हाल में सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों के नाम 9 मई, 1978 को एक पत्र लिखकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि परिवार

कल्याण कार्यक्रम को जोरदार ढंग से कार्यान्वित करना और उससे अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा। इस पत्र में प्रधान मंत्री जी ने उन्हें केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय से भी अवगत कराया कि 1978-79 से वार्षिक योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता का 8 प्रतिशत राज्यों द्वारा परिवार कल्याण के क्षेत्र में किए गए काम को देखते हुए ही दिया जाएगा। प्रधान मंत्री जी ने 14 जुलाई, 78 को सभी मुख्य मंत्रियों के नाम एक और भी लिखा हैं जिसमें उनसे इस कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है।

(ख) सरकार को 9 मई के प्रत्युत्तर में बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा अरुणाचल प्रदेश संघ क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों से उत्तर मिले हैं जिनमें उन्होंने अपनी-अपनी स्थिति बतलाई है। इन पर विचार किया जा रहा है।

चीन-भारत संबंध

77. **डा० बापू कालदाते :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली एवं पेकिंग के बीच प्रारंभ किये गये रचनात्मक वार्तालाप को जारी रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में और क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या चीन की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : दोनों देशों के बीच लाभदायक संपर्क को सुधारने की प्रक्रिया के अंग के रूप में विभिन्न तकनीकी और विशेषज्ञ क्षेत्रों में आदान-प्रदान हुआ है अथवा निकट भविष्य के लिए इसकी योजना बनाई गई है। व्यापार कृषि, विज्ञान, चिकित्सा आदि में प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे के देश में आए गए हैं। भारतीय पत्रकारों के एक प्रतिनिधि-मंडल ने हाल में चीन की यात्रा की थी और आशा है कि सरकार के निमन्त्रण पर एक भारतीय सांस्कृतिक दल चीन लोक गणराज्य की यात्रा पर जाएगा।

सदन को इस बात की भी जानकारी है कि मैंने आने वाले महीनों में चीन के विदेश मन्त्री के चीन की यात्रा के निमन्त्रण को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

इस सम्पर्क और आदान-प्रदान में दोनों देशों के बीच कार्यात्मक और वाणिज्यिक संबंधों के साथ-साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों का सुधारने की आपसी इच्छा भी परिलक्षित होती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

*78. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक संवर्धन संस्थान द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त अध्ययन में इसकी सफलता पर संदेह व्यक्त किया गया है ; और

(ग) इसके सफल क्रियान्वयन के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रति-क्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्थिक विकास संस्थान जनांकिकीय अनुसंधान केन्द्र के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष प्रो० आशीष बोस तथा उनके सहयोगियों ने जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया है। यह अध्ययन दिसम्बर, 1977 और अप्रैल, 1978 के दौरान पंजाब और हरियाणा के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों में किया गया था। इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गये हैं :—

(1) नई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का सामान्यत: ग्रामीण जनता द्वारा स्वागत किया गया है।

(2) चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और समुदाय के बीच आपसी संपर्क का अभाव है, जैसाकि इस बात से प्रतीत होता है कि पंचायतों ने इस योजना को रोजगार दिलाने वाली योजना के रूप में लिया है।

(3) जन स्वास्थ्य रक्षकों ने इस योजना से पंजीकृत चिकित्सक बनने के स्वप्न देखे हैं।

(4) प्रशिक्षण के पश्चात् जन स्वास्थ्य रक्षकों को जो 50 रुपये का थोड़ा सा मानदेय दिया जाता है उसके प्रति सामान्यत: असन्तोष की भावना है।

(5) 50 रुपये की कीमत की जो दवाइयां सप्लाई की जाती हैं व अपर्याप्त समझी गई हैं।

(6) प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य देख-रेख के निरोधक और प्रवर्धक पहलुओं पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है।

(7) यद्यपि प्रशिक्षण पाठ्य-चर्याओं में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को शामिल कर लिया गया है तथापि एलोपैथी के प्रशिक्षण के अलावा कोई दूसरा प्रशिक्षण देना संभव नहीं हुआ है।

(8) मैनुअलों, श्रव्य-दृश्य सामग्री, किट और मानदेय समय पर न मिलना इत्यादि कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां देखने में आयी है।

(9) गांवों के लोगों को गन्दगी और पानी की निकासी आदि से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों का सही ज्ञान नहीं रहता। इस ओर सामुदायिक स्तर पर कार्यवाही करने की जरूरत है।

(10) इस नई योजना के बारे में चिकित्सकों में बहुत अधिक गलतफहमियां विद्यमान हैं।

(11) प्राइमरी हैल्थ सेंटर और सब-सेंटर स्टाफ के वेतनमानों को युक्तियुक्त करने के प्रश्न को प्रभावकारी ढंग से हल करने की जरूरत है।

(12) प्राइमरी हैल्थ सेंटरों और सब-सेंटरों की स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने की नई जिम्मेदारी को संभाल सकें।

(13) प्रारम्भ में जन स्वास्थ्य रक्षकों को दूरवर्ती गांवों में से चुना जाना चाहिए ताकि उन इलाकों में शीघ्र चिकित्सा सुविधाएं सुलभ की जा सकें।

(14) यद्यपि अधिकांश जन स्वास्थ्य रक्षक उच्चतर आय वर्ग से आते हैं तथापि इस नई योजना से अन्य लोगों के मुकाबले निम्न आय वाले व्यक्तियों तथा अनुसूचित जातियों को अधिक लाभ मिला है।

ग्रामीण नेताओं का रुख

जिन ग्रामीण नेताओं से संपर्क किया गया उनमें से अधिकांश (139 में से 115) ने जनस्वास्थ्य रक्षकों में अपना विश्वास जाहिर किया है और उनके द्वारा किए गये काम की सराहना की है। यह सुझाव दिया गया है कि जन स्वास्थ्य रक्षकों को और अधिक गहन प्रशिक्षण और उच्चतर वेतन दिए जाने चाहिएं। ग्रामीण नेता सरकारी एजेन्सियों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे सफाई व्यवस्था में सुधार, पानी की निकासी और जल पूर्ति आदि जैसी उनकी समस्याओं को हल करेंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शिफारिशें	सरकार का निर्णय
क. अधिकाधिक लोगों को इसमें लगाना	
1. इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि यह लोगों का अपना कार्यक्रम है और उन्हें स्वयं को इस कार्यक्रम में लगा देना। क्षेत्रीय भाषा में एक साधारण फोल्डर प्रकाशित किया जाए जिसमें इस योजना का ब्यौरा दिया जाए। यह फोल्डर सभी गांवों में भेजा जाय ताकि लोग इस योजना के बारे में अपना स्पष्ट मत बनालें।	1. इसके बारे में सरकार सहमत है। अगले बैचों में लोगों को शामिल करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे।
2. **ग्राम स्वास्थ्य समिति :** प्रत्येक गांव अपनी एक-एक ग्राम स्वास्थ्य समिति बना ले जिसमें 11 सदस्य हों।	2. यह अच्छा विचार है और सरकार इस पर विचार करेगी।
3. **ग्राम स्वास्थ्य स्वयंसेवक :** गांवों से काफी लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयं-सेवकों का कार्य कर सकें।	3. प्रत्येक गांव में जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर तब विचार किया जाएगा जब सम्पूर्ण देश में 1000 की आबादी के पीछे एक जन स्वास्थ्य रक्षक की दर पूरी कर ली जाएगी।

विवरण—जारी

सिफारिशें	सरकार का निर्णय
4. **पंचायत के सदस्यों के लिए विषय-परिचायक पाठ्यक्रम :** इस योजना के प्रति विश्वास जमाने के लिए पंचायत के सदस्यों के लिए दो दिन के विषय-परिचायक पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है ।	4. सरकार सहमत है ।
ख. जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का दर्जा बढ़ाना	
1. **तीन नामों का पैनल :** प्रत्येक गांव को चाहिए कि वह तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल भेजें जिनमें से प्राइमरी हैल्थ सेंटर का मेडिकल अफसर एक व्यक्ति को चुन ले ।	1. इस समय यही प्रथा है ।
2. **आयु वर्ग :** चुने हुए उम्मीदवारों की आयु अधिमानत: 30-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।	2. अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । न्यूनतम आयु-सीमा 30 वर्ष रखी जायेगी परन्तु खास-खास ममालों में यह 25 वर्ष तक हो सकती है ।
3. **जाति-पाति :** इस ग्रुप ने सुझाव दिया है कि इसमें जाति-पाति को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए ।	3. और 4: सरकार सहमत है ।
4. **लिंग :** कुल जन स्वास्थ्य रक्षकों में कम से कम महिलाओं का अनुपात भी युक्तिसंगत तो होना ही चाहिए ।	
5. **शिक्षा :** जन स्वास्थ्य रक्षक की शैक्षिक योग्यता का स्तर आठवीं कक्षा तक होना चाहिए ।	5. सरकार का विचार है कि शिक्षा का न्यूनतम स्तर छठी श्रेणी रहने दिया जाना चाहिए ।
6. **प्रशिक्षण के दौरान वजीफा :** जन स्वास्थ्य रक्षक को किसी प्रकार वजीफा न देकर उसे एक साइकिल दिया जाए । प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए उसे 4 रुपये का दैनिक भत्ता दिया जाए । यह खर्च 600 रुपये की उस राशि के भीतर पूरा हो जाएगा जो उन्हें इस समय दी जा रही है ।	6. वजीफें के भुगतान की इस विधि से सरकार सहमत नहीं है ।
7. **प्रशिक्षण के पश्चात मानदेय :** इसे 50 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया जाए ।	7. और 8. इस सुझाव पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श कर उपयुक्त समय पर विचार करना होगा ।
8 **दवाइयों की लागत :** इस समय प्रत्येक जन स्वास्थ्य रक्षक को जो 50 रुपये प्रतिमास की दवाइयां दी जा रही हैं, इसके बजाय उन्हें 75 रुपये की दवाइयां सप्लाई की जाएं ।	
9. **मैनुअल :** इस ग्रुप ने सुझाव दिया है कि इस मैनुअल में सुधार लाया जाए ।	9. मैनुअल को सुधारने के लिए सतत प्रयास किये जाते रहे हैं ।
10. **प्रशिक्षण की विषय-वस्तु :** प्रशिक्षण के विषयों को कम किया जाए और रोगों की रोकथाम पर्यावेक्षक सफाई में सुधार लाने, आदि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । यह प्रशिक्षण अधिक यथार्थ होना चाहिए ।	10. सरकार सहमत है ।
11. **श्रव्य-दृश्य उपकरण :** जन स्वास्थ्य रक्षकों को साधारण और सस्ते श्रव्य-दृश्य उपकरण दिए जाने चाहिएं ।	11. सरकार सहमत है । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
ग. स्वास्थ्य रक्षकों का एक देहाती संवर्ग बनाना :	
1. **प्रत्येक गांव के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक की व्यवस्था :** एक-एक हजार जनसंख्या के पीछे अथवा प्रत्येक गांव के लिए एक-एक जन स्वास्थ्य रक्षक रखने की सिफारिश की गई है ।	1. और 2. सरकार सहमत है ।

2. **पुनश्चर्या : पाठ्यक्रम :** जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए हर वर्ष पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पढ़ाने का आयोजन किया जाना चाहिए ।

3. **परीक्षा :** प्रशिक्षण के बाद एक वर्ष तक कार्य करने के बाद सभी-जन स्वास्थ्य रक्षकों को परीक्षा में बैठने के लिए कहा जाना चाहिए ।

3. सरकार इस प्रश्न जर उचित समय पर विचार करेगी ।

4. **वरिष्ठ जन स्वास्थ्य रक्षक :** जन स्वास्थ्य रक्षकों के प्रत्येक बैच में से उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 3 व्यक्तियों को चुना जाए और उन्हें बहुधंधी कार्यकर्ताओं के साथ 6 से 9 महीनों तक की एडवांस्ड ट्रेनिंग देकर उनका पदनाम वरिष्ठ जन स्वास्थ्य रक्षक रखा जाए । इन व्यक्तियों को बहुधंधी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त करने पर भी विचार किया जाए ।

4. सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि जन स्वास्थ्य रक्षकों के भिन्न-भिन्न स्तर हों ।

5. **ग्रामीण डाक्टर :** ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे-छोटे कस्बों के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों के डाक्टरों का एक संवर्ग बनाया जाना चाहिए । चिकित्सा व्यवसाय में दाखिल होने के लिए पात्र उम्मीदवार को छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए ।

5. यह एक व्यापक प्रश्न है । ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के बारे में निर्णय सभी बातों पर विचार करने के बाद ही करने होंगे ।

घ. प्रशासनिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना :

1. **ग्रामीण स्वास्थ्य आयुक्त :** इनकी नियुक्ति केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर की जाए ।

1. केन्द्र में और अधिकांश राज्यों में इस योजना की देख-रेख के लिए विशिष्ट अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ।

2. **प्रतिभा-खोजी सेल :** प्रतिभाशाली जन स्वास्थ्य रक्षकों का पता लगाया जाए और उन्हें नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाए ।

2. यह विचार तो अच्छा है किन्तु जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा दो या तीन वर्ष तक काम करने के बाद ही इसे कार्य रूप दिया जा सकता है ।

3. **सब-सेंटर भवनों और साज-सामान की व्यवस्था :** इन्हें अवश्य ठीक ढंग से रखा जाना चाहिए ।

4. **प्राइमरी हैल्थ सेंटरों मे डाक्टरों की व्यवस्था :** इन सेंटरों में कोई भी पद खाली न रखा जाए और प्राइमरी हैल्थ सेंटरों के डाक्टरों का स्थानान्तरण के लिए मानदण्ड निर्धारित किये जाएं ।

3 और 4 : सरकार सहमत है ।

5. **ग्राम स्वास्थ्य सर्वेक्षण :** स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाए और हर पांच साल के बाद पुनः सर्वेक्षण किया जाए ।

5. लक्ष्य तो पूर्ण सूचना पद्धति अपनाने का है किन्तु इसकी विधि क्या हो, इसे अभी तय किया जाना है ।

ङ. इस ग्रुप ने यह सुझाव भी दिया है कि वर्तमान ग्राम स्वास्थ्य योजना का विकल्प सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ वर्किंग ग्रुप का गठन किया जाए तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को चाहिए कि वह इस योजना के काम-काज पर विचार करने के लिए अक्तूबर, 1978 में अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलाएं ।

ङ. अनेक स्वैच्छिक एजेंसियों ने वर्तमान योजना का विकल्प ढूंढने का प्रयास किया है और सरकार को इन योजनाओं का पता है । जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के काम-काज पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

निशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन मे अपनाया गया रुख

*79. **श्री चित्त बसु :** क्या विदेश मंत्री 4 मई, 1978 के अल्पसूचना प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने निशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा अपनाये गये रुख की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) निशस्त्रीकरण संबंधी इस विशेष अधिवेशन के परिणामों का मोटा मूल्यांकन क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) भारत ने अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ निकट संपर्क से काम किया जिससे कि निशस्त्रीकरण, विशेषकर नाभिकीय निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति के लिए एक समान नीति तथा ठोस उपायों क बारे में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों में मतैक्य हो सके ।

(ग) भारत का विचार है कि यद्यपि विशेष अधिवेशन में कोई प्रभावशाली परिणाम नहीं निकले परन्तु मतैक्य से संबद्ध अन्तिम प्रलेख में जो कि इस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ, कई ठोस बातें निहित हैं, विशेषकर कार्यवाही कार्यक्रम के संबंध में जिसमें नाभिकीय तथा कृत्रिम निशस्त्रीकरण शामिल है ।

चालू वर्ष में इस्पात निर्यात के वायदे

*80. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में हमारे इस्पात के निर्यात के क्या वायदे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मूल्य में वृद्धि और विकास उपकर लगाये जाने के कारण इस्पात के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशों से किय गये वायदों को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) चालू वर्ष के दौरान देश में अब तक 635,900 टन इस्पात क निर्यात के वायदे किये गये हैं जिनका मूल्य लगभग 121 करोड़ रुपये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Payment of Wages and Bonus to Workers of Shri Rayon Textile Mills, Ujjain

601. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2247 on the 9th March, 1978 regarding payment of wages and bonus to workers of Shri Rayon Textile Mills, Ujjain and state :

(a) whether the requisite information in respect of Shri Rayon Textile Mills, Ujjain has since been collected; and

(b) if so, the details thereof, and if not, how much time is likely to be taken in collecting the information?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) and (b) : Yes. A statement giving the information received from the Government of Madhya Pradesh is enclosed.

Statement

Information received from the Government of Madhya Pradesh in respect of Unstarred Question No. 2247 dated the 9th March 1978.

Question	Details of information received
(a) Whether the workers of Shri Rayon Textile Mill, Ujjain, are not being paid wages according to the provisions of Factory Act and Wages Act;	(a)and (b) The Factories Act and the Payment of Wages Act are applicable to Shri Rayon Textile Mills, Ujjain. The wage rates are however, based on mutual settlement and the wages are being paid by the employer on the 7th of the month following the month to which the wages relate. Besides this is a system of payment of "Advance" more popularly known as "Kharchi" is also in vogue. Kharchi is paid on the 22nd of each mohth. No complaint regarding non-payment of overtime has been received.
(b) If so, the main reasons therefore and the steps being takep by Government to ensure payment of prescribed wages to these workers, and	

Statement—*Contd.*

(c) The number of workers employed at present in each shift, on temporary, permanent and contract basis separately in the said Mill and the salary being paid to a worker under each category and the amount of bonus given to workers each time from the date it was set up ?

(c) The number of workers employed varies according to the number of looms worked. On 2-3-1978, the number of workers employed were as under:—

	Day Shift		Night Shift	
	Weavers	Others	Weavers	Others
Permanent & Temporary	12	14	14	8
Contract basis (Mendors)	..	6	..	..

Salary. The Weavers are paid on the basis of piece rate and their earnings on an average range from Rs. 12/- to Rs. 15/-. The wage rates of other categories of employees are as under :—

Jobber	Rs. 20/- per day
Warper	Rs. 19/50 per day
Fitter	Rs. 12/50 per day
Carpenter	Rs. 10/- per day
Drawer	Rs. 10/- per day
Reacher	Rs. 7/50 per day
Folder	Rs. 8/- per day
Winder	Rs. 7/- per day
Watchman	Rs. 6/- per day
Packer	Rs. 5/- per day
Labour	Rs. 5/- per day
Superviser	Rs. 400/- per month
Clerk	Rs. 400/- per month
Mendors	Piece rate—earnings on an average Rs. 20/- per day.

Bonus.—The factory is reported to have started production in January 1975. According year of the factory is October to September. The position of profit and loss is as under :—

1974-75	Loss	Rs. 36,557.96
1975-76	Loss	Rs. 1,30,428.78
1976-77	Profit	Rs. 60,491.00

According to the State Government, under Section 16 of the Payment of Bonus Act read with Explanation II, the factory is not yet liable to pay bonus.

"सिंगल प्राइस पालिसी—स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड यूनिट्स फ्लाउट डायरेक्शन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

602. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1978 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में "सिंगल प्राइस पालिसी—स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड यूनिट्स फ्लाउट डाइरेक्शन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति और स्टाकयार्ड की दरों में 35 रुपय का अन्तर रखने का जो निर्णय लिया गया था। वह कच्चे लोहे पर नही किंतु केवल इस्पात की विभिन्न श्रेणियों पर ही लागू होता था। अत: जैसा कि कहा गया है, संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा दिए गए निदेशों की अवज्ञा नही की गई है।

पारपत्रों के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

603. **अहमद एम० पटेल :**
श्री अमर सिंह वी० राठवा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1978 को पारपत्रों के लिय कितने आवेदन-पत्र, क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयवार, विचाराधीन थे ; और

(ख) इन आवेदन-पत्रों के निपटान के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें 31 मार्च, 1978 तक विचारार्थ पासपोर्ट आवेदनों की संख्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयवार दी गई है।

(ख) सरकार ने बकाया आवेदनों को निपटाने के लिये फरवरी, 1978 से क्षेत्रीय पासपोट कार्यालयों के लिये क्लर्कों के कुल 375 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त बकाया काम तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के बढ़ते हुए काम के बोझ को निपटाने के लिये मई 1977 से अप्रैल, 1978 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट अधिकारियों के 23 पदों (सहायक पासपोर्ट अधिकारियों, जन सम्पर्क अधिकारियों और अधीक्षकों) क पदों का सृजन किया गया है ।

इन विचारार्थ बहुत से आवेदन पत्रों के मामले में पासपोर्ट जारी नही किये जा सके क्योंकि ये आवेदन पत्र पूरी तरह से नही भरे गये थे और सूचना या दस्तावेज या फोटोग्राफ की उनमें कमी थी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों ने इनके आवेदकों को फिर से पत्र लिखे हैं जिनमें उनसे अपेक्षित दस्तावेज/सूचना देने के लिये कहा गया है जिनकी कमी की वजह से उनके आवेदन पत्र विचारार्थ पड़े हैं, आवेदकों को यह सूचित कर दिया गया है कि वे तीन सप्ताह के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करें।

इन उपायों क फलस्वरूप क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में बकाया आवेदन पत्रों में उत्तरोत्तर कमी हुई है और 30 जून, 1978 को इनकी संख्या घटकर 1,75,892 रह गई थी।

विवरण

क्रम सं०	कार्यालय	31 मार्च, 1978 तक विचारार्थ आवेदन पत्रों की संख्या	30 जून, 1978 तक विचारार्थ आवेदन पत्रों की संख्या
1	अहमदाबाद	8,004	2,620
2	बम्बई	18,953	18,459
3	कलकत्ता	9,449	11,234
4	चंडीगढ़	48,625	21,584
5	दिल्ली	62,543	27,204
6	एर्नाकुलम	1,35,860	1,10,939
7	हैदराबाद	12,264	4,947
8	लखनऊ	30,534	25,146
9	मद्रास	52,482	20,299
	जोड़	3,78,714	2,42,432
	*30-6-78 तक विचारार्थ आवेदन पत्र		2,42,432
	घटाइये : जून 1978 में प्राप्त नये आवेदन पत्र जिन पर विचार किया जाना है		
	शुद्ध अधिवेश जिन पर कार्यवाही की जानी है		1,75,892

इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च में वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति की आयु

604. **श्री गंगाधर अप्पा बुराडे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन कौंसिल आफ मैडिकल रिसर्च में चिकित्सा वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है और इसक 62 तक बढ़ाये जाने की संभावना है जैसा कि भारत सरकार म नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संबंधित उप-नियमों के अनुसार वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिकों की निवर्तन की आयु 60 वर्ष है। तथापि उन्हें आपवादिक मामलों में 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाये रखा जा सकता है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एक स्वशासी संगठन है। परिषद के कर्मचारियों के निवर्तन की आयु संबंधी उप-नियम उसी पद्धति पर बनाये गये हैं जिस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ आदि जैसे इसी तरह के अन्य स्वशासी संगठनों के बने हुए है और इन्हीं उपनियमों को अपना लिया गया था ताकि देश के अधिक से अधिक लाभ के लिए संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की विशेषज्ञता और ज्ञान का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके।

सरकार के स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों का जारी किया जाना

605. **श्री सुधीर घोषाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, बर्नपुर, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई तथा राष्ट्रीयकृत खानों और खनिज संस्थाओं जसी सरकार के स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयर जनता और श्रमिकों को जारी करने का है ताकि देश के लोगों और श्रमिकों के मन मे प्रबन्ध में भागीदार बनने की भावना पैदा हो ; और

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी, टेल्को संयंत्रों और अनेक खानों में भी ऐसी ही व्यवस्था की जायेगी जिससे वास्तव में जनता किस्म की संस्थाएं अस्तित्व में आए ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Opening of a new Telephone exchange at Jamkandorma village, Rajkot Distt.

†606. **Shri Dharamsinhbhai Patel**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any programme for making improvements in the telephone exchange and opening of a new telephone exchange at village Jamkandorma in Rajkot District in Saurashtra, Gujrat and if so, the details thereof and it would be completed;

(b) the present capacity of Jamkandorma telephone exchange and village-wise number of telephone connections given from this telephone exchange at present and village-wise demand for telephone connections pending as on 1-4-78 and the time by which the applicants will be provided telephone connections; and

(c) the number of telephone lines between Jamkandorma and Dhoraji at present and whether any demands have been made for laying circuit lines and if so, from where, whom and when these demands were made and the action taken or proposed to be taken thereon and when and how ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) No, Sir. A 50 line small automatic exchange is working satisfactorily. The question does not arise.

(b) The present capacity of Jamkandorma telephone exchange is 50 lines. Out of 44 working connections as on 1-4-78, 41 are working at Jamkandorma, 2 at Boria

and 1 at Fafad village. There is only 1 pending demand for long distance connection at village Rayadi requiring large quantity of stores. This would be provided as soon as stores position improves.

(c) At present 2 trunk circuits have been provided between Jamkandorma exchange and Dhoraji exchange. No demands have been received for increasing the circuits. However, an increase of circuits has been planned.

इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक

607. **श्री भगत राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के वर्तमान महानिदेशक द्वारा अधिवर्णता प्राप्त करने पर उनके सेवाकाल को बढाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एक स्वशासी संगठन है । परिषद के शासी निकाय ने 24 अप्रैल 1978 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि पिछले चार वर्षों के दौरान वर्तमान महानिदेशक ने जिस प्रकार का काम किया, परिषद् की गतिविधियों को वह जिस ढंग से चलाते रहे या जिस प्रकार उसका मार्ग दर्शन करते रहे और अनसंधान वैज्ञानिक के रूप में उनकी गरिमा और ख्याति है उस सब को ध्यान में रखते हुये उन्हें 62 वर्ष की आयु का हो जाने तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद के महा-निदेशक के रूप में काम करते रहने की अनुमति दे दी जाये ।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान की पुण में स्थापना

608. **श्री आर० के० माहलगी :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री 6 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5967 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय श्रम संस्थान को स्थायी रूप से पुणे (महाराष्ट्र) में स्थापित करन के प्रश्न पर अब निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नही, तो विगत छः वर्ष से भी अधिक समय से अनिर्णीत पड़े मामले पर निर्णय न करने के क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय श्रम संस्थान के लिए स्थायी स्थान का प्रश्न विचाराधीन है और निकट भविष्य में इस पर निर्णय ले लिया जाएगा ।

चेचक

609. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चेचक क अन्तिम मामले की सूचना 26 अक्तूबर, 1977 को सोमालिया कस्बे से प्राप्त हुई थी ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नई योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिये कि चेचक के मामलों को न छिपाया जाये, बारीकी से जांच की जायेगी तथा चौकसी बरती जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भारत म मई, 1975 में अन्तिम मामले की सूचना मिलने क बाद जांच और चोकसी बनाने की सुनिश्चित रखने क लिय क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) यह ।देश 23 अप्रैल, 1977 को अंतर ष्ट्रीय मूल्यांकन आयोग द्वारा चेचक का उन्मूलन करने के बारे में प्रमाणित किया जा चुका है । मई, 1975 में चेचक के अन्तिम रोगी का पता लगने के पश्चात्, दो वर्ष तक चेचक के रोगियों की सक्रिय खोज-बीन तथा दोनों के साथ बुखार वाले रोगियों के निगरानी कार्य के लिये समुचित खोज-बीन भी की जारी रही । अब भी चेचक के सन्दिग्ध रोगियों की निगरानी करने तथा असुरक्षित बच्चों को प्राथमिक टीका लगाने का काम चल रहा है ।

दूरसंचार परियोजना के लिये विश्व बैंक से ऋण

610. **श्री डी० अमात :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दूरसंचार परियोजना के लिये विश्व बैंक से ऋण मांगा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की सहायता से किस क्षेत्र को सुविधायें दी जायेगी ?

संचार मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद मुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक ने भारतीय दूरसंचार के लिए 12 करोड़ डालर के ऋण की अनुमति दे दी है। 2 करोड़ डालर तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, हिन्दुस्तान केबुल्स लि० और हिन्दुस्तान टेली-प्रिंटर्स लि० की दूरसंचार उत्पादन क्षमताओं को आधुनिक बनाने और उनका दर्जा बढ़ाने और 10 करोड़ डालर समुचे देश में फैले हुए दूरसंचार जाल के विकास के लिए है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में भ्रष्टाचार

611. **डा० सरदीश राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में 15 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हा, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : इस मामले की अभी छानबीन की जा रही है।

दक्षिणी रोडेशिया के बारे में आंग्ल-अमरीकी योजना

612. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी रोडेशिया के बारे म आंग्ल-अमरीकी योजना का समर्थन किया है ;

(ख) क्या जातीय शासन से मुक्ति पाने के लोगों के संघर्ष के प्रति सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ग) यदि हां तो ऐसे परिवर्तन का क्या आधार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्दू) : (क) भारत सरकार ने रोडेशियाई समझौते के संबंध में आंग्ल-अमरीकी योजना का स्वागत किया है क्योंकि इस योजना में बहुत से रचनात्मक तत्व हैं जिनमें वयस्क मताधिकार के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का कराया जाना एक निश्चित निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्रता प्रदान करना, बहुमत का शासन, उपनिवेशवाद को खत्म करने के बारे में अपनी भूमिका को लेकर यूनाइटेड किंगडम द्वारा जिम्मेदारी का पुनर्ग्रहण किया जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें शामिल होना, गैरकानूनी स्मिथ शासन का हटाया जाना आदि शामिल है। हमारा यह विश्वास है कि ये सिद्धांत जिम्बाबवे संबंधी समझौते की बातचीत के लिए एक उपयुक्त आधार प्रस्तुत करते हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार जातिवादी सरकार के विरुद्ध जिम्बाबवे की जनता के न्यायोचित संघर्ष में उन्हें पूर्ण राजनैतिक, नैतिक और सामग्रीगत समर्थन देने की अपनी नीति का पालन करती रहेगी। भारत सरकार की यह भी नीति रही है और है कि वह इस संबंध में अपनी कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी एकता संगठन और विशेषकर अग्ररेखी राज्यों के साथ समन्वय करे।

हवाई डाक से भेजे गए तार

613. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भीतर और बाहर हवाई डाक से तार भेजे जाने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): मई, 1978 से 14 जुलाई, 1978 की अवधि के दौरान पोर्ट ब्लेयर को और वहां से भेजे जाने वाले निम्नलिखित तार हवाई डाक से भेजे गए थे।

महीना	पोर्ट ब्लेयर को		पोर्ट ब्लेयर से	
	कितने अवसरों पर	तारों की संख्या	कितने अवसरों पर	तारों की संख्या
मई, 1978 . . .	6	1,055	3	755
जून, 1978 . . .	4	538	2	450
जुलाई, 1978 (1 से 14 तक) . .	2	194	कोई नहीं	कोई नहीं

इन अवसरों पर रेडियो चैनलों में वायु-मंडलीय गड़बड़ियों के कारण इन तारों का निपटारा हवाई डाक से करना पड़ा। तार सम्पर्कों (लिंक) के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए पोर्ट ब्लेयर और कलकत्ता में उच्चतर शक्ति के रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। उपस्कर के लिए आर्डर पहले ही दिए जा चुके है और आशा है कि यह उपस्कर मार्च, 1979 में चालू हो जाएगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

614. **डा० विजय मंडल**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में राज्यवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां कहां है और उनमें श्रेणीवार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई सहायता दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में राज्य-वार, केन्द्र-वार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अद्यतन की गयी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव):(क) पश्चिम बंगाल राज्य तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों—असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कहां-कहां स्थित है, उनकी सूचियां संलग्न हैं [**ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी०—2422/78**] (अनुबन्ध एक से आठ) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए जिस स्टाफिंग पैटर्न की सिफारिश की गई है, उसकी एक प्रति संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2422/78**) (अनुबन्ध-नौ)।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सेक्टर के परिव्ययों में से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माणार्थ धन राशियों निर्धारित कर दी गई हैं।

(घ) 1978-79 के बीच प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों के निर्माण कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित परिव्ययों की सिफारिश की गई है :—

(रुपये लाखों में)

1. पश्चिम बंगाल	345.00
2. असम	71.60
3. मणिपुर	15.08
4. मेघालय	12.00
5. नागालैंड	9.60
6. त्रिपुरा	17.11
7. अरुणाचल प्रदेश	6.91
8. मिजोरम	16.70

त्रिपुरा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

615. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या का केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) त्रिपुरा राज्य में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर किस-किस स्थान पर स्थित हैं, इस की एक सूची संलग्न है [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—2423/78**] (अनुबंध-एक) ।

(ख) प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के लिये सुझाये गये स्टाफिंग पटर्न की एक प्रति संलग्न है [**ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०—2423/78**] (अनुबंध-दो) ।

(ग) और (घ) : 1978-79 के दौरान खोवाई में एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोलने का विचार है ।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने संबंधी समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

616. **श्री एस० के० सरकार :**

श्री आर० मोहनरंगम :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईक्विटी और प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने के संबंध में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो नियुक्त की गई समिति का ब्यौरा क्या है, उसके सदस्यों के नाम और कृत्य क्या हैं ;

(ग) अब तक समिति की तिथि-वार कितनी बैठकें हुईं और उनमें किन व्यक्तियों ने भाग लिया था ;

(घ) यदि समिति ने कोई सिफारिशें की हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि समिति ने अभी सिफारिशें करनी हैं तो वह लगभग कितने समय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) जी हां । प्रबन्ध और ईक्विटी में श्रमिक सहभागिता संबंधी समिति सितम्बर, 1977 में नियुक्त की गई ।

(ख) सरकार के तारीख 23 सितम्बर, 1977 के संकल्प की एक प्रति, जिसमें समिति के मूल गठन, विचारार्थ विषय आदि दिए गए है, तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर में सभा की मेज पर 17 नवम्बर, 1977 को रखी गई थी । सामति के सदस्यों की संख्या जनवरी, 1978 में 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई और फरवरी, 1978 में श्रम सचिव, गुजरात के स्थान पर श्री एन० एम० बरोट, श्रम सचिव, गुजरात की नियुक्ति की गई । सरकार के दिनांक 9 जनवरी और पहली फरवरी, 1978 के संकल्पों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—2424/78**] (अनुबंध 1 और 2) ।

(ग) इस समिति की अभी तक 23 जनवरी, 3 फरवरी, 7 मार्च और 3 अप्रैल, 1978 को चार बैठकें हुई हैं । इस समिति की चार बैठकों में भाग लेने वालों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है [**ग्रंथालय में रखी । गई देखिए संख्या एल० टी०—2424/78**] (अनुबंध-3) ।

(घ) और (ङ) : समिति ने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया । आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट को अगली बैठक में, जिसके शीघ्र ही आयोजित किए जाने की आशा है, अन्तिम रूप दे देगी ।

पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ, कलकत्ता की सदस्यता की जांच

617. **श्री एन० ए० हनान अलहाज :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने कलकत्ता में कार्य कर रहे पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के संघों की सदस्यता की हाल में जांच कर ली थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका संघ-वार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : 31 दिसम्बर, 1976 को कलकत्ता पत्तन में कार्य कर रही पत्तन और गोदी श्रमिक यूनियनों की सदस्य संख्या का सत्यापन किया जा रहा है ।

होमियो बोटैनिक्ल्स

618. **श्री श्याम सुन्दर दास :**

श्री राजे विश्वेश्वर राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होमियो-बोटैनिक्ल्स, जिसे भारत आयात करता है, निर्धारित ढंग से आयात नहीं किया जाता है जैसा कि 'आंरगेनॉन मेडिसन' छठा संस्करण के पाद-टिप्पण 145 में बताया गया है, जिसकी औषध शक्ति निर्माता तक पहुंचते-पहुंचते लगभग समाप्त हो जाती है ;

(ख) क्या उनके द्वारा तैयार की गई 'टिंक्चर्स और पोटेंसीज' इलाज करने में भरोसा करने में नहीं के बराबर है जिसके परिणामस्वरूप लाखों रुपये की 'मदर टिंक्चर्स' तथा 'पोटेन्टीसेड', आयात करनी पड़ती है जिससे भारतीय राजकोष पर बोझ पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पाउडर के रूप में वनस्पति उद्गम की कच्ची औषधियों का रक्षण करने के बारे में 'आर्गेनन आंव मेडिसिन' छठे संस्करण के 145 वें पद टिप में विभिन्न दिशा निर्देश मिलते हैं । सामान्यत: ये कच्ची अवस्था में आयात किए जाते हैं और तब इन्हें उपयोग में लाने से पहले आवश्यकता अनुसार पीस लिया जाता है । यह कहना गलत है कि वे कच्ची औषधियां, जिन्हें कच्ची और शुल्क रूप में आयात किया जाता है, जिस समय उत्पादकों के पास पहुंचती है उस समय तक उन कच्ची औषधियों की चिकित्सीय क्षमता नष्ट हो चुकी होती है । स्वयं डाक्टर हनमेन सूखा हुआ कच्चा माल मंगाया करते थे और चिकित्सीय प्रयोजन के लिए उसे प्रयोग में लाने से पहले उसे पिसवाया करते थे (जैसा कि उनके विभिन्न लेखों "क्रोनिक डिज़ीज़िज" और "मेटीरिया मेडिका पुरा" से स्पष्ट है) ।

(ख) और (ग) : आयातित कच्चे माल से निर्मित टिंक्चर्स और पोटेंसीस किसी भी रूप में उन मदर टिन्चर्स और पोटेंसीस से घटिया नहीं होते जो आयात किए जाते हैं । 'आर्गेनन आंव मेडिसिन' छठे संस्करण के खण्ड 268 के अनुसार प्रत्येक उत्पादनकर्ता को कोई भी औषधि बनाने से पहल कच्ची औषधि की विशुद्धता के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करना होगा । भारत सरकार द्वारा गठित होम्योपैथिक भेषज संहिता समिति कच्चे माल के स्टैण्डर्ड निर्धारित करने और होम्योपैथिक दवाइयों के निर्माण के लिए फार्मुलेशन सुझाने के कार्य में लगी हुई है । 'आर्गेनन आंव मेडिसिन' में निर्दिष्ट हिदायतों क अनुसार माल की उपलब्धता, उसके बिगड़ने की सम्भावना तथा चिकित्सीय गुणकारिता इत्यादि जैसी बातों का भी समिति ध्यान रखेगी । प्रयेक उत्पादनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयातित कच्चे माल का स्टैण्डर्ड तथा उसकी विशुद्धता समिति द्वारा सुझाये गये स्टण्डर्ड के अनुरूप हो ।

होम्योपैथिक टॉनीक

619. **श्री सरत कार ।**

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से होम्योपैथिक टॉनिकों की अबोध लोगो में भारी बिक्री हो रही है जो 'ओरगेनॉन आफ मेडिसिन' के आर्टकल संख्या 274 के विरुद्ध है जिसके अनुसार होम्योपैथी के नाम से संमिश्रों के प्रयोग की मनाही है, ये टॉनिक हैं : अल्फा अल्फा, रणजीत टॉनिक, बेबी बलिस और बेबी टॉम आदि ;

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत प्रकार के ऐसे सभी 'सिगल मेडिसिन ग्रुपस', जो होम्योपथी द्वारा रोगियों की चिकित्सा करने में भारी बाधा डाल रहे ह, का उत्पादन/बिक्री तथा वर्तमान प्रयोग को बंद करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) 'ओरगेनॉन आफ मेडिसिन' के उपरोक्त आर्टिकल के विरुद्ध होम्योपथी के नाम से ऐसे संमिश्रों को प्रोत्साहन देने वालों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) डाक्टर हनेमन ने अपने आगदन आफ मेडिसिन के नियम 274 में कहा है कि "जटिल उपाय अपनाने की कोशिश करना गलत है जबकि आसान उपायों से काम बनता हो ।" तथापि, व्यवहार में चिकित्सकों द्वारा कुछेक औषधियां क्लिनिकल अनुभवों के आधार पर संमिश्रणों के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं । 'आगनन आफ मेडिसिन' (डजान द्वारा अनूदित) के अनुसार खण्ड 272—274 के परिशिष्ट में डा० हनेमन विशेषकर क्रोनिक रोगों में 'औषधियों के सम्मिश्रणों के उपयोग का सुझाव देना चाहते

थे क्योंकि वह एक ही खुराक में दिए गये औषधि के ऐसे समिश्रण के उपयोग से निकले परिणामों से संतुष्ट थे। लेकिन, उनके एक अत्यधिक प्रभावशाली शिष्य ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अत: औषधियों के समिश्रणों के उपयोग की सिफारिश करने के स्थान पर उन्होंने इन प्रस्तावों की ओर मात्र संकेत किया और 'आर्गेनन आफ मेडिसिन' के खण्ड 272 के नोट में इनकी हलकी भर्त्सना की 'आर्गेनन आफ मेडिसिन' के डजान द्वारा अनुदित खण्ड 272—274 के परिशिष्ट के संदर्भ में)।

विश्वास के साथ यह कहना कठिन है कि होम्योपैथिक टानिकों की बिक्री भोलेभाले लोगों में काफी मात्रा में हो रही है या नहीं क्योंकि देश में होम्योपैथिक टानिकों की बिक्री के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) समिश्रित औषधियों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार नहीं कर रही है। यह बता दिया जाए कि होम्योपैथिक दवाइयों (जिनमें मिश्रित औषधियां शामिल हैं) का उत्पादन और बिक्री औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के विभिन्न उपबन्धों द्वारा विनियमित की जाती हैं। इन नियमों के उल्लंघन करने पर अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

620. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा अनुदान के रूप में दी गई राशि के आंकड़े तथा प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में मलेरिया के उन्मूलन के लिये गत तीन वर्षों में (इस वर्ष की वार्षिक आयोजना सहित) यदि कोई धनराशि आबंटित की गई तो उसके आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या इस अंचल में मलेरिया की बढ़ती प्रवृत्ति का सामना करने के लिये यह राशि अपर्याप्त है ; और

(ग) क्या इस अंचल से मलेरिया का उन्मूलन करने के लिये सरकार का अधिक राशि का आबंटन करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने आवश्यकता के अनुसार धन का नियतन बढ़ा दिया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पी० फालसीपरम मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकारी प्रयोसों में विश्व स्वास्थ्य संगठन/स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सियां भी अतिरिक्त सप्लाइयां तथा अधिक जनशक्ति उपलब्ध करा कर दोनों तरह से सहयोग दे रही है।

विवरण

मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरी-पूर्वी राज्यों को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की तालिका।

(रुपये लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1976-77			1977-78			1978-79		
	आपरेशनल लागत	सामग्री और उपकरण	योग	आपरेशनल लागत	सामग्री और उपकरण	योग	आपरेशनल लागत	सामग्री और उपकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. असम . .	83.00	46.00	120.00	121.05	162.89	283.94	185.51	157.40	262.91
2. मेघालय . .	24.44	13.15	37.59	24.26	8.22	32.48	22.02	15.79	37.81
3. नागालैंड . .	17.80	8.70	18.50	16.00	2.38	18.38	20.19	7.02	27.21
4. मणिपुर . .	13.96	1.61	15.57	15.63	4.49	20.12	17.64	7.05	24.69
5. त्रिपुरा . .	25.71	17.16	42.87	26.49	26.52	53.01	23.16	27.77	50.93
6. मिजोरम . .	16.67	3.52	20.19	16.00	2.60	18.60	15.70	6.41	22.11
7. अरुणाचल प्रदेश .	31.20	18.16	49.36	27.60	3.67	31.27	32.58	8.01	40.51

Sale of Nirodh as Balloons

621. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints that some persons are earning profit by selling 'Nirodh' as air-filled baloons by charging more than its price; and

(b) if so, the action taken by Government to check such anti-social practice?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) No, Sir.

(b) Does not arise. However, if specific information is given, enquiry can be made.

तुरा (मेघालय) में टेलीफोन एक्सचेंज इमारत का निर्माण

622. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुरा, मेघालय में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव था और यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इसका निर्माण-कार्य एक ऐसे व्यक्ति को अलाट किया गया है जो हाल ही में सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है और जो पंजीकृत ठेकेदार नहीं है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहिर प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां । नीव की खुदाई का काम चल रहा है ।

(ख) जी नहीं । जिस व्यक्ति को निर्माण-कार्य अलाट किया गया है, वह स्थानीय लोक निर्माण विभाग तुरा दक्षिण मंडल का पंजीकृत ठेकेदार है ।

सर्गीपल्ली सीसा परियोजना

623. **श्री के० प्रधानी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्गीपल्ली सीसा परियोजना के बारे में विदेशों के साथ तकनीकी सहयोग की संभावना पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Telephone Connections on Ahwa Telephone Exchange

†624. **Shri Chhitubhai Gamit:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone connections on the Ahwa Telephone Exchange Board in Dang District;

(b) whether a demand has been made to increase the telephone connections on this Telephone Exchange Board and if so, the details thereof; and

(c) when this demand will be met and the steps taken and proposed to be taken by the Department of Communications to meet this demand and the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Against a nominal capacity of 60 lines, 55 connections are working. 3 more connections can be provided.

(b) Ther is a waiting list of 6 at present.

(c) 3 connections will be provided shortly. It is proposed to expand the board to meet the further demands. It is hoped to complete the expansion during the current year.

Rules Translated in Hindi

625. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the rules sent so far by the Ministry, its attached and subordinate offices to the Law Ministry for translation in Hindi or the rules translated by the Departmental Translation unit in Hindi; and

(b) the rules that remains for translation and the action being taken therefor and when this work is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) and (b) :

Department of Steel
(including its attached and subordinate offices).

Iron and Steel (Control) Order, 1956 was got translated by the Ministry of Law. 15 Recruitment Rules of the various posts have been translated into Hindi by the Hindi Unit of this Department. No rules are at present pending with the Ministry of Law or the Departmental Translation Unit for translation.

Department of Mines
(including its attached and subordinate offices).

The rules titled "Mineral Conservation and Development Rules, 1958" have been translated into Hindi by the Ministry of Law. Besides this, Library Rules and 16 Recruitment Rules of the Department have been translated into Hindi by the Hindi Section.

The other Rules namely the Mineral Concession Rules, 1960 and Mining Leases (Modification of Terms) Rules, 1956 have not been translated into Hindi by the Ministry of Law. However, whenever any amendment is made in the rules, both the Hindi and English version of the amendments are published in the Official Gazette. There are not separate statutory rules for the subordinate offices i.e. G.S.I. and I.B.M. As regards the Recruitment Rules in these subordinate offices, with the start of bilingual phase since 1967, the Hindi version of such rules is also published in the Gazette. Information on Recruitment Rules of G.S.I. and I.B.M. that are still to be translated, is being collected and would be placed on the Table of the Lok Sabha as soon as available.

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को रोजगार

626. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विभिन्न रोजगार कार्यालयों में इस समय कितने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक नाम दर्ज हैं; और

(ख) उनमें से कितनों को अब तक 1976 तथा 1977 में रोजगार दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख): संगत सूचना देने वाला विवरण संलग्न है

विवरण

1977 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के जीविका रजिस्टर में पंजीकृत प्रशिक्षित स्नातक (स्नातकोत्तर सहित) अध्यापकों और वर्ष 1976-77 के दौरान नियोजित अध्यापको की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-12-77 को जीविका रजिस्टर पर पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	के दौरान नियोजित किए गए व्यक्तियों की संख्या	
		1976	1977
1	2	3	4
राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	2,767	340	412
2. असम	90	3	4
3. बिहार	4,998	271	134
4. गुजरात	3,619	115	199
5. हरियाणा	9,049	2,553	2,846
6. हिमाचल प्रदेश	781	82	190
7. जम्मू व काश्मीर	90	7	6
8. कर्नाटक	3,739	54	37
9. केरल	3,303	1,506	1,203
10. मध्य प्रदेश	4,185	126	146
11. महाराष्ट्र	3,194	131	126
12. मणिपुर	10	..	..
13. मेघालय	50	..	8
14. नागालैण्ड	..	..	..
15. उड़ीसा	1,309	565	213
16. पंजाब	14,948	2,477	1,092
17. राजस्थान	6,492	976	974
18. सिक्किम*			
19. तमिलनाडु	10,513	357	193
20. त्रिपुरा	..	..	..
21. उत्तर प्रदेश	14,123	186	140
22. पश्चिम बंगाल	3,191	39	26
संघ शासित क्षेत्र			
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	..	..	..
2. अरुणाचल प्रदेश*			
3. चण्डीगढ़	1,216	211	202
4. दादरा और नागर हवेली*			
5. दिल्ली	16,967	167	171
6. गोआ	126	26	31
7. लक्षद्वीप	..	..	..
8. मिजोरम	..	..	..
9. पांडिचेरी	355	..	..
अखिल भारत जोड़	105,115	10,192	8,353

नोट : 1. *इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं हैं।

3. पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण, यह जरूरी नहीं है कि सभी बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवाएं।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा अतिथि-गृहों का निर्माण]

627. **श्री वेदव्रत वरुआ** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अपने चार अतिथि गृहों के निर्माण पर 5,66,696 रुपये और उनके लिए फर्नीचर पर 1,72,749 रुपये की राशियां खर्च की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कंपनी ने कोरवा स्थित अपने अतिथि गृह संख्या 1 के निर्माण पर 90,000 रुपये और उसके फर्नीचर आदि पर 56,900 रुपये खर्च किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो अत्यधिक आरामदायक फर्नीचर पर इतनी अधिक राशि करदाताओं की कीमत पर खर्च करने का क्या औचित्य है ; और

(घ) क्या इस अत्यधिक खर्च पर नियंत्रण करने में विफल रहे अधिकारियों पर दायित्व निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अपनी परियोजनाओं और खानों पर 4 अतिथि गृहों के निर्माण पर कुल रु० 4,66,696 की राशि (रु० 5,66,696 नहीं) खर्च की और उनकी साज-सज्जा पर रु० 1,72,749 की राशि खर्च की, जिसमें से 1,30,100 रुपये प्रारंभिक साज सज्जा पर तथा गत तीन वर्षों के दौरान साज सज्जा में वृद्धि पर 42,649 रुपए खर्च किए।

(ख) जी हां, कुल खर्च में गत तीन वर्षों के दौरान साज-सज्जा वृद्धि पर 24,900 रुपए की राशि शामिल है।

(ग) परियोजना स्थल और खानों पर, जहां आवास की कोई और सुविधा नहीं है, बहूसंख्यक/विदेशी परामर्श दाताओं और सहयोगकर्ताओं, अन्य देशों की सरकार के प्रतिनिधियों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा कंपनी के कारोबार से संबधित अन्य संगठनों जैसे बैंकों और बीमा कंपनियों, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं आदि, के लिए पर्याप्त आवास सुविधा देना जरूरी होता है। इस कंपनी (बालको) द्वारा अतिथि गृहों की साज-सज्जा पर किए गए खर्च को विलासितापूर्ण खर्च नहीं माना जा सकता। जहां उचित समझा जाता है अतिथि गृहों में ठहरने वाले व्यक्तियों से किराया लिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में गैर-सरकारी चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान

29. **श्री अनन्त दवे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य के विभिन्न कार्यों में 4,728 अनर्ह गैर सरकारी चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गुजरात सरकार से भारत सरकार को ऐसा कोई भी अनुरोध नहीं मिला है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

सलाहकार समिति की बैठक

630. **श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी मंत्रालयों को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है कि सलाहकार समिति की बैठकें पहाड़ी क्षेत्रों में दो दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये ;

(ख) क्या इस्पात और खान मंत्रालय ने श्रीनगर में सात दिन की बैठक की थी ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इस्पात और खान मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति की बैठक केवल दो दिन के लिए श्रीनगर में की गई थी, साथ-साथ दो दिन के लिए सरकारी दौरे भी किए गए थे।

Bungling in Telephone Meters Reading

†631. **Shri Ram Vilas Paswan:** Will the Minister of **Communications be pleased** to state :

(a) whether he has received a complaint in regard to the large scale bungling in the reading of telephone meters of the Members of Parliament and other people as a result of which they have to make heavy payments against the telephone bills; and

(b) whether in connivance with the P&T employees bungling was done in the telephone bills by linking STD lines with telephones owned by others ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Complaints had been received about reading of telephone meters from M.Ps and others but no bungling in reading of Telephone meters could be detected/established.

(b) A case of unauthorised connection of an STD Circuit by a private subscriber was detected in Kamla Nagar in Tis Hazari Telephone Exchange area. This case has been entrusted to the Delhi Police vide FIR No. 94 of 6-2-78 for investigation.

टेलीफोन सलाहकार समितियों की शक्तियों का कम किया जाना

632. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरों में टेलीफोन सलाहकार समितियों की शक्तियों में कमी कर दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक टेलीफोन सलाहकार समितियों ने इस बारे में प्रधान मंत्री से विरोध प्रकट किया है ;

(ग) इस बारे में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) सलाहकार समितियों के सदस्यों को शक्तियों को कम किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार इस स्थिति की पुनः समीक्षा करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ङ) : टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) टेलीफोन का प्रयोग करने वाली जनता और डाक-तार विभाग को निकट सम्पर्क में लाना ।

(2) जनता में इस बात का विश्वास पैदा करना कि उनकी कठिनाइयों को उचित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, और उनकी ओर ध्यान दिया जाता है ।

(3) स्थानीय और ट्रंक सेवाओं में सुधार लाने के बारे में विभाग को सलाह देना ।

(4) टेलीफोन सेवा में सुधार लाने तथा उन्हें विकसित करने के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का प्रचार करना ।

(5) जनता में सहयोग देने और धैर्य रखने संबंधी भावना पैदा कर के टेलीफोन उपस्कर और लाइनों की मौजूदा कमी की समस्या का मुकाबिला करने में विभाग को सहायता करना ।

(6) बिना बारी के कनेक्शन देने के बारे में निर्णय लेने में विभाग को सहायता करना ।

अक्टूबर 1977 से टेलीफोन सलाहकार समितियां बिना बारी के कनेक्शन देने की सिफारिश नहीं करतीं । इस कार्य को हटा दिये जाने से टेलीफोन सलाहकार समितियों के सदस्यों का ध्यान टेलीफोन प्रणाली के कार्य से संबंधित अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर एकाग्र किया जा सकेगा ।

(ख) इस संबंध में विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दो (2) ।

(घ) एक को जवाब दे दिया गया है और दूसरा विचाराधीन है ।

(च) इसका अब पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

Rural Health Scheme in Kerala

633. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Kerala Government has rejected the Rural Health Scheme of the Central Government and if so, the reasons therefor;

(b) whether Government consider "Swasthye-Sewaks" (Health workers) as "quacks";

(c) if so, the measures taken to save the people from the dangers inherent in getting treatment through "quacks";

(d) whether Community Health Insurance Scheme will solve the problem of provision of medical facilities in the rural areas; and

(e) if so, the time by which it will be introduced?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Yes, they have not accepted the Scheme.

(b) and (c) : No. They are selected by the community which will exercise supervision over their functioning.

(d) & (e) : There is no such proposal under consideration of the Government. The Government have, however introduced a Scheme known as Community Health Workers Scheme which would provide health care to the people in the villages. Under this Scheme three batches of Community Health Workers numbering about 42,000 have so far been trained. By March, 1979 it is planned to train about 90,000 Community Health Workers which will cover about 8-9 crores of rural population.

सही से अधिक राशि की वसूली से हुआ लाभ

634. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार सच है कि दूरभाषी के बिलों में सही से अधिक राशि मांग कर तथा वसूल करके डाक तथा तार विभाग ने 25 लाख रुपये का लाभ कमाया है ;

(ख) क्या समुचित देय से अधिक वसूल की गई राशियां सम्बद्ध टेलीफोन उपभोक्ता/उपभोक्ताओं को लौटा दी जायेंगी, यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या टेलीफोन बिलों का भुगतान समय पर न करने वाले टेलीफोन उपभोक्ताओं से ऐसी राशि वसूल करने की दृष्टि से भी सही से अधिक राशि मांगने का सहारा लिया जाता है और यदि हां, तो क्या इस प्रकार से अधिक ली गई राशि उन्हें वापस लौटा दी जायेगी ; और

(घ) यदि यह राशि उन्हें वापस नहीं लौटाई जायगी तो यह कितने समय तक और किसके नाम में रखी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : समाचार-रिपोर्ट सही नहीं है। विभाग अधिक रकम के बिल नहीं बनाता है। यह रकम तथाकथित अधिक रकम के बिल बनाने के संबंध में शिकायतों का अनुमान है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रकम निकालने की दृष्टि से अधिक राशि के बिल नहीं बनाये जाते और इस कारण उन्हें लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय राजनयिक के पुत्र द्वारा अफीम बेचा जाना

635. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**
श्री यादवेन्द्र दत्त :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मई, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है कि भारतीय राजनयिक के एक पुत्र को साउथ बालिंगटन (अमरीका) में अफीम बेचने के कारण जेल में डाला गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) जी हां।

(ख) अखबार की यह खबर गलत थी और इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई जिसमें भारतीय राजनयिक का लड़का अथवा कोई अन्य भारतीय शामिल हो।

अप्रैल से जून 1978 के दौरान इस्पात मिलों के पास कोयले की कमी

636. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मिलों ने अप्रैल, मई और जून, 1978 के महीनों के दौरान कोयले की कमी के बारे में शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : अप्रैल से जून, 1978 के दौरान इस्पात कारखानों की केवल 34.9 लाख टन कोयला सप्लाई किया गया जबकि 43.6 लाख टन की आपूर्ति करने का निश्चय किया गया था। परिणामस्वरूप इस्पात कारखानों के पास कोयले का स्टाक जो 1-4-78 को 4.49 लाख टन (11 दिन की खपत के बराबर) था 1-7-78 को घटकर 2.99 लाख टन (8 दिन की खपत के बराबर) रह गया था।

इस्पात कारखानों को कोयले की आपूर्ति की स्थिति की कोयला विभाग और रेलवे बोर्ड से परामर्श करके नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। ऊर्जा मंत्री द्वारा 8 जुलाई, 1978 को आयोजित बैठक में भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि कोयला कंपनियों रेलवे के सहयोग से इस्पात कारखानों में कोयले का पर्याप्त स्टाक बनाने के लिए सभी संभव प्रयत्न करेगी। उपलब्ध कोककर कोयले के संरक्षण के लिए इस्पात कारखानों की कोक ओवनों की पुशिंग दर को भी विनियमित किया गया है।

(ग) चूंकि कोयले की आवश्यकताएं इस्पात कारखानों के स्टाक से कोयला लेकर पूरी कर ली गई हैं अतः कोयले की कमी के कारण उत्पादन की कोई हानि नहीं हुई है।

गर्भ निरोधक का प्रयोग

637. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश शिक्षित पति-पत्नी कम बच्चों वाले परिवार के पक्ष में होते हैं, परन्तु "स्वास्थ्य और मानसिक असन्तोष" के आधार पर गर्भ-निरोधकों को अपनाने का विरोध करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शिक्षित और अशिक्षित—दोनों प्रकार की महिलाओं का गर्भ-निरोधकों को अपनाये जाने के प्रति दृष्टिकोण निराशाजनक और निरुत्साहपूर्ण है, क्योंकि शिक्षित महिलाओं में से 81 प्रतिशत और अशिक्षित महिलाओं में से 90 प्रतिशत महिलाए गर्भ निरोधकों के उपयोग का विरोध करती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत में परिवार नियोजन प्रणालियों पर आपरेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा द्वारा 1970 में किये गए एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि अधिकांश शिक्षित दम्पत्ति 3 अथवा उससे कम बच्चों के परिवार के पक्षपाती हैं। स्थानीय अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि स्वास्थ्य और मानसिक असन्तोष के आधार पर गर्भ-निरोधक न अपनाने वालों का प्रतिशत काफी भिन्न भिन्न है।

(ख) आपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अशिक्षित, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त और कालेज शिक्षा प्राप्त पत्नियों वाले दम्पत्तियों के बीच गर्भ-रोधक न अपनाने वाले दम्पतियों का प्रतिशत क्रमश: 46.5 प्रतिशत, 23.0 प्रतिशत, 14.3 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत था।

(ग) इस प्रकार गर्भ-निरोधक के प्रति इन दम्पतियों का रुख हतोत्साहित करने वाला नहीं है। तथापि सरकार गर्भ-निरोधक के प्रति लोगों का अधिक से अधिक अच्छा रुख अपनाने के लिए जन-शिक्षा कार्यक्रम को तेज कर रही है। इस कार्य के लिए प्रचार क सभी माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गांव के लोगों को समाविष्ट करने के लिए ओपीनियन लीडरों के लगभग 10 हजार ओरियन्टेशन कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा पद्धति में भी जनसख्या शिक्षा को प्रारम्भ किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लोगों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न पक्षों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का भी पूरा-पूरा लाभ उठायेगा।

कृषि श्रमिकों तथा गैर-संगठित श्रमिकों क बारे में कानून बनाना

638. **श्री एम० एम० गोविन्दन नायर :**
श्री पी० के० कोडियन :
श्री समर मुखर्जी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों तथा गर-संगठित श्रमिकों के बारे में केरल द्वारा बनाये गये विधान की भांति ही एक केन्द्रीय कानून बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा अपने विचार भेजे जाने की तारीख 30 जून, 1978 तक बढ़ा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक उत्तर दे दिया है तथा उनके उत्तर का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त केन्द्रीय कानून बनाने के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) जी, हां।

(ख) किसी भी राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। केवल दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्हें इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

(ग) सरकार का विचार इस मामले को ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति के समक्ष रखने का है जो गठित की जा रही है।

शरणार्थियों का त्रिपुरा में घुस आना

639. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :**
श्री किरित विक्रम देव बर्मन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच महीनों में बर्मा से चिटगोंग होकर त्रिपुरा में हजारों शरणार्थी आ गये हैं और यदि हां, तो क्या भारत सरकार उन्हें वापस बर्मा भेजने का कोई प्रबन्ध कर रही है अथवा भारत सरकार ने इन शरणार्थियों के बारे में बर्मा सरकार अथवा बंगला देश के साथ कोई बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बातचीतों के परिणामस्वरूप इन शरणार्थियों के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) हमें ऐसे समाचार नहीं मिले हैं जिनमें यह कहा गया हो कि बर्मा से शरणार्थी लोग त्रिपुरा में घुस आये हैं। लेकिन हमें खबर मिली है कि लगभग 3,000 जनजातीय शरणार्थी जिनमें से अधिकांश मोघ जनजाति के हैं, बंगलादेश के चट्टगांव पहाड़ी भूभाग से त्रिपुरा में आ गये हैं। ये शरणार्थी बंगलादेश के राष्ट्रिक हैं।

(ख) बंगलादेश सरकार इन शरणार्थियों को वापस लेने पर सहमत हो गई है। उनके प्रत्यावर्तन के तरीकों को राज्य सरकार के परामर्श से तय किया जा रहा है।

बिलेट की कमी

640. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलेट की, जो पुनर्वेशन निर्यातकर्त्ताओं के लिये मुख्य कच्ची सामग्री की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पुनर्वेशन निर्यातकर्त्ताओं को बिलेट उपलब्ध करवाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां । बिलेटों की कमी की स्थिति अप्रैल, 1978 से उत्पन्न हुई है।

(ख) कमी मुख्यतः घरेलू मांग में वृद्धि होने तथा छड़ों, गोल छड़ों और संरचनात्मकों के निर्यात आर्डर के बकाया रहने के कारण हुई है । ये आर्डर उस समय बुक किए गए थे जबकि बिलेटों की सप्लाई की स्थिति अच्छी थी । छड़ों, गोल छड़ों और संरचनात्मकों के निर्यात के इन करारों के लिए प्रमुख कच्चा माल बिलेट ही है ।

(ग) जहां तक निर्यात करने वाले पुनर्बेलकों को बिलेट उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है, माध्यम अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बिलेटों का निर्यात उसी सीमा तक करें जितना सरकार द्वारा निर्धारित नीति में बताया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किए जाएंगे कि निर्यात करने वाले पुनर्बेलकों को बिलेटों की उपलब्धि इस्पात के मुख्य उत्पादकों से प्राथमिकता के आधार पर कराई जाय । लघु इस्पात संयंत्रों को भी बिलेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । स्क्रैप की खरीद की सम्भावना का भी पता लगाया जा रहा है और एक शिष्टमण्डल इस सम्बन्ध में स्क्रैप का आयात करने की सम्भावना के बारे में पता लगा रहा है ।

इस्पात की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का निर्यात पर प्रभाव

641. **श्री एस० जी० मुरुगप्पन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में इस्पात की वस्तुओं में घोषित मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप लोहे एवं इस्पात के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है/पड़ने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

यूनियनों की सदस्यता की जांच

642. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय कर्मचारी संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता की नये सिरे से जांच की है, जैसे 31 दिसम्बर, 1977 को कराई गई थी ;

(ख) संगठनों के दावे कब तक प्राप्त हो जायेंग ; और

(ग) नाम दर्ज करने के लिये शर्तें और योग्यताए क्या हैं और प्रतिद्वन्द् दावों को हल करने का क्या तरीका और प्रणाली है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार ने नये सिरे से जांच आरम्भ की है ।

(ख) संगठनों से अपने दावे 31-7-78 तक पेश करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) नाम दर्ज करने के लिए कोई विशेष शर्त या योग्यता निर्धारित नहीं की गई है । श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता की जांच के प्रयोजन के लिए अपनायी गई प्रस्तावित क्रिया विधि की एक प्रति संलग्न है ।

विवरण

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों से सम्बद्ध श्रमिक संघों की सदस्यता की जांच करने की क्रिया-विधी

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों से अनुरोध करते हैं कि वे जिस वर्ष से जांच सम्बद्ध हो उस वर्ष की 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार अपने दावे एक नियत तारीख तक प्रस्तुत करें ।

2. प्रत्येक अखिल भारतीय संगठन द्वारा सदस्यता क जो दावे मुख्य श्रमायुक्त को प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी एक प्रति अन्य संगठनों को ऐसे दावों के सम्बन्ध में नियत तारीख के अन्दर लिखित में आपत्तियां, यदि कोई हों, उठाने के लिए, उपलब्ध कराई जाती ह ।

विवरण—जारी

3. इस बीच, मुख्य श्रमायुक्त द्वारा संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि दावा की गई सूचियां इस प्रयोजन के लिए नियत फार्म में प्रस्तुत की गई तथा उनमें पंजीकरण तथा सम्बंधन संख्या के ब्यौरे दिए गए हैं। कुल सदस्यता तथा उद्योगों की अनुसूची के अन्तर्गत विभिन्न उप-शीर्षों में श्रमिक संघों के वर्गीकरण की भी जांच की जाएगी।

4. प्रारंभिक कार्यवाही के रूप में, श्रमिक संघों के तत्सम्बन्धी रिकार्डों की क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे सभी श्रमिक संघों को जांच की कार्यवाहियों की परिधि से बाहर रखा जाएगा जो पंजीकृत नहीं हैं, या जिन्हें गणना की तारीख के बाद पंजीकृत किया गया है अर्थात् जिस वर्ष से ऐसी जांच संबंधित है उसके 31 दिसम्बर से बाद या जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। जन संघों के सम्बन्ध में यह पाया जाएगा कि उन्होंने प्रश्नाधीन वर्ष के सम्बन्ध में अपने वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा करने का एक मौका दिया जाएगा, जिसके न करने पर उनकी सदस्यता शून्य मानी जाएगी।

5. मुख्य श्रमायुक्त को भी जांच के दौरान विरोधी संगठनों द्वारा उठाई गई तथा उन्हें प्राप्त आपत्तियों की अपने तंत्र के क्षेत्राधिकारियों से जांच करवानी पड़गी उन्हें इन आपत्तियों के सम्बन्ध में विशिष्ट जांच पड़ताल करने को कहा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, उपर्युक्त आपत्तियों सहित दावा की गई सूचियां संबंधित क्षेत्रीय श्रमायुक्तों को जांच के लिए भेजी जाएगी।

6. जिन संघों के दावों पर विरोधी केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों द्वारा आपत्ति प्रकट की जाएगी उनकी वास्तविक/मौके पर जांच की जाएगी। ऐसे संघों को भी वास्तविक/मौके पर जांच के लिए चुना जाएगा जिनके संगठनों द्वारा दावा की गई सदस्यता तथा वार्षिक विवरणी में दर्शायी गई सदस्यता में व्यापक अन्तर होगा। वास्तविक जांच के प्रयोजन के लिए, अर्थात् संघों के रिकार्ड से, संबंधित संघों को रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए दो अवसर प्रदान किए जाएंगे। केवल संघों की वास्तविक कठिनाइयों के असाधारण मामलों में मुख्य श्रमायुक्त द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए तीसरा या विशेष अवसर प्रदान किया जा सकता है। ऐसे संघ जो रिकार्ड पेश नहीं कर पाते या अपुर्ण रिकार्ड पेश करते हैं, उनके मामलों पर गौर नहीं किया जाएगा।

7. मुख्य श्रमायुक्त को जांच की गई सूचियां प्राप्त होने के बाद जांच की गई सूचियों की समेकित प्रतियां श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों को दी जाएगी जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर उनके अपने संगठन तथा अन्य संगठनों से सम्बद्ध संघों के सम्बन्ध में जांच के नतीजों के बारे में कोई आपत्ति, यदि हो तो, उठाना चाहें तो लिखित मे उठा सकते हैं। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. प्राप्त आपत्तियों को एक समिति के समक्ष पेश किया जाएगा जिसमें श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों के एक एक सदस्य शमिल होंगे। इस समिति की बैठक मुख्य श्रमायुक्त या उसके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में होगी। समिति उठाई गई सभी अपत्तियों पर विचार करेगी और विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यह समिति जिन मामलों को सुलझा नहीं सकेगी उनकी सूचना आवश्यक ब्यौरों के साथ श्रम मंत्रालय को दी जाएगी।

9. मुख्य श्रमायुक्त जांच किए गए आंकड़ों को संकलित और समेकित करेगा तथा उपर्युक्त पैरा 8 में निर्दिष्ट विवादग्रस्त आंकड़ों को छोड़ देगा तथा सत्यापित सूचना उद्योग-वार/राज्यवार/संगठन-वार श्रम मंत्रालय को भेजी जाएगी।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिये राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना

643. **श्री के० ए० राजन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिये कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक परामर्शदाता निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करनें के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : प्रबन्ध तथा ईक्विटी में श्रमिक सहभागिता समिति के सदस्यों की आम राय है कि प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना के कार्यन्वयन की जांच करने तथा इसके संचालन की पुनरीक्षा करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों में एक संगठन होना चाहिए। तथापि, समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के बाद इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

हिमको लैबोरेटरीज, सोनीपत

644. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल (हरियाणा) के औषध निरीक्षक ने पानीपत तहसील में स्मालखा में हैल्थ डिपो नामक एक दुकान से 2 नवम्बर, 1977 को हिमको लैबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा उत्पादित सफेद टैब्लेट्स, जिनकी बैच संख्या 1037/आर थी और जिन पर "प्रेडनी सोलोन 5 एम० जी०" लिखा हुआ था, जब्त की थी;

(ख) क्या विश्लेषण के बाद उक्त टैबलेट घटिया किस्म की पाई गई और हरियाणा के सरकारी एनेलिस्ट ने उस आशय की रिपोर्ट 27 जनवरी, 1978 को भारत को औषध नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को भेज दी थी;

(ग) क्या उक्त कम्पनी पर औषध अधिनियम, 1940 के उपबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कम्पनी को जन उपयोग की घटिया किस्म की औषधियां बनाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख), (ग) और (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीलंका निवासी भारतीयों को नागरिकता अधिकार

645. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने कानून द्वारा/उत्तराधिकार द्वारा/प्राप्त नागरिकता तथा पंजीकरण द्वारा/प्राप्त नागरिकता का अन्तर समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका में बसे भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या अब उन्हें पूर्ण नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार श्रीलंका की नेशनल एसेम्बली के विचाराधीन कुछ संवैधानिक संशोधन हैं जिनमें **अन्य संशोधनों के साथ** प्रश्न में बताये गये इंगित प्रकार का एक संशोधन शामिल है।

(ख) प्रस्तावित संशोधन का भारतीय मूल के उन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें श्रीलंका की नागरिकता प्रदान कर दी गई है परन्तु उन व्यक्तियों पर कोइ प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्हें अभी भारतीय या श्रीलंका के नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया जाना है ।

Amount Allocated for Malanjkhand Copper Project for Current Year

646. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the amount allocated by Government for Malanjkhand Copper Project in Madhya Pradesh for the current year;

(b) whether any time limit has been fixed to complete this project;

(c) if so, the time limit and whether keeping in view this time limit the allocation made for the project for the current year is adequate; and

(d) if not, whether Government propose to allocate additional amount in order to complete this project soon?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) The amount allocated by Government for Malanjkhand Copper Project in Madhya Pradesh for the current year is Rupees one crore.

(b), (c) & (d) : The mine construction and the erection of matching concentrator plant of one million tonnes capacity per annum is expected to be completed by September, 1981. The expansion of mine and concentrator capacity to two million tonnes per annum is expected to be completed by September, 1983. Adequate provision of funds will be made from time to time commensurate with the progress of work to enable timely completion of the project.

मलेरिया

647. **डा० बलदेव प्रकाश :**
श्री एफ० पी० गायकवाड़ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के महामारी के रूप में फैलने के बारे में भारत को चेतावनी दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मलेरिया उग्र रूप धारण करेगा, जो सामान्य मलेरिया रोधक औषधियों से आसानी से नियंत्रित नहीं हो सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के मलेरिया के विरूद्ध प्रभावी औषधियों का ब्यौरा क्या है और देश में उनकी उपलब्धता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां, यह रिपोर्ट सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से संबंधित है ।

(ख) और (ग) : देश के अधिकांश भागों में मलेरिया परजीवी साधारण मलेरिया रोधी औषधि— क्लोरोक्वीन— से नियन्त्रित हो जाता है । तथापि, उत्तर पूर्वी राज्यों के बहुत छोटे भागों में पी० फालसी पेरम नामक मलेरिया परजीवी की एक जाती पर इस औषधि का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों के लिए कुनीन और फैन्सीडर जैसी वैकल्पित औषधियां तुरन्त उपलब्ध कर दी जाती हैं ।

फैन्सीडर की लगभग एक लाख गोलियां, कुनीन सल्फेट की ढाई करोड़ से अधिक गोलियां और लगभग 48,000 कुनीन इन्जैक्शन पहले से ही उपलब्ध हैं ।

Deposits of Copper and Tin in Madhya Pradesh

648. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rich deposits of copper and tin have been found recently in Bastar District in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the steps being taken by Government to exploit these rich deposits ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) Occurrences of tin mineralisation have been located in certain parts of Bastar district, M.P. Geological Survey of India and the Directorate of Geology and Mining, Government of Madhya Pradesh are carrying out further exploration in the area to work out the potential of the deposit. Minor occurrences of copper have also been located in parts of Bastar district. Surveys carried out so far by the Geological Survey of India have not given encouraging results.

(b) It is premature to consider exploitation of these deposits at this stage.

बंगला देश से आये शरणार्थी

649. **श्री अमर सिंह बी० राठवा :**
श्री किरित विक्रम देव बर्मन :
श्री नबाब सिंह चौहान :
श्री अहमद एम० पटेल :
श्री डी० अमात :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बंगलादेश से शरणार्थी सीमा पार करके गैरकानूनी रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन मास में सीमा पार करने वालों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इसको रोकने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी हां,

(ख) चूंकि भारत-बंगलादेश सीमा 4000 किलोमीटर से भी अधिक लम्बी है और जगह-जगह दुर्गम मार्ग से गुजराती है इसलिये इस लम्बी सीमा के हर हिस्से पर निगरानी रखवाना और हर घुसपैठिये को पकड़ पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत से बंगलादेश के राष्ट्रिक हैं जो कानूनी तरीके से भारत आते हैं लेकिन अपने देश वापस नहीं लौटते और यहीं गैर कानूनी तरीके से ठहरे रहते हैं। जातिगत समानता के कारण इन अवैध आप्रवासियों को खोज लेना भी मुश्किल है । इसलिये ऐसे व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या जानना बहुत ही मुश्किल है जो विगत तीन महीनों में गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुस आये हैं। बहरहाल, इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच 4,076 ऐसे बंगलादेशी राष्ट्रिकों को रोका गया था और उनसे जाने के लिये कहा गया था ।

(ग) बुनयादी तौर पर इस बात की जिम्मेदारी बंगलादेश सरकार की है कि वह अपने देश से होने वाले प्रव्रजन को रोके । भारत सरकार ने कई मौकों पर और विभिन्न स्तरों पर उन्हें यह बात समझाने की कोशिश की है। जहां तक भारत सरकार का ख्याल है वह अपनी ओर से सीमा पर कड़ी निगरानी रख रही है।

दिल्ली में अस्पतालों का कूडा करकट

650. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी एवं गैर-सरकारी अस्पतालों में कूड़ा करकट के निपटान की कोई प्रणाली नहीं है और इसे प्रत्येक अस्पताल के निकट खुले स्थान पर फैंक दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने अस्पताल के कूड़ा करकट को नष्ट करने का उत्तरदायित्व दिल्ली नगर निगम पर डाल दिया है; यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रति वर्ष कितना कूड़ा करकट जलाया जाता है तथा उसका निपटान किया जाता है; और

(ग) नगर में छूत के रोगों तथा महामारियों के प्रसार को रोकने के लिए अस्पतालों के कूड़ा करकट तथा घरेलू कूड़ा करकट नष्ट करने के लिए और क्या तरीके अपनाये जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) से (ग): जी नहीं। यद्यपि घरेलू किस्म के कूड़े-करकट को उसके रोजाना निपटान के लिए नगर निगम/नगर पालिका द्वारा एक अलग निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र किया जाता है, फिर भी संक्रामी कूड़े-करकट का निपटान जलाकर किया जाता है। क्षयरोग अस्पतालों में थूक का निपटान विद्युत विसंक्रामक में उबालकर किया जाता है। दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति को अस्पताल के कूड़े-करकट के निपटान के उपयुक्त तरीके की जांच करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा जलाये गये और/अथवा निपटान किए गए कूड़े-करकट की मात्रा का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

सरकारी मेडिकल स्टोर, मद्रास

651. **श्री ए० मुरुगसन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में डिपो मैनेजर, एसिस्टेंट फक्ट्री मैनेजर, एसिस्टेंट डिपो मैनेजर, एसिस्टेंट केमिस्ट, सीनियर साइंटिफिक एसिस्टेंट के पद पर पदोन्नतियों के बारे में कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये आरक्षण संबंधी आदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) समूह क और ख सेवाओं के जिन पदों पर सीधी भरती का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, उन पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की चयन द्वारा पदोन्नति करने के मामले में आरक्षण करने की योजना 20 जुलाई, 1974 से लागू की गई थी।

वर्तमान भरती नियमों के अनुसार डिपो मैनेजर के पद पर भरती करने का तरीका यह है कि 75 प्रतिशत पद सीधी भरती से तथा 25 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाए। चूंकि इस मामले में सीधी भरती का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है, अतः उपर्युक्त आरक्षण आदेश लागू नहीं होते हैं। सरकारी

चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, मद्रास में 20 जुलाई, 1974 के बाद निम्नलिखित पद (समूह ख—राजपत्रित और अराजपत्रित) चयन द्वारा पदोन्नति से भरे गए :—

सहायक डिपो मैनेजर . . .	5
सहायक फैक्टरी मैनेजर	1
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	2

चूंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी विभागीय उम्मीदवार भरती नियमों की शर्तों के अनुसार पदोन्नति का पात्र नहीं था, इसलिए इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की पदोन्नति कर भरना पड़ा था। 20 जुलाई, 1974 के आरक्षण आदेशों के अनुसार किसी वर्ष विशेष में पर्याप्त संख्या में अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में आरक्षण एक वर्ष से दूसरे वर्ष में आगे ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, मद्रास में सहायक रसायनज्ञ के पद (समूह ग–अराजपत्रित) 100 प्रतिशत सीधी भरती द्वारा भरे जाते हैं और जब कभी ये पद भरे जाते हैं आरक्षण आदेशों का पालन किया जाता है।

Indian Red Cross Society

652. **Shri Madan Tiwary:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact the laws, constitution and rules and regulations and conventions followed for running the Indian Red Cross Society before 1971 have been completely changed from 1972;

(b) whether it is also a fact that under rule 14(A) of the Indian Red Cross Society Act, the Health Ministers of States were nominated Vice-Presidents before 1971 but after 1971 many Secretaries of the State Branches have been nominated Vice-President;

(c) whether it is also a fact that appointment of Secretaries of the State Branches is made by the Managing Committee on the prior approval of Secretary-General and thus the Secretary-General has control on them; and

(d) if the reply to parts (a), (b) and (c) be in the affirmative, the advantages and disadvantages of the changes made in laws, rules and regulations and conventions thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The Indian Red Cross Society was established under Govt. of India Act XV of 1920. Since 1956 there has been no amendment to the Act. Under Section 5 of the Act, the Managing Body of the Society is empowered, subject to previous publication, to make rules for the management, function, control and procedure of the Society. Since 1971, some amendments to Clause 14 of the Rules relating to the Constitution of the Managing Body have been made, once in 1972 and again in 1973, primarily to give representation on the Central Managing Body to the Branches of the Society in the newly formed States/Union Territories in the country as a result of bifurcation of old States or otherwise.

(b) As per Clause 14(1)(a) of the Rules, 20 members of the Managing Body are Vice-Presidents elected by the Branch Committees of the 20 States. Thus the persons elected by the Branch Committees in the said 20 States as Vice-Presidents become members of the Managing Body.

The information as to whether the Vice-Presidents of the Society before 1971 were Health Ministers of States and after 1971 Secretaries of the State Branches, is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) No. Neither Secretary-General nor the National Headquarters' Secretaries of the Society has any control either on the Managing/Executive Committee of the Branches or has any hand in the appointment of their staff.

(d) The changes in the rules are made keeping in view the requirements of the situation and the needs of the institution and its working.

खाड़ी के देशों में भारतीय कर्मचारियों की स्थिति

653. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बहराईन में भारतीय कर्मचारियों से दिनांक 19 अप्रैल, 1978 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

आस्ट्रिया के चांसलर के साथ हुई बातचीत

654. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी आस्ट्रिया की यात्रा के दौरान उन्होंने आस्ट्रिया के चांसलर के साथ कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बातचीत की थी जो आस्ट्रिया की सरकार ने एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों की सहायता के लिये तैयार की है ;

(ख) यदि हां, योजना की संक्षिप्त रूपरेखा और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) से (ग) : विदेश मंत्री के साथ अपने विचार विनिमय के दौरान आस्ट्रिया के चान्सलर करिस्की ने विकासशील देशों में, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में, आधारित संरचनाओं के संवर्धन के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कोष स्थापित करने की अपनी योजना की रूपरेखा बताई। उन्होंने 6–8 वर्ष की एक योजना की परिकल्पना की है जिसके लिए 1 बिलियन डालर का एक कोष बनाया जाए जो कम ब्याज पर दीर्घ-कालिक ऋण दे जिसकी वापसी 20 वर्ष में की जाएगी। चान्सलर करिस्की ने समृद्ध अरब देशों के कोष के लिए निवेदन करने की अपनी तत्परता व्यक्त की।

हम इस योजना का स्वागत करते हैं और विदेश मन्त्री ने चान्सलर करिस्की को इसकी सूचना दी थी। भारत के पास तकनीकी कार्मिकों के काफी संसाधन हैं जिनका उपयोग इस प्रकार की योजना के लिए किया जा सकता है ।

Reorganisation of Bidi Industry

655. **Shri Laxman Rao Mankar :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the bidi industry is facing a situation of uncertainty because of enforcement of several rules and laws by the Centre and State Governments as a result of which the industry and the workers are not being benefited and several reports to this effect have been sent to the Ministry;

(b) Whether Government propose to consider the entire question in the interest of bidi workers and stability in bidi industry; and

(c) whether it is proposed to reorganise this industry throughout the country ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : (a) to (c) : Labour Laws governing bidi industry are intended to safeguard primarily the interests of workers. While framing these laws the state of the industry is also kept in view. Difficulties as are pointed out regarding their implementation, are reviewed from time to time and appropriate action taken where necessary.

योग संस्थान

656. **श्री पी० क० कोडियन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जून, 1978 के 'पेट्रियट' में "लेक्स पलोट आउट आफ योग इन्स्टीट्यूट" शीर्षक के समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो लगाये गये आरोपों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : इस मामले पर सरकार तत्काल विचार कर रही है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं/पत्रकारों को टेलीफोन कनेक्शनों का दिया जाना

657. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष श्रेणी में पंजीकृत सामाजिक कार्यकर्ताओं/पत्रकारों तथा अन्य लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के क्या नियम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ओ० वाई० टी० श्रेणी में किसी केन्द्र पर टेलीफोन उपलब्ध होने पर भी विशेष श्रेणी में पंजीकृत लोगों को लम्बी अवधि तक टेलीफोन नहीं दिया जाता है ; और

(ग) क्या वर्तमान व्यवस्था में विशेष श्रेणी में पंजीकृत सामाजिक कार्यकर्ता आदि उन लोगों की तुलना में अलाभप्रद स्थिति में है जो ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत 5000 रुपये देने की स्थिति में है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) किसी एक्सचेंज में टेलीफोन अलाट करने की क्षमता का 10 प्रतिशत उन आवेदकों के लिए निश्चित किया जाता है जिन्होंने गैर ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के अन्तर्गत अपना नाम दर्ज कराया हो। ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज किसी विशेष श्रेणी के कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) सामान्यतः ऐसा ही होता है ।

(ग) अलाट की जा सकने वाली क्षमता का 75 प्रतिशत ओ० वाई० टी० श्रेणी के लिए निश्चित किया जाता है और अलाट की जाने वाली क्षमता का सिर्फ 10 प्रतिशत गैर ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के लिए निश्चित किया जाता है ।

इस्पात की कीमत में वृद्धि

659. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की कीमतों में हाल में किन कारणों से वृद्धि हुई ;

(ख) इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्र में आने के बाद इस्पात की कीमतों में कितनी वृद्धियां हुई ;

(ग) पहले प्राइवेट क्षेत्र द्वारा क्या कीमतें ली जाती थी ;

(घ) क्या छोटी तथा मध्यम एककों को इस्पात रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) 4/5 जून, 1978 से इस्पात के मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से (1) उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने, (2) मुख्य उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित करने, (3) कुछ समय से रेलवे की औसत दूरी में वृद्धि हो जाने के कारण भाड़े के बोझ में हुई वृद्धि को पूरा करने, तथा (4) इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण, विकास और प्रतिस्थापन के लिए संसाधन जुटाने तथा बजट पर निर्भरता को कम करने के लिए, की गई है।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) संभवतः अभिप्राय निजी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से है। वे अब अथवा मूल्य वृद्धि से पूर्व भी वही मूल्य लेते थे जो सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने लेते थे।

(घ) और (ङ): लघु उद्योग इकाइयों को इस्पात सामग्री की आपूर्ति राज्य लघु उद्योग निगमों की मार्फत स्टाकयार्ड के मूल्यों से 40 रुपये प्रति टन कम मूल्य पर की जाती है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

660. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के बारे में व्यापक परियोजना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी और इसके पूरे होने की सम्भावित तारीख क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सलाहकारों द्वारा अक्तूबर, 1977 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को प्रस्तुत कर दिया गया था और इसकी जांच की जा रही है।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 1926 करोड़ रुपये है।

इस परियोजना के पूरा होने का पता सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर लेने और स्वीकृति प्रदान कर देने और पूंजी-निवेश के बारे में निर्णय ले लेने क पश्चात ही चल सकेगा। यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा इस बीच, भूमि-अर्जन, मिट्टी की जांच, कच्चे माल के परीक्षण आदि जसे प्रारम्भिक कार्य चल रहे हैं। प्रारम्भिक कार्यों को जारी रखने के लिए वर्ष 1978–79 के बजट अनुमानों में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस्पात की कुछ मदों की सप्लाई में कमी

661. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों से इस्पात की कुछ मदों की सप्लाई में कमी रही है;

(ख) क्या इन मदों की कीमतों में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पिछले तीन/चार महीनों में बिजली और कोयले की कमी, मालिक-मजदूर सम्बन्धों की स्थिति आदि के कारण इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप घरेलू बाजार को प्लेटों, ठंडी बेलित चादरों / कवायल तथा जस्ती चादरों जैसी कुछ मदों की सप्लाई कम हुई है।

(ख) और (ग) : सम्भवतः अभिप्राय सरकार द्वारा इस्पात के मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि से है। यदि यह ठीक है तो मूल्य-वृद्धि से पूर्व तथा मूल्य-वृद्धि के पश्चात् तुलनात्मक मूल्यों के बारे में जानकारी अनुलग्नक में दी गई है। पिछल 5 वर्षों के दौरान लागत बढ़ जाने, रेल भाड़े और विकास अधिभार में वृद्धि हो जाने से कीमतों में वृद्धि की गई

विवरण

पिछले तीन / चार महीनों में मूल्य-वृद्धि से पूर्व तथा मूल्य-वृद्धि के पश्चात् जिन श्रेणियों की सप्लाई कम हुई है उनके तुलनात्मक मूल्यों के बारे में विवरण

(ये मूल्य परीक्षत माल के बारे में है)

(आंकड़े : रुपये प्रति टन)

श्रेणी	5-6-78 से पूर्व संयुक्त संयत्र समिति के मूल्य	5-6-78 से लागू रेल ट्रेड तक निष्प्रभार मूल्य	स्टाकयार्ड मूल्य (मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों के मूल्य) 5-6-78 से पूर्व	5-6-78 से
1. प्लेटे . . .	1541	2237	2250	2392
2. गर्म वेलित क्वायल .	2020	2367	2160	2440
3. गर्म वेलित				
(1) 14 गेज और उससे मोटे	2120	2542	2523	2577
(2) 16-20 गेज .	2320	3050	2993	3047
(3) 20 गेज से पतले .	2520	3410	3293	3475
4. जस्ती सादी चादरें/क्वायल				
(1) 16-20 गेज .	3015	3775	3750	3810
(2) 22 गज और उससे पतले	3375	4538	4563	4573
5. जस्ती नालीदार चादरें				
(1) 16-20 गेज . . .	3040	3800	3800	3835
(2) 22 गेज तथा उससे पतले . .	3435	4563	4563	4598

विदेश मंत्री द्वारा विदेशों की यात्रा

662. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने मई और जून, 1978 के दौरान किन-किन देशों की यात्रा की; और

(ख) क्या इन देशों के साथ कोई करार हुए थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुंडू) : (क) मई और जून 1978 के महीनो में विदेश मंत्री ने ईरान, आस्ट्रिया, यू० के० और संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की ।

(ख) इन देशों के नेताओं के साथ आपसी हित के मामलों पर व्यापक विचारविमर्श तो हुआ था और न्यूयार्क में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी विशेष अधिवेशन में भाग भी लिया था, किन्तु किन्हीं विशिष्ट करारों पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे ।

औषधि वितरण और ज्वर उपचार के लिए केन्द्र

663. **श्री जो० वाई कृष्णन् :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में औषधि वितरण और ज्वर उपचार केन्द्र खोलने के लिए सरकार ने प्रयास किए है, और

(ख) यदि हां, तो मलेरिया समाप्त करने के लिए पिछले साल लागू की गई संशोधित योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) संशोधित कार्य योजना जिसकी मुख्य-मुख्य बाते संलग्न विवरण में दी गई है, देश में पहली अप्रैल, 1977 से चलाई गई है, हालांकि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का अन्तिम उद्देश्य इस रोग का समूल नाश करना रहेगा तो भी इस योजना का लक्ष्य घटनाओ में वृद्धि को रोकना है । इस संशोधित योजना के तत्काल उद्देश्य इस प्रकार है :—

1. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों को रोकना ।

2. बीमारी की अवधि को कम करना ।

3. इन इलाकों में मलेरिया रोधी गहन उपायों का उपयोग करके उदयोग और कृषि के उत्पादन को बनाए रखना, तथा ।

4. अब तक की उपलब्धियों को समेकित करना ।

विवरण

संशोधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बाते इस प्रकार है:—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्तमान यूनिट का जिले की भौगोलिक सीमा के अनुरुप पुनर्गठन किया गया है । पहले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन इन यूनिटों का पुनर्गठन हो जाने क कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है ।

2. राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयों डी० डी० टी०, बी० एच० सी० मलेथियन की अधिक मात्रा सप्लाई की गई है / की जा रही है । जहां रोग वाहकों पर डी० डी० टी०, बी० एच० सी० का कोई असर नहीं होता उन यूनिटों / जिलों को वैकल्पिक कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही हैं।

3. उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति हजार जन संख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी है, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है ।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सरकारों को मलेरिया रोधी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई हैं/की जा रही हैं । औषधियां आसानी से उपलब्ध करने के लिए लगभग 1.36 लाख औषधी वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है । जिन क्षेत्रों में परिजीवियों पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हुआ वहां पर कुनीन जैसी वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाई सप्लाई की गई है ।

5. नगरीय मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा-रोधी कार्यो को तेज कर दिया गया है । 1978 में इस योजनना वर्तमान 66 शहरों के अलावा 36 और शहरों में लागू कर दिया गया है ।

6. क्षेत्रीय स्टाफ के निगरानी कार्य को तेज कर दिया गया है ।

7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सदधान्तिक और व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिए कदम उठाये गए हैं । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में 14 अनुसंधान योजनायें अर्थात 8 आपरेशन अनुसंधान के लिए और 6 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए आरम्भ की गई हैं ।

8. ब्लड स्पीयरों का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों पर तत्काल इलाज करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है ।

9. प्लासमीडियन फाल्सीफरम के संक्रमण को, जिस के कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौत हो जाती है, फैलन से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के 18 जिलों में सघन कार्यक्रम आरम्भ कर दिए गए हैं । यह कार्यक्रम 37 और जिलों में चालू किया जा रहा है ।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए और इसके नियंत्रण के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

(i) क्लोरोक्वीन की गोलियों के वितरण के लिए पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है ।

विवरण—जारी

(ii) दूर दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयों के डिपुओं को खोल दिया गया है । कुछ राज्यों में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है ।

(iii) "दि थ्रेट" नामक एक फिल्म जो हाल ही में तैयार की गई थी उसे चौदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है ।

(iv) इस आशय क पोस्टर "बुखार-मलरिया हो सकता है—क्लोरोक्विन गोलियां लीजिए" पंचायतघरों, स्कूलों, प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों और सब सब-सेन्टरों में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किए गए है ।

(v) क्षेत्रीय भाषाओं में "मलेरिया में क्या-क्या करना चाहिए" नामक एक पेम्पलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षणों, क्लोरोक्विन की मात्रा आदि का उल्लेख है और उसे पंचायतों, स्कूल अध्यापकों और अन्य स्वेच्छिक एजेन्सियों में वितरित करने के लिए राज्यों को सप्लाई किया गया है ।

(vi) पंचायतों के अध्यक्षों और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषय परिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है ।

(vii) चिकित्सा व्यावसायिकों के क्या-क्या कार्य होने चाहिए" इसके बारे में भी फील्डर तैयार करके राज्यों को सप्लाई किए गए हैं ताकि वे उन्हें चिकित्सा व्यावसायिकों में बांट दे । इसी प्रकार एक और पेम्पलेट "मलेरिया फिर क्यों ?" भी तैयार किया गया है और उसे उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों में बांटने के लिए राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपर्युक्त अधिकारियों को मलरिया संबंधी मौजूदा समस्याओं और प्रस्तावित कार्यवाही करने के बारे में जानकारी दिलाई जा सके ।

(viii) मलेरिया रोधी संदेश का प्रचार करने के लिए डाक और तार विभाग द्वारा विशेष पोस्टर स्टेशनरी रिलीज की गई है ।

(ix) मलेरिया की रोकथाम तथा इसके इलाज के बारे में लोगों को जानकारी दिलाने के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने भी कार्यक्रम शुरु कर दिए हैं ।

Shortage of Doctors in Primary Health Centres

664. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is shortage of doctors in various Primary Health Centres in many States at present or doctors do not like to go there;

(b) if so, the number of such places or the number of posts of doctors lying vecant; and

(c) whether it is also a fact that most of these posts are vacant in Adivasi or remote areas ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No.

(b) Only 61 P.H.Cs. were without doctors out of 5,400 P.H.Cs. functioning in the country at the end of March, 1978.

(c) Yes.

भविष्य निधि के दस प्रमुख चूककर्ताओं के नाम

655. **श्री सौगत राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भविष्य निधि के दस प्रमुख चूककर्ताओं के नाम क्या है और उन पर कितनी राशि बकाया है; और

(ख) उनसे इन राशियों को वसूल करने के लिय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) :(क) भविष्य निधि प्राधिकारियों से प्राप्त विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है जिसमें दस प्रमुख छूट न प्राप्त दोषी प्रतिष्ठान और उनकी ओर भविष्य निधि की बकाया राशि दर्शायी गई है ।

(ख) सभी मामलों में भविष्य निधि प्राधिकारियों ने बकाया राशि की भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करने के लिए कदम उठाए है और संबंधित कलेक्टरों को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी कर के लिखा गया है । तथापि , संलग्न विवरण के क्रमांक 1, 2, 5, 6 और 8 में उल्लिखित मामलों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र निष्प्रभावी हो गए है क्योंकि इन प्रतिष्ठानों की राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है । इन पांच प्रतिष्ठानों के संबंध में दावे भुगतान आयुक्त के पास दायर कर दिए गए हैं ।

विवरण

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	भविष्य निधि की बकाया राशि (रुपये लाखों में)
(1)	(2)	(3)
1	मैसर्स दि इंडिया यूनाइटड ग्रुप आफ मिल्स, बम्बई . . .	177.88
2	मैसर्स दि इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लि०, इंदौर	69.83
3	मैसर्स श्री सीताराम मिल्स लिमिटेड, बम्बई	60.23
4	मैसर्स ब्राडबरी मिल्स लिमिटेड, बम्बई- 11 .	47.68
5	मैसर्स विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	35.96
6	मैसर्स अर्थटन वेस्ट एंड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	33.50
7	मैसर्स जैम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, परेल, बम्बई .	32.59
8	मैसर्स अपोलो मिल्स लिमिटेड, बम्बई	32.24
9	मैसस शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि० (परिसमापन में), शोलापुर	30.84
10	मैसर्स आर० बी० हरदत्तराय मोतीलाल जूट मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, कटिहार, बिहार .	30.26

औद्योगिक वि ाग अधिनियम का विश्वविद्यालयों और कालेजों में विस्तार

666. **श्री शरद यादव** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध कालेज औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में श्रमिक न्यायालयों में कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) दो ।

Scheme to Provide Employment

667. **Shri Ramdeo Sing** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government are determined to provide jobs to unemployed people and they have made a declaration to this effect;

(b) the total number of unemployed people before this Government assumed power with their break up as technical and non-technical; and

(c) the scheme formulated by Government to provide jobs to these people and the number of people already given jobs ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) Yes, Sir; Government have already made the removal of unemployment and significant under-employment the primary objective of the development plans in the next decade.

(b) Precise estimates of the total number of unemployed persons in the country in March 1977 and of its break-up into technical and non-technical groups are not available. The available information in this regard relates to the number of job-seekers registered with the Employment Exchanges at the end of Decmbeer 1976. There were 97.84 lakh job seekers of all categories registered with the Employment Exchanges at the end of December 1976 of whom 7.14 lakhs belonged to the technical categories.

(c) The next Five Year Plan (1973-83) has been designed to create additional employment opportunities of the order of 4.93 crore person-years. Information on the number of people already given jobs is not available.

Telephones in Tikamgarh City (M.P.) Remained Cut Off

†668. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether telephones in Tikamgarh City in Tikamgarh District of Madhya Pradesh remained cut off from the outside world for 10 days during the month of May, 1978;

(b) the reasons for which it remained cut off for such a long time; and

(c) the names of the persons who were responsible for it ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Does not arise.

खनिज रियायत नियम, 1960 के अंतर्गत पुनरीक्षण संबंधी अधिकार

669. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 के अंतर्गत अपने पुनरीक्षण संबंधी अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेशों की पुष्टि करती है, उनमें संशोधन करती है अथवा उसे रद्द करती है अथवा रोकादेश देती है या उसके संबंध में ऐसे आदेश देती है जो वह उचित समझे और उसने ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की है कि प्रभावित पार्टी राज्य सरकार द्वारा आदेश की अस्वीकृति के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को पुनरीक्षण हेतु कितनी बार मामला दायर करेगी;

(ख) यदि नहीं, तो प्रभावित पार्टी राहत और आदेश पालन कराने के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी; और

(ग) क्या सरकार पुनरीक्षण संबंधी मामलों में प्रभावित पार्टी को कठिनाई दूर करने के लिए खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 55 का संशोधन करने का विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 30 के साथ पठित खनिज रियायत नियमावली के नियम 55 के अधीन केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार के आदेशों को पुष्ट, संशोधित या रद्द कर दे अथवा ऐसे आदेश पारित कर दे जिन्हें वह (केन्द्र सरकार) न्यायसंगत और उचित समझे । राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध केवल एक बार पुनरीक्षण आवेदन किया जा सकता है, इसलिए पुनरीक्षण दायर करने के लिए पार्टी को कितने मौके दिए जाएं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता । केन्द्र सरकार सामान्यत: वह अवधि निर्धारित कर देती है जिसमें राज्य सरकार को आगामी आदेश, यदि ऐसे आदेश जरूरी हों तो, पारित कर देने चाहिए । यदि ऐसी निर्धारित अवधि

के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो उसका निहितार्थ सामान्यत: यह होगा कि आवेदन पत्र को अस्वीकृत-वत् माना जाए और ऐसी स्थिति में प्रभावित पार्टी के लिए यह छूट होगी कि वह ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध केन्द्र सरकार के सामने पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

(ग) खनिज रियायत नियमावली की बराबर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है इसमें संशोधन किए जाते हैं।

लाला रामस्वरुप टी० बी० अस्पताल, नई दिल्ली

670. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाला रामस्वरूप टी० बी० अस्पताल, महरौली, नई दिल्ली के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा आपात काल के दौरान, उससे पूर्व तथा उसके बाद अत्याचार अधिकार के दुरुपयोग, कुप्रबंध तथा भेदभाव किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां। इमरजेंसी के बाद कुछेक कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इन शिकायतों की जांच की जा रही है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि लाला रामस्वरुप, टी० बी० अस्पताल, नई दिल्ली, भारतीय क्षय रोग संघ द्वारा चलाया जा रहा है जो एक स्वैच्छिक संगठन है और उसके अपने नियम और विनियम हैं।

लघु एककों को इस्पात की सप्लाई के सम्बन्ध में नई मूल्य नीति

671 **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु एककों की सप्लाई के सम्बन्ध में निर्धारित की गई मूल्य नीति की लघु एककों ने आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : इस्पात के मूल्य में 4/5 जून 1978 से की गई वृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त कुछ प्रतिवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि सम्भवत: लघु एककों पर इसका प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा परन्तु वास्तव में बड़ी इकाइयों (जो पहले संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों पर माल की पूरी गाड़ी लेती थी) के मुकाबले में लघु इकाइयों की स्थिति अब अच्छी हो गई है, क्योंकि प्रथमत: मूल्यो में संशोधन से इस्पात की विभिन्न मदों के संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों और स्टाकयार्ड मूल्यों का अन्तर घटकर अब केवल 35 रुपये प्रति टन रह गया है और दूसरे यह भी निर्णय लिया गया है कि लघु एककों को इस्पात की सप्लाई लघु उद्योग निगमों की मार्फत स्टाकयार्ड-मूल्यो से 40 रुपये प्रति टन कम पर की जाएगी।

लंदन में जातीय हिंसा

672. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई, 1978 को लन्दन के गडबर्डा वाले "ईस्ट एण्ड" में दोबारा जातीय हिंसा भड़क उठी जिसके परिणामस्वरूप 9 भारतीय (बंगाली) जब वे अपनी शिफ्ट का कार्य खत्म करके बाहर आ रहे थे, गम्भीर रूप से जखमी हुए ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन में हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री की यात्रा के बाद ऐसी कितनी घटनायें हुईं ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं कि वहां पर जातीय हिंसा दोबारा न भड़क उठे और क्या उसके बाद ब्रिटिश सरकार की आप्रवास नीति का पुनर्विलोकन किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) दो अन्य घटनायें हुई थी जिनमें भारतीय उप-महाद्वीप के आप्रवासी शामिल थे।

(ग) प्रधानमंत्री ने जून में अपनी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान भारतीय आप्रवासियों और जातीय हिंसा की समस्या को उठाया था। भारतीय हाईकमिशनर ने समय समय पर जातीय सम्बन्धों को सुधारने और ब्रिटेन में

आप्रवासी समुदाय की ओर अधिक सुरक्षा का आभास कराने के प्रश्न को यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ उठाया है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार इस बात से अवगत है और भारतीय आप्रवासियों की दशा को सुधारने के लिये प्रयास कर रही है। अब तक ब्रिटिश सरकार की आप्रवास नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

परिवार नियोजन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को भेजे गये अध्ययन दल

674. **श्री ए० बाला पजनौर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को भेजे गये अध्ययन दलों का विवरण क्या है ;

(ख) उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) इस देश में उपलब्ध पर्याप्त विशिष्ट ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के दौरों के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इन दलों का और जिन देशों का दौरा किया गया, उनका ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2425/78**]

(ख) इस यात्रा का सारा खर्च जनसंख्या गतिविधियों की संयुक्त राष्ट्र निधि (यू० एन० एफ० पी० ए०) द्वारा वहन किया गया तथापि, भारत सरकार को उनके आतिथ्य-सत्कार के लिए उनका भी आतिथ्य-सत्कार करने पर और देशों को उपहार आदि देने पर लगभग 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) आकस्मिक व्यय के रूप में खर्च करने पड़े। दौरा करने वाले दलों के प्रति सामान्य शिष्टाचार के नाते विदेशों में हमारे दूतावासों ने भी कुछ नाममात्र खर्च ही किया होगा।

(ग) इस देश में काफी विशेषज्ञता उपलब्ध होने के बावजूद इस कार्यक्रम को 1977 में भारी धक्का पहुंचा। इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए यह जरूरी है कि विधायकों, जैसे आपीनियन लीडरों तथा वरिष्ठ स्तर के प्रशासकों को इस कार्यक्रम को अधिक समय देने और इसकी ओर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाए। इसका एक तरीका यह है कि उन्हें ऐसे नये विचार और तरीके बतलाएं जाएं जिनसे यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर और लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक चल रहा है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रियों, संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों में से इन दलों का चयन किया गया और उन्हें कुछ ऐसे पड़ोसी देशों में भेजा गया जहां यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।

ग्रामीण चिकित्सा सेवा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता

675. **श्री पी० त्यागराजन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण चिकित्सा सेवा योजना के अंतर्गत कितने ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है;

(ख) क्या इस प्रकार के प्रशिक्षण में एलोपैथिक और अन्य चिकित्सा प्रणालियां भी शामिल हैं ;

(ग) क्या अब तक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के कार्य निष्पादन से उक्त योजना के संतोषजनक क्रियान्वयन की आशा बढ़ी है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के व्यापक क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 30 जून, 1978 तक तीन बैचों में 41,581 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ख) जी हां, उन सभी राज्यों में जहां यह योजना चलाई जा रही है इस प्रकार के प्रशिक्षण के अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज सिखाया जाता है तथा बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दादरा व नगर हवेली में आयुर्वेदिक पद्धति से भी उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना, जिसे 2 अक्तूबर, 1977 को चुनिंदा प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में आरंभ किया गया था, इस समय 741 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में चलाई जा रही है। इन केन्द्रों में यह प्रशिक्षण मार्च, 1979 में पूरा हो जाएगा। इस योजना का मूल्यांकन तथा समीक्षा के आधार पर अक्तूबर, 1978 में इसका विस्तार करने का विचार है।

के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो उसका निहितार्थ सामान्यतः यह होगा कि आवेदन पत्र को अस्वीकृत-वत् माना जाए और ऐसी स्थिति में प्रभावित पार्टी के लिए यह छूट होगी कि वह ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध केन्द्र सरकार के सामने पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

(ग) खनिज रियायत नियमावली की बराबर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है इसमें संशोधन किए जाते हैं।

लाला रामस्वरुप टी० बी० अस्पताल, नई दिल्ली

670. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाला रामस्वरूप टी० बी० अस्पताल, महरौली, नई दिल्ली के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा आपात काल के दौरान, उससे पूर्व तथा उसके बाद अत्याचार अधिकार के दुरुपयोग, कुप्रबंध तथा भेदभाव किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां। इमरजेंसी के बाद कुछेक कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इन शिकायतों की जांच की जा रही है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि लाला रामस्वरुप, टी० बी० अस्पताल, नई दिल्ली, भारतीय क्षय रोग संघ द्वारा चलाया जा रहा है जो एक स्वैच्छिक संगठन है और उसके अपने नियम और विनियम हैं।

लघु एककों को इस्पात की सप्लाई के सम्बन्ध में नई मूल्य नीति

671 **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु एककों की सप्लाई के सम्बन्ध में निर्धारित की गई मूल्य नीति की लघु एककों ने आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : इस्पात के मूल्य में 4/5 जून 1978 से की गई वृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त कुछ प्रतिवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि सम्भवतः लघु एककों पर इसका प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा परन्तु वास्तव में बड़ी इकाइयों (जो पहले संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों पर माल की पूरी गाड़ी लेती थी) के मुकाबले में लघु इकाइयों की स्थिति अब अच्छी हो गई है, क्योंकि प्रथमतः मूल्यो में संशोधन से इस्पात की विभिन्न मदों के संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों और स्टाकयार्ड मूल्यों का अन्तर घटकर अब केवल 35 रुपये प्रति टन रह गया है और दूसरे यह भी निर्णय लिया गया है कि लघु एककों को इस्पात की सप्लाई लघु उद्योग निगमों की मार्फत स्टाकयार्ड-मूल्यो से 40 रुपये प्रति टन कम पर की जाएगी।

लंदन में जातीय हिंसा

672. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई, 1978 को लन्दन के गडबर्डा वाले "ईस्ट एण्ड" में दोबारा जातीय हिंसा भड़क उठी जिसके परिणामस्वरूप 9 भारतीय (बंगाली) जब वे अपनी शिफ्ट का कार्य खत्म करके बाहर आ रहे थे, गम्भीर रूप से जखमी हुए ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन में हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री की यात्रा के बाद ऐसी कितनी घटनायें हुईं ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं कि वहां पर जातीय हिंसा दोबारा न भड़क उठे और क्या उसके बाद ब्रिटिश सरकार की आप्रवास नीति का पुनर्विलोकन किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) दो अन्य घटनायें हुई थी जिनमें भारतीय उप-महाद्वीप के आप्रवासी शामिल थे।

(ग) प्रधानमंत्री ने जून में अपनी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान भारतीय आप्रवासियों और जातीय हिंसा की समस्या को उठाया था। भारतीय हाईकमिशनर ने समय समय पर जातीय सम्बन्धों को सुधारने और ब्रिटेन में

आप्रवासी समुदाय की ओर अधिक सुरक्षा का आभास कराने के प्रश्न को यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ उठाया है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार इस बात से अवगत है और भारतीय आप्रवासियों की दशा को सुधारने के लिये प्रयास कर रही है। अब तक ब्रिटिश सरकार की आप्रवास नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

परिवार नियोजन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को भेजे गये अध्ययन दल

674. **श्री ए० बाला पजनौर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को भेजे गये अध्ययन दलों का विवरण क्या है ;

(ख) उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) इस देश में उपलब्ध पर्याप्त विशिष्ट ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के दौरों के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इन दलों का और जिन देशों का दौरा किया गया, उनका ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2425/78**]

(ख) इस यात्रा का सारा खर्च जनसंख्या गतिविधियों की संयुक्त राष्ट्र निधि (यू० एन० एफ० पी० ए०) द्वारा वहन किया गया तथापि, भारत सरकार को उनके आतिथ्य-सत्कार के लिए उनका भी आतिथ्य-सत्कार करने पर और देशों को उपहार आदि देने पर लगभग 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) आकस्मिक व्यय के रूप में खर्च करने पड़े। दौरा करने वाले दलों के प्रति सामान्य शिष्टाचार के नाते विदेशों में हमारे दूतावासों ने भी कुछ नाममात्र खर्च ही किया होगा।

(ग) इस देश में काफी विशेषज्ञता उपलब्ध होने के बावजूद इस कार्यक्रम को 1977 में भारी धक्का पहुंचा। इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए यह जरूरी है कि विधायकों, जैसे आपीनियन लीडरों तथा वरिष्ठ स्तर के प्रशासकों को इस कार्यक्रम को अधिक समय देने और इसकी ओर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाए। इसका एक तरीका यह है कि उन्हें ऐसे नये विचार और तरीके बतलाएं जाएं जिनसे यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर और लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक चल रहा है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रियों, संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों में से इन दलों का चयन किया गया और उन्हें कुछ ऐसे पड़ोसी देशों में भेजा गया जहां यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।

ग्रामीण चिकित्सा सेवा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता

675. **श्री पी० त्यागराजन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण चिकित्सा सेवा योजना के अंतर्गत कितने ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है;

(ख) क्या इस प्रकार के प्रशिक्षण में एलोपैथिक और अन्य चिकित्सा प्रणालियां भी शामिल हैं ;

(ग) क्या अब तक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के कार्य निष्पादन से उक्त योजना के संतोषजनक क्रियान्वयन की आशा बढ़ी है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के व्यापक क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 30 जून, 1978 तक तीन बैचों में 41,581 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ख) जी हां, उन सभी राज्यों में जहां यह योजना चलाई जा रही है इस प्रकार के प्रशिक्षण के अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज सिखाया जाता है तथा बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दादरा व नगर हवेली में आयुर्वेदिक पद्धति से भी उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना, जिसे 2 अक्तूबर, 1977 को चुनिंदा प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में आरंभ किया गया था, इस समय 741 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में चलाई जा रही है। इन केन्द्रों में यह प्रशिक्षण मार्च, 1979 में पूरा हो जाएगा। इस योजना का मूल्यांकन तथा समीक्षा के आधार पर अक्तूबर, 1978 में इसका विस्तार करने का विचार है।

ग्राम्य स्तर के वर्करों को प्रशिक्षण

676. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण चिकित्सा योजना के अंतर्गत ग्राम्स स्तर वर्करों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए हैं कि ये वर्कर व्यक्तिगत और पर्यावरण स्वास्थ्य विज्ञान जसे उपचारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान दें जिससे बीमारियों को खत्म करने में काफी सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अनुदेशों का स्वरूप क्या है और ऐसी हिदायतों का व्यावहारिक रूप में किस सीमा तक पालन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अंतर्गत तीन महीनों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को स्वास्थ्य विज्ञानों के मूलभूत सिद्धांत, स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय, स्वास्थ्य विज्ञान छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज, रोगों को रोकने में प्रतिरक्षण की भूमिका, प्रसूति एवं बाल देखरेख, प्राथमिक चिकित्सा आदि बातें सिखाई जाती हैं। उन्हें शारीरिक नीरोगता बनाये रखने के लिए परम्परागत पद्धतियों और योग के तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

(ख) और (ग) : जी हां। ये कार्यकर्ता लोगों की बीमारियों को रोकने और उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने में उनकी सहायता करेंगे तथा केवल छोटी-मोटी बीमारियों में ही प्राथमिक इलाज का काम करेंगे। वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए चेंज एजेंटों का काम करेंगे। जो प्रशिक्षण इन्हें दिया जा रहा है उसे ठीक ही समझ रहे हैं और उसका पालन भी ठीक ही कर रहे हैं।

मयूरम, तमिलनाडु में टेलीफोन केन्द्र का काम न करना

677 **श्री पी० एस० एलमचेजियन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूरम, तंजानुर जिला, तमिलनाडु मे टेलीफोन केन्द्र ठीक ढ़ंग से काम नहीं कर रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसका एक कारण बैटरियों का दोषपूर्ण होना है ; और

(घ) उनको ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी नहीं। यह एक्सचेंज ठीक ढ़ंग से काम कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। बैटरियां अच्छी हालत में हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोकिंग कोयले और इस्पात का आयात

678. **श्री पी० एस० रामलिंगम्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोयले और इस्पात का आयात किया गया है या करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना आयात किया गया है और कितना आयात किया जाना शेष है ; और

(ग) जब भारत में कोयले और इस्पात का काफी उत्पादन होता है तो इस प्रयोजन के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : अब तक कोककर कोयले का आयात नहीं किया गया है। फिर भी, 12 महीनों में लगभग 10 लाख टन कोककर कोयला आयात करने का विचार है।

अप्रैल-जून, 1978 के दौरान सेल की मार्फत 1.34 लाख टन इस्पात का आयात किया गया है। वर्ष 1978-79 के दौरान सेल की मार्फत कुल मिलाकर लगभग 6 लाख टन इस्पात का आयात करने की सम्भावना है। इसके अलावा ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत इस्पात की कुछ नान-केनेलाइज्ड मदों का आयात किया जा रहा है। इस प्रकार के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस बात को देखते हुए कि भारतीय कोककर कोयले के भण्डार सीमित है तथा इस कोयले में राख की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, यह आवश्यक समझा गया है कि देशीय सप्लाई को बढ़ाने तथा आयात किए गए कोयले का भारतीय कोयले के साथ समिश्रण से कोयले के गुण-तत्व का अध्ययन करने के लिए राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयल का आयात किया जाये। इस्पात की जिन श्रेणियों का आयात किया जा रहा है वे ऐसी श्रेणियां है जिनका दश में उत्पादन नहीं किया जा रहा है और/अथवा ऐसी श्रेणियां जिनका देश में उत्पादन तो होता है परन्तु आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए उनकी मात्रा पर्याप्त नही हैं।

Action for Non-Deposit of P.F. by Bengal Paper Mill, Rani Ganj

679. **Shri Hukam Cl and Kachwai :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4884 on the 30th March, 1978 and state whether an amount of Rs. 4,98,262 of provident fund pertaining to January and February, 1978 is outstanding against the Bengal Paper Mills, Raniganj and if so, the time by which this amount will be realised and the amount of provident fund remains to be deposited for March, April, May and June, 1978 and when this amount will be deposited?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Action for Non-Deposit of P.F. and E.S.I. Against Jam Textile Mill, Bombay

680. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5931 on the 6th April, 1978 regarding P.F. and E.S.I. outstanding against Jam Textile Mill, Bombay and state the results of the action taken so far in this regard and the steps being taken to ensure that there are no such huge arrears in future ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : There is no textile unit in Greater Bombay named Jam Textile Mill, Bombay but there is factory known as Jam Manutacturing Company Limited, Bombay. The position regarding action taken for the recovery of outstanding dues from the Company, as reported by the Provident Fund and Employees' State Insurance Authorities, is as under :—

(i) The Employees' Provident Funds dues—

The Collector of Bombay has been requested to recover the provident fund amount in default as arrears of land revenues. Prosecution cases have been filed for the period upto April, 1978 and are coming up for hearing on 27th July, 1978. Complaints were also filed under Section 406/409 IPC but the Police Authorities have returned the complaints as the establishment has paid employees' share upto March, 1978.

(ii) The Employees' State Insurance dues—

The Employer is now in default to the tune of Rs. 11,30,382.51. Recovery action under section 45-B of the Act has already been taken for the recovery of these dues. The employer is, however, complying regularly with the provisions of the Employees' State Insurance Act for the current contribution periods.

Accommodation for P. F. Office, Indore

681. **Shri Hukam Chand Kachawai :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 335 on the

16th March, 1978 regarding expansion of office of Provident Fund Commissioner, Indore (M.P.), and state :

(a) whether action initiated for hiring more spacious accommodation for the Provident Fund Office, Indore (M.P.) has since been completed;

(b) if so, when the existing office will start functioning in the new building; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : (a) to (c) : Efforts are continuing for hiring additional accommodation for the Regional Officer, Indore (M.P.). Various factors like locality, convenience to the public, reasonableness of rent have to be taken into account while hiring the accommodation.

धोराजी-राजकोट के बीच टेलीफोन सर्किटों का कार्यकरण

682. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सौराष्ट्र प्रदेश के जिला राजकोट में धारोजी नगर में धोराजी-राजकोट के बीच 6 टेलीफोन सर्किट हैं और 1 जनवरी, 1978 से 30 जून, 1978 के बीच प्रति मास उनमें से कितने सर्किट काम कर रहे हैं और कितने काम नहीं कर रहे थे ;

(ख) ये सर्किट किन कारणों से काम नहीं कर रहे थे और इस समय कितने सर्किट काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या इन सर्किटों के काम न करने के कारण स्थानीय तथा ट्रंक कालों के मिलने में विलम्ब होता है और क्या इस बारे में तथा आपरेटरों की कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) धोराजी टेलीफोन केन्द्र के लिये कितने आपरेटरों के पद स्वीकृत है और 30 जून, 1978 को उनमें से कितने आपरेटर काम कर रहे थे तथा कितने पद रिक्त पड़े हैं और कब से रिक्त हैं और उनको कब तक भरा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) : जी नहीं। धोराजी और राजकोट के बीच 13 सर्किट काम कर रहे हैं । जनवरी 1978 से जून 1978 के दौरान सभी 13 सर्किट संतोषजनक काम कर रहे थे।

(ग) जी नहीं । स्थानीय और ट्रंक कालों में विलंब सर्किटों में व्यवधान पड़ने के कारण नहीं हुआ। टेलीफोन आपरेटरों की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ)

1. धोराजी के लिए स्वीकृत आपरेटरों की संख्या	47
2. धोराजी में तैनात आपरेटरों की संख्या	42
3. 30-6-78 को काम कर रहे आपरेटरों की संख्या	39
4. रिक्त पदों (मई 1978 से) की संख्या	5

Non-functioning of Telophones in Junagarh Town

†683. **Shri Dharamsinh Bhai Patel**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether out of about 1600 telephone connections in Junagarh town of Saurasrtra region in Gujarat about 400 were out of order or not functioned in April, 1978;

(b) whether the reasons for this were breakage and water logging in underground cable wiring system;

(c) the action taken or proposed to be taken to ensure that such thing does not happen in future in Junagarh; and

(d) the number of applications pending in Junagarh as on 1st April, 1978 for new telephone connections with reasons therefor and when these applicants will be provided telephone connections?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) & (b) : No, Sir. However, on 27-4-78, one 300 pair underground cable was damaged by the staff of Junagarh Nagar Palika giving water supply, and the interruption lasted for 2 days.

(c) There are general instructions that civic authorities should intimate telephone department prior to large scale excavations near telephone cable. The same have been reiterated to Nagar Palika authorities.

(d) 73 applications were pending for want of stores on 1-4-78. These are expected to be provided during current financial year.

Complaint from Chamber of Commerce Morvi to D.E.T., Rajkot

†684. **Shri Dharamsinh Bhai Patel**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Chamber of Commerce, Morvi had made some complaints or demands in writing or orally to the D.E.T. Telephones, Rajkot during his tour to Morvi city in Saurashtra in Gujarat in April, 1978;

(b) if so, the nature of complaints and demands made;

(c) the action taken or proposed to be taken on each of them and when and how; and

(d) the action to be taken in regard to the complaints and demands on which no action has so far been taken and which and how?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes Sir. The Chamber of Commerce had a meeting with Divisional Engineer Telephones, Rajkot at Morvi on 15-4-1978.

(b) The nature of complaints and demands were :—

(i) Getting no dial tone.

(ii) Getting disconnection while dialling.

(iii) Delay in getting trunk calls to Ahmedabad and Bombay as trunk lines remain out of order for long periods.

(iv) Rude behaviour of staff.

(c) & (d) Actions on all the above points have been taken by S.D.O. (T) Morvi and D.E.T. Rajkot. The Chamber of Commerce and Industry have acknowledged the improvement in the services.

उड़ीसा में उत्पादित किये जाने वाले एल्यूमिना के विदेशी खरीदारों का कन्सर्टियम

685. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट पर उपलब्ध बाक्साइट के निक्षेपों के उपयोग द्वारा उड़ीसा में उत्पादित किये जाने वाले एल्यूमिना के विदेशी खरीदारों का एक कन्सर्टियम बनाने के लिये पहल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या पूर्वी तट पर निर्यातोन्मुख एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिये संभाव्यता अध्ययन तैयार करने में कुछ देशों की सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने उड़ीसा के बाक्साइट भंडारों पर आधारित एक निर्यात-प्रधान एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना हेतु साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य फ्रांस की मैसर्स एल्यूमिनियम पेचिनी को सौंपा है। आशा है वे यह रिपोर्ट मार्च/अप्रैल, 1979 तक प्रस्तुत कर देंगे। इससे

पूर्व अक्टूबर, 1978 तक मैसर्स एल्यूमिनियम पेचिनी एक प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर ही समुचित आगामी कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है। विदेशी खरीदारों का एक कन्सोर्टियम बनाने के प्रश्न पर भी तभी विचार किया जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने आन्ध्र प्रदेश के बाक्साइट भंडारों पर आधारित निर्यात-प्रधान एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना हेतु साध्यता अध्ययन के लिए मार्च, 1978 में सोवियत सरकार के प्रतिष्ठान स्वेतमेतप्रोमेक्सपोर्त के साथ करार किया है। परियोजना के उपादेय पाए जाने पर सोवियत अधिकारी 'प्रतिपूर्ति' आधार पर संयंत्र की स्थापना में सहायता देंगे। इस प्रयोजन हेतु सोवियत प्राधिकारियों ने प्रति वर्ष 300,000 टन एल्यूमिना खरीदने का संकेत दिया है जो सोवियत प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले उपकरणों व सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में होगा।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कार्यकरण के बारे में आरोप

686. **श्री भगत राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मच्छरों संबंधी जनन नियंत्रण के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसंधान एकक अपने अधिकार में कब लिया गया था;

(ख) क्या कार्यालय के लाखों रुपये की लागत के उपकरण और फर्नीचर आदी अवांछनीय तरीके से नीलाम किये गये थे/बेचे गये थे;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति करने के रास्ते में रूकावट डाल रहे हैं; और

(ड.) क्या सरकार इस मामले में सी०बी०आई० की जांच कराने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन का नई दिल्ली में जो मच्छर जनन नियंत्रण अनुसंधान यूनिट था, वह 30 जून 1975 को बंद हो गया था। इस यूनिट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने अधिकार में नहीं लिया था। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिट से छंटनी किए गये बहुत से कुशल कर्मचारियों का उपयोग करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन पांडिचेरी में एक वैक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र और दिल्ली में एक मलेरिया अनुसंधान यूनिट खोलने का निर्णय किया गया था।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिट के भण्डार की कार्य योग्य वस्तुओं को पांडीचेरी और दिल्ली के इन केन्द्रों को तथा उक्त परिषद की अन्य स्थायी संस्थाओं को भेज दिया गया था। भण्डार की अनुपयोगी वस्तुओं को विहित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नीलाम कर दिया गया था और बेच दिया गया था। सभी वस्तुओं का उचित रूप से हिसाब रखा गया था।

(ग) से (ड.) : ये प्रश्न नहीं उठते।

उल्हासनगर में टेलीफोन के अधिक राशि के बिल बनाये जाना

687. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार** मंत्री उल्हासनगर (महाराष्ट्र) में टेलीफोन के बिलों में कदाचार के बारे में 20 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7612 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के उल्हासनगर जिले में अधिक मीटर रीडिंग करने के 60 मामलों में से 19 मामलों में जिनमें बाद में छूट दी गई थी, संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ;

(ग) क्या शेष 9 मामलों की जांच पूरी हो गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) : जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रश्नाधीन 19 मामले ज्यादा मीटर रीडिंग की शिकायतों से संबंधित है। जिन मामलों में मीटरों में दोष पाए गए थे उनकी ब्यौरेवार जांच करने के बाद आवश्यक छूट दे दी गई थी। मीटर ठीक कर दिए गए थे और बाद की तिमाहियों में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) और (घ) : बाकी नौ मामलों में भी उपयुक्त छूट दे दी गई है ।

डाक व तार विभाग में डाक व तार तथा आर० एम० एस० अकाऊंटेंटों के वेतनमान

688. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री 4 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9124 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक व तार विभाग में डाक व तार तथा आर० एम० एस० अकाऊन्टेंटो क वेतनमानों के बारे में विशेष रूप से 1 अप्रैल, 1976 से प्रभावी होने वाला निर्णय लिया था, जब डाक व तार लेखों का विभागीकरण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय कार्यान्वित किया जा रहा है तथा कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये विशेष रूप से गत तीन महीनों के दौरान क्या-क्या प्रयास किये गये और इस बारे में निर्णय कब-कब किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) डाकघर और रेल डाक सेवा के लेखाकारों के लिये एक अलग वेतनमान लागू करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अभी यह कहना संभव नहीं है कि इस बारे में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ।

थाइलैंड के विदेश मंत्री के साथ हुआ विचार-विमर्श

689. **श्री डी० अमात** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाइलैंड के विदेश मंत्री ने जून, 1978 में भारत का दौरा किया था और भारतीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां ।

(ख) इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य अंदमान सागर में सागर तल सीमा का निर्धारण करना और भारत, इंडोनेशिया तथा थाइलैंड के बीच त्रिसंगम बिन्दु निश्चित करके उनकी सीमाओं का उक्त बिन्दु तक विस्तार करने के संबंध में एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना था । इन करारों पर हस्ताक्षर हुए । इस यात्रा से समान हित के मामलों पर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच उपयोगी विचारों के आदान-प्रदान का भी अवसर मिला जिनमें द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति संबंधी मामले भी शामिल थे ।

उड़ीसा में इस्पात के उत्पादन में गिरावट

690. **श्री डी० अमात** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल और मई, 1978 में बिजली और कोयले की अत्यधिक कमी के कारण इस्पात उद्योग संकट में है और इस्पात के उत्पादन में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) अप्रैल और मई, 1978 के महीनों में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन पर मुख्यतः बिजली की कमी और बिजली की सप्लाई पर प्रायः प्रतिबन्ध/घट-बढ़ और कोकर कोयले की क्वालिटी और मात्रा सम्बन्धी कुछ समस्याओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनुमान है कि बिजली की सप्लाई में कठिनाई के कारण विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 64,140 टन की हानि हुई ।

(ख) बिजली और अच्छी किस्म के कोयले की अधिकाधिक सप्लाई प्राप्त करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों, अन्य बिजली बोर्डों, कोयले की सप्लाई करने वाले अभिकरणों तथा रेलवे से सतत सम्पर्क रखा जा रहा है। देशीय सप्लाई को बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कम राख वाला कोयला आयात करने का विचार है। चूंकि पूर्वी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को दामोदर घाटी निगम द्वारा दी जाने वाली बिजली की काफी समस्या है अतः दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात कारखानों की अन्तः-संयंत्र विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

रूमानिया के राष्ट्रपति से विचार-विमर्श

691. **श्री डी० अमात :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया के राष्ट्रपति ने मई, 1978 के अन्तिम सप्ताह में भारत का दौरा किया था और विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा का स्वरूप क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने रूमानिया के राष्ट्रपति के साथ अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय दोनों प्रकार के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया था । यह बातचीत निःसंकोच और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और इससे दोनों ने एक-दूसरे के दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझा।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में तकनीकी पद

692. **डा० सरदीश राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय, इसके स्थायी संस्थानों तथा ब्लड ग्रुप रेफरेन्स सैन्टर बम्बई में उक्त परिषद् के वर्तमान महानिदेशक की नियुक्ति के बाद से कितने तकनीकी पद बनाये गये उनके लिये चुने गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इससे पूर्व वे किन-किन पदों पर थे ;

(ख) इन पदों की आवश्यकता तथा औचित्य पर कैसे तथा किस ढंग से विचार किया गया था ; और

(ग) चयन समिति का गठन कैसे किया गया था और क्या चयन समिति की सिफारिशों को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Legislation for Providing Minimum Wages to Agricultural Labourers

693. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to enact a legislation to provide for minimum wages to agricultural labourers;

(b) the number of the States in the country which have passed such a legislation so far;

(c) whether the Central Government have tried to know the reaction of the State Governments in this regard; and

(d) if so, their reaction thereto?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) There is already a central legislation viz. the Minimum Wages Act, 1948, which provides for fixation/revision of minimum wages for agricultural workers. Under this legislation, minimum wages have been fixed and are revised from time to time by the Central Government and the State Governments in their respective spheres of jurisdiction.

(b) to (d) : Does not arise in view of the reply to part (a).

Recanalisation

694. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state :

(a) the number of cases in which efforts were made in the country during the last one year for recanalisation in regard to the persons forcibly sterilized during emergency; and

(b) State-wise number of the persons in whose case recanalisation has been done?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) & (b) : According to the instructions issued to all the State Governments/Union Territories Administration recanalisation facilities are provided free of cost to all persons (both male and female) seeking such facilities. On the basis of the information received from 11 States and 10 Union Territories, so far a total of 1159 recanalisation operations have been done. The State-wise number of recanalisations done is enclosed. The information regarding number of operations done during last one year is being collected from the State Governments/Union Territories and will be laid on the table of the Lok Sabha when received.

Statement

		No. of Recanalisation operations
1.	Andhra Pradesh	N.A.
2.	Assam	29
3.	Bihar	N.A.
4.	Gujarat	N.A.
5.	Haryana	248
6.	Himachal Pradesh	N.A.
7.	Jammu & Kashmir	N.A.
8.	Karnataka	74
9.	Kerala	N.A.
10.	Madhya Pradesh	N.A.
11.	Maharashtra	394
12.	Orissa	30
13.	Punjab	30
14.	Rajasthan	114
15.	Tamil Nadu	N.A.
16.	Uttar Pradesh	27
17.	West Bengal	64
18.	Meghalaya	Nil
19.	Manipur	N.A.
20.	Nagaland	Nil
21.	Mizoram	Nil
22.	Andaman and Nicobar Islands	Nil
23.	Arunachal Pradesh	Nil
24.	Tripura	Nil
25.	Chandigarh	N.A.
26.	Dadra and Nager Haveli	Nil
27.	Goa, Daman and Diu	Nil
28.	Delhi	134
29.	Lakshadweep	Nil
30.	Pondicherry	15
31.	Sikkim	Nil
	TOTAL	1159

N.A.—Information not available.

प्राथमिक चिकित्सा योजना में अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी का पद

695. **डा० विजय मण्डल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी का पद मंजूर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां । जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त डाक्टर को अर्थात् उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में जहां यह योजना चलाई गई है, एक-एक तीसरा डाक्टर नियुक्त करने की व्यवस्था है ।

(ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और ज्योंहि उपलब्ध होगी इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

चूना पत्थर, डोलोमाईट और मैंगनीज खानों में ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए स्थापित समितियों का प्रतिवेदन

696. **डा० विजय मण्डल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चूना पत्थर, डोलोमाईट और मैंगनीज खानों में ठेका श्रमिक पद्धति के प्रश्न पर विचार करने के लिए स्थापित समितियों ने अब तक अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समिति की सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन समितियों की सिफारिशों के बारे में मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) : जी हां । चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज खानों में ठेका श्रम पद्धति के प्रश्न की जांच एक ही समिति ने की । इस समिति ने (i) अधिभार हटाने, (ii) बेधन तथा विस्फोट कार्य करने, (iii) खनिज का उत्पादन करने, जिसमें तोड़ना, साइज़ बनाना और छांटना भी शामिल हैं, और (iv) खान के स्थल पर लदान कार्य में ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन की सिफारिश की है ।

(ग) इस विषय के संबंध में संगत अधिसूचनाओं को जारी करने के प्रश्न पर इस्पात और खान मंत्रालय से सलाह लेते हुए विचार किया जा रहा है ।

ठेका श्रमिकों की जीवन-दशा का अध्ययन

697. **डा० विजय मण्डल :**
श्री सुधीर घोषाल :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में ठेका श्रमिकों की जीवन-दशा के बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) : इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में श्रम ब्यूरो विभिन्न उद्योगों में ठेका श्रम की कार्य दशाओं के संबंध में समय-समय पर सर्वेक्षण आयोजित करता आ रहा है । अब तक ऐसे सर्वेक्षणों के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की संख्या 26 है, पिछले छः वर्षों के दौरान ऐसे सर्वेक्षणों के अन्तर्गत आने वाले उद्योग ये हैं : (1) नमक, (2) कागज़ तथा काग़ज़ से बनी वस्तुएं, (3) कांच और कांच की वस्तुओं का निर्माण (नज़र के शीशों को छोड़कर), (4) इलेक्ट्रिक लाइट और पावर, (5) चीनी तथा मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, (6) आटे की मिलें और नान-फेरस बेरिक मेटल उद्योग । इन सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े मुख्यतः ठेका श्रमिकों, जिन कार्यों के लिए उन्हें नियोजित किया गया है, उन कार्यों, उनकी कार्य दशाओं, मज़दूरी तथा आय, वेतन सहित छुट्टी और अवकाश, कल्याण सुविधाओं, समाज सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों आदि से संबंधित हैं ।

पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर राज्यों में कोचिंग कम गाइड केन्द्र स्थापित करना

698. **डा० विजय मण्डल :**
श्री एम० ए० हनान अलहाज :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल अथवा पूर्वोत्तर राज्यों में कोचिंग कम गाइडेंस केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन केन्द्रों के प्रयोग को सफल होते देखकर मंत्रालय देश के प्रत्येक जिले में ऐसे केन्द्र खोलने की योजना बना रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां । 1978-79 के दौरान, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में एक अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) चार राज्यों जिन में अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र पहले ही खोले जा चुके हैं, के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में 6 और अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र शीघ्र खोलने के लिए वर्ष 1978-79 के लिए धन की व्यवस्था की गई है । ग्रेड "सी" पदों के लिए नियोज्यता को बढ़ाने के लिए ये केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को अध्यापन एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ।

(ग) और (घ) : इस समय प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी कार्यकारी दल की 17 वीं बैठक में यह निर्णय किया गया था कि ऐसे राज्य, जिनमें ऐसे केन्द्र स्थापित नहीं किए गए है, अपने प्रस्ताव भेजें । अभी तक चार राज्यों, अर्थात्, असम, पंजाब, त्रिपुरा तथा मेघालय, ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है । ये प्रस्ताव 1978-79 में पहले ही दिए गए 6 केन्द्रों संबंधी प्रस्तावों के अतिरिक्त हैं । शेष राज्यों से अपने प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सकें ।

त्रिपुरा में पोषाहार कार्यक्रम

699. **श्री सचीन्द्रलाल सिंघा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में स्वास्थ्य पर आधारित दो पोषाहार कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वषवार तथा क्षेत्र-वार अद्यतन किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके लिये कितनी राशि दी गई तथा खर्च की गई है ;

(ग) इन दो कायक्रमों से कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य में किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां । पोषण की कमी के कारण होने वाले रोगों की रोकथाम के लिये त्रिपुरा में निम्नलिखित योजनायें चलाई गई है :—

(1) माताओं और बच्चों में अपोषणज अरक्तता की रोकथाम ।

(2) विटामिन "ए" की कमी के कारण बच्चों में होने वाली अन्धता की रोकथाम ।

(ख) और (ग) : आवश्यक सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

(1) अपोषणज अरक्तता की रोकथाम

माताये—50,000

बच्चें—50,000

(2) विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली अन्धता की रोकथाम

बच्चें (1 से 5 वर्ष)—1,00,000

त्रिपुरा के छात्रों के लिए मेडिकल कालेजों में सीट

700. **श्री सचीन्द्रलाल सिंघा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को त्रिपुरा से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने मेडिकल कालेजों में अधिकता देने की मांग की है क्योंकि वहां पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है ;

(ख) यदि हां तो त्रिपुरा के छात्रों के लिये मेडिकल कालेजों में सीटों के बारे में अभ्यावेदन/अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश के विभिन्न कालेजों में, कालेजवार, त्रिपुरा के छात्रों के लिये कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, और गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा कालेजवार, त्रिपुरा से कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ;

(घ) क्या त्रिपुरा के छात्रों के लिये मेडिकल कालेजों में आरक्षित सीटों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को त्रिपुरा के उम्मीदवारों के लिए और अधिक मेडिकल सीटें नियत करने के लिए पत्र लिखा था क्योंकि बहुत से प्री-मेडिकल उत्तीर्ण छात्र चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहते थे।

(ग) 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में त्रिपुरा राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा कालेजवार अलाट की गई सीटों की संख्या का एक विवरण संलग्न है (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 24-26/78**)। मेडिकल कालेजों में अध्ययन कर रहे त्रिपुरा के छात्रों की संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

चलता फिरता प्रशिक्षण व सेवा अस्पताल

791. **श्री सचीन्द्रलाल सिंघा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक चलाये गये चलते-फिरते-प्रशिक्षण व सेवा अस्पतालों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या चलते-फिरते प्रशिक्षण-व-सेवा अस्पताल की सेवा त्रिपुरा में भी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) मोबाइल प्रशिक्षण-सह-सेवा अस्पताल की एक योजना चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत मोबाइल अस्पताल राज्य के एक चिकित्सा कालज से सम्बद्ध था। इन्टर्नों और अंतिम वर्ष के छात्रों सहित अध्यापकों ने देहाती क्षेत्रों में कैम्प लगाए और निवारक एवं उपचारात्मक चिकित्सा में स्वेच्छा से सेवाएं प्रदान कीं। प्रत्येक मोबाइल यूनिट के साथ पचास अस्पताली पलंग सम्बद्ध कर दिये गये। इस यूनिट को इस प्रकार सुसज्जित किया गया था कि यह एक मोबाइल अस्पताल का कार्य करे और एक देहाती क्षेत्र से दूसरे में जाए और प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक कार्य करे। इस यूनिट ने परिवार नियोजन के साथ-साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय भी किये।

केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत इस प्रकार के पांच यूनिट 1970-71 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूर किए गए और उन्हें निम्नलिखित कालेजों के साथ लगा दिया गया :--

1. मेडिकल कालेज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
2. मेडिकल कालज, बड़ौदा (गुजरात)
3. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर (राजस्थान)
4. मेडिकल कालेज, मदुरई (तमिलनाडु)
5. किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रति मोबाइल अस्पताल 3.1 लाख रुपये का अनावर्ती व्यय और प्रति वर्ष प्रति मोबाइल अस्पताल 2.4 लाख रुपये का आवर्ती व्यय वहन किया। इस योजना अवधि के बाद सारा व्यय उन की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था।

5 नवम्बर, 1970 को मनाए गए देशबन्धु सी० आर० दास शताब्दी समारोह के संबंध में केन्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने यह निर्णय किया कि "चितरंजन मोबाइल अस्पताल" नाम से एक राज्य में एक की दर से 17 मोबाइल प्रशिक्षण-सह-सेवा अस्पताल खोले जाएं। ये अस्पताल निम्नलिखित मेडिकल कालेजों के साथ लगा दिये गये :--

1. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
2. मेडिकल कालेज, गौहाटी (असम)
3. दरभंगा मेडिकल कालेज, लहेरियासराय (बिहार)

4. एम० पी० शाह मेडिकल कालेज, जामनगर (गुजरात)
5. मेडिकल कालेज, रोहतक (हरियाणा)
6. मेडिकल कालेज, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
7. मेडिकल कालेज, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)
8. मेडिकल कालेज, कालीकट (केरल)
9. पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, रायपुर (मध्य प्रदेश)
10. मेडिकल कालेज, नागपूर (महाराष्ट्र)
11. मेडिकल कालेज, बंगलौर (कर्नाटक)
12. वी० वी० एस० मेडिकल कालेज, बुरला (उड़ीसा)
13. मेडिकल कालेज, अमृतसर (पंजाब)
14. आर० एन० आई० मेडिकल कालेज, उदयपुर (राजस्थान)
15. स्टेनले मेडिकल कालेज, मद्रास (तमिलनाडु)
16. एम० एल० एन० मेडिकल कालेज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
17. मेडिकल कालेज, कलकत्ता और नीलरत्न सरकार मेडिकल कालेज, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

प्रत्येक मोबाइल अस्पताल के लिए 3.1 लाख रुपये का अनावर्ती व्यय केन्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन किया गया और प्रत्येक मोबाइल अस्पताल का प्रतिवर्ष 2.4 लाख रुपये का आवर्ती व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया गया ।

वैसे, एक टास्क फोर्स द्वारा मुल्यांकन करने के उपरान्त पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में इस योजना को बन्द कर दिया ।

(ख) और (ग) : चूंकि त्रिपुरा राज्य में कोई मेडिकल कालेज नहीं था, इसलिए वहां मोबाइल अस्पताल मंजर नहीं किया गया । दूसरे, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद इस स्कीम को बन्द कर दिया गया है ।

त्रिपुरा में चल-प्रशिक्षण एवं सेवा अस्पताल

702. **श्री सचीन्द्रलाल सिंघा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की त्रिपुरा सरकार की ओर से चल-प्रशिक्षण एवं सेवा अस्पताल के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री की ओर से श्रम मंत्रियों की बैठक करने का सुझाव

703. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1978 के बिजनेस स्टेंडर्ड में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री ने औद्योगिक संबंधों के बारे में प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्यों के श्रम मंत्रालयों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री के उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, उस पर हुई अन्य प्रतिक्रियायें क्या हैं ;

(ग) पिछली बार दिल्ली में राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक किस तारीख को हुई थी, उसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसमें भाग लेने वालों के क्या नाम हैं ;

(घ) उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) राज्यों के मंत्रियों की गत बैठक के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) पिछली बार श्रम मंत्रियों का सम्मेलन 7 नवम्बर, 1977 को हुआ। यह सम्मेलन व्यापक औद्योगिक संबंध कानून और भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन संबंधी 30 सदस्यों की त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट पर सामान्य विचार-विमर्श और विचार विनिमय करने के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्रियों ने भाग लिया। अन्य राज्यों का श्रम सचिवों/श्रमायुक्तों और अन्य अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया।

(घ) और (ङ) : सम्मेलन के अध्यक्ष (संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री) ने यह सूचित किया कि राज्य श्रम मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को कानून बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये किया गया कार्य

704. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये आज तक किये गये कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्यवार विभिन्न योजनाओं से कितने व्यक्तियों को अब तक लाभ पहुंचा है ; और

(ग) छठी योजना अवधि में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) से (ग) : अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने यह माना है कि उनके क्षेत्रों में बन्धित श्रम पद्धति विद्यमान है। प्रत्येक राज्य में जिन श्रमिकों का पता लगाया गया, जिन्हें मुक्त कराया तथा फिर से बसाया गया, 31 5-1978 की स्थिति के अनुसार उनकी संख्या इस प्रकार थी :--

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बन्धित श्रमिकों की कुल संख्या		
		पता लगाए गए	मुक्त कराए गए	पुन: बसाए गए
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	6,930	6,930	4,154
2	बिहार	2,857	2,857	613
3	गुजरात	42	42	42
4	कर्नाटक	64,042	64,042	7,804
5	केरल	900	900	186
6	मध्य प्रदेश	1,612	1,531	33
7	महाराष्ट्र	--आंकड़े अभी सूचित नही किए गए--		
8	मिजोरम	3	3	..
9	उड़ीसा	669	319	313
10	राजस्थान	6,000	6,000	3,531
11	तमिल नाडु	2,883	2,883	2,363
12	उत्तर प्रदेश	19,242	19,242	12,805
	जोड़	1,05,180	1,04,749	31,844

2. बन्धित श्रमिकों को फिर से बसाने क लिए किए गए काम का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :--

आन्ध्र प्रदेश : मुक्त कराए गए श्रमिकों को फिर से बसाया गया है। इसके लिए उन्हें कृषि हेतु भूमि तथा मकान बनाने के लिए स्थान दिए गए हैं। एकीकृत आदिजाति विकास अभिकरण/बैंकों ने उन्हें दूध देने वाले पशुओं, भेड़ों, ब०ई-गीरी के औज़ारों की खरीद और फलों की बिक्री के काम के लिए ऋण दिए हैं। सरकारी विकास अभिकरणों में उन्हें रोजगार भी दिलाया गया है। जिन क्षेत्रों में मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिक अधिक संख्या में हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने पुनर्वास की विशेष योजनायें तयार की हैं।

बिहार : राज्य सरकार ने 2301 बन्धित श्रमिकों के संबंध में लगभग 2,48,218.85 रुपये का बद्ध ऋण समाप्त कर दिया है। पलामाऊ जिले में जहां मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिक अधिक संख्या में रहते हैं, पुनर्वास की एक व्यापक योजना लागू की जा रही है । मुक्त कराए गए प्रत्येक बन्धित श्रमिक परिवार को भूमि आबंटित की गई है तथा विशेष सामान दिया गया है जैसे बैल, बीज, उर्वरक आदि। इसके अतिरिक्त, आय बढ़ाने वाली योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है, बकरी-पालन, मुर्गी-पालन, सूअर-पालन आदि ।

गुजरात : जिला प्राधिकारियों को कहा गया था कि वे राज्य के उन सभी के सभी 10,116 मामलों की जांच-पड़-ताल करें, जिनमें बन्धित श्रम पद्धति के विद्यमान होने का सन्देह है । इन मामलों में से बन्धित श्रमिकों के केवल 42 मामलें पाए गए। इन श्रमिकों को फिर से बसाया जा चुका है।

कर्नाटक : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह मुक्त कराए 7804 बंधित श्रमिकों को फिर से बसा चुकी है । इसके लिए उन श्रमिकों को दूध देने वाले पशु, भेड़ों, सूअर, मुर्गियां आदि खरीदने और बढ़ईगीरी, सिलाई, पत्थर-काटने आदि धंधे स्थापित करने के लिए बैंकों के जरिय ब्याज की रियायती दर से लगभग 50.63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है । लगभग 100 बंधित श्रमिकों को फालतू पड़ी भूमि आबंटित की गई है। जनता योजना के अन्तर्गत 1091 बन्धित श्रमिको को मकान के लिए स्थान दिए गए हैं तथा 876 को मकान मंजूर किए गए हैं । मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों के लगभग 300 बच्चों को अनुसूचित जाति छात्रावासों में दाखिल किया गया है, जिनकी व्यवस्था समाज कल्याण विभाग करता है । राज्य सरकार ने यह भी सूचना दी है कि अनेक सरकारी विकास परियोजनाओं/अभिकरणो में 30,567 बन्धित श्रमिकों को दिहाड़ी पर काम दिया गया है।

केरल : मुक्त कराए गए श्रमिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता से फिर से बसाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें दूध देने वाले पशु उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों को ऐसे लघु उद्योगों की परधि में लाया जा रहा है जिनके लिए कम से कम तकनीकी जानकारी तथा कम से कम औजारों की ज़रूरत है।

मध्य प्रदेश : राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को हिदायतें जारी की हैं कि वे वर्तमान चालू प्लान योजना और कार्यक्रमों (जिन में भूमि संरक्षण, सिंचाई कार्यों, समाज कल्याण कार्यों संबंधी कार्यक्रम तथा आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण कार्यक्रम भी शामिल है) के जरिए बन्धित श्रमिकों को फिरसे बसाएं। जिला प्रशासन से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह बन्धित श्रमिकों को और सहायता दें। इसके लिए उन्हें गृह-स्थल दिए जाएं और इस प्रकार के गृह स्थलों पर उन्हें मिलकियत का हक दिया जाए। जिन के पास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि दी जाएं । बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों को अस्पताल के इलाज की नि:शुल्क सुविधाएं दी जाएं। कृषि संबंधी कार्यों, कृषि विकास, बैलो, कृषि संबंधी सामान को खरीदने, लघु उद्योगों को शुरू करने और अन्य रोजगार प्रयोजनों के लिए श्रमिकों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण दिए जाएं ।

उड़ीसा : राज्य सरकार ने पहले ही एक योजना बना ली है जिसमें 6 महीने के लिए मासिक नकद निर्वाह भत्ता देने, कृषि योग्य बनाई गई भूमि का आबंटन करने और जहां इस प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं हैं, वहां भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रति एकड़ 300 रुपये का अनुदान देने, बैलों की जोड़ी उपलब्ध करान, कृषि का सामान खरीदने और विवाह आदि के लिए अनुदान देने की व्यवस्था है। अब तक इस पर 1,35,905 रुपये खर्च आ चुके हैं। मुक्त कराए गए श्रमिकों को सहायता के रूप में कपड़े, चावल आदि दिए जा रहे हैं।

राजस्थान : राज्य में मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों को कृषि के लिए भूमि तथा मकान आबंटित कर के पुन: बसाया जा रहा हैं। बैंकों के जरिये उन्हें सहायता दी जा रही है। मुक्त कराए गए प्रत्येक बन्धित श्रमिक परिवार को तीन माह के लिए सौ-सौ रुपए दिए जा रहें हैं ताकि उनके खर्च की पूर्ति हो सके। उनके बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा भी दी जा रही है।

तमिल नाडु : एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल० एजेंसी के क्षेत्रों में मुक्त कराए गए ऐसे बन्धित श्रमिकों को, जिन्हें भूमि दी गई है, ऋण-व-आर्थिक सहायता दी जा रही है, परन्तु ऐसे क्षेत्रों में, जो इन योजनाओं की परिधि में नहीं आते, राज्य सरकार संस्थागत ऋण का 33⅓ प्रतिशत भाग आर्थिक सहायता के रूप में देगी । जिन क्षेत्रों में रियायती ब्याज-दर योजना लागू नहीं है, वहां 40 प्रतिशत ब्याज को छोड़ कर बाकी का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बड़े बैंकों से लिए गए उपभोग ऋणों का 33⅓ प्रतिशत भाग राज्य सरकार वहन करेगी ताकि मुक्त

कराए गए बन्धित श्रमिक मुक्त होने और पुन: बसाए जाने के बीच की अवधि के दौरान होने वाली कठिनाई को पार कर सकें। बताया जाता है कि राज्य सरकार प्रत्येक बन्धित परिवार के मुखिया को निर्माण-सामग्री के रूप में एक हजार रुपये या वास्तविक लागत, इन में से जो भी कम हो, का आवास-अनुदान दे रही हैं। राज्य सरकार नीलगिरि जिले में भूमि उपनिवेशन की एक योजना निष्पादित कर रही है ताकि राज्य के मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों को भूमि दी जा सके।

उत्तर प्रदेश : राज्य के बन्धित श्रमिकों को भूमि देकर तथा उन्हें पशु-पालन, बागबानी और कुटीर तथा लघु उद्योगों में खपाकर फिर से बसाया जा रहा है। इस काम के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार की गई है और उनमें राज्य के संसाधनों में से धन लगाया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक परिवार को 2500 रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। विशेष मामलों में यह अनुदान 3,000 रुपये तक दिया जा सकता है। मुक्त कराये गए बन्धित श्रमिकों को सरकार की विकास परियोजनाओं में रोजगार भी दिया जा रहा है। इन श्रमिकों को अपनी श्रमिक सहकारी समितियों गठित करने के लिए तथा बड़े आकार की बहुद्देशीय समितियों का सदस्य बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना में धन लगाने के लिए वर्ष 1978-79 के लिए 30 लाख रुपए की व्यवस्था की है। एक मात्र इस योजना को लागू करने के लिए एक परियोजना कार्यालय भी स्थापित किया गया है।

3. पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करने के विचार से बंधित श्रमिकों के पुनर्वास सम्बन्धी एक केन्द्र संचालित योजना आरम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 1978--82 के वर्षों क दौरान बराबरी के आधार पर सहायता अनुदान देना है।

पश्चिम बंगाल में बीड़ी कारखानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाना

705. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या संसदीय काय तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं को पश्चिम बंगाल में बीड़ी कारखानों पर लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत आने वाले कारखानों की जिला वार संख्या तथा नाम क्या हैं ;

(ग) किन बीड़ी कारखानों ने भविष्य निधि की अब तक की देय राशि का भुगतान किया है तथा इस संबंध में दोषी कारखानों के नाम क्या हैं ; और

(घ) दोषी कारखानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के कार्यकरण के अध्ययन के लिए एक दल की स्थापना

706. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के निदेशक-मण्डल ने कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस दल का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के निदेशक-मण्डल ने बर्नपुर स्थित इस्पात कारखाने के कार्यकरण के तकनीकी पहलुओं की जांच करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक दल की नियुक्ति की है जिससे निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी शामिल हैं :--

1. श्री एम० गांगुली, सहायक महा अधीक्षक, (मिल) दुर्गापुर इस्पात कारखाना	अध्यक्ष
2. श्री टी० आर० एस० परमार, मुख्य अधीक्षक, कोक ओवन तथा उपोत्पाद संयंत्र, राउरकेला इस्पात कारखाना	सदस्य
3. श्री एस० पी० जंग, अधीक्षक, धमन भट्टी, भिलाई इस्पात कारखाना	सदस्य
4. श्री एस० नारायण, अधीक्षक, स्टील मेल्टिंग शाप, भिलाई इस्पात कारखाना	सदस्य
5. श्री एस० एम० दत्त, अधीक्षक, तकनीकी विकास विभाग, दुर्गापुर इस्पात कारखाना	सदस्य

तकनीकी अधिकारियों का यह दल 25 जुलाई, 1978 को कारखाने का दौरा करेगा और तत्पश्चात् उचित कार्रवाई करने के लिए कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली संबंधी परियोजनाओं को लागू किया जाना

707. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :**
श्री सुधीर घोषाल :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली संबंधी परियोजना, जो नियोज्य दक्षता के माड्यूल पर आधारित है, विभिन्न उच्च प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य संस्थानों में लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या तथा परियोजना के वित्तीय संसाधन क्या हैं ;

(ग) किन संस्थानों में, संस्थानवार तथा तिथिवार, इस योजना को अब तक लागू किया गया है;

(घ) इस परियोजना में अब तक जिन व्यक्तियों ने भाग लिया है उनके संस्थानवार नाम क्या हैं तथा इस परियोजना के अन्तर्गत संस्थानवार, कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ;

(ङ) क्या इन योजनाओं को कलकत्ता स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा दुर्गापुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लागू किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो इन संस्थानों में इस योजना को लागू करने के लिए अब तक की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2427/78**] (अनुबंध-क)

(घ) विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2427/78**) (अनुबंध-ख)

(ङ) जी हां योजना दोनों संस्थानों के लिए मंजूर की गई है, यद्यपि दुर्गापुर में प्रशिक्षण अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(च) विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2427/78**] (अनुबंध-ग)

होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग

708. **श्री एस० एस० सामानी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीड़ित व्यक्तियों और उनके इलाज क हित में आरगेनन आफ मेडिसन (अनुच्छेद संख्या 247 जो अनुच्छेद 272 के साथ पढ़ा जाए) के अंतर्गत शरीर प्रभावकारिता की दृष्टि से होम्योपैथिक औषधि की एक से अधिक खुराक स्वीकार नहीं करता है ;

(ख) क्या कानूनी रूप से अर्हताप्राप्त होम्योपैथ औषध-प्रयोग के इस स्वस्थ और नैतिक तरीके को व्यवहार में नहीं ले रहे हैं, और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार होम्योपैथी के नाम पर इस कदाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ; और

(घ) उपरोक्त निर्धारित मानदंडो का अनुसरण न करने वाल होम्योपैथों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : गुणकारिता की दृष्टि से होम्योपथिक औषधि को खुराकों की आवृत्ति के प्रश्न के संबंध में "आरगेनन आफ मेडिसन" के पांचवे और छठे संस्करण में विभिन्न विचार प्रकट किए गए हैं। "आरगेनन आफ मेडिसन" के पांचवे संस्करण (देखिए सेक्शन 247) के अनुसार डा० हनेमन ने कुछेक मामलों में निर्दिष्ट पोटेंसी की होम्योपैथिक औषधि की आवृत्ति की सिफारिश की जबकि "आरगेनन आफ मेडिसन" के छठे संस्करण (सेक्शन 247) में उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया और इसके स्थान पर यदि संभव हो तो एक अच्छी चुनी हुई औषधि देने की सिफारिश की और इसके बाद अपेक्षित अवधि तक इसके प्रयोग की अनुमति दी है। डा० हनेमन ने अपने ग्रंथ क्रानिक डिजीजेज, वाल्यूम-1 में यह भी सिफारिश की थी कि कतिपय रोगियों में एक ही पोटेंसी की औषधि का बार-बार उपयोग किया जा सकता है। डा० हनेमन द्वारा स्वयं व्यक्त किए गए इन अलग-अलग विचारों के कारण उसी पोटेंसी वाली औषधि की एक से अधिक खुराक देकर चिकित्सकों को जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग पीड़ित लोगों के इलाज के हित में करना पड़ेगा। चिकित्सा संबंधी ज्ञान की प्रगति को रोका नहीं जा सकता है।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

इलेक्ट्रानिक टेलिप्रिंटरों का बड़े पैमाने पर निर्माण

709. **श्री अहमद हुसेन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक टेलिप्रिन्टरों को, जिन्हें हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड ने बनाया है, बड़े पैमाने पर तैयार करने की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) इस नये उत्पाद को खरीदने के लिए यदि विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड ने इलैक्ट्रॉनिक्स टेलिप्रिन्टर का एक प्रयोगशाला-मॉडल बना लिया है, उत्पादन के लिए उपयोगी मॉडेल बनाने का प्रयास हो रहा है। इसके आदिरूप (प्रोटोटाइप) का सफलतापूर्वक विकास कर लेने के बाद ही, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जा सकता है ।

(ख) हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड द्वारा इलक्ट्रानिक्स टेलिप्रिन्टर्स का उत्पादन अभी शुरू ही नहीं किया है इसलिए उपस्कर की खरीद के विदेशी प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता ।

Distribution of "Nirodh"

710. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether there is any Government's scheme is to distribute 'Nirodh' on large scale under Family Welfare Programme: and

(b) what is the present production and requirement of 'Nirodh' in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Nirodh and other conventional contraceptives are distributed presently as a part of the National Family Welfare Programme under three schemes; namely : Nirodh Marketing Programme. Free distribution scheme and Depot holder scheme.

(b) The production and distribution of Nirodh during April, 1977 to March, 1978 was 357 million pieces and 228 million pieces respectively.

गारो हिल्स में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की आवास समस्या

711. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो हिल्स जिला मेघालय के 'टूरा' तथा अन्य स्थानों पर नियुक्त डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को विभागीय क्वार्टर और किराये के मकान न मिलने के कारण गंभीर आवास समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार टूरा में कर्मचाारयों के लिए क्वार्टर बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि गारो हिल्स जिला में नियुक्त अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और पहाड़ी भत्ता मिलता है किन्तु डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को इनमें से कोई भत्ता नहीं दिया जाता, यदि हां, तो क्या सरकार गारो हिल्स में नियुक्त डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और पहाड़ी भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों में किराये के मकान प्राप्त करने के लिए सामान्यत: काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। टूरा में 93 कर्मचारी है और वहां 12 विभागीय क्वार्टर उपलब्ध हैं । इस प्रकार उपलब्ध क्वार्टरों का प्रतिशत 12.9 हैं जब कि अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रतिशत 6.47 है ।

(ख) जी नहीं । गारो हिल्स जिले में तैनात कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मकान किराया और पहाड़ी प्रतिपुरक भत्ता पाने का हकदार नहीं है क्योंकि ये स्थान इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते ।

जिला मिर्जापुर में 'हिन्डालको' का अभिग्रहण

712. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री सुरेन्द्र विक्रम :
श्री उग्रसेन :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री चित्त बसु :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री ने 4 जून, 1978 को इलाहाबाद में कहा था कि हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी (हिन्डाल को) के जिला मिर्जापुर के कारखाने में गत वर्षों से चले आ रहे कुप्रबन्ध को देखते हुए सरकार को इसका अभिग्रहण कर लेना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या निर्णय है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

P.M.'s Talks with U.K. Prime Minister Regarding Indians in Britain

†713. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether, during his 48-hour stay in London on his way to United States of America, the Prime Minister had important talks with the British Prime Minister on the problems such as providing of opportunities to the persons of Indian origin in Britain to enable them to assimilate themselves in the mainstream of the British life, and to free them from the in human treatment meted out to them there; and

(b) if so, the details and the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) : (a) Yes, Sir. Prime Minister Shri Morarji Desai drew the attention of the British Prime Minister to the problem of race relations.

(b) The British Prime Minister, Mr. Callaghan, told our Prime Minister that the Indians settled in the UK had assimilated themselves very well and are, indeed, helping to strengthen the common past links between the two countries. Mr. Callaghan further said that whatever problems the immigrants had would be and, are being overcome. Mr. Callaghan said that his Government was very clear in its desire to establish harmonious race relations and was against any racial friction between members of different communities in the United Kingdom. The British Prime Minister drew particular attention to the Communities Relations Council that had been set up to try and redress grievances and pin-point injustices or excesses that had taken place as a result of discriminatory action on the part of anyone.

कोयला खानों में सुरक्षा

714. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला खानें असुरक्षित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : देश में कोयला खानें असुरक्षित नहीं है। तथापि, कुछ कारणों जसे छत के गिरने, दीवारों के गिरने, चट्टानों के फुटने, गैस, प्रज्वलन, बाढ़ आदि से कभी-कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों द्वारा प्रयास किया जाता है जैसे खान अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गए विनियमों को कड़ाई से लागू करना ; दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दुर्घटनाओं का लगातार अध्ययन एवं विश्लेषण करना, दुर्घटना उन्मुख खानों का पता लगाना और उनके सम्बन्ध में विशिष्ट सुधारात्मक उपाय करना; सुरक्षा चेतना को बढ़ावा देने और खनन कार्य में लगे समस्त कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास करना, आदि ।

न्यूक्लीय शस्त्र

715. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए भाषण के सन्दर्भ में वह उस स्थिति में अपने देश के हितों की किस प्रकार से रक्षा करेंगे जबकि विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र न्यूक्लीय शस्त्र बनाते जाएंगे, जिससे भविष्य में भारत को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है ; और

(ख) क्या भारत ने अब तक जो प्रगति न्यूक्लीय शस्त्रों के सम्बन्ध में की है, उसे बिल्कुल त्याग दिया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्ड) : (क) भारत ने सभी तरह के नाभिकीय अस्त्रों का हमेशा ही दृढ़तापूर्वक विरोध किया है क्योंकि ये सामुहिक विनाश के अस्त्र हैं राष्ट्र की सुरक्षा में इनका कोई योगदान नहीं है। इसलिए भारत इस बात में विश्वास नहीं रखता कि देश के हितों की रक्षा के लिए नाभिकीय अस्त्रों की आवश्यकता है ।

(ख) अपनी इसी दृढ़ नीति के अनुरूप भारत शान्तिपूर्ण उद्देश्यों से इतर उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा का कभी प्रयोग नहीं किया है ।

भारत-चीन संबंध

716. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुमानिया के प्रेजीडेन्ट की दिल्ली की हाल ही की यात्रा के समय नई दिल्ली में प्रधान मंत्री की उनके साथ हुई वार्ता के बाद भारत-चीन सम्बन्ध और घनिष्ठ होने की सम्भावना बलवती हुई है जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन द्वारा हमारी भूमि पर किए गए कब्जे को खाली करने की कोई सम्भावना है ; और

(ग) क्या चीन की सरकार के साथ निकट भविष्य में कोई वार्ता करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्ड) : (क) 30 मई, 1978 को दिल्ली में अपनी संक्षिप्त पारगमन यात्रा के समय राष्ट्रपति चोसेस्कू ने प्रधान मंत्री को यह बताया था कि उनके विचार से चीन सरकार भारत-चीन सम्बन्धों को सुधारना चाहती है । जैसा कि सदन को ज्ञात है, तरह-तरह से सम्बन्धों को सुधारने के उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) : सीमा के प्रश्न पर अपनी स्थिति को दोहराते हुए सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि वे चीन सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सीमा के प्रश्न पर कभी भी बातचीत कर सकते हैं ।

Bogus Certificates Issued by Homoeopathic and Ayurvedic Doctors

717. **Shri Chhitubhai Gamit :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether complaints have been received by Government that certificates issued by most of the Homoeopathic and Ayurvedic doctors were found to be bogus; and

(b) if so, the State-wise number of such complaints received during the last two years and the number of doctors punished by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No such complaints have been received by the Central Government.

(b) Does not arise.

Loans Given to Hindalco

718. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the amount of loans obtained by HINDALCO, Mirzapur (U.P.) from the Centre, State Governments and other Government institutions;

(b) what was the last date for repayment of loans and the amount actually repaid; and

(c) the steps being taken to recover the remaining amount ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

चण्डीगढ़ के औद्योगिक श्रमिकों की यूनियनों की समन्वय समिति द्वारा ज्ञापन

719. **श्री भगत राम :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें चण्डीगढ़ के औद्योगिक श्रमिकों की यूनियनों की समन्वय समिति की ओर से एक ज्ञापन अप्रल-मई, 1978 में मिला था ;

(ख) उसमें की गई मुख्य मांग और उसमें दिए गए सुझाव क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : श्रम मंत्रालय में इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस्पात उद्योग में सामूहिक सौदेबाजी

720. **श्री भगत राम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार और केन्द्रीय व्यापार संघों की 30 नवम्बर, 1977 और फिर 12 अप्रैल, 1978 को हुई बैठकों में इस्पात कर्मचारियों के गुप्त मतदान के माध्यम से इस्पात उद्योग में सामूहिक सौदेबाजी एजेंट के नियत किये जाने के बारे में निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विती कब की जायेगी ;

(ग) क्या सरकार एन० जे० सी० सी० का पुनर्गठन कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार इस्पात कर्मचारियों की मंजूरी क बारे में शीघ्र वार्ता करने पर विचार कर रही है और वह कब होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अप्रैल, 1977 में गठित किए गए छः अध्ययन दलों के सदस्यों की 30 नवम्बर, 1977 में हुई पूर्ण बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हो गई थी कि संयंत्र स्तर पर यूनियन की मान्यता गुप्त मतदान द्वारा दी जानी चाहिए। फिर भी, यह बात बता दी गई थी कि इस मामले में श्रम मंत्रालय के साथ आगे लिखा-पढ़ी करनी होगी ।

12 अप्रैल, 1978 को इस्पात और खान मंत्री तथा केन्द्रीय मजदूर यूनियन संगठनों के नेताओं के बीच हुई बैठक में इस बात पर सामान्यतः सहमति हो गई थी कि सौदा एजेन्ट की नियुक्ति के लिए इस्पात कारखानों में जून, 1978 के अन्त में चुनाव कराए जाएंगे जिनकी तारीख और स्वरूप के बारे में निर्णय बाद में किया जाएगा। 5 मई, 1978 को हुई अगली बैठक में यूनियन के नेताओं ने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर आपस में विचार-विमर्श करने का फैसला किया लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

सरकार का इरादा शीघ्र ही एक नया कानून बनाने का है जिसमें एक संस्थान/उद्योग में एक सौदा एजेन्ट के प्रश्न सहित मालिक-मजदूर सम्बन्धों के सभी पहलू शामिल होंगे। प्रस्तावित कानून के उपबन्ध इस्पात उद्योग पर भी समान रूप से लागू होंगे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 28 जुलाई, 1978 को राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई है जिसमें इस्पात श्रमिकों के वेतन में संशोधन करने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा ।

बम्बई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

721. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचलित 12 मिलों के श्रमिकों ने 24 जून, 1978 को अपनी इन मांगों के समर्थन में एक दिन की हड़ताल की थी कि सेवा नियमित की जाए, भविष्य निधि की राशियों का भुगतान ठीक समय पर हो और प्रबन्ध में 'वास्तव में' उन्हें हिस्सा दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, बम्बई की राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिल्स के कर्मचारियों ने (i) सात महाराष्ट्र मिलों में, जो परिसमाप्त हो चुकी थी या जो न्यायालय के आदेशानुसार समाप्त की जा रही थी, ग्रेच्युटी की अदायगी के लिए पिछली सेवा को शामिल करने, (ii) राष्ट्रीयकरण से पहले और राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि के सम्बन्ध में भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी, (iii) महंगाई, खाद्य भत्ते की अदायगी आदि अपनी मांगों के सम्बन्ध में 24 जून, 1978 को एक दिन की हड़ताल की । उद्योग मंत्रालय इन मांगों पर विचार कर रहा है ।

Shortage of Telephone Lines in Karol Bagh and Jor Bagh Exchanges, Delhi and Non-Grant of Connections on Medical Grounds

†722. **Shri Ramjit Lal Suman :**
Shri Manohar Lal :
Shri S. S. Das :
Shri Govinda Munda :
Shri Sarat Kar :
Shri S. S. Somani :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there exists considerable shortage of telephone lines in Karol Bagh and Jor Bagh exchanges of Delhi;

(b) whether applications made on medical grounds on advice from Doctors for temporary telephone connections for 6 months which are admissible under the rules of the Ministry are rejected on the plea of shortage of telephone lines;

(c) the number of such applications received during 1977 and upto May, 1978 and the number of connections provided against them, the number of such connections granted on the recommendation of M.Ps. and Metropolitan Councillors with broad reasons for rejecting rest of them; and

(d) the remedial steps being taken in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir. The request for temporary telephones on medical grounds are being rejected in exchanges which are fully loaded.

(c) The number of applications received are given below :—

	1977	1978 (upto May, 1978)
(i) No. of applications for temporary connections.	2107	930
(ii) No. of temporary connections provided.	1272	507

The applications for temporary connections are received from the parties direct. In some cases recommendations are also received from M.Ps./Metropolitan Councillors, Municipal councillors and Members of Telephone Advisory Committee. Such connections are sanctioned on the merits of each case. Non-availability of capacity is the main reason for the rejection of individual cases.

(d) It is proposed to provide 10400 telephones during the remaining part of 1978-79 in order to sanction additional telephones.

Srimavo-Shastri Agreement

†723. **Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Srimavo-Shastri Agreement is not being implemented by Sri Lanka; and

(b) if so, what Government are doing against exploitation of people of Indian origins in Sri Lanka ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ईरान के शाह के साथ हुआ विचार-विमर्श

724. श्री वयालार रवि :

श्री के० कुन्हम्बू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने संसद सत्र के तुरन्त पश्चात ईरान की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तरन्त ही इस प्रकार की यात्रा करने क क्या कारण ह और किन अविलम्बिनीय विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) : जी, हां। ईरान सरकार के निमन्त्रण पर 27 से 28 मई, 1978 तक मने तेहरान की संक्षिप्त राजकीय यात्रा की थी। यह यात्रा विचारों के आदान-प्रदान की सतत प्रक्रिया का एक अंग थी। बातचीत म द्विपक्षीय हित के और क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों में व्यापक सहमति थी। इस यात्रा स अपने आपसी सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने और दोनों सरकारों के बीच इस प्रकार के विचार विनिमय को जारी रखने की आपसी सदृढ़ इच्छा व्यक्त हुई।

डाक्टरों द्वारा हड़ताल

725. श्री एस० एस० सोमानी :

श्री सी० के० जाफर सरीफ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक म्युनिसिपल डी० जी० एच० एस० तथा सी० जी० एच० एस० के डाक्टरों ने अपनी शिकायतों के बारे में सरकार को ज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या कुछ डाक्टरों ने जून, 1978 में हड़ताल भी की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के कुछेक संघों से उनके सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जून, 1978 के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सवा क किसी भी डाक्टर ने हड़ताल नहीं की थी। तथापि, दिल्ली नगर निगम के कुछेक डाक्टरों ने 16 जून से 20 जून, 1978 तक हड़ताल की थी।

(ग) दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों तथा नगर निगम डाक्टर संघ के बीच इस एक समझौते के फलस्वरूप दिल्ली नगर निगम के डाक्टरों ने हड़ताल वापस लें ली थी।

हज यात्रियों द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय तक ठहरना

726. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ हज यात्री जो सऊदी अरब जाते हैं वहां निर्धारित समय से अधिक समय तक ठहरते हैं ;

(ख) क्या वैध पत्रों के बिना समय से अधिक ठहरने के बारे में भारत सरकार को कोई शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जो भारतीय हज यात्री अभी भी ठहरे हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई औपचारिक शिकायतें नहीं मिली है ।

(ग) सऊदी अरब प्राधिकारियों द्वारा घोषित आम माफी के अन्तर्गत अवधि से अधिक रुकने वाले कुछ लोगों के प्रवास को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है और यथोचित छान-बीन के बाद उन्हें यात्री पासों के स्थान पर भारतीय पासपोर्ट जारी किए जा रहे है ।

Allowances to Homoeopathic Doctors

727. **Shri Manohar Lal :** Will the Minister of **Health & Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to give allowance in addition to the salary to a Homoeopathic doctors who is in Government service; and

(b) if not, the main reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) & (b) Yes, Homoeopathic Physicians (Re. 650-1200) in Central Government Health Scheme have been sanctioned non-practising allowance with effect from January 1, 1973 at the following rate :

Stages 1-8 Rs. 150/- p.m.

Stages 9-13 Rs. 200/- p.m.

Stages 14-16 Rs. 250/- p.m.

In addition, the Assistant Adviser (Homoeopathy) in the Ministry of Health & Family Welfare has been sanctioned non-practising allowance with effect from 29-6-1978 at the following rate :—

Stages 1-3 Rs. 250/- p.m.

Stages 4-6 Rs. 300/- p.m.

Stages 7-9 Rs. 350/- p.m.

Stages 10-11 Rs. 400/ p.m.

Telephone Connections Given in Delhi

†728. **Shri Manohar Lal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of telephone connections granted in Delhi in 1976-77 and 1977-78 and the details of Government's programme for granting new telephone connections in future for the convenience of the people;

(b) the total number of temporary connections granted during the aforesaid period and the number of applicants who have not yet been granted temporary connections and the main reasons therefor; and

(c) the details of Government's policy in regard to telephone connections, temporary and permanent, which have not been grated?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Total number of (Gross) telephone connections given in Delhi in

1976-77 = 20965

1977-78 = 12222

The details of tentative programme for providing new telephone connections during 1978-79 is given at Annexure-I.

(b) Total number of temporary connections provided during

1976-77 = 1727

1977-78 = 1739

The number of applicants who have not yet been granted temporary connections during

1976-77 = 886

1977-78 = 914

The temporary connections were not given due to lack of exchange capacity or due to non-bonafide requests.

(c) Applications for permanent telephone connections are registered categorywise like OYT, Non-OYT, General, Non-OYT Special etc. A waiting list is maintained under each of these categories. Connections are provided as and when feasible as per the position in the waiting list according to the rules made by the Department from time to time.

Special efforts are being made to provide telephone connections to all the existing applicants as early as possible. New exchanges are being established and existing ones expanded. It is hoped that position in this regard will improve considerably in next 3 to 4 years.

STATEMENT

(a) Tentative programme for provision of telephone connections during 1978-79.

Name of Exchange	No. of new connections expected to be given during the remaining part of the year 1978-79.
Shahdara East	400
Shahdara	500
Con. Place	800
Jorbagh	2200
Hauz Khas	2000
Okhla	1400
Janpath	200
Rajpath	500
Secretariat	100
Karolbagh	500
Rajouri Garden	350
Chanakyapuri .	350
Nehru Place	600
Idgah-II	500
Total	10,400

(b) Approximate No. of connections so far provided from April, 1978 to June, 1978 = 5000

उच्च जन्म दर

729. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में विद्यमान उच्च शिशु जन्म दर को, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, रोकने के लिए मार्च, 1977 से क्या कार्यवाही की है अथवा अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) समस्त परिवार कल्याण विभाग को निष्क्रिय करने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरुप जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है और जिसस आगामी वर्षों में राष्ट्र को गम्भीर खतरा होने की आशंका है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख): आम परिवार कल्याण कार्य अब एक व्यापक नीति के अभिन्न अंग के रूप में चलाया जा रहा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जच्चा-बच्चा देखरेख महिलाओं के अधिकार और पोषण जैसी सब बातें आ जाती हैं। सरकार की यह नीति है कि जोर-जबरदस्ती द्वारा इस कार्यक्रम को दूषित नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा और प्रेरणा क गहन अभियान चलाए गए ह और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं तथा बच्चों के स्वाथ्य सम्बन्धी सेवाओं में सुधार लाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश के सभी भागों में गर्भरोधन सम्बन्धी सलाह और सेवाएं मुफ्त और आसानी से सुलभ करने के प्रबन्ध कर दिए गए हैं। दायियों की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति सेवा सुविधाओं में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आपात स्थिति के दौरान हुई घटनाओं से इस कार्यक्रम का जो गम्भीर धक्का पहूंचा है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में जितनी मात्रा में कार्य हुआ है उसके कारण 1978-79 तक जन्म-दर को 30 प्रति हजार तक लाने के मूल लक्ष्य को 1982-83 तक के लिए रखा गया है। 1982-83 तक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक आपरेशनल कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत अगले पांच वर्षों में ढाई करोड़ स्वैच्छिक नसबन्दियां की जाएंगी, 50 लाख लूप पहनाए जाएंग और प्रति वर्ष औसतन 50 लाख व्यक्तियों को गर्भरोधक तरीके इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जायगा। राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि गर्भरोधक की विभिन्न विधियां और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों के लिए बतलाए गए कार्य-निष्पत्ति के स्तर पूरे हो जाए।

राज्यों में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उपलब्ध फील्ड मशीनरी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त यह प्रयास किया जा रहा है कि एक समन्वित कार्यक्रम के माध्यम से इस काम में स्वैच्छिक संगठनों और संगठित श्रम क्षेत्र की संस्थाओं का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए।

सरकार इस कार्यक्रम को फिर से गतिशील बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

जड़ी बूटियों स आयुर्वेदिक औषधियां बनाना

730. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों आयुर्वेदिक औषधियां बनाने के लिए मैदानी इलाकों में जाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधियों की प्रयोगशालाएं स्थापित न किए जा सकने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कोई ऐसी बाधाएं हैं जिनके कारण उद्योगपति ऐसे कारखाने मैदानी क्षेत्रों में स्थापित करते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) औषधीय जड़ी-बूटियां पहाड़ी और मैदानी दोनों स्थानो पर उगती हैं। चूंकि अधिकांश निर्माता एकक मैदानों में स्थित होते हैं, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ों से एकत्र की गई जड़ी-बूटियां इन एककों के पास पहुंच जाती हैं।

(ख) आयुर्वेदीय फार्मेसियां पहाड़ी और मैदानी दोनों स्थानों पर स्थित होती हैं। वैसे, चूंकि निर्माता एककों की स्थापता हेतु अपेक्षित सुविधाएं मैदानों में सरलता से उपलब्ध होती हैं, इसलिए, ये अधिकांश फार्मेसियां मैदानों म स्थित होती है। भारत सरकार ने भारतीय औषधियों के लिए रानीखेत में एक केन्द्रीय फार्मसी की व्यवस्था करने के लिए एक कम्पनी को

पंजीबद्ध किया है जिसका नाम भारतीय भेषजिक निगम लिमिटेड है। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनसन्धान परिषद ने भी उत्तर प्रदेश में तारीखेत के स्थान पर एक अनुसन्धान एकक की स्थापना की है जो औषधियों का अनुसन्धान कार्य करेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या और उनके लिए लम्बित आवेदन

731. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहे हैं;

(ख) 30 जून, 1978 को प्रत्येक राज्य में कुल कितने आवेदन इस प्रयोजन हेतु लम्बित थे ;

(ग) सभी आवेदको के एक वर्ष के भीतर ही टेलीफोन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है;

(घ) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में 30 जून 1978 तक केन्द्रवार किस तारीख तक की पंजीकरण संख्याओं को टेलीफोन दे दिये गये है; और

(ङ) वर्ष के शेष भाग में दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक केन्द्र में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेवभाय) : (क) 31-5-78 की स्थिति के अनुसार काम कर रहे कनेक्शनों (सीधी एक्सचेंज लाइनें) की कुल संख्या–1735149.

(ख) 31-5-78 की स्थिति के अनुसार अनिर्णित पड़ी अर्जियो की कुल संख्या 202694 है। अनिर्णित प्रतीक्षा सूची के राज्यवार आकड़े [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2428/78**] अनुबंध-1 में दिए गए हैं। 30 जून, 1978 की स्थिति के अनुसार सुचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रतीक्षा कर रहे सभी आवेदकों को एक वर्ष के भीतर कनेक्शन देना संभव नहीं है। प्रयास किये जा रहे हैं और आशा की जती है कि 1980-81 के अन्ततक टेलीफोन के मौजूदा आवेदकों में से अधिकांश को टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे फिर भी कुछ बड़े शहरों और महानगरों में ऐसा करना संभव नहीं होगा। आशा है कि ऐसे मामलों में भी 1983 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

(घ) अपेक्षित सूचना [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2428/78**] अनुबंध-II में दी गई है।

(ङ) अपेक्षित सूचना [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2428/78**] अनुबंध-III में दी गई है ।

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

732. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1977 से 30 जून, 1978 के लिए औद्योगिक श्रमिको (आधार 1960=100) के अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता के महीने वार और 12 महीने की औसतन मूल्य सूचकांक के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक को वर्ष 1971 के मूल्य सूचकांक में परिवर्तित किया जाएगा, यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सलाह ली गई है यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पुराने सूचकांक और नये सूचकांक में क्या अन्तर है और वर्ष 1960 के सूचकांक को 1971 के सूचकांक में परिवर्तित करने का क्या फार्म्यूला है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अप्रैल, 1977 से मई, 1978 के महीनों के सम्बन्ध सूचना दर्शानेवाला विवरण संलग्न है। जून 1978 माह की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : न मामलों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समिति (राठ समिति) की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए विचार किया जाएगा।

विवरण

औद्योगिक श्रमिकों के (1960=100 को आधार मानकर) अखिल भारतीय औसत सूचकांक (सामान्य) और बारह मास की परिवर्ति औसत का विवरण।

मास	मासिक सूचकांक		बारह मास की परिवर्ति औसत	
	1977	1978	1977	1978
जनवरी	..	325	..	322.58
फरवरी	..	320	..	323.42
मार्च	..	321	..	324.17
अप्रैल	313	322	303.00	324.92
मई	318	323	305.33	325.33
जून	320	..	307.75	..
जुलाई	325	..	310.08	..
अगस्त	327	..	312.50	..
सितम्बर	331	..	314.92	..
अक्तूबर	330	..	317.08	..
नवम्बर	330	..	319.08	..
दिसम्बर	330	..	321.08	..

दिल्ली टेलीफोन विभाग में तकनीशियन

733. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन जिले में एक्सचेंज वार तकनीशियनो को कुल मंजूरशुदा संख्या क्या है और वस्तुतः कितने तकनीशियन कार्य कर रहे है और कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ; और

(ख) दिल्ली में टेलीफोन क्षति के व्यापक विकास को ध्यान में रखते हूए दिल्ली में तकनीशियनों की संख्या में बृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) (i) दिल्ली टेलीफोन जिले में तकनीशियनो की कुल स्वीकृत संख्या=1542.

(ii) वास्तव में काम कर रह तकनीशियनों की संख्या=1490 एक्सचेन्ज वार स्थिति अनुबन्ध में दिखाई गई है **[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 2428/78]**

(ख) मौजूदा मानदन्डो और हिदायतों के अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि करने के कदम उठा जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :--

(i) 1978 के दौरान भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवार=91

(ii) प्रशिक्षणाधीन उम्मीदवार=166

(iii) प्रशिक्षण की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार=53.

हिन्दी में टेलीफोन निर्देशकाओं (डायरेक्टरी) का प्रकाशन

734. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न टेलीफोन निर्देशकाएं (हिन्दी और अंग्रेजी) किन-किन तारीखो को प्रकाशित की गई थी;

(ख) इनके अगले संस्करण कब तक प्रकाशित किए जाएंगे और वे किस तारीख तक संशोधित होंगे; और

(ग) टेलीफोन निर्देशकाओं को प्रति वर्ष समय पर प्रकाशित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) : टेलीफोन जिलों में टेलीफोन डाइरेक्टरियों के प्रकाशन का ब्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2430/78]** । इसके अलावा विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में 146 मण्डल हैं जो प्रति वर्ष एक बार डाइरेक्टरियां प्रकाशित करते है।

(ग) टेलीफोन डाइरेक्टरियों के समय पर प्रकाशन में मुख्य बाधा देश में ऐसे प्रिन्टिग प्रेसों की संख्या सीमित होना है, जो इस प्रकार के काम को निर्धारित समय सीमा के भीतर कर सकने में समर्थ है। समय पर उचित किस्म के कागज को सामान्यतया कमी होने से भी निर्धारित तारीख को प्रकाशन पर असर पड़ता है । यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं कि इनका प्रकाशन यथा संभव समय पर हो ।

विदेश मंत्री द्वारा चीन की यात्रा

735. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री दुर्गा चन्द्र :

क्या **विदेशी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे इस कलैन्डर वर्ष के दौरान सरकारी आमन्त्रण पर पीकिंग का दौरा कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कितने दिन के लिए ;

(ग) क्या पीकिंग में चर्चा के लिए विषयों का चुनाव कर लिया गया है, और उन्हें तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) वर्ष, 1978 के प्रथम 6 महीनों में भारत-चीन सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में उठाये गए कदमों/उपायों/घटनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्ड) : (क) से (ग) : चीन लोक गणराज्य के विदेश मंत्री द्वारा चीन की यात्रा के लिए दिए गए निमंत्रण को विदेश मंत्री ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। यद्यपि यात्रा का निश्चित समय और उद्देश्य दोनों सरकारों की परस्पर सुविधा पर निर्भर करेगा, फिर भी उम्मीद की है कि यह यात्रा आगामी महीनो में की जाएगी । यह यात्रा सम्बन्धों को सामान्य बनाने और उनमें सुधार करने की प्रक्रिया का एक भाग होगी । यात्रा के कुछ दिन पूर्व उसके लिए आवश्यक तैयारियां की जायेंगी ।

(घ) 1978 के पूर्वार्द्ध में परस्पर लाभदायक चालू प्रक्रिया का विस्तार भारतीय पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमण्डल की चीन की यात्रा, भारतीय व्यापार संस्थानों के प्रतिनिधियों की स्प्रिग 1978 कैन्टन फैयर की यात्रा और कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहे कार्यात्मक आदान-प्रदान के रूप में किया गया । इसके प्रत्युत्तर में चीन में मार्च, 1978 में वांग पिंग-नान के नेतृत्व में सी० बी० ए० एफ० एफ० सी० के एक सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल को भारत भेजा, फरवरी, 1978 में चीन के आयात-निर्यात निगमों का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया और चीन ने भारत में सांस्कृतिक घटनाओं में भाग लिया ।

मलेरिया की बढ़ी हुई घटनाएं

736. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
डा० बापू कालदाते :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों से देश में मलेरिया रोग की घटनायें तेजी से बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी, द्रुत उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां, देश के कुछ भागों में ।

(ख) 1976, 1977 और 1978 में देश में मलेरिया के प्रकोप के राज्यवार आंकड़ों का एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2431/78]

(ग) इस वृद्धि के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) देश के कुछ भागों में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० के प्रति प्रति-रोधक क्षमता।

(2) देश के पूर्वी भाग के कुछ जिलों में मलेरिया परजीवियों में क्लोरोक्वीन हजम करने की शक्ति उत्पन्न होना।

(3) धन की कमी के कारण यूनिटों को समय पर उचित किस्म की कीटनाशक दवाइयों की अपर्याप्त सप्लाई और देशी कीटकनाशक दवाइयों का उपलब्ध न होना।

(4) अपने घरों में कीटनाशक दवाइयां छिड़कवाने म गांव वालों द्वारा अवहेलना किया जाना।

(5) भारत सरकार ने एक संशोधित कार्य योजना की मंजूरी दे दी है। जिसे 1-4-1977 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस संशोधित कार्य योजना की मुख्य मुख्य बाते संलग्न विवरण में दे दी गई हैं [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2431/78]। इसके अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

(I) बुखार वाले रोगियों को मलेरिया रोधी दवाइयां बांटने के काम में पंचायतों तथा स्कूल अध्यापकों को लगाया गया है।

(II) रक्त लेपों का परीक्षण करने के लिये सरकारी मेडिकल कालेजों के जीव-विज्ञान के विद्यार्थियों का सहयोग लिया गया है।

(III) विस्तृत प्रचार के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा का गहन प्रचार किया गया है। रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों द्वारा सिनेमा स्लाइड दिखाकर फोल्डर एण्ड बिल बांट कर तथा पोस्ट कार्डों और अन्तर्देशीय लिफाफों पर मलेरिया रोधी संदेश छपवा कर यह प्रचार किया जाता है।

(IV) विश्व स्वास्थ संगठन के सहयोग से उत्तर-पूर्वी राज्यों में 30-9-1977 से पी० फालसोपरम नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है। यह कार्यक्रम अब सात अन्य राज्यों के 37 जिलों में भी चलाया जा रहा है।

(V) मलेरिया में बुनियादी और आपरेशनल दोनों प्रकार का अनुसंधान कार्य करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

(VI) देश में लगभग 2 लाख औषधि वितरण केन्द्र और दवा उपचार डिपो खोल दिये गये हैं।

वर्ष 1979 में विशेष स्मारक टिकटे जारी किया जाना

737. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 में जारी किये जाने वाले विशेष स्मारक टिकटों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सूचियों पर कब और कैसे चर्चा की जायेगी तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जायेगा ; और

(घ) क्या उक्त स्मारक टिकटों के लिये नामों और अवसरों को निर्धारित और चुनने हेतु कोई कसौटी विद्यमान है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) : जी नहीं। जारी करने के लिए अब तक स्वीकृत डाक टिकटों की सूची संलग्न है (अनुबंध-1)।

(ग) स्मारक और विशेष डाक टिकट जारी किये जाने संबंधी निर्णय पिलैटली सलाहकार समिति की सिफारिशों पर लिया जाता है। इस समिति की बैठक हर तिमाही में होती है।

(घ) स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने संबंधी नीति निर्देश संलग्न हैं। (अनुबंध-2)

विवरण 1

1979 में जारी किये जाने वाले स्मारक/विशेष डाक टिकटों की अस्थायी सूची

क्रम संख्या	डाक टिकटों का ब्यौरा	टिकटों की संख्या
1	भारत म उड़ान और ग्लाइडिंग	1
2	पंजाब रेजिमेंट	1
3	पोस्टकार्ड की शताब्दी	1
4	बड़े बान्धों पर 13 वां अन्तर्राष्ट्रीय आयोग	1
5	अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष	2

विवरण 1—जारी

क्रम संख्या	डाक टिकटों का ब्यौरा	टिकटों की संख्या
	विशेष डाक टिकट	
	निम्नलिखित म से दो या तीन डाक टिकट माला :	
1	भारतीय जन-जातियां	4
2	भार ीय नव-वधुएं	4
3	भारतीय त्योहार	4
4	फूल वाले भारतीय वृक्ष	4

विवरण 2

स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने के लिए नीति-निर्देशक सिद्धान्त

1. प्रस्ताव काफी पहले अर्थात् जारी करने की प्रस्तावित तारीख से करीब एक वर्ष पहले भेजे जाने चाहिए, ताकि योजनाबद्ध कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में प्रस्ताव की समुचित जांच, डिजाइन करना, अनुमोदन, घोषणा, छपाई और सप्लाई की जा सके ।

2. जीवित व्यक्ति का सम्मान करने की दृष्टि से स्मारक डाक टिकट जारी नहीं किया जाना चाहिए।

3. जिन गणमान्य व्यक्तियों पर स्मारक डाक टिकट जारी किये जाएं वे राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए और डाक टिकट निकालने का वह अवसर साधारण तथा जन्म-शताब्दी या 10 वीं/25वीं/50वी/100वीं बरसी होना चाहिए । बहुत ही अपवादात्मक मामलों में गणमान्य व्यक्ति की पहली बरसी पर स्मारक डाक टिकट जारी किये जा सकते हैं।

4. किसी संस्थान की स्मृति में साधारणतया तब तक कोई डाक टिकट जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक वह अवसर उसकी शताब्दी का न हो ।

5. डाक टिकट जारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की घटनाओं पर ही विचार किया जाना चाहिए, कम महत्व वाले अवसरों की स्मृति में विशेष कैंसीलेशन कि व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. एक वर्ष में जारी किये जाने वाले स्मारक/विशेष डाक टिकटों की संख्या लगभग 40 होनी चाहिए और इन डाक टिकटों में से गणमान्य व्यक्तियों पर निकाले जाने वाले डाक टिकटों की संख्या लगभग 10 हो ी चाहिए ।

7. ये नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तावों की जांच करने के लिए फिलैटली सलाहकार समिति के सामान्य मार्ग-दर्शन के लिए हैं और अपवादात्मक मामलों में उनकी सिफारिशें करने में समिति के स्वविवेक में ये बाधक नहीं बनते ।

हड़तालें और तालाबन्दियां

738. **श्री समर गुहा :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में समस्त देश में श्रमिक असन्तोष क मामलों म वृद्धि हूई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में हड़तालों, तालाबंदियों और अन्य श्रमिक समस्याओं के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : जी नहीं। सहयोग का वातावरण बढ़ रहा है लकिन पिछले तीन महीनों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अनेक राज्यों से रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Registration on the Basis of Homoeopathic Diploma

739. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the State Governments have discontinued the registration which used to be done on the basis of Homoeopathic diploma and experience; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which this practice will be resumed ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b) : Government is not aware of any State Government/State Board discontinuing the registration of practitioners in Homoeopathy who hold recognised diplomas in Homoeopathy. After the Homoeopathic Central Council Act, 1973, came into effect in the States, the State Boards are required to register only those practitioners in Homoeopathy who possess recognised medical qualifications including those given in the 2nd and 3rd Schedule to the Homoeopathic Central Council Act, 1973, because only those who fulfil these conditions are entitled to practise Homoeopathy in the State. These restrictions do not, however, apply to those who have already enrolled on the State Registers prior to the enforcement of the Homoeopathy Central Council Act, 1973. The question of revoking these Statutory requirements, therefore, does not arise.

समुद्र तल से खनिज पदार्थ निकालने की योजना

740. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र तल से जस्ता जैसे खनिज पदाथ निकालने के लिये कोई योजना तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कौन कौन से खनिज पदार्थ कितनी मात्रा में निकाले जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Fire in Pant Hospital, Delhi

741. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the causes of fire in operation theatre of the Pant Hospital, Delhi on 15th May, 1978;

(b) the outcome of the inquiry made in this regard; and

(c) the amount of loss suffered as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b) : The Delhi Administration has constituted an Inquiry Board to find out the cause of the fire in operation theatre of the Pant Hospital, Delhi. The Board is finalising its report.

(c) According to preliminary estimates the extent of the loss is about Rs. 70,000.00.

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी के विरुद्ध जांच

742. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सुबीमल दत्त ने, जिन्हें सरकार ने रेडक्रास के राहत कार्य के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये नियुक्त किया था, उक्त कार्य करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य से इंकार करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बीच कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : भारतीय क्रास सोसाइटी की प्रबंध समिति के अनुरोध पर श्री सुबिमल दत्त ने रेड क्रास के राहत कार्यों से संबंधित कतिपय तोपों की जांच दिसम्बर, 1977 में शुरू की थी । जांच करने के दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि चूंकि उनका नाम -विवाद का विषय बन गया है, इसलिए वह जांच जारी नहीं रखना चाहेंगे । इसलिए वह 10 फरवरी, 1978 से जांच अलग हो गये ।

(ग) और (घ) : भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की प्रबंध समिति ने यह संकल्प पारित किया है कि उनके स्थान पर ीय सतर्कता आयुक्त श्री एम० जी० पिम्पुटकर से जांच करने के लिए अनुरोध किया जाए । प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त गई उप-समिति ने प्रस्तावित जांच के विचारार्थ विषय तैयार कर लिए हैं ।

भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के दौरे

743. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने गत वित्तीय वर्ष के आरंभ से अब तक लखनऊ और उत्तर प्रदेश अन्य भागों के कितने बार दौरे किये ;

(ख) उनमें से कितने दौरे सरकारी थे और कितने निजी ; और

(ग) सरकार एवं निजी दौरों के दौरान मंत्री महोदय को और उनके साथ गये स्टाफ को यात्रा भत्ते और दैनिक की कितनी राशि अदा की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क)

लखनऊ के दौरों की संख्या	22
उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में किए गये दौरों की संख्या . .	20
दौरों की कुल संख्या	42

(ख) भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री राजनारायण ने अभी तक किसी भी यात्रा भत्ता/दैनिक का दावा नहीं किया है । इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी दौरों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भूतपूर्व मंत्री के दौरों में विमान से की गई उन यात्राओं के लिए अब तक 6920/- रुपये की रकम का भुगतान गया है जिन्हें उनकी वैयक्तिक स्टाफ द्वारा सरकारी प्रमाणित किया गया था ।

जो वैयक्तिक कर्मचारी भूतपूर्व मंत्री के साथ उपर्युक्त दौरों पर गए थे, उनके यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों के दावों ब तक 8248.05 रुपये की रकम का भुगतान किया गया है।

दूरवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

744. **श्री राजकृष्ण डान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दूर तथा अलग अलग स्थानों पर रहने वाली हमारी अधिकांश जनता को चिकित्सा सुविधाएं लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या उपरोक्त समस्या के समाधान के अंग के रूप में ग्रामीण छात्रों के लिए मेडिकल कालेजों में एक निश्चित तथा अनेक छात्रवृत्तियां आरक्षित करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत सरकार ने ोजना चलाई है जिसके अन्तर्गत एक हजार तक की ग्राम जन संख्या के पीछे एक जन स्वास्थ्य रक्षक होगा जो लोगों जानकारी देकर उनकी मदद करेगा कि वे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और उन्हे क्या-क्या परहेज करना है । साथ ही छोटी-मोटी बीमारियों का भी वह इलाज करेगा । यह योजना 2 अक्तूबर, 1977 को 741 चुनिंदा प्राइमरी सैन्टरों में चलाई गई थी । जन स्वास्थ्य रक्षकों के तीन बैचों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और चौथा बैच प्रशिक्षण ा है । सरकार का विचार है कि देश में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक मेडिकल कालेज के साथ 3 प्राइमरी न्टर लगा दिये जायें । इन प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों के लिए एक-एक मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था करने का भी

विचार है जो दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डाक्टरों और इन मेडिकल कालेजों के संकाय-सदस्यों की विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता दिलायेंगे। इससे इन डाक्टरों, संकाय के सदस्यों तथा मेडिकल छात्रों को भी लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत होने का अवसर मिलेगा और इन समस्याओं को हल करने के लिए वे अपने-आप को ठीक तरह से लेस कर सकेंगे।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। वैसे जिन एम० बी० बी० स० डाक्टरों ने कम से कम दो वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है उनके लिए केन्द्रीय संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटें सुरक्षित करने की एक योजना है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अधिकारियों की नियुक्ति

745. **श्री राजकृष्ण डान** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में प्रान्तीय भावना बहुत प्रबल है क्योंकि प्रबन्धकों द्वारा कुछ स्थानीय अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है ताकि उनके स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सके जो वहां के नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखान में इस प्रकार की प्रान्तीयता की भावना का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की अपर्याप्त सप्लाई

746. **श्री राजकृष्ण डान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाली दवाइयों अपर्याप्त हैं और समय पर नहीं दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो दवाइयों की समय पर सप्लाई करके स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सप्लाई की गई दवाइयों में से काफी मात्रा में दवा यों रोगियों को मिलने की अपेक्षा कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा खुले बाजार में बेची जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कथित कदाचारों को स्थायी रूप से रोकने के लिए सरकार ने क्या सक्रिय उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जिन कुछेक दवाइयों की सप्लाई बाजार में आमतौर पर कम होती है, उन की कभी-कभी थोड़ी अवधि के लिए कमी को छोड़ कर, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं होती है।

(ग) और (घ) : यह आरोप सही नहीं है। फिर भी, जब कभी इस किस्म का कोई कदाचार सरकार के ध्यान में आता है तो उचित जांच-पड़ताल करने के बाद उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जाती है।

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

747. **श्री राजकृष्ण डान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चयन किये गये सरकारी कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर कभी-कभी परेशान किया जाता है और विलम्ब से नियोजित होने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि दिल्ली में चिकित्सा जांच के लिए केवल एक अस्पताल प्राधिकृत है जहां हमेशा भीड़ रहती है ; और

(ख) क्या अन्य सरकारी अस्पतालों तथा प्राइवेट डाक्टरों को गैर-तकनीकी उत्तरदायी पदों के लिए इस प्रकार प्राधिकृत करना सम्भव नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिल्ली में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी राजपत्रित अधिकारियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए दो बोर्ड विद्यमान है—एक

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तथा दूसरा सफदरजंग अस्पताल में है। 'घ' समूह के पदों के अतिरिक्त अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक स्थायी मेडिकल बोर्ड है। 'घ' समूह के पदों लिए किसी नजदीकी अस्पताल अथवा डिस्पेन्सरी के वे प्राधिकृत चिकित्सक अथवा चिकित्सा अधिकारी जिनके पास विहित योग्यता है, स्वास्थ्य परीक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य परीक्षा के सभी अनुरोधों को स्वास्थ्य परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा उम्मीदवारों को तद्नुसार तारीख दी जाती है। उम्मीद्वार को परेशान करने सम्बन्धी ऐसा कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) यदि आवश्यक समझा गया तो अन्य सरकारी अस्पतालों को अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्राधिकृत करना सम्भव है। किन्तु प्राइवेट डाक्टरों को इसके लिए प्राधिकृत करना ठीक नहीं समझा जाता है।

तीन देशों की समुद्री सीमा का करार

748. **श्री सी० आर० महाटा :**
श्री अहमद एम० पटेल :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में तीन देशों की समुद्री सीमा में करार का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) जी, हां। अण्डमान सागर में अपनी सागर-तल सीमाओं के त्रिसंगम को निश्चित करने के लिए 22-6-1978 को भारत, इण्डोनेशिया और थाइलैण्ड ने एक करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(ख) चूंकि यह करार अनुसमर्थन के अधीन है, इस लिए इसका ब्यौरा बताया नहीं जा सकता।

ग्रामों में पूर्ण स्तर के डाकघर खोलना

749. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार** मंत्री 4 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में लगभग ऐसे 15,000 ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में पूर्ण स्तर के डाकघर खोलने के लिए अब तक कोई चरणवार कार्यक्रम तैयार किया गया है जिनमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीस वर्षों की लम्बी अवधि के पश्चात् भी अभी तक डाकघर नहीं खोले गए; ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन कारणों को दूर करने के लिए गत तीन महीनों की अवधि में विशेष कर क्या प्रयत्न किये गए है; और

(ग) किसी ग्राम पंचायत में से पूर्ण स्तर का डाकघर खोलने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) : ग्रामीण इलाकों में जिनमें ग्राम पंचायत वाले ग्राम शामिल हैं, अनुबन्ध में दिए गए कुछ निर्धारित मानदन्डों को पूरा करने पर डाकघर खोले जाते हैं।

ग्राम पंचायत वाले ऐसे ग्रामों में, जो निर्धारित मानदन्डों को पूरा करेंगे, विभिन्न चरणों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

(ग) ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में डाकघर खोलने के बारे में इस समय अलग से कोई मानदण्ड नहीं है।

विवरण

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिये शर्तें

देहाती इलाकों के लिए

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों का वर्गीकरण नीचे लिखी आठ श्रेणियों में किया गया है :—

(1) आर्थिक दृष्टि से लाभ कर या आत्मनिर्भर

विवरण--जारी

(2) चन्दे के भुगतान पर खोला जाने वाला

(3) दो हजार या इससे अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में खोला जाने वाला

(4) दो हजार या इससे अधिक की जनसंख्या वाले गांवों के मिले जुले समूह के लिए खोला जाने वाला

(5) दो हजार से कम की जनसंख्या वाले गांव या मिले जूले गांवों के समूह के लिए खोला जाने वाला

(6) उन गांवों में खोला जाने वाला डाकघर जो तहसील, तालुका, थाना आदि जैसे प्रशासनिक यूनिटों के मुख्यालय हो

(7) उन गांवों में खोला जाने वाला डाकघर जो सामुदायिक परियोजना के मुख्यालय हों या जहां जिला बोर्डों, स्थानिय बोर्डों द्वारा संचालीत स्कूल हों, या प्राइवेट पार्टियों द्वारा संचालित ऐसे स्कूल हों जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिलती हों या जहां खण्ड मुख्यालय हों।

(8) उन इलाकों में खोला जाने वाला डाकघर जो डाक सुविधाओं के विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े इलाके निर्धारित किये गए हों।

उपयुक्त श्रेणियां तत्कालीन परिवहन और संचार मंत्रालय के पत्र संख्या 1-16/56 प्लानिंग तारीख 18-2-59 में निर्धारित की गई हैं। सभी श्रेणियों में डाकघर खोलने के सभी प्रस्तावों में कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक है। इसके बाद ही वहां डाकघर खोला जा सकता है। सामान्य शर्तों के अलावा कुछ श्रेणियों के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें भी हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है। शर्तों की दो श्रेणियों के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं;

(क) सभी प्रस्तावों पर लागू शर्तें :

(1) यदि कोई प्रस्ताव श्रेणी (1), (2), (6), (7) या (8) में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आता हो तो 3.2 किलोमीटर (2 मिल) की दूरी के अन्दर कोई डाकघर नहीं खोला जा सकता।

(2) यदि कोई प्रस्ताव श्रेणी (3) या (4) या (5) में से किसी श्रेणी के अन्तर्गत आता हों, तो मौजूदा डाकघर से 4.8 किलोमीटर या तीन मिल के भीतर कोई डाकघर नहीं खोला जा सकता।

टिप्पणी :—महानिदेशक, विशेष मामलों में उदाहरण के लिए यदि सबसे पास के मौजूदा डाकघर और प्रस्तावित डाकघर के बीच कोई प्राकृतिक बाधा जैसे की नदी हो जिस पर पूल न हो या पहाड़ या बीच म जंगल हो तो दूरी की शर्त में ढील दे सकते हैं।

(3) श्रेणी-2 के अन्तर्गत आने वाले प्रस्ताओं के अलावा डाकघर खोलने के किसी प्रस्ताव को तब तक मंजूरी नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रस्तावित डाकघर से उसके अनुमानित खर्च के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर अनुमानित राजस्व या न्यूनतम आमदनी होने की गारन्टी न हो।

टिप्पणी (1) : सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाने वाले डाकघरों के लिए न्यूनतम आमदनी की गारन्टी लेने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी (2) : अत्यन्त पिछड़े इलाके में न्युनतम आमदनी की गारन्टी प्रस्तावित डाकघर के अनुमानित खर्च की 15 प्रतिशत है।

टिप्पणी (3): पहाड़ी इलाकोंमें (श्रेणी कोई भी हो) न्यूनतम आमदनी की गारन्टी अनुमानित खर्च की 10 प्रतिशत है।

(4) चन्दे के आधार पर खोले जाने वाले प्रस्ताओं के मामले को छोड़ कर अन्य सभी प्रस्ताओं में नया डाकघर खुलने से उसके मूल डाकघर को 500 रुपये की स्वीकाय सीमा से अधिक घाटा नहीं होना चाहिए।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के लिये लागू होने वाली विशेष शर्तें :

(क) श्रेणी (1) : आर्थिक दृष्टि से लाभकर या आत्मनिर्भर :

(1) अनुमानित आमदनी अनुमानित खर्च के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए।

(2) मूल डाकघर भी आत्मनिर्भर होना चाहिए।

(ख) श्रेणी (2) : चन्दे के आधार पर खोले जाने वाले डाकघरों को "सामान्य हित" या "सीमित हित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिसकी व्याख्या नीचे दी गई है।

(1) वह डाकघर "सामान्य हित" में है जब दूरी और जनसंख्या के निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत उसका औचित्य सिद्ध होता हों चाहें वित्तीय मानदण्डों के अनुसार उसका औचित्य सिद्ध न होता हो।

विवरण- -जारी

(2) वह डाकघर "सीमित हित" में होगा जब वह सरकारों को निश्चित आवश्यकताओं, व्यक्तियों, वाणिज्यिक हित की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया हो या उन स्थानों पर खोला गया हो जहां निर्धारित मानदंडों के आधार पर उसे खोलने का औचित्य सिद्ध न होता हो ।

"सामान्य हित" में खोले गए डाकघर के मामले में वसूल की जाने वाली चन्दे की रकम वह होगी जो जिस श्रेणी में वह डाकघर अन्यथा खोला गया होता, उस श्रेणी के लिए निर्धारित घाटे की स्वीकार्य सीमा से अतिरिक्त होगी।

जहां तक "सीमित हित" में खोले गए डाकघर का सम्बन्ध है चन्दे की रकम वह रकम होगी जो प्रस्तावित डाकघर के सम्पूर्ण अनुमानित घाटे की रकम के बराबर होगी । इसके लिए शर्त यह भी है कि यह रकम प्रस्तावित डाकघर की सम्पूर्ण लागत से अधिक नहीं होंगी ।

टिप्पणी :' यदि प्रस्तावित डाकघर का मूल डाकघर चन्दे के आधार पर खोला गया हो तो प्रस्तावित डाकघर या ऐसे मूल डाकघर के लेखा क्षेत्र में आने वाला कोई अन्य डाकघर चन्दे के आधार पर नहीं खोला जा सकता ।

(ग) श्रेणी (3) : 2,000 या इसके अधिक की जनसंख्या वाले गांव में खोला जाने वाला डाकघर :—

वार्षिक घाटा 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(घ) श्रेणी (4)—दो हजार या इससे अधिक की जनसंख्या वाले मिले जुले गांवों के समुह के लिए खोला जाने वाला डाकघर ।

(1) इस श्रेणी के अन्तर्गत डाकघर खोलने के प्रस्ताओं के प्रयोजन के लिए एक समुह में रखे जाने वाले गांव प्रस्तावित डाकघर से दो मिल (3.2 कि० मी०) की अरीय दूरी के भीतर होनी चाहिए ।

(2) वार्षिक घाटा 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ङ) श्रेणी (5) दो हजार से कम की जनसंख्या वाले मिले जुले गांवों के समुह या गांव के लिए खोला जाने वाला डाकघर ।

(1) यदि बीरल जनसंख्या और दूर-दूर बसे गांवों के कारण दो मिल (3.2 किलो मिटर) के घेरे के भीतर दो हजार की जनसंख्या के गांवों का समुह बनाना सम्भव न हो तो सर्किल अध्यक्ष अपने विवेक से इस श्रेणी के अन्तर्गत डाकघर खोल सकते हैं ।

वार्षिक घाटे की रकम 500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(च) श्रेणी (6) उन गांवों में खोला जाने वाला डाकघर जो तहसील तालुका, थाना आदि जैसी प्रशासनीक यूनिटों के मुख्यालय हों ।

वार्षिक घाटे 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(छ) श्रेणी (7) : उन गांवों में खोला जाने वाला डाकघर जो सामुदायिक परियोजनाओं के मुख्यालय हों या जह जिला बोर्डों, स्थानीय बोर्डों द्वारा संचालित स्कूल हों या प्राइवेट पार्टियों द्वारा संचालित ऐसे स्कूल हों जिन्हे राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता मिलती हों या जहां ब्लाक मुख्यालय हों ।

(1) यदि दो मीलके घेरे के भीतर डाकघर से सेवा पाने वाली जनसंख्या दो हजार या इससे अधिक हो तो वार्षिक घाटे की रकम 750 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(2) यदि दो मील के घेरे के भीतर सेवा पाने वाली जनसंख्या दो हजार से कम हो तो वार्षिक घाटे की रकम 500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ज) श्रेणी (8) : उन इलाकों में खोला जाने वाला डाकघर जो डाक सुविधाओं के विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े इलाके घोषित किये गये हों ।

(1) यदि सबसे पास के डाकघर से प्रस्तावित डाकघर की दूरी कम से कम 3.2 कि० मीटर (2 मील) हो तो सार्किल अध्यक्ष और महानिदेशक की शक्तियों के अन्तर्गत घाटे की स्वीकार्य सीमा क्रमश: एक हजार रुपये और दो हजार पांच सौ रुपये है ।

टिप्पणी : चूंकि मूल डाकघर के अधिकतम घाटे की रकम 500 रुपये और प्रस्तावित डाकघर की अधिकतम वार्षिक घाटे की रकम 2,500 रुपये निश्चित की गई है, इसीलिए इस श्रेणी के अन्तर्गत डाकघर इस शर्त पर खोला जा सकता है, कि प्रस्तावित डाकघर और मूल डाकघर का मिला जुला कुल घाटा 3,000 रुपये से अधिक न होता हो चाहे मूल डाकघर का वार्षिक घाटे का हिस्सा 500 रुपये से कम हो या अधिक हो ।

विवरण--जारी

शहरी इलाकों के लिये :

इस शर्त को छोड़कर अन्य कोई शर्त नहीं है कि प्रस्तावित डाकघर को आत्मनिर्भर होना चाहिए और वहां रोजाना कम से कम पांच घण्टे का काम होना चाहिए ।

जमा राशियों पर ब्याज-दर में वृद्धि

750. **श्री चित्त बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री जमा राशियों पर ब्याज-दर में वृद्धि के बारे में 20 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7603 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नें जमा राशियों पर ब्याज-दर में वृद्धि तथा अंशदाताओं को ऋण आदि देने सम्बन्धी अन्य परिवर्तनों के बारे में भविष्य निधि बोर्ड की सिफारिशों पर कोई निष्कर्ष इस बीच निकाल लिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) तथा (ख) : सरकार ने कर्मचारी भविष्यनिधि के अंशदाताओं को वर्ष 1978—79 में लिए 8% प्रति वर्ष की अनंतीम दर से ब्याज का भुगतान करना मंजर किया है । अंशदाता सदस्यों को पेंशगी की मंजूरी में उदारता सम्बन्धी प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

भविष्य निधि सम्बन्धी मामलों के लिए विशिष्ट न्यायालय की स्थापना

751. **श्री चित्त बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि सम्बन्धी मामलों के बारे में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां तो इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की जाए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भविष्य निधि सम्बन्धी मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रत्येक जिले में मामलों की संख्या के बारे में केंन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सूचना प्राप्त की जा रही है । आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

सिरिमावो-शास्त्री समझौता

752. **श्री चित्त बसु :**

श्री ओ० वी० अलगेशन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 के सीरिमाओ-शास्त्री समझौते का कार्यकरण सरकार के लिए संतोषजनक रहा है ;

(ख) भारतीय मूल के कितने व्यक्ति यों को आज तक श्रीलंका की राष्ट्रीयता प्रदान कर दी गई है ;

(ग) भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को अब तक स्वदेश भेज दिया गया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार समझौते का पुनर्विलोकन करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द कुण्डू) : (क) जी हां ।

(ख) इस करार के अधीन 31—5—1978 तक भारतीय मूल के 129722 व्यक्तियों को (उनकी प्राकृतिक वृद्धि को छोड़ कर) श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई थी ।

(ग) इस करार के अधीन 31—5—1978 तक भारतीय मल के 226927 व्यक्तियों को (उनकी प्राकृतिक वृद्धि को छोड़ कर) भारत प्रत्यावर्तित किया गया है ।

(घ) और (ङ) : जी नहीं, लेकिन दोनों सरकारों ने इस करार क कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक उच्च स्तरिय समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है ।

चीन के उप-प्रधान मंत्री द्वारा कश्मीर के बारे में वक्तव्य

753. **श्री जनार्दन पुजारी :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन के उप-प्रधान मंत्री द्वारा कराची में दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 21 जून 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "चायना रीइटेरेटस काश्मीर स्टैन्ड" शीर्षक से छपा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) चीन अपने रवैये को इससे पहले भी इसी रूप में अभिव्यक्त कर चुका है । इस अवसर पर चीन के राजदूत से यह कह दिया गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है । यह बहुत पहले ही भारत में शामिल हो गया था और हमारे देश के किसी एक हिस्से के सम्बन्ध में आत्म निर्णय का कोई सवाल नहीं उठता ।

पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

754. **श्री सरत कार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में हाल ही में कुछ दूरसंचार सुविधाएं दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां ।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए उड़ीसा के नौ पूरे जिलो को और आंशिक रूप से एक जिले को पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है ।

संक्रामक रोगों पर विचार गोष्ठी

755. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में बंगलौर में संक्रामक रोगों पर आयोजित विचार गोष्ठी के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उस विचार गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) इनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां । चौदहवीं अन्तर्राज्यीय प्लेग सर्वेक्षण नियंत्रण बैठक 29 से 31 मई, 78 तक बंगलौर में हुई जिस में प्लेग-नियंत्रण के उपायों के साथ-साथ कुछ अन्य संचारी रोगों को नियंत्रित करने पर भी विचार किया गया ।

(ख) समिति ने जो सिफारिश की हैं, वे संलग्न विवरण में हैं ।

(ग) कुछ सिफारिशों को लागू किया गया है और कुछ विचाराधीन हैं ।

विवरण

1. राज्य सरकारों को वर्तमान प्लेग-रोधी गतिविधियों के अलावा प्लेग के वन्य गढ़ों में जंगली कृन्तकों का जोरदार सर्वेक्षण करवाना चाहिए । तेजी से चलाना चाहिए । उन्हें इन गतिविधियों को चलाने के लिए कार्मिकों की आवश्यकताओं को पुनः आंक कर उनका हिसाब लगाना चाहिए ।

2. भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों से राज्यों को प्लेग नियंत्रण यूनिटों की सामायिक मंजूरी देने और रसायनों, उपकरणों आदि को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती है ।

3. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्लेग के वन्यगढ़ों में प्लेग का जोरदार सर्वेक्षण करवाने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में एक मोबाइल प्लेग सर्वेक्षण यनिट स्थापित किया जा सकता है ।

विवरण—जारी

4. कृन्तकों को एकत्र करने वाले क्षेत्र कार्यकर्ताओं को सांपों और बिच्छुओं के काटने से बचाने के लिए एहतियात के तौर पर सुरक्षात्मक किटें दी जानी चाहिएं ।

5. प्लेग सर्वेक्षण यूनिट, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, बंगलौर में परा-चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्लेग सर्वेक्षण / नियंत्रण विधियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि राज्यों की आवश्यकताओं को तत्काल पूरा किया जा सके ।

6. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को प्लेग के अलावा क्षेत्रीय महत्व के चुनिंदा संचारी रोगों का दो सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों के लिए पी० एस० यू०, बंगलौर में चलाना चाहिए । यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षण के आधार पर यथाशीघ्र चलाया जाना चाहिए ।

7. सामान्य रूप से, कृन्तकों को नष्ट करने के लिए केवल एल्युमिनियम फोस्फाइड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, सायनो गैस का नहीं ।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली को चाहिए कि वे राज्यों को सप्लाई करने के लिए प्लेग वैक्सीन के अलावा सायनोगैस का इमरजेंसी स्टाक रखें ।

8. प्लेग के साथ-साथ अन्य कृन्तक वाहक रोगों के लिए कृन्तक सीरम की भी जांच की जानी चाहिए ।

9. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, पी० एस० यू०, बंगलौर और हाफकिन संस्थान, बम्बई में प्लेग सर्वेक्षण कार्य की सुविधाएं दी जानी चाहिएं । इन प्रयोगशालाओं में नेमी रूप से नमूनों का क्रास चेकिंग किया जाना चाहिए और इस काम में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली से सहयोग लिया जा सकता है ।

10. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली की केन्द्रीय प्लेग प्रयोगशाला को राष्ट्रीय प्लेग सन्दर्भ केन्द्र बनाने के लिए मजबूत बनाया जाना चाहिए । कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आवश्यक वस्तुओं एवं उपकरणों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता ली जानी चाहिए ।

11. सब प्रवेश-द्वारों (समुद्री बन्दरगाहों और हवाई अड्डों) पर प्लेग नियंत्रण/सर्वेक्षण कार्य मजबूत बनाया जाना चाहिए ।

12. कृन्तकों और पिस्सुओं की जांच के लिए पास के राज्य जीवाणु विज्ञान संस्थान में प्रबन्ध किये जाने चाहिएं । कृन्तक के सीरम को प्लेग के एंटीबाडियों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली को भेजा जा सकता है ।

13. महत्वपूर्ण बन्दरगाहों और हवाई अड्डों पर कृन्तकवाही रोगों के फैलाने का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

इसमें अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार की अनुसंधान परियोजनाएं बनाई जाएं ।

14. प्लेग-कार्य में सलग्न स्वास्थ्य कार्मिकों को चाहिए कि वे जनता के मन से प्लेग के भय को दूर करें । उन्हें चाहिए कि वे प्लेग पर जोर देते हुए सब कृन्तक-वाही रोगों पर प्रकाश डालें ।

15. प्लेग को भारत में एक अधिसुच्य रोग माना जाता रहना चाहिए ।

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक में पाकिस्तान द्वारा भाग लिया जाना

756. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जुलाई 1978 से बेलग्रेड में आयोजित होने वाली गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की आगामी बैठक में भाग लेने के लिये सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अनिवार्य रूप से "सेन्टो" छोड़ने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) या गुट निरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य या प्रेक्षक बनने के लिये, किसी भी देश को पांच पूर्व शर्तों को पूरा करना होता है । इन पूर्व शर्तों में से एक यह है कि उस देश को महान शक्तियों के संघर्ष के संदर्भ में संपन्न किसी बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं

होना चाहिए । अतः यदि पाकिस्तान 25 से 29 जुलाई, 1978 तक गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बेलग्रेड बैठक में एक सदस्य या प्रेक्षक के रूप में भाग लेना चाहता है, तो उसे सेंटो छोड़ना जो पडेगा जो कि महान शक्तियों के संघर्ष के संदर्भ में संपन्न एक बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन है ।

डाक्टरों को कर्मचारी राज्य बीमा भत्ता देना पुनः आरंभ करना

757. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक्टरों को कर्मचारी राज्य बीमा भत्ता देना पुनः आरंभ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि सौ रुपये प्रति माह का कर्मचारी राज्य बीमा भत्ता सभी राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा अधिकारियों को पहले से ही दिया जा रहा है । इस में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 20 मई, 1974 को या उसके पश्चात दिल्ली में नियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारी शामिल नहीं हैं जो निगम द्वारा सीधे तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए थे । कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति नें 19 जून, 1978 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि दिल्ली में जिस वर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को पूर्वोक्त कर्मचारी राज्य बीमा भत्ते की अदायगी से वंचित रखा गया था, उन्हें भी इस भत्ते का भुगतान किया जाए ।

दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार

758. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिये जाने के पश्चात भी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में, विशेषरूप से आपातकालीन वार्डो में कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) दिल्ली में स्थानीय अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिये गत 6 मास में क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या अस्पतालों में बहुत अधिक भीड़भाड़ है एवं बिस्तरों की कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो अगले 2 वर्षों में और कितनी बिस्तरों का प्रबन्ध किया जाना है और उक्त अवधि में दिल्ली में कितनी नये अस्पताल एवं औषधालय खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जी नहीं । दिल्ली के तीन प्रमुख अस्पतालों के इमरजेंसी और कैजुएल्टी वार्डो में कुछेक सुधार किए गये हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । चिकित्सा सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने और वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने के लिए अपेक्षित अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों के बारे में सुझाव देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल के कार्यकरण की एक व्यापक समीक्षा करने के लिए डा० एम० एम० एस० सिद्धू, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक अस्पताल समीक्षा समिति भी गठित कर दी गई है । इस समिति के विचारार्थ विषयों मे कैजुएल्टी सेवा और जन सम्पर्क विषय भी शामिल है ।

(ग) और (घ): यह सही है कि दिल्ली के अस्पतालों में भीड़-भाड़ है और पलंगों की कमी है । इस संबंध में स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली में हरीनगर में एक 500 पलंगोवाला अस्पताल स्थापित करने का निर्णय किया गया है । शाहदरा, दिल्ली में मेडिकल कालेज एवं अस्पताल कम्पलैक्स के एक भाग के रूप में 500 पलंगों वाला एक और अस्पताल खोलने संबंधी प्रस्ताव पर विचार काफी आगे तक पहुंच चुका हैं । छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 100-100 पलंगों वाले सात अस्पताल खोलने का भी विचार हैं । इसके अतिरिक्त —

(1) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 300 पलंगों के एक अतिरिक्त ब्लाक का निर्माण किया जा रहा है ।

(2) लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में गुरु नानक नेत्र केन्द्र के लिए 225 पलंगों वाले एक वार्ड का भी निर्माण किया जा रहा है ।

(3) नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल में 50 पलंग लगाये जाने हैं ।

(4) पुलिस अस्पताल में 20 पलंग उपलब्ध किए जाने हैं ।

(5) गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के भवन में 40 नर्सिंग होम पलंग लगाये जाने हैं ।

(6) 10 होम्योपैथिक औषधालय और 10 एलोपैथिक औषधालय (प्रतिवर्ष 5) खोले जाने हैं ।

(7) मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा में 248 पलंगों वाले एक वार्ड का निर्माण हो गया है ।

विवरण

डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल	सफदरजंग अस्पताल	लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल
1	2	3
(1) एक नए सेवा ब्लाक का निर्माण किया गया है जिसमें एक्सरे विभाग, ब्लड बैंक, स्वास्थ्य परीक्षा, मेडिकल बोर्ड और सी० एस० एस० विभाग स्थित हैं ।	(1) चूंकि दुर्घटना और इमरजेंसी सेवा ब्लाक के लिए जुलाई, 1973 में बनाये गये नये भवन में यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेस है, इसलिए इस विभाग में कोई महत्वपूर्ण सुधार करना संभव नहीं हो पाया है । एक नया छोटा केजुल्टी ब्लाक बना दिया गया है जिसमें आठ आब्जरवेशन पलंगों की व्यवस्था है ।	(1) अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में वरिष्ठ चिकित्सकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है और समय समय पर आकस्मिक जांच की जाती है ।
(2) एक नये लांडरी और इन्सिनरेटर ब्लाक के लिए भवन तैयार हो रहा है जो कि संभवत: इसी वर्ष के भीतर कार्य करना शुरु कर देगा ।	(2) इमरजेंसी और केजुल्टी सहित विभिन्न अन्य विभागों के लिए एयर कंडीश्नरों और वाटर-कूलरों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार काफी आगे तक पहुंच चुका है ।	(2) केजुल्टी के प्रवेश द्वार के निकट ही एक काउन्टर खोला गया है जहां केजुल्टी में दाखिल किए गए और उपचार किए जा रहे रोगियों के बारे में सूचना उपलब्ध होती है ।
(3) इस वर्ष के भीतर सी० एस० डी० ब्लाक की दूसरी मंजिल पर एक नया आपरेशन थियेटर ब्लाक भी कार्य करना शुरु कर देगा ।	(3) अनुमानत: 1,48,45,000 रुपये की लागत से एक नर्सेस होस्टल का निर्माण करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।	(3) अस्पताल में रोगियों की हालत के बारे में उनके मित्रों और रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है ।
(4) बहिरंग रोगी विभाग के ऊपर दो और मंजिलों के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है ।	(4) अस्पताल के विभिन्न विभागों के बीच संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए 100 लाइनों की एक अतिरिक्त पी० ए० बी० एक्स० स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है ।	(4) विभिन्न युनिटों के इंचार्ज वरिष्ठ चिकित्सकों को अनुदेश दिए गए है कि जब कभी आवश्यकता पड़े उनकी सेवाएं उपलब्ध रहनी चाहिएं ।
(5) इमरजेंसी विभाग में 15 पलंगों वाले एक उपभवन और चिकित्सकों के लिए एक विश्राम-कक्ष का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।		..

विवरण—जारी

डॉ० राम मनोहर अस्पताल	सफदरजंग अस्पताल	लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल
1	2	3
(6) बाल चिकित्सा इमरजेंसी वार्ड में छः और पलंग जोड़ दिए गए हैं।		(5) एक चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता को कहा गया है कि वह लोगों की सहायता के लिए केजुल्टी के निकट बैठा करें।
(7) परिचरों (अटेंडेंट्स) के लिए इमरजेंसी वार्ड में एक प्रतीक्षा-कक्ष की व्यवस्था की गई है।	..	(6) स्वयं सेवी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे जब अस्पताल में जाएं तो केजुल्टी के निकट उपस्थित रहें।]
(8) इमर्जेन्सी विभाग के लिए चिकित्सा अधिकारियों के आठ और पद मंजूर कर दिए गए है।	..	
(9) इमरजेंसी विभाग में रोगीयों की देखभाल कर रहे उनके रिश्तेदारो के लिए विभागीय कॅन्टीन की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध होती है।		
(10) रोगियों की सुविधा के लिए कान-नाक-गला, नेत्र, दन्त चिकित्सा और विकलांग बहिरंग रोगी विभागों ने सभी छः दिनों में कार्य करना शुरु कर दिया है।		..

सरकारी इस्पात मिलों की क्षमता और उसका उपयोग

759. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री एम० ए० हनान अलहाज :
श्री सुधीर घोषाल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार के स्वामित्व वाली सभी इस्पात मिलों की कुल क्षमता क्या है ;

(ख) प्रत्येक इस्पात मिल द्वारा कितनी क्षमता उपयोग में लाई जा रही है ;

(ग) इस्पात मिलों में पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार का [विचार क्या] विशेष कदम उठाने का है ;

(घ) क्या निकट भविष्य में सरकार का विचार कुछ इस्पात मिलों का विस्तार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी ; और

(च) उत्पादन और रोजगार पर इस विस्तार का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) : अगले पृष्ठ पर दी तालिका में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात कारखाने की विक्रेय इस्पात की क्षमता, वर्ष 1977–78 में उत्पादन और क्षमता का उपयोग तथा वर्ष 1978–79 के लिए निर्धारित लक्ष्य दिखाए गए है :–

(हजार टन)

कारखाना	निर्धारित क्षमता	1977-78		1978-79 के लिए निर्धारित लक्ष्य	
		उत्पादन	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)	उत्पादन	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)
भिलाई	1965	1930	98.2	1935	98.5
दुर्गापुर	1239	864	69.7	1000	80.7
राउरकेला . . .	1225	1178	96.2	1170	95.5
बोकारो	1355†	815	†	1182	†
इस्को	800	506	63.3	600	75.0
मिश्र इस्पात कारखाना . .	60	48.8	81.3	52.2	87.0

†बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण में इस्पात पिण्ड की निर्धारित क्षमता 17 लाख टन और विक्रेय इस्पात की निर्धारित क्षमता 13.55 लाख टन है । इस समय इसका 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार किया जा रहा है । इकाइयों की क्षमता का उपयोग नहीं बताया गया है क्योंकि 1977-78 में इसकी कुछ इकाइयों निर्माणाधीन/जेस्टेशन अवधि में थी और वर्ष 1978-79 में विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई गई इकाइयों में उत्पादन होने लगेगा ।

तालिका को देखने से पता चलेगा कि भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों में उत्पादन का स्तर काफी सन्तोषजनक है । बोकारो इस्पात कारखाने में जैसे ही विस्तार कार्यक्रम की इकाइयां चालू हो जायेगी उसकी क्षमता के उपयोग में निरन्तर वृद्धि होती जायेगी । सभी इस्पात कारखानों में क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए भी कई उपाय किए गए है जैसे बिजली और कोककर कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं; अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन कार्यक्रम बनाए गए है ; प्रौद्योगिक सुधार आरम्भ किए गए हैं । निवारक रख-रखाव क लिए बेहतर योजनाएं बनाई गई हैं आदि आदि ।

(घ) और (ङ): जी हां । भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों का उनकी 25 लाख और 17 लाख टन पिण्ड की वर्तमान क्षमता बढ़ा कर 40 लाख टन पिण्ड की जा रही है । इस पर क्रमशः 1120 करोड़ रु० तथा 1072 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है । 115 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता को और बढ़ाकर 47.5 लाख टन तक करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इसका आगे 55 लाखे टन तक विस्तार करने का भी विचार है ।

सरकार ने विद्युत उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राउरकेला में 109.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 37,500 टन ठंडी बेलित ग्रेन ओरियेन्टेड तथा 36,000 टन ठंडी बेलित नान-ग्रेन ओरियेन्टेड चादरों के उत्पादन के लिए एक कारखाना लगाने की स्वीकृति प्रदान की है ।

सेलम स्टील लि० के प्रथम चरण को स्वीकृति दे दी गई है इसमें 126.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 32,000 टन ठंडी वेलित बेदाग इस्पात की चादरों/पंजियों का उत्पादन किया जायेगा ।

दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की वर्तमान 1,00,000 टन पिण्ड की क्षमता बढ़ाकर 1,60,000 टन पिण्ड करने के लिए अतिरिक्त गलन सुविधाकी व्यवस्था करने का फैसला किया गया है । इस पर 8.46 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है ।

(च) सरकारी क्षेत्र के मुख्य इस्पात कारखानों की विक्रेय इस्पात की उत्पादन क्षमता वर्ष 1982-83 के अन्त तक 95.55 लाख टन हो जाने की संभावना है जबकि वर्ष 1977-78 के अन्त में उत्पादन क्षमता 65.84 लाख टन थी ।

वर्ष 1978-83 की पंचवर्षीय योजनावधि में लोहे और इस्पात क्षेत्र के लिए परिकल्पित कुल पूंजी निवेश के फलस्वरूप 38,000 अतिरिक्त लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है ।

घेराव और तोड़ फोड़ के मामले

760. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में प्रत्येक राज्य में उद्योग में तोड़फोड़, घेराव और हिंसा के कुल कितने मामले हुए ;

(ख) उक्त अवधि में जान-माल की कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक प्रकार के मामलों के आंकड़े क्या थे ;

(घ) उद्योग में हिंसा के ऐसे मामलों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(ङ) गत छः महीनों में घेराव के कारण कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ; और

(च) क्या सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे हिंसात्मक घटनाओं को रोका जा सके ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा को मेज पर रख दी जाएगी ।

(च) सरकार केन्द्र तथा राज्यों में स्थापित औद्योगिक संबंध तंत्र की सहायता से देश में औद्योगिक वातावरण में सुधार करने के प्रयास कर रही है । जहां आवश्यक होता है, वहां समझोता कराने के लिये सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के विवादों में हस्तक्षेप कर रही है ।

Achievements of Prime Minister's Recent Tours

761. **Shri Ugrasen :**
Shri Sukhendra Singh :
Shri Madhavrao Scindia :
Shri S. G. Murugaiyan :
Shri C. K. C. Chandrappan :
Shri Dharm Vir Vasisht :
Shri P. G. Mavalankar :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased tc state :

(a) whether the House will be made aware of the achievements of Prime Minister's recent tour of Brussels, London and United States of America in June, 1978.

(b) the subjects on which he had talks with the Shah of Iran during his recent tour; and

(c) the impact of military coup in Afghanistan and formation of a new Government there on the relations of India with neighbouring countries ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) : (a) The Prime Minister held extensive discussions with leaders of the countries visited on major international issues and matters of bilateral interest. His visits to the various countries consolidated the basis of greater understanding and cooperation with them.

(b) Prime Minister held discussions with the Shah of Iran on matters of bilateral interest, international importance and regional significance.

(c) The developments in Afghanistan are an internal matter of that country. On her part, India will continue to pursue a policy of promoting cooperation and trust with all neighbours and peace and greater economic coperation in the region.

Cancer

762. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state ;

(a) the arrangements made in Uttar Pradesh for the treatment of Cancer;

(b) whether this disease is spreading fast in the backward areas of Eastern, Northern and Southern regions of Uttar Pradesh; and

(c) whether a Cancer institute will be set up at Kushinagar (Deoria) for the treatment of above disease ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Facilities for Treatment of Cancer are available in a number of hospitals/institutions in U.P. The Government of India have provided a grant of Rs. 10.00 lakhs to the Banaras Hindu University, Varanasi for the setting up of a Cobalt Therapy Unit. It has also accepted in principle to release a similar grant for Gorakhpur.

(b) Cancer is not a registrable/notifiable disease. As such no authentic data regarding morbidity in Cancer is available to show that the Cancer is on the increase in the backward areas of Eastern, Northern and Southern areas of U.P.

(c) There is no such proposal under consideration of the Government of India.

अण्डमान और निकोबार में डाक्टरों की कमी

763. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में, अस्पताल-वार, विशेषज्ञों सहित डाक्टरों की कितनी कमी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रिक्त पद भरने का है और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) क्या जी० बी० पंत अस्पताल में इस वित्तीय वर्ष से नर्सिंग का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में विशेषज्ञों सहित चिकित्सकों की अस्पताल-वार जो कमी है, वह इस प्रकार है :—

(1) गोविन्दवल्लभ पन्त अस्पताल, पोर्ट ब्लैयर	
कनिष्ठ रोग विज्ञानी (जूनियर पेथोलोजिस्ट)	1
कनिष्ठ निश्चेतक (जूनियर ऐनस्थेटिस्ट)	1
कनिष्ठ विकिरण चिकित्सक (जूनियर रेडियोलोजिस्ट)	1
(2) सिविल अस्पताल, कार निकोबार	
सर्जन (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का विशेषज्ञ ग्रेड–2)	1
जूनियर ऐनस्थेटिस्ट	1

(ख) कुछेक खाली पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है । अण्डमान और निकोबार प्रशासन को भी अधिकार दे दिया गया है कि वे राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त कर खाली पदों पर अल्पावधि नियुक्तियां कर सकते हैं । कुछेक पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों का स्थानान्तरण करके भरे जाने का विचार है जिसके लिए पहले से ही कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) ज्योंही प्रशिक्षकों, आदि के पद बना लिए तथा भर लिए जाएंगे वैसे ही इस पाठ्यक्रम को शुरू कर दिया जाएगा । इन पदों के लिए वर्ष 1978-79 के बजट अनुमानों में व्यवस्था कर ली गई है ।

Merger of NMEP with Filaria Programme

764. **Shri Yuvraj : Will the Minister of Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to merge the National Malaria Eradication Programme and the National Filaria Programme; and

(b) if so, the reasons therefor and when appropriate steps will be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) & (b) : Since the plan of Operations for both National Malaria and Filaria Control schemes are identical, the Central Councils of Health and Family Welfare resolved that the Filaria Control Programme should be amalgamated with the National Malaria Eradication Programme in the urban areas. The Government of India have accordingly decided that the operational post of the National Filaria Control Programme may be merged and implemented by the Directorate of NMEP but the research and training aspects which are at present being undertaken by the National Institute of Communicable Diseases, Delhi, shall continue to be with that Institute. The Directorate of NMEP have already taken up operational activities of the Filaria Control Programme.

Complaint by Chamber of Commerce and Industry, Porbander City

†765. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the chamber of Commerce and Industry and P. Dattani and Co. in Porbander City in Saurashtra region of Gujarat have made any complaints to telephone authorities in April, 1978 in regard to defective functioning of telephones and against operators;

(b) if so, the details of the complaints and the action taken or proposed to be taken thereon;

(c) whether besides the Chamber of Commerce and Industry Porbander, P. Dattani and Co., other industries and persons had also made complaints in April-May 1978 and the details thereof and the action taken or proposed to be taken thereon;

(d) the category-wise total number of posts of employees and officers sanctioned for the present telephone exchange in Porbander and the category-wise posts lying vacant now and the reasons therefor and when the remaining posts will be filled up; and

(e) the action taken or proposed to be taken by Telephone Department in factory service to the people in Porbander and when the action has been taken or is proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) & (b) : Yes Sir. The complaint from Chamber of Commerce and Industry and P. Dattani and Co. was received in April, 1978 regarding excess trunk duration, excess billing and mis-behaviour of telephone operators. The matter was investigated by Divisional Engineer Telegraphs Junagarh and party has been replied to suitably. Action is also being taken to ensure that there is no mis-behaviour on the part of operators.

(c) No other complaints have been received.

(d) & (e) : The number of employees sanctioned are as follows :—

1 Sub-Divisional Officer, 7 Junior Engineers, 3 Phone Inspectors (P.I.), 7 Repeater Station Assistants (RSAs), 8 Monitors, 70 Telephone Operators, 14 technicians, 1 Cable jointer, 31 linemen, 4 line sub-Inspectors.

Of the above the only posts which are unfilled are that of two P.Is. and 8 telephone operators. The filling up of the 4 posts of telephone operators is expected by September, 1978 and the remaining 4 by December, 1978. The posts of P.Is. are expected to be filled by next year.

Maximum available staff has been posted at Porbander. The work of rehabilitation of local plant is also being undertaken according to availability of underground cables and maintenance stores to improve service.

ईरान को बिलेट और अन्य प्रकार के इस्पात सप्लाई करने में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की असफलता

766. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ईरान को बिलेट तथा अन्य किस्मों का इस्पात सप्लाई करने के अपने ठेके को पूरा करने में असफल रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तीसरी कृषि श्रमिक जांच समिति का गठन

767. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी कृषि श्रमिक जांच समिति गठित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) : वर्ष 1950-51, 1956-57, 1963-65 और 1974-75 में चार कृषि/ग्रामीण श्रमिक जांचों का आयोजन किया गया है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति स्थापित करने का निर्णय किया है ।

जन्मदर लक्ष्य

768. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1979 तक जन्म-दर को कम करके 30 प्रति हजार तक लाने के लिये मूलत: निर्धारित लक्ष्य अब चार वर्ष आगे खिसक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पहले से निर्धारित लक्ष्य को पुन: प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जी हां, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1979 तक जन्म-दर घटाकर 30 प्रति हजार तक लाने के मूल लक्ष्य को आपात स्थिति के दौरान हुई घटनाओं के कारण इस कार्यक्रम को पहुंचे आघात तथा पांचवी योजना के प्रारंभिक वर्षों में कार्य की निष्पत्ति को देखते हुए संशोधित करना पड़ा । इस सारे प्रश्न पर केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद नें फिर से विचार किया और सर्वसम्मति से परिषद ने यह सिफारिश की कि जन्म-दर को 30 प्रति हजार के स्तर तक लाने का यह उद्देश्य अब 1982-83 तक पूरा करने के लिए रखा जाए ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक आपरेशनल कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अन्तर्गत 1982-83 तक ढाई करोड़ स्वैच्छिक नसबंदियां की जाएंगी, 50 लाख लूप पहनाए जाएंगे और प्रति वर्ष औसतन 50 लाख व्यक्तियों से अन्य गर्भरोधक तरीके इस्तेमाल करवाये जाएंगे । सरकार ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि परिवार-कल्याण कार्यक्रम एक व्यापक नीति के अभिन्न अंग के रूप में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जच्चा-बच्चा देखरेख, महिलाओं के अधिकार और पोषण आदि सभी बातें आ जाती हैं, बड़ी तेजी के साथ चलाया जाएगा । इस कार्यक्रम को जोर-जबर्दस्ती के जैसे कामों से विकृत नहीं होने दिया जाएगा । शिक्षा और प्रेरणा के गहन अभियान चलाये गये हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । देश के सभी भागों में गर्भरोधक संबंधी सलाह और सेवाएं आसानी से तथा मुफ्त सुलभ करने की व्यवस्था कर दी गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति सेवा सुविधाओं के सुधार की ओर दाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत विशेष ध्यान दिया जा रहा है । राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेन्सियों से अनुरोध किया गया है कि वे गर्भरोधन के विभिन्न तरीकों तथा जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित कार्य की मात्रा की पूर्ति को सुनिश्चित करें । राज्यों में इस कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिए उपलब्ध फील्ड मशीनरी को फिर से गतिशील बनाने के अतिरिक्त एक समन्वित कार्यक्रम के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों और संगठित श्रमिक क्षेत्र की संस्थाओं का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

मालागासी में भारतीय दुकानों का लूटा जाना

769. **श्री के० राममूर्ति :**
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालागासी में भारतीय दुकानों के लुटे जाने की घटनाओं के बारे में खबरें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप भारतीय समुदाय को अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ग) भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तथा क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां ।

(ख) 29 और 30 मई को मेडागास्कर की राजधानी, अन्तानानारिओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया जिसमें असन्तुष्ट बेरोजगार मालागासी-राष्ट्रिक और असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे। इसमें माल का बहुत नुकसान हुआ और कुछ नुकसान जानका भी हुआ । सौभाग्यवश कोई भारतीय नहीं मारा गया लेकिन भारतीय मूल के लोगों की दुकानें तोड़ी-फोड़ी और लूटी गई । हमारे मिशन द्वारा जल्दी में लगाए गए अनुमान के अनुसार भारतीय राष्ट्रीकों के माल के नुकसान का कुल मूल्य 40 लाख अमरीकी डालर से अधिक ही होगा ।

(ग) अन्तानानारियो में हमारे राजदूत ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और भारतीय प्रवासियों की जान और माल की रक्षा का सुनिश्चय करने के लिए इस मामले को मालागासी के प्राधिकारियों के साथ उठाया है। इस घटना पर खेद प्रकट करत हुए मालागासी के प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा और उनकी जायदाद की सुरक्षा का सुनिश्चिय करने के लिए सब प्रयत्न करेंगे । जहां तक क्षतिपूर्ति का संबंध है, नष्ट किए गए और लूटे गए माल में से कुछ का बीमा हुआ था । नष्ट हुए ऐसे माल की क्षतिपूर्ति का प्रश्न जिसका बीमा नहीं हुआ था, मालागासी के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है ।

परामर्शदात्री समिति की बैठकें

770. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में बजट सत्र तथा वर्षाकालीन सत्र की मध्यावधि में परामर्शदात्री समितियों तथा अन्य संसदीय समितियों की कितनी बैठकें पर्वतीय स्थानों पर हुई ;

(ख) समितियों के नाम, बैठकों के स्थानों के नाम क्या हैं, बैठकें कितने समय तक चली और उन पर कितनी राशि खर्च हुई; और

(ग) इस बारे में वर्ष 1976-77 में इसी अन्तः सत्रावधि में हुई बैठकों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) वर्ष 1978 में बजट सत्र और वर्षाकालीन सत्र की मध्यावधि में परामर्शदात्री समितियों की पांच बैठकें पर्वतीय स्थानों पर हुई।

संसदीय समितियों की बैठकें अध्यक्ष के निदेशानुसार की जाती हैं। अतएव संसदीय कार्य विभाग के पास इन समितियों की इस अवधि में पर्वतीय स्थानों पर हुई बैठकों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : वर्ष 1976, 1977 और 1978 में अन्तःसत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की पर्वतीय स्थानों पर बैठकें निम्नानुसार हुई :--

अवधि	मंत्रालय का नाम	बैठक(कों) की तारीख	स्थान
अन्तःसत्रावधि, 1976- 28-5-76 से 17-8-76 तक	कृषि और सिंचाई	28-7-1976	शिमला
अन्तःसत्रावधि, 1977- 9-8-77 से 13-11-77 तक	सूचना और प्रसारण	7-10-1977	शिलांग
अन्तःसत्रावधि, 1978- 19-5-78 से 16-6-78 तक	संचार	25/26-5-78	श्रीनगर
	ऊर्जा	30-6-78 और 1-7-78	श्रीनगर
	विदेश	3-6-78	शिमला
	इस्पात और खान	7 से 10 जून 78 (2 दिनों के सरकारी दौरों सहित)	श्रीनगर
	निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास	27-6-78	श्रीनगर

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों पर खर्चा न केवल केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा बल्कि संसद की दोनों सभाओं के सचिवालयों द्वारा भी किया जाता है जहां से सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा और दैनिक भत्तें का भुगतान किया जाता है। क्योंकि यह खर्चा एक से अधिक ऐजेन्सी द्वारा किया जाता है, इन बैठकों पर किया गया वास्तविक खर्चा बता पाना सम्भव नहीं है।

विदेश मंत्री द्वारा दिए गए रात्रिभोज में भारतीय पत्रकार को सम्मिलित न किया जाना

771. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि **विदेश** मंत्री द्वारा आस्ट्रिया के विदेश मंत्री को दिये गए रात्रिभोज के लिए अतिथियों की सूची में भारतीय पत्रकार को सम्मिलित नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) रात्रिभोज के लिए उपलब्ध होटल के कमरे के आकार को देखते हुए, विदेश मंत्री द्वारा दिए गए रात्रिभोज में अतिथि सूची को सीमित रखना पड़ा था और बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, जिनमें आस्ट्रियाई सरकार के और भारतीय राजदूतावास के अधिकारी तथा सम्बद्ध भारतीय पत्रकार भी शामिल है, आमन्त्रित नहीं किया जा सका।

बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र का बदला जाना

772. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **संचार** मंत्री बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र को बदलने क बारे में 23 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र को बदलने के लिए भवन सम्बन्धी नक्शों के बारे में प्रारम्भिक कार्य भी हाथ में लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी, हां।

(ख) इमारत की प्रारम्भिक ड्राइंग सीनियर आर्किटेक्ट द्वारा तैयार कर दी गई है। इस समय इस ड्राइंग का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

773. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :**

श्री भगत राम :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सम्बन्ध के विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह केन्द्रीय मजदूर संघों की श्रम मंत्रालय के साथ हुई सहमति के अनुरूप है ; और

(ग) क्या विधेयक को पुरःस्थापित करने से पूर्व सरकार केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ सम्पूर्ण मामले पर पुनः चर्चा करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का मसौदा तैयार करते समय सरकार ने केन्द्रीय मजदूर संघ संघठनों तथा अन्य पक्षों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा है। विधेयक के संसद में पेश किए जाने से पहले और विचार-विमर्श करने का कोई विचार नहीं है।

बेरोजगारी भत्ता

774. **श्री के० प्रधानी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार नें 50 रुपया प्रति मास बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी उक्त नीति का अनुसरण करेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) ऐसे व्यक्तियों के लिए बेरोजगार सहायता की एक सीमित योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिनका नाम रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि से दर्ज हैं और जिनकी परिवार की आय 500/- रु० प्रतिमाह से कम है, उनको 1978-79 वर्ष के लिए राज्य बजट में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शामिल किया गया है। सुपात्र व्यक्तियों को 50/- रु० मासिक भत्ते की अदायगी का प्रस्ताव है, जब तक उन्हें लाभप्रद कार्य नहीं मिल जाता या फिर 3 वर्ष तक, जो भी पहले हो।

(ख) बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते की अदायगी करना वर्तमान वित्तीय स्थिति में व्यवहार्य नहीं जान पड़ता। यह महसूस किया जाता है कि अधिक उचित यह होगा अगर यह सुनिश्चित किया जाए कि उपलब्ध स्त्रोतों को अधिक उपयोगी ढंग से निवेश करके विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने और अतिरिक्त/उत्पादक और ठोस रोजगार/स्वः रोजगार अवसर उत्पन्न करने पर लगाया जाए।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को धक्का पहुंचना

775. **श्री के० प्रधानी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के निष्पादन के बारे में काफी आलोचना हुई है और उसे धक्का पहुंचा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान इसके क्रियान्वयन का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जहां तक नसबन्दी आपरेशनों और लूप निवेशनों की संख्या का सम्बन्ध है, परिवार कल्याण कार्यक्रम को काफी बड़ा धक्का लगा है। 1976-77 की तुलना में 1977-78 में नसबन्दी आपरेशन और लूप-निवेशन कार्य बहुत कम हुआ है। तथापि, मुख्य-सेव्य गोली उपयोगकर्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यद्यपि प्रचलित गर्भरोधकों के मुफ्त वितरण में कमी हुई है, तथापि, इनके वाणिज्यिक वितरण में सुधार हुआ है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन में काफी सुधार हुआ है।

(ख) परिवार नियोजन तथा मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के पिछले दो वर्षों के कार्यनिष्पादन का राज्य-वार ब्यौरा अनुबन्ध–I और अनुबन्ध–II में दिया गया है [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० –2432/78.]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कर्मचारियों और निधि की कमी

776. **श्री अघन सिंह ठाकुर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सामुदायिक औषधियों सम्बन्धी केन्द्र के कार्यकरण पर कर्मचारियों तथा निधि की कमी के कारण बुरा प्रभाव पड़ने वाला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर ध्यान देने सम्बन्धी उस केन्द्र का प्रोफेसर का पद गत 6 महीनों से रिक्त पड़ा है और इस विभाग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अन्य विभागों की तुलना में कर्मचारियों की कमी है ; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस कमी को कब तक पूरा करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सामुदायिक आयुर्विज्ञान केन्द्र और इसके बल्लभगढ़ स्थित ग्रामीण विंग के लिये स्टाफ अथवा धन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं की गई है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सामुदायिक आयुर्विज्ञान में शिक्षण तथा अनुसन्धान के कार्य को उच्च प्राथमिकता देता है ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी देख-रेख की व्यवस्था करने के लिए इस केन्द्र में प्रोफेसर का ऐसा कोई पद नहीं है। सामुदायिक आयुर्विज्ञान केन्द्र के प्रोफेसर और अध्यक्ष का पद जो हाल ही में पिछले पदाधिकारी द्वारा इस्तिफा दिए जाने के कारण खाली हुआ था, भर लिया गया है। एक लेक्चरर के पद का दर्जा बढ़ा कर उसे सहायक प्रोफेसर का पद बना देने से इस केन्द्र के ग्रामीण विंग और बल्लभगढ़ में पहले की अपेक्षा 1978 के दौरान संकायकी स्थिति मजबूत हो गयी है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

परमाणु मुक्त क्षेत्र जोन के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री आगा शाही का वक्तव्य

778. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया में परमाणु मुक्त क्षेत्र के प्रश्न को उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिये गए पाकिस्तान के प्रतिनिधि श्री आगा शाही के भाषण को नोट किया है ;

(ख) क्या यह भारत और पाकिस्तान के बीच हाल की वार्ताओं के दौरान हुए अलिखित समझोते के खिलाफ नहीं है कि परमाणु मुक्त क्षेत्र का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए ; और

(ग) क्या इससे इन दो देशों के बीच सम्बन्धों को सुधारने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) । पाकिस्तान को इस बात की पूरी जानकारी है, भारत दक्षिण एशिया में नाभिकीय-अस्त्र मुक्त क्षेत्र की स्थापना के सख्त खिलाफ है । लेकिन साथ ही भारत सरकार यह महसूस करती है कि इससे दोनों देशों के बीच द्वि-पक्षीय सम्बन्धों के विकास पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

Employment of Minors

779. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been drawn to the news-item appearing in the 'Nav Bharat Times' dated the 26-6-78 to the effect that more than 21 thousand children of tender age (minor) were found to be working in various Institutions in violation of the labour laws;

(b) whether these children have been found to be working under very unsatisfactory conditions such as near machines and equipments and in smoky atmosphere in unventilated windowless small rooms situated in narrow ad congested lanes and streets; and

(c) whether the minimum wage under the labour laws should not be less than Rs. 80 but it is not being complied with ; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) Yes.

(b) The news-item refers to a Report on working children in Urban Delhi by the Indian Council for Child Welfare submitted to the Department of Social Welfare in April, 1977. The Report is under examination of the Department concerned.

(c) Young persons below the age of 18 years are to be paid 80% of the wages payable to adult workers under the Minimum Wages Act.

(d) Minimum Wages are enforced by the Delhi Administration.

भारत सरकार द्वारा खाड़ी के देशों को जाने वाले मजदूरों पर प्रतिबन्ध

780. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि खाड़ी के देश भारत सरकार द्वारा नियोजकों तथा भारतीय मजदूरों पर उन क्षेत्रों में जाने पर लगाये गये प्रतिबन्धों पर प्रसन्न नहीं है ;

(ख) क्या अरब नियोजक भारत सरकार द्वारा जमानत जमा करने की मांग पर रोष प्रकट करते हैं, चूंकि भरती किये जाने वाले लोगों के बारे में संविदा के अनुसार वे उत्तरदायी हैं ;

(ग) क्या यह भी कहा गया है कि अरब यह नहीं समझ सकते कि उनके द्वारा सारे आवश्यक दस्तावेज जारी करने के उपरान्त भी भरती किये भारतीय लोगों को "प्रोटेक्टर आफ इमिग्रेन्ट्स" द्वारा भारतीय हवाई अड्डों तथा बन्दरगाहों पर क्यों जहाजों से उतार लिया जाता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) सरकार ने उत्प्रवास करने वाले भारतीय कारीगरों के उत्प्रवासन को उत्प्रवास अधिनियम, 1922 के प्रावधानों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित किया है कि विदेशी रोज़गार की समुचित शर्तों के आधार परही वे उत्प्रवास करें । वैसे कोई प्रतिबंध नहीं है । विदेशी नियोक्ता भारतीय उत्प्रवासी कारीगरों को स्वतंत्र रूप से भरती कर सकते हैं बशर्ते कि भरती श्रम मन्त्रालय द्वारा निर्धारित कानून और प्रक्रिया के अनुसार की जाए ।

(ख) सरकार को अनुमोदित भारतीय भरती करने वाले एजेन्टों से उनके अरब और अन्य विदेशी स्वामियों की ओर से समय-समय पर मांगे प्राप्त हुई है कि क्या जमानत की अपेक्षा को समाप्त किया जा सकता है । सरकार ने इन एजंटों को स्पष्ट रूप से बताया है कि यह उत्प्रवास अधिनियम के अन्तर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसका उद्देश्य यह सु-निश्चित करना है कि नियोक्ता द्वारा संविदागत दायित्वों का यथोचित रूप से पालन किया जाए ।

(ग) जब तक अपेक्षित उत्प्रवास संबंधी औपचारिकतायें पूरी नहीं हो जाती तब तक भारतीय कारीगरों को उत्प्रवास की अनुमति नहीं दी जाती । प्रत्याशी उत्प्रवासी के हवाई जहाज पर चढ़ने से पूर्व उत्प्रवास के आवश्यक कागजातों की जाँच उत्प्रवास संरक्षक द्वारा की जाती है । सरकार ने विदेशी सरकारों और नियोक्ताओं का ध्यान उस प्रक्रिया तथा उन कानूनी आवश्यकताओं की ओर दिलाया है जो किसी भारतीय उत्प्रवासी कारीगर को उत्प्रवास करने की अनुमति देने से पूर्व पूरी की जानी चाहिए ।

(घ) जैसा कि उक्त (क) से (ग) तक के उत्तर में बताया गया है ।

दिल्ली में मलेरिया

781. **श्री दुर्गाचन्द :**

श्री युवराज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इस वर्ष मलेरिया रोग के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान, प्रतिमास, मलेरिया रोग के कितने मामलों का पता चला है ; और

(ग) इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) मालूम किए गए मलेरिया के रोगियों की संख्या इस प्रकार थी :—

अप्रैल, 1978	29868
मई, 1978	54006
जून, 1978	60446

(ग) इस समय इस रोग का उन्मूलन करना तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं समझा जाता है। फिर भी इस रोग को रोकने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। दिल्ली संघ क्षेत्र और मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर-पालिका में मलेरिया को रोकने में लगी हुई विभिन्न एजेन्सियों में इस रोग को नियंत्रण करने के लिए उपाय तेज कर दिए हैं। एक वरिष्ठ केन्द्रीय अधिकारी विभिन्न एजेन्सियों के बीच काम को समन्वित करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। लार्वानाशी कार्य के क्षेत्र को भी इतना बढ़ा दिया गया है कि उसमें नई पुनर्वास बस्तियां भी आ जायें । उनके लिए साज सामान को भी बढ़ा दिया है। चालू वर्ष के बीच भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली को वित्तीय सहायता के रूप में 38.45 लाख रुपये की राशि दे दी है। मच्छर पैदा होने वाले स्रोतों को रोकने में लोगों का सहयोग और सहायता तथा मलेरिया के रोगियों का इलाज करने के लिए प्राइवेट चिकित्सकों की सहायता भी ली जा रही है।

डाक्टरों की शिक्षा पर व्यय

782. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक डाक्टर को प्रशिक्षित करने पर सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय डाक्टरों को भारत वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में स्थायी निवास के लिए आये डाक्टरों की संख्या वर्ष-वार कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जून, 1977 और मार्च / अप्रैल, 1978 में भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यौरों ने क्रमश: मेडिकल कालेज, शिमला और जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी के संबंध में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अनुसार 1975–76 में इन कालेजों द्वारा किये गये खर्च के आधार पर शिमला और पांडिचेरी में यह लागत क्रमश: 92,000रुपये और 1,35,000रुपये निकलती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

विदेश में भारतीय डाक्टरों की संख्या

783. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रत्येक देश में काम करने वाले भारतीय डाक्टरों की संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा गया है। जिसमें उन डाक्टरों की संख्या बताई गई है जो गृह मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से द्विपक्षीय आधार पर विकास-शील देशों को भेज गए हैं। उन डाक्टरों के विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है जिन्हों ने विदेश जा कर अपने ही प्रयत्नों से रोजगार प्राप्त कर लिया है ।

विवरण

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के लिए चुने हुए डाक्टरों की संख्या

क्रम सं०	देश का नाम	वर्ष					
		1973	74	75	76	77	78 (1-6-78 तक)
1	अल्जीरिया .	..	..	..	..	..	94
2	बोत्स्वाना .	..	..	..	4	..	..
3	इथोपिया .	1	..	..	..	..	4
4	फिजी . .	18	..	..	6	..	..
5	ईरान . .	..	1	1151	209	774	171
6	इराक . .	18	5	6	4	4	11
7	केन्या . .	3	..	2	..	..	..
8	लिबिया .	65	88	169	70	2	34
9	नेपाल . .	1	..	..	..	..	..
10	नाइजीरिया .	1	3	1	5	6	..
11	ओमान . .	1	9	..	4	..	..
12	यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य .	..	..	..	..	7	47
13	सोमालिया .	2	..	2	..	..	..
14	तन्जानिया .	2	5	..	..	..	..
15	उगांडा .	..	28	..	16	14	..
16	जाम्बिया .	3	19	6	..	54	3
17	जैरे . .	..	..	32	..	..	..
18	अन्य देश .	6	7	..	..	..	..

दिल्ली टेलीफोन विभाग के विरुद्ध शिकायतें

784. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग के विरुद्ध ऐसी शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है कि (एक) टेलीफोन बिलों में राशि बढ़ाकर दी जाती है और (दो) शिकायतों को ठीक करनें और मांग पत्र देने में विलम्ब होता है ;

(ख) जनवरी, 1978 से बाद में प्रतिमास बढ़ाई गई राशि के बिलों के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ग) क्या बढ़ाई गई राशि के बिलों के कारणों का विभाग ने पता लगाया है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और इन गलतियों के लिए किन्हें जिम्मेदार पाया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का है जो शिकायतों दूर करने की दृष्टि से जनता सें अधिक विलम्ब, कर्मचारियों के व्यवहार और कोई उत्तर नहीं सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) (i) टेलीफान लाइनों की संख्या, उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाओं आदि में वृद्धि होने के कारण शिकायतों की संख्या थोड़ी बड़ी है।

(ii) जी, नहीं ।

(ख) जनवरी, 78 762 शिकायतें
फरवरी, 78 627 शिकायतें
मार्च, 78 828 शिकायतें
अप्रैल, 78 1324 शिकायतें
मई, 78 1378 शिकायतें

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां। ऐसा निर्णय लिया गया है कि निदेशक के स्तर का जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया जाए।

मध्य प्रदेश में खोले गये डाकघर, टेलीफोन केन्द्र और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

785. **डा० वसन्त कुमार पंडित**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग द्वारा बनाये गये नयें नियमों के अनुसार देश में जनसंख्या के आधार पर नये डाकघर, टेलीफोन केन्द्र और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं; और यदि हां, तो 30 जून, 1978 तक मध्य प्रदेश मे कितने नये (1) डाकघर (2) टेलीफोन केन्द्र और (3) सार्वजनकि टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) इनमें से कितने डाकघरों, टेलीफोन केन्द्रों और सार्वजनकि टेलीफोन केन्द्रो ने राजगढ़ गुना और विदिशा जिलों में कार्य करना आरम्भ कर दिया है अथवा उन पर अंतिम निर्णय किया जाना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय):

डाक घर

(क) डाकघर खोलने के लिए केवल जनसंख्या को आधार बनाकर कोई नये मानदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं और नहीं निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है। फिर भी, देश के ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलने के बारे में कुछ नये मानदंडों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

मौजूदा मानदंडों के अनुसार शहरी इलाकों में डाकघर वहीं खोले जाते हैं, जहां उनके आत्मनिर्भर होने की आशा है। ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मुख्य विचारणीय बातें हैं जनसंख्या, मौजूदा निकटतम, डाकघर से दूरी, घाटे की स्वीकार्य सीमा और न्यूनतम गारंटित आय।

30 जून, 1978 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 8029 डाकघर हैं, जिनमें से 7193 डाकघर ग्रामीण इलाकों में हैं।

दूरसंचार

(क) टेलीफोन एक्सचेंज वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य होनें पर ही खोले जाते हैं न कि जनसंख्या के अधार पर। सार्वजनकि टेलीफोन पर प्रशासनकि महत्व, पर्यटन-महत्व, परियोजना-स्थल इत्यादि और साथ ही जनसंख्या के आधार पर खोले जाते हैं। नये मानदंडों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 30-6-78 तक खोलें गये सार्वजनकि टेलीफोन घरों की संख्या 112 है। 30-6-78 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में काम कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों और सार्वजनकि टेलीफोन घरों की संख्या क्रमश: 365 और 675 है।

डाकघर

(ख) सूचना नीचे दी जा रही है :—

जिला	1-4-78 से 30-6-78 तक खोले गये डाकघर	30-6-78 को मौजूद डाकघर	जहां अन्तिम मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है
राजगढ़	कुछ नहीं	138	5
गुना	4	154	4
विदिशा	1	91	1

दूरसंचार

(ख) स्थिति इस प्रकार है :—

जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		सार्वजनिक टेलीफोन घर	
	काम कर रहे	मंजूरी प्राप्त	काम कर रहे	मंजूरी प्राप्त
गुना	9	कुछ नहीं	6	1
राजगढ़	10	1	5	2
विदिशा	5	कुछ नहीं	5	1

इस समय सार्वजनिक टेलीफोन घर का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसकी मंजूरी की प्रतीक्षा है।

डाक कर्मचारियों की समस्यायें हल करने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति

786. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया पोस्टल सुपरवाइजर्स एसोसियेशन ने डाक कर्मचारियों की समस्याओं की जांच के लिये एक जांच आयोग की नियुक्ति की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि डाक कर्मचारियों ने सरकार से कहा है कि वह रेलवे बोर्ड की पद्धति पर अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों वाले डाक-तार बोर्ड का पुनर्गठन करें; और

(ग) क्या डाक व तार विभाग की संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में विभागीय कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आल इंडिया पोस्टल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने डाक कर्मचारियों की समस्याओ की जांच के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की मांग की हो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । दो मान्यता प्राप्त फेडरेशनों द्वारा नामांकित कुल 25 प्रतिनिधि हैं जोकि डाक-तार कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में अमरीकन पीस कोर का पुनः आरम्भ किया जाना

787. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में अमेरीकन पीस कोर पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव किया है,

(ख) क्या इस विषय पर दोनों सरकारों के मध्य कोई बातचीत हुई थी, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ग) : भारत में अमरीकी शांति सेना पुनः रखने की सम्भावना के संबंध में भारत सरकार से अनौपचारिक रूप से पुछा गया था । इस प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रही है ।

इस्पात का आयात

788. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में 50 लाख टन इस्पात का आयात करने का निर्णय किया है,

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान 12 लाख टन इस्पात का आयात किया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं,

(घ) वर्ष 1977-78 में बेचे जाने योग्य इस्पात की कुल मांग कितनी हुई और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ, और

(ङ) वर्ष 1978-79 में प्रत्याशित मांग और अप्रत्याशित उत्पादन कितना होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) : योजना आयोग कार्यकारी दल द्वारा वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के लिए लोहे और इस्पात की अनुमानित मांग क्रमश: 69.4 लाख टन तथा 76.1 लाख टन आंकी गई है । वर्ष 1977-78 में वास्तविक उत्पादन 78.5 लाख टन था और वर्ष 1978-79 में उत्पादन 90.5 लाख टन होने की आशा है । इससे पता चलता है कि यदि इस्पात की समस्त मांग और उपलब्धि को देखा जाए तो कुछ माल आवश्यकता की पूर्ति करने के पश्चात बच जाता है लेकिन जबकि कुछ श्रेणियो का माल फालतू है कुछ अन्य श्रेणियों का माल कम है । जिन श्रेणियों में कमी है अथवा जिनका उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है उन श्रेणियों की मांग और उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात करना आवश्यक है । फालतू श्रेणियों के माल का निर्यात किया जाता है । चालू वर्ष में आयात किए जाने वाले इस्पात की मात्रा के बारे में इस समय ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि आयात-नीति के अन्तर्गत ओपन जनरल लाईसेन्स तथा सीधे जारी किए गए आयात लाइसेन्सों के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं और पंजीकृत निर्यातकों द्वारा आयात किया जाता है । इसके अलावा माध्यम अभिकरणों द्वारा भी आयात किया जाता है । चालू वर्ष में बफर स्टाक बनाने के लिए सेल का भी इस्पात का कुछ मात्रा में आयात करने का विचार है ।

मूल्य सूचकांक के बारे में भट्टाचार्य समिति का प्रतिवेदन

789. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी मजदूर संघ संघठनों ने एक मत से यह विचार व्यक्त किया है कि शिमला श्रम ब्यूरों द्वारा श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों का जिस प्रकार संकलन किया जाता है और हिसाब लगाया जाता है वह श्रमिक वर्ग के हितों के बहुत विरूद्ध पड़ता है;

(ख) क्या मजदूर संघों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन मूल्य सूचक अंकों को श्रमिकों को ठगने के लिए जानबूझ कर तोड़ा मरोड़ा जाता है;

(ग) क्या तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त की गई भट्टाचार्य समिति मजदूर संघ के विचारों से सहमत थी;

(घ) यदि हां, तो (1) मजदूर संघों की मुख्य आपत्तियां क्या है तथा (2) भट्टाचार्य समिति की मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या है, और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ड.) : पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों की इस मांग को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संकलित कलकत्ता के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (1939=100 आधार और 1944=100 आधार मानकर) तथा कलकत्ता के लिये श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित 1960 बेस सीरीज़ के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रो० एस० के० भट्टाचार्य की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की । इस समिति ने मई, 1974 में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति से संबंधित मामले मुख्यत: पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

2. ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न क्षेत्रों की यह आम मांग थी कि सूचकांक की नई सीरीज़ (आधार 1971=100) को लागू करने से पहले, वर्तमान सीरीज़ (1960=100) के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और सीरीज़ में कमियां, यदि कोई हो, दूर की जानी चाहिए। इस मांग के अनुसरण में, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विभिन्न पहलुओं की जांच करते तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए पिछले वर्ष एक समिति गठित की । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

बंधुवा श्रमिक पद्धति का उन्मूलन

790. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में यह कहा है कि बंधुवा श्रमिक पद्धति के उन्मूलन की बातों के बावजूद यह पद्धति देश के कई भागों में अभी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में राज्यवार वास्तविक स्थिति क्या है; और

(घ) इस पद्धति को समाप्त करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) से (घ) अनुमानतः प्रश्न में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त की वर्ष 1975-76 और 1976-77 की रिपोर्टों की ओर संकेत किया गया है ।

2. बंधित श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिए बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बनाया गया है जो 25-10-75 से लागू हुआ है । इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन जिम्मेवार हैं। उन्हें समय-समय पर लिखा जाता रहा है कि वे इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत समुचित कार्रवाही करें तथा बंधित श्रमिकों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण भी करें ताकि उन्हें मुक्त कराया जा सके और पुनः बसाया जा सके । आशा है कि चालू राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32 वें दौर के फलस्वरुप यह सूचना प्राप्त हो सकेगी कि विभिन्न क्षेत्रों में इस पद्धति का किस सीमा तक प्रचलन है।

3. ऐसे राज्यों में, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में इस पद्धति के विद्यमान होने की सूचना दी है, पता लगाए गए, मुक्त कराये गए तथा पुनः बासाये गए बंधित श्रमिकों संबंधी स्थिति (31-5-78 की) इस प्रकार है :—

क्रमांक	राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र	31-5-1978 की स्थिति के अनुसार बंधित श्रमिकों की कुल संख्या		
		पता लगाए गए	मुक्त कराए गए	पुनः बसाए गए
1	आन्ध्र प्रदेश	6,930	6,930	4,154
2	बिहार	2,857	2,857	613
3	गुजरात	42	42	42
4	कर्नाटक	64,042	64,042	7,804
5	उड़ीसा	669	319	313
6	मध्य प्रदेश	1,612	1,531	33
7	महाराष्ट्र	आंकड़े अभी सूचित नहीं किए गए		
8	केरल	900	900	186
9	राजस्थान	6,000	6,000	3,531
10	तमिल नाडु	2,883	2,883	2,363
11	उत्तर प्रदेश	19,242	19,242	12,805
12	मिजोरम	3	3	
	जोड़	1,05,180	1,04,749	31,844

4. मुक्त कराए गए बंधित श्रमिकों का पुनर्वास का काम विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की चालू योजनाओं के अधीन किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिये जहां यह सुविधा उपलब्ध है, ब्याज की विभिन्न रियायती दरों पर उन्हें ऋण भी दिए जा रहे हैं। पुनर्वास की गति तेज करने के लिये, बंधित श्रमिकों के पुनर्वास हेतु एक केन्द्र संचालित योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य बंधित श्रामकों के पुनर्वास के कार्यक्रमों में राज्यों को बराबर का अनुदान प्रदान करके उनकी वित्तीय सहायता करना है ।

मलेरिया रोग वाले मच्छर

791. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत तथा अन्य देशों में मलेरिया रोग वाले 43 जातियों के मच्छरों नें डी० डी० टी० को सहन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कीट नाशी दवाइयों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति (1976) की 22 वी रिपोर्ट के अनुसार भारत तथा विश्व के दूसरे देशों में 43 एनोफेलाइन जातियों में से 24 जातियों के मच्छरों में डी० डी० टी० को पचा जाने की शक्ति पैदा हो गयी है।

(ख) भारत में एनोफेलाइन की जिन छः जातियों में डी० डी० टी० को पचाने की शक्ति पैदा हुई बतलाई गयी है उनक नाम इस प्रकार हैं और इनमें से चार को मलेरिया-वाहक के रूप में जाना जाता है :—

(1) ए० कुलीसीफेसीज
(2) ए० स्टेफेन्सी
(3) ए० फ्लूवायाटिलिज
(4) ए० सबपिकटस
(5) ए० अेनूलाटिस
(6) ए० फिलिपाइनेन्सीज

जिन क्षेत्रों में रोग वाहकों में डी० डी० टी० को पचा जाने की शक्ति पैदा हो गयी है, वहां पर बी० एच० सी० तथा मलाथियन जैसी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

Cholera

792. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the medical experts have expressed apprehension that cholera may break out in the country, particularly in Calcutta and nearby areas; and

(b) if so, the precautionary measures being taken by Government to ensure that this disease does not break out in other parts of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Neither Government is aware of any apprehension expressed by the Medical Experts that Cholera may break out in the country particularly in Calcutta and nearby areas nor any such report has been received from any of the State Governments.

(b) Does not arise. However, 41 Cholera Combat Teams are already in position under various State Governments to control Cholera out-break if any in the country.

Conversion of Primary Health Centres in Rampur District

793. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether a demand has been received by Government for conversion of the Primary Health Centres of Rampur District (UP) into 30 bed hospitals under the Community Health Workers Scheme;

(b) if so, the number of Primary Health Centres proposed to be converted into 30 bed hospitals during the current financial year; and

(c) the total expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) to (c) : The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House.

Indian Journalists' visit to China

†794. **Shri Rajendra Kumar Sharma:**
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether a group of Indian Journalists had visited China recently;

(b) the main objects of this visit; and

(c) the role played by this group in improving Indo-China relations and the success achieved by them?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) A five-member Indian journalists delegation visited China from May 22 to June 10, 1978.

(b) & (c) : The visit by an Indian Journalists delegation to China at Chinese invitation was part of the ongoing mutually beneficial exchanges between the two countries to extend contacts between India and China over various fields.

Development of Dongri Buzurg Mine in Maharashtra

795. **Shri Laxman Rao Mankar:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated by Government this year for the development of Dongri Buzurg mine in Maharashtra which was taken over by Government for operation by Manganese Ore India Ltd;

(b) if so, the details thereof and the cost thereof as also the provision made therefor this year; and

(c) whether a ferro manganese plant is envisaged in the Scheme and if not, reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) & (b) : Manganese Ore India Ltd. has formulated a scheme for the development of Dongri Buzurg Mine at an estimated cost of Rs. 5 lakhs on machinery and equipment during the year 1978-79. The scheme envisages reclamation of old underground workings and deepening of open cast pit up to 10 ft level. On implementation of the scheme, the production capacity will increase from the pre-take-over level of 12,000 tonnes per annum to 24,000 tonnes per annum.

(c) No, Sir. The ore of Dongri Buzurg Mine is high in Phosphorus and, therefore, not suitable for production of ferro manganese.

Utilisation of Welfare Fund for Bidi Workers

796. **Shri Laxman Rao Mankar:** Will the Minister of **Labour and Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have created a welfare fund for Bidi workers;

(b) whether Government have formulated a scheme for utilising this welfare fund for the welfare of Bidi workers;

(c) if so, an outline thereof; and

(d) when implementation of the scheme will start?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai): (a) Yes Sir.

(b), (c) & (d): Schemes for the welfare of Bidi workers which have already been formulated relate to :

(i) setting up of dispensaries/mobile medical units;
(ii) reservation of beds in T.B. Hospitals;
(iii) granting subsidy on construction of houses;
(iv) sanctioning scholarships to the children of workers;
(v) providing recreation through Audio-visual/Cinema Units etc.

Action to implement these schemes has already been initiated in several places.

कलकत्ता में पटसन, इंजीनियरी और सूती कपड़ा उद्योगों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

797. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मई माह कि अंतिम सप्ताह मे अन्य कारखानों और प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त पटसन, इंजीनियरी और सूती कपड़ा उद्योगों में लगभग 10 लाख मजदूरों के महंगाई भत्ता में कटौती तुरन्त बंद किए जाने की मांग करते हुए हड़ताल की;

(ख) क्या इन श्रमिकों को उनके कथनानुसार मूल्य सूचक अंकों को गलत संकलन के कारण बहुत घाटा हो रहा था;

(ग) क्या महाचार्य समिति की सिफारिशों को लागू न करने के कारण स्थिति और खराब हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल के पटसन, सूती कपड़ा, इंजीनियरी, रसायन तथा कुछ अन्य उद्योगों के कर्मचारियों ने 26 मई, 1978 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की । यह सूचित किया गया है कि यह हड़ताल मूल्य सूचकांक में गिरावट के कारण मंहगाई भत्ते में की गई कटौती को दुबारा बहाल करने की मांग के समर्थन में की गई । यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

कृषि और असंगठित श्रमिकों के बारे में एक केन्द्रीय समिति का गठन

798. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को कृषि और असंगठित श्रमिकों संबंधी मामलों के बारे में सलाह देने के लिए केन्द्रीय स्तर की एक स्थायी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या है और वह किन किन संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है; और

(ग) उक्त समिति के कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) से (ग) : ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति के गठन तथा कार्यों के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

799. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री क० मालन्ना :
श्री एस० के० सरकार :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को दासत्व उन्मूलन बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन हेतु एक करोड़ रुपये का अनुमान नियत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) वर्ष 1978-79 के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना की परिकल्पना की गई, जो राज्य सरकारों से प्राप्त बंधित श्रमिकों के पुनर्वास की योजनाओं के लिए बराबर का अनुदान प्रदान करके धन जुटाएगी। केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत ये पुनर्वास योजनाएं स्पष्टतया इस प्रयोजन के लिए तैयार किए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगी और प्रत्येक बंधित श्रमिक को ऊसके मुक्त होने के शीध्र पश्यात निर्वाह भत्ते की अदायगी की व्यवस्था करेंगी । ये पुनर्वास योजनाएं ग्राम लाभानुभोगी स्तर पर लागू की जाएंगी और वे भूमि कौशल/दस्तकारी पर आधारित हो सकती है या अन्यथा स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है ।

भारत ईरान आर्थिक सहयोग

800. **श्री एफ० पी० गायकवाड :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत फरवरी में ईरान के शाह के दौरे के पश्चात भारत-ईरान आर्थिक सहयोग की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है और वर्ष 1978 में "पैकेज" के अधीन ईरान से अशोधित तेल प्राप्त होने में संदेह है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के सचिव ने "पैकेज" समझौते को पुनः सक्रिय रूप से कियान्वित करने के विचार से तेहरान का दौरा किया था क्योंकि तीन प्रमुख भारतीय परियोजनाओं का भविष्य उससे सम्बद्ध है ;

(ग) क्या 5 जून, 1978 को तेहरान में प्रधान मंत्री के कुछ देर रूकने के समय उनके और ईरान के शाह के बीच भारत-ईरान आर्थिक सहयोग पर बातचीत हुई थी; और

(घ) इस समय "पैकेज" के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये क्या परिवर्तन किये जाने की संभावनाएं हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी) : (क) से (घ) । जी नहीं । ईरान के शाह की यात्रा के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में हमारे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श हुआ है । 27 से 28 मई, 1978 तक की तेहरान की अपनी यात्रा और प्रधान मंत्री के 5 जून को वहां रुकने से पूर्व प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव की यात्रा के दौरान शाह की यात्रा के समय जिन संयुक्त परियोजनाओं पर विचार विमर्श हुआ था उनकी भी समीक्षा की गई । राजस्थान नहर के द्वितीय चरण के बारे में एक संभाव्यता रिपोर्ट ईरानी प्राधिकारियों को दी गई। भारत में अल्यूमिनियम और ईरान में अल्यूमिनियम के उत्पादन की योजना के संबंध में दोनो पक्षो के विशेषज्ञों की मार्च-अप्रैल, 1978 में नई दिल्ली में बैठक हुई और वे इस बात पर सहमत हुए कि जब दोनों पक्षों की ओर से संभाव्यता अध्ययन पूरा हो जाएगा, वे सितंबर में फिर मिलेंगे । भारत में एक काग और लुगदी का कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श चल रहा है ।

भारत सरकार ईरान से खरीदे जाने वाली अतिरिक्त कच्चे तेल की मात्रा का अनुमान लगा रही है, जिसके मूल्य के बराबर के रुपयों को अनुमोदित परियोजनाओं में धन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके ।

"होम्यो गर्भ निरोधक" के बारे में 6-4-78 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5828 के भाग (क) के उत्तर को ठीक करने के लिए 20-7-1978 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव द्वारा रखा जाने वाला विवरण

6 अप्रैल, 1978 को सदन के पटल पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5828 का उत्तर रखा गया था। यह पता लगा है कि प्रश्न के उत्तर देने के समय इस मंत्रालय में संबंधित अनुभाग के पास सही सूचना उपलब्ध न होने के कारण इस प्रश्न के भाग "क" का नकारात्मक उत्तर दिया गया था ।

इस प्रश्न के भाग "क" का सही उत्तर यह है कि एक खाए जाने वाला मीठा सीरप सरकार को मिला है ।

4-5-1978 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9142 के दिए गये उत्तर को ठीक करने के लिए 20-7-1978 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव द्वारा रखा जाने वाला विवरण ।

सिद्ध अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति

4-5-1978 को लोक सभा में रखे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9142 में श्री ए० मुरुगेसन और श्री के० ए० राजू द्वारा यह पूछा गया था कि :—

(क) क्या सिद्ध चिकित्सा पद्धति के विकास की देखरेख के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ सिद्ध अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) उक्त प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :—

(क) और (ख) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध) का कोई पद नहीं है । सिद्ध पद्धति के विकास संबंधी काम अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध) देख रहा है। पहले दिए गए उत्तर को नीचे लिखे अनुसार ठीक करने का विचार है :—

"(क) और (ख) : जी नहीं । तथापि, सिद्ध चिकित्सा पद्धति के विकास की देखरेख के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध) का एक पद है । इस पद पर कार्य कर रहे अधिकारी की मृत्यु हो जाने के कारण यह पद 26 अगस्त, 1977 को रिक्त हो गया। यह पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जा रहा है।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव द्वारा 20-7-78 को रखे जाने वाला विवरण ।

15-5-1978 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 10089 के उत्तर को शुद्ध करने संबंधी विवरण ।

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण

15-5-1978 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 10089 में श्री राम सेवक हजारी ने पूछा था कि :—

"(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इण्डियन रेडक्रास सोसायटी द्वारा श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण करने के लिए सहायता का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा और इन होस्टलों को किस-किस स्थान पर बनाया जायेगा ?"

इस उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में जो मैंने कहा था वह इस प्रकार है :—

"(क) भारतीय रेडक्रास सोसायटी के मुख्यालय ने काम-काजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण संबंधी कोई परियोजना नहीं चलाई है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।"

पहले दिए गए उत्तर की इस प्रकार शुद्ध करने का प्रस्ताव है :—

"(क) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के मुख्यालय ने श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण की कोई परियोजना शुरु नहीं की है। तथापि, पंजाब, हरियाणा में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की कुछ शाखाओं द्वारा श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण के लिए सहायता की मंजूरी दे दी गई है ।

(ख) महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों की श्रमजीवी महिलाओं (अधिकतम 800 रुपये प्रति मास की आय वाली) के लिए होस्टलों के निर्माणार्थ निर्माण की कुल अनुमानित लागत के 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है । शेष 25 प्रतिशत की पूर्ति या तो संगठन स्वयं करता है या संबंधित राज्य सरकार । इस प्रयोजन के लिए संगठन के पास जमीन भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे होस्टलों की मंजुरी वहीं दी जा सकती है जहां कम से कम 25 श्रमजीवी महिलाएं आवास को जरूरत वाली हों और यह राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित हो । जहां महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले न हों अथवा इस योजना के अधीन यह अनुदान आपवादिक मामलों में ही स्थानीय निकायों/सहकारी संस्थाओ को दिया जा सकता है।

(ग) 106.46 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता वाले श्रमजीवी महिलाओं के 6 होस्टल अम्बाला, भटिन्डा, पटियाला, अमृतसर, जालन्धर और लुधियाना में निर्मित किए जाने हैं।"

विलम्ब के कारण

सहायता, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही है । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी और समाज कल्याण विभाग से इसका ब्यौरा बाद में प्राप्त हुआ था ।

16 मार्च, 1978 को श्री शिव सम्पत्ति राम द्वारा भारतीय राजदूतावासो में काम करने वालों की संख्या से सम्बद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 के उत्तर को ठीक करते हुए 20-7-1978 को लोक सभा की मेज पर रखा गया विदेश राज्य मंत्री का वक्तव्य

16 मार्च, 1978 को श्री शिव सम्पत्ति राम द्वारा पूछे गये भारतीय मिशनों में काम करने वालों की संख्या क सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 के संदर्भ में उत्तर के संलग्नक की मद संख्या 14 में लिखा है :"बर्लिन (जर्मन संघीय गणराज्य)"। इसको कृपया इस प्रकार पढ़ें, "बर्लिन (पश्चिम)" चूंकि इस गलती की ओर हमारा ध्यान अभी आकृष्ट किया गया है, इसको पहले सुधारना सम्भव नहीं हो सका ।

आगरा में हुई घटनाओं की न्यायिक जांच कराने के लिये संसद सदस्य श्री गोविन्दन नायर द्वारा की गई भूख हड़ताल के बारे में

RE. FAST BY SHRI M. N. GOVINDAN NAIR, M. P. FOR JUDICIAL INQUIRY INTO INCIDENTS IN AGRA

श्री वी० एम० सुधीरन (अलप्पी) : एक वरिष्ठ सदस्य अनशन पर है । उनके जीवन का प्रश्न है । अतः उस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये और उस पर सभा में चर्चा होनी चाहिये ।

श्री के० गोपाल (करूर) : एक सदस्य के जीवन का प्रश्न है और सरकार उनका कोई नोटिस नहीं ले रही है ।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : इस बारे में हम सरकार की ओर से एक वक्तव्य चाहते है ।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : एक मास गुजर गया है जब श्री नायर ने 20 तारीख से अनशन करने का नोटिस दिया था । उन्होंने आगरा में अग्निकांड की न्यायिक जांच की मांग की थी। क्या सरकार इसे देखती ही रहेंगी ।

श्री हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : इससे पता चलता है कि सरकार को इतने वरिष्ट नेता का कोई ख्याल नहीं ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : संसद के एक सदस्य अनशन कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय सरकार को इतने गंभीर मामले पर भी वक्तव्य देने को नहीं कह रहें उन्हें सरकार को कहना चाहियें ।

श्री मल्लीकार्जुन (मेडक) : श्री नायर आमरण अनशन कर रहे हैं । अतः यह बड़ा गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नायर के अनशन के बारे में जोरदार अपीलें सुनी हैं। उनका जीवन बड़ा मूल्यवान है। मुझे आशा है कि सरकार उनकी मांग की ओर ध्यान देगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री गोविन्दन नायर अनशन कर रहे हैं, यह मूल बात है। उन्हें यह अपील करना है कि वह बिना शर्त अनशन त्यागें, उनके 'काज' के साथ अन्याय करना होगा। हम उन्हें अनशन त्यागने की अपील कर सकते है। सरकार को भी तो उनकी कुछ आधारभत बात माननी चाहिये। हमारी इच्छा है कि सरकार इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

संसदीय कार्य तथा श्रममंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : हमें भी श्री गोविन्दन नायर के स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता जितनी विरोधी दल के सदस्यो को है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

दिल्ली के भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री कृष्णचन्द्र की मृत्यु के बारे में
RE. DEATH OF SHRI KRISHAN CHAND FORMER GOVERNOR OF DELHI

श्री सौगत राय (बरैकपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 के अनुसार यदि सभा के सामने कोई महत्वपूर्ण मामला आये तो मंत्री को उत्तर देना पड़ता है। श्री गोविन्दन नायर ने इस मामले को उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत नोटिस दिया था जिसका उत्तर गृह मंत्री ने तारांकित प्रश्न में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में सरकार से रिपोर्ट के लिये कहा है। रिपोर्ट आने पर ही निर्णय दूंगा।

श्री के० सी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : यदि किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो रिपोर्ट मांगने का कोई काम नहीं है।

आप कार्यवाही वृत्तान्त के आधार पर अपना निर्णय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करुंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : जो उत्तर आया है वह कार्यवाही वृत्तान्त का भाग है। उसी आधार पर आप अपना निर्णय दें।

आप टेप रिकार्ड में भी सुन लें कि मंत्री ने क्या कहा।

अध्यक्ष महोदय : आवश्यक हो, तो मैं वैसा भी करुंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने कहा है कि श्री कृष्ण चन्द की हत्या की जांच हो रही है आज के हिन्दुस्तान टाईम्स के अनुसार पुलिस ने कल ही कहा है कि जांच आज ही शुरु की गयी है। इस सम्बन्ध में आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया। उनकी हत्या की गयी। श्री कृष्ण चन्द ने कुछ दिन पहले कहा था कि वे आपातकालीन स्थिति के बारे में सब कुछ साफ-साफ कह देंगे। इसलिये मुझे संदेह है कि उनकी हत्या की गयी है।

अत: आप या तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करें या स्थगन प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) की द्वितीय अनुसूची में किये गये संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं श्री करिया मुंडा की ओर से खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 321 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 जून,

1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 2404/78]

कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम 1978 तथा भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा विवरण

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिन्हा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 871 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 2405/78]

(2) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 2406/78]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में बाढ़

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर): मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:

"उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में आई भीषण बाढ़ से जन, धन, फसलों और पशुओं को हुई हानि।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): 1978 के दौरान असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में पहली जून, से 19 जुलाई, 1978 तक वर्षा सामान्य अथवा अधिक रही। पिछले कुछ दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी वर्षा हुई है। 16 जुलाई, 1978 को गोंडा में 20 सेंटीमीटर, बहराइच में 16 सेंटीमीटर, लखनऊ में 16 सेंटीमीटर और वाराणसी में 8 सेंटीमीटर वर्षा हुई।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में बाढ़ों और बाढ़ से हुई हानियों की स्थिति नीचे दी गई है:—

1. असम:

असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में चार बार बाढ़ें आयीं जिनमें से मई के तीसरे सप्ताह में और जून के मध्य में दो बार मध्यम दर्जे की बाढ़ें आई थीं। तीसरी बार में बाढ़ें 22 जून को आई जबकि ब्रह्मपुत्र और इसकी मुख्य सहायक नदियों मे उत्तर और दक्षिण, दोनों तटों पर विभिन्न स्थानों में पानी खतरे के निशानों को पार कर गया। सारी असम घाटी बाढ़ की चपेट में आ गई थी। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक तटबंध प्रणाली में 19 स्थानो पर दरारें पड़ गई जिनमें से 7 दरारें जनता द्वारा अप्राधिकृत रुप में काटने पर पड़ गई थी। ऊपरी असम में सड़क और रेल संचार व्यवस्था अवरुद्ध हो गई। तेजपुर उप मंडल म तुटिया के निकट ब्रह्मपुत्र तटबंध में काफी गंभीर दरार पड़ गई थी और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए सेना को बुलाया गया था। चौथी बार ये बाढ़े 17 जुलाई से लगातार आ रही हैं।

जुलाई के प्रथम सप्ताह के दौरान कछार जिले में बारक और इसकी सहायक नदियों में ऊंच दज की बाढ़ें आई। उसके पश्चात ये बाढ़ें कम हो गई।

[श्री सुरजित सिंह बरनाला]

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से हुई क्षति के प्रारम्भिक मूल्यांकन से पता चलता है कि इस घाटी में 2.10 लाख हैक्टैयर क्षेत्र और 440 गांवों में 2.0 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई है । 0.19 लाख हैक्टैयर से ऊपर के क्षेत्र में जूट और धान की फसलों को भी क्षति पहुंची । दो व्यक्तियों तथा 5 पशुओं की मृत्यु हो गई ।

2. बिहार :

उत्तरी बिहार में विशंभरपुर जिले के समीप गंडक में आई बाढ़ों से पिपरासी के निकटवर्ती गांव रिटायर्ड बंधा की दरार से और ब्लाक ब्लाक के गांव चम्पारन तटबन्ध को दरार से प्रभवित हुए । राज्य में अन्य सभी बाड़ी नदियों में निम्न से मध्यम दर्जे की बाढ़ें आई । राज्य सरकार द्वारा बाढ़ क्षति के प्रारम्भिक मूल्यांकन के बारे में सूचना से पता चलता है कि सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में 0.37 लाख हैक्टैयर क्षेत्र और 1.57 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई है । 0.06 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 56 लाख रुपये के मूल्य की फसल को क्षति पहुंची ।

3. उत्तर प्रदेश :

गंगा और इसकी सहायक नदियों में अबतक के निम्नसे मध्यम दर्जे की बाढें आई है। देवरिया, पिथोरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तर काशी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बाराबंकी, हरदोई, वस्ती और मुजफ्फरनगर जिले भारी वर्षा/बाढ़ो से प्रभावित हुए हैं। मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में एक बंध और बस्ती जिले में बंसी बंकाटा बंध में दरारें आ गई । जून के तीसरे सप्ताह में भारी वर्षा से अल्मोड़ा जिले की अल्मोड़ा और बागेश्वर तहसीलें प्रभावित हुई जिससे सिंचाई कार्यों के प्रभावित होने सके अतिरिक्त 22.16 लाख रुपये के मूल्य की फसलों और घरों को क्षति पहुंची। हाल ही में बहराइच जिले में भेंगा में उप-मंडल बुरी तरह से प्रभावित हुआ और कई गांव जलमग्न हो गए। जिला मुख्यालय और भेंगा से संचार व्यवस्था कट गई । बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना की सहायता ली गई ।

राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से हुई क्षति के लिए किए गए प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार 1.23 लाख हैक्टेयर क्षेत्र और 379 गांवों में 0.97 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई। 0.54 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल नष्ट हो गई और 2701 घरों को क्षति हुई। मोटे तौर पर फसलों, घरों और जन-सुविधाओं को हुई क्षति का 38.32 लाख रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

आगरा में हुई घटनाओं की न्यायिक जांच कराने के लिये संसद सदस्य श्री एम० एन० गोविंदन नायर द्वारा की गई भूख हड़ताल के बारे में—जारी

RE. FAST BY SHRI M. N. GOVINDAN NAIR, M. P. FOR JUDICIAL INQUIRY INTO INCIDENTS IN AGRA—Contd.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगरा में घटी घटनाओं की न्यायिक जांच करवाने का आदेश दिया है । जांच आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करेंगे ।

श्री वयालार रवि : मंत्री जी को श्री गोविन्दन नायर से मिलकर उन्हें यह बात बतानी चाहिए तथा उनसे अपना अनशन तोड़ने का अनुरोध करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन तथा प्रत्येक दल की ओर से श्री गोविन्दन नायर से अपील करता हूं कि वह अपना अनशन तोड़ दे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE—Contd.

उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में बाढ़—जारी

श्री यादवेन्द्र दत्त : हर साल देश में बाढ़ आती है और सरकार हर साल यही कहती है कि हम अमुक राहत दे रहे हैं। राहत देने का कार्य अपने आप में भ्रष्टाचार का कारण बन गया है। गंगा में बाढ़ को रोकने के असफल प्रयास किए गए हैं। केवल छोटी मोटी राहत देने से कोई लाभ नहीं। क्या वह कृषकों के हित के लिए फसल, और पशुओं की बीमा योजना बनाकर बाढ़ समस्या का स्थायी इलाज खोजेंगे ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बाढ़ों का आतंक स्थायी रूप से बना हुआ है। हर वर्ष कोई न कोई राज्य बाढ़ग्रस्त रहता है। इसलिए कोई स्थायी इलाज नहीं खोजा जा सकता। फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक 533 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

दस्तूर योजना के बारे में प्रश्न पुछा गया है कि क्या इसे क्रियान्वित करना सम्भव होगा? इसके इस योजना का अध्ययन किया है। वह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का अध्ययन करने में ही अनेक वर्ष लग जायेंगे क्यों कि इस में अनेक अन्तर्राज्यीय तथा अन्तरराष्ट्रीय समस्यायें जुड़ी हुई हैं। हम बाढ़ों के लिए व्यापक योजना बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहें है।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : On the basis of the information given in reply to my unstarred question on 17th July, 1978 it can be said that every year the country has to suffer a loss to the tune of Rs. 146 Crores due to floods. In addition to this money is also spent on relief works also. So if this whole amount is taken into consideration this plan can be implemented.

It is stated that crores of rupees are spent by the Government to stop erosion taking place near Narainpur. Sufficient money is also sanctioned for putting bolders etc. in the river but this money is not actually utilied for these purposes.

Lastly, my submission is that all the big rivers should be connected by one year which should altimately be connected with the Sea. A national plan should be formulated to make the best use of Himalayan rivers end save the country from floods. May I know if Government will prepare a national river grid or a national plan for the purpose ?

Shri Surjit Singh Barnala : It is correct that the hon. Member's area is worst flood affected area and in his area there are no bridges on the rivers. We are planning to chalk out some plans for providing necessary bridges in 'this' area and to save the people and property from floods. Where the erosion in taking place, we are constructing spurs. We are also making out an integrated plan for the purpose.

Shri Laxmi Narain Nayab : The hon. Minister has not stated the number of persons who became victims of floods ? What precise steps are being taken for the security of the life of people residing in this area ? What steps are being taken by the Government to make good of the loss which the people have suffered because of floods ?

My last submission is that the old tanks should be cleaned so that more water may be retained there.

Shri Surjit Singh Barnala : So far as this year's figures are concerned, I have got these figures. But I cannot give the figures or last 30 years.

For this year, I have received news from U.P. According to the latest figures collected to-day morning at 8 A.M. 801 villages have been affected by floods. and the total population affected is 1,02,624. 41 persons have lost their lives and 35 cattle are missing.

Shri Ugrasen (Deoria) : The information given by hon. Minister in absolutely incorrect. One thousand villages have been affected by floods and according to official sources 98 persons have lost their lives. Almost all the big rivers of U.P. are rising and several areas are flood stricken.

My concern is how Government is going to control floods. It is a matter of pity and concern that no concrete plan for flood control has been formulated by previous Government. A flood history is essential for fighting the flood in a planned

[Shri Ugrasen]

and organised way. Almost all the rivers of Nepal go through U.P. and Bihar States and more than seven lakh areas of land comes under floods every year. So my submission is that we must have a planned approach for solving this problem.

Sir, during congress regime, study team used to visit this area for relief works. May I know when this study team is likely to visit this area ?

My other submission is that the office of Ganga Water Commission is at Patna and Calcutta. I wish that its office should be opened at Lucknow also.

There is lot of slit in both the rivers Ganga and Bramputra. My submission is that these should also be got cleaned as was got done in case of Hoogli by using a braziar. I would also like to know when the plans regarding which agreement has been entered with Nepal will be implemented ?

Shri Surjit Singh Barnala: Regarding our agreement with Nepal to built Bhalu Bridge, I may submit that our Prime Minister had been there and we have reached an agreement. The first step is that it has already been decided to constitute a Committee to examine the preliminary issues with regard to execution of Karnali Project. India has nominated its representatives and they are likely to nominate their representatives. It has further been decided to hold a meeting if experts from both side. The detailed project will be made within two years. But the problem in this regard is.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ओर अधिक समय लेंगे?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हां, मुझे कुछ और अधिक समय लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : फिर इसे आप मध्यान्ह भोजन के बाद जारी रखिएगा । सभा 2 बजे पुन: समवेत होगी ।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हो गई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2 बज कर 3 मिनट पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Three Minutes past two of the clock.

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व की मैं कृषि मंत्री को बोलने के लिए कहूं, मैं प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने के लिए बुलाता हूं ।

प्रधान मंत्री की बैल्जियम, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका के हाल ही की यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* PRIME MINISTER'S VISIT TO BELGIUM, U.K. AND U.S.A.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष महोदय, 5 जून से 17 जून तक की अपनी विदेश यात्रा के विषय में आपकी अनुमति से मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहूंगा । तेहरान में एक संक्षिप्त तकनीकी पड़ाव के दौरान मैंने ईरान के महामहिम शहनशाह से उनके निमन्त्रण पर भेंट की। बेल्जीयम, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्रियों से और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर मैंने उनके देशों की यात्रा की । मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी अधिवेशन में भी भाषण दिया । विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी लन्दन में मेरे पास आगए और उसके बाद उन्होंने मेरी सहायता की । **ईरान :**

2. तेहरान में मैंने ईरान के महामहिम शहंशाह के साथ लाभदायक विचार-विमर्श किया और विगत फरवरी में उनकी भारत-यात्रा के बाद की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हमने संक्षेप में क्षेत्रीय स्थिति की समीक्षा की । इस विचार-विनिमय से हमारी आपसी सदभावना बड़ी तथा हमारे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता तथा इस क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग में हमारी दिलचस्पी और मजबुत हुई । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन विषयों पर हम लोगों में बहुत हद तक सहमति रही ।

बेल्जियम :

3. बेल्जीयम की मेरी यह यात्रा 1972 के बाद से राजनीतिक स्तर पर पहली यात्रा थी । बेल्जीयम के साथ हमारी कोई राजनितिक समस्या नहीं है किन्तु बेल्जीयम के प्रधानमंत्री के साथ मेरा विचार–विमर्श बहूत लाभदायक रहा और इसमें हमने यूरोप, एशिया और अफ्रीका की समस्याओं पर बातचीत की । हमने विशेष रूप से जाईर की हाल की घटनाओं पर विचार विनिमय किया और हम इस बात पर सहमत थे कि इस क्षेत्र की सुरक्षा का प्रश्न खुद अफ्रीकियों पर छोड़ दिया जाना चाहिये जिसे वे अफ्रीकी एकता संगठन के मार्गनिदर्शन में पुरा करें । मैं बेल्जीयम के महामहिम नरेश से भी मिला ।

4. ब्रुसेल्स में मैंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री राय जेन्किन्स से तथा समुदाय के विदेशी मामलों के प्रभारी उपाध्यक्ष श्री डब्ल्यू हैंफरकेम्प से तथा उनके सहयोगियों से भी मैंने उपयोगी बातचीत की । मैंने उनसे कहा कि प्रमुख व्यापारिक साथीदार की हैसियत से हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय से यह आशा करते हैं कि वह व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा और अल्पकालिक समस्याओं की तार्किकता और प्रतिबन्धनात्मक नीतियों को रोकेगा । इस बात पर सहमति हूई कि युरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हमार समझौते का नवीकरण करने के लिए, क्योंकि यह अगले वर्ष समाप्त होने वाला है, जल्दी ही उच्च स्तर पर बातचीत शुरु होनी चाहिए । यह भी निश्चय हुआ कि क्रमशः ब्रुसेल्स और नई दिल्ली में भारत और युरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए उपयुक्त केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए ।

युनाइटेड किंगडम :

5. मैं 6 से 8 जून तक लन्दन में ठहरा । मैंने महामहिम महारानी से भेंट की तथा हमने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री जेम्स कैलाहन से अधिकारिक रूप से बातचीत की और श्री वाजपेयी ने उनके ब्रिटिश सहयोगी श्री डेविड ओवन से अलग से बातचीत की । हमने अधिकारिक स्तर पर द्वीपक्षीय बातचीत भी की । मैंने विरोधी पक्ष के तथा कन्जरवेटिव पार्टी की नेता श्रीमती मार्गरेट थैचर से तथा लिबरल पार्टी के नेता डाक्टर डेविड स्टील से भी बातचीत की । ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में विभिन्न पक्षों के बहूत से संसद सदस्यों से मेरी मुलाकात विशेष रूप से लाभदायक रही । ब्रिटेन की सरकार के साथ अपनी बातचीत में हमने अन्तर्राष्ट्रीय और द्वीपक्षीय हित के मसलों को उठाया और विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका और उत्तर-दक्षिण की आर्थिक समस्याओं को । हमने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि समाधान के किसी भी ऐसे सूत्र से बचा जाना चाहिए जिससे कि इयां स्मिथ को रोडेशिया में किसी एक अथवा दूसरे छल से जातिवादी अल्पसंख्यक शासन को कायम रखने का मौका मिले । हमारे ब्रिटिश सहयोगियों ने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि वे आंग्ल–अमरीकी प्रस्तावों के मुख्य सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं और संबंध सभी पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रयत्न करेंगे । हमने दूसरी बातों के साथ-साथ नाभिकीय अस्त्रों के विस्तार-प्रसार को रोकने से संबद्ध 1978 के अधिनियम तथा संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण संबंधी विशेष अधिवेशन के संदर्भ में नाभिकीय अस्त्रों के फलाव को रोकने के संबद्ध मामलों पर भी विचार विमर्श किया ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा निरस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष अधिवेशन ।

6. संयुक्त राष्ट्र महासभा के निस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष अधिवेशन में भारत ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और 9 जून को महासभा के समक्ष मैंने जो वक्तव्य दिया था उसकी एक प्रति मैं यहां सदन में रख रहा हूं । इस अवसर पर मैंने कहा था कि निरस्त्रीकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पूर्ण होनी चाहिए तथा एक दूसरे के प्रति सन्देह और डर के वातावरण में शक्तियों के सन्तुलन की नीति के माध्यम से आंशिक निरस्त्रीकरण प्राप्त करने का प्रयत्नकरना व्यर्थ होगा । नाभिकीय अस्त्र विस्तार-प्रसार को रोकने की संधि गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक रूप से नाभिकीय अस्त्रों की वृद्धि पर काबू पाने में असमर्थ रही है । और मैंने प्रस्ताव किया कि वर्तमान नाभिकीय अस्त्रों के भंडार को उत्तरोत्तर कम करके उन्हें पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष अधिवेशन को नाभिकीय निरस्त्रीकरण में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिसीमन और एक समय-बद्ध कार्यक्रम के रूप में पहला कदम उठाना चाहिए और मने परमाणु शक्ति को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विकसित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का विशेष रूप से उल्लेख करते हूए यह भी कहा कि हमें इस शक्ति का प्रयोग विस्फोट के लिए नहीं करना चाहिए । मैंने व्यापक परमाणु प्रतिबन्ध संधि शीघ्र करने के महत्व पर भी जोर दिया । इस विशेष अधिवेशन के परिणाम यद्यपि हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं रहे जिसका कारण यह था कि नाभिकीय सैन्य शक्ति वाले देशों ने कड़ा रूख अपनाया था, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि इस अधिवेशन की समाप्ति पर जो अन्तिम दस्तावेज पारित हूआ था उसमें कुछ ठोस तत्व निहित हैं । जो भी हो अभी हमारे सामने इस बात का मौका है कि हम शेष प्रश्नों को महासभा में उठाएं ।

[श्री मोरारजी देसाई]

7. न्यूयार्क में मैंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डा० कुर्त वाल्धेम से तथा विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष से मुलाकात की।

संयुक्त राज्य अमरीका :

8. मैंने राष्ट्रपति के साथ दो दिन बातचीत की और मैं अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों से भी मिला। मैंने विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित अमरीकियों से भी बातचीत की।

9. मेरी वाशिंगटन यात्रा राष्ट्रपति कार्टर और अमरीकी प्रशासन के साथ मेरी सतत बातचीत का ही एक अंग था। हमारी सभी बातचीत में राष्ट्रपति के जो निस्संकोच हार्दिक और मैत्री पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया उससे मैं एक बार फिर प्रभावित हुआ। हम दोनों में आपसी विश्वास की भावना और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की वास्तविक इच्छा विद्यमान थी। मेरा यह विश्वास है कि यह अमरीका और भारत के बीच परस्पर लाभदायक संबंधों का निर्माण करने के लिए एक मजबूत आधार है ।

10. वाशिंगटन में हमारी चर्चा में द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से संबद्ध बहुत से विषय शामिल थे जिनका उल्लेख संयुक्त विज्ञप्ति में किया गया है और जिसकी एक प्रति मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं।

11. मैंने इस अवसर का लाभ राष्ट्रपति कार्टर और अन्य व्यक्तियों पर यह प्रभावित करने के लिए उठाया कि अमरीका और सोवियत संघ जैसी दो प्रमुख शक्तियों का दायित्व यह है कि वे नाभिकीय निरस्त्रीकरण के मामले में एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नाभिकीय शस्त्रों वाले देश कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति करने में असफल रहे हैं। राष्ट्रपति कार्टर ने हमें व्यापक परीक्षण प्रतिबंध सन्धि और सामरिक अस्त्र शस्त्र परिसीमन के बारे में सोवियत संघ के साथ उनकी बातचीत में हो रही प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। मैंने यह पाया कि वे इन दोनों क्षेत्रों में शीघ्र करार करने के लिए उत्सुक हैं।

12. निस्संदेह नाभिकीय मामला दोनों देशों के बीच मतभेद का एक महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रपती कार्टरने नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव को रोकने से संबंधित 1978 के अमरीकी अधिनियम के उपबंधों के बारे में बताया, जबकि मैंने यह दुहराया कि हम से यह नहीं कहा जा सकता कि हम उन देशों द्वारा पूर्ण ऐतिहासी प्रतिबंध प्रदान किए जाने की बात को स्वीकार करें जिनके पास स्वयं ही नाभिकीय अस्त्र शस्त्र हैं और जो अपने खुद के नाभिकीय सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए ऐतिहासी प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं करते। मैंने तर्क दिया कि अमरीकी कानून अपने दायित्वों को एकतरफा तरीके से परिवर्तित करना चाहता है जब कि हमने अपने कानूनों का सख्ती से पालन किया है। मेरे विचार में अमरीका का यह दायित्व है कि यह तारापुर के लिए 1993 तक समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई करे और वह अपनी मर्जी से इस सप्लाई को बंद नहीं कर सकता।

13. मैंने सीनेट की विदेश संबंध समति और प्रतिनिधि सदन की समिति के सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में अपना दृष्टिकोण बताया। सदन की यह समिति जिसने अपना मत तब तक के लिए रोक रखा था जब तक कि वे मेरी बात न सुन लें, उन्होने अगले ही दिन तारापुर के लिए ईंधन की खेप देने को बहुमत से निर्णय किया। इसके कुछ दिन बाद ही सीनेट की समिति ने भी उसी प्रकार की कार्रवाई की। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिनिधि सभा ने 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम का जहाज लदान करने के राष्ट्रपति कार्टर के कार्यकारी आदेश को अब अनुमोदित कर दिया है।

14. न तो वे और न ही हम यह चाहते हैं कि तारापुर के लिए ईधन की निरंतर सप्लाई के बारे में मतभेदों का गलत अन्दाजा लगाया जाय। लेकिन यह विश्वास करने का कारण है कि हमारी नाभिकीय नीति और नाभिकीय सहयोग के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पहले अपेक्षा और व्यापक रूप से अच्छी तरह समझा जा रहा है। इसलिए हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि नाभिकीय मामले पर हम अपनी वार्ता जारी रखेंगे।

15. मैंने राष्ट्रपति कार्टर और वाणिज्य और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी बातचीत से संबद्ध उनके दो सहयोगियों विकसित देशों में संरक्षणावाद के प्रति बढ़ती हूई प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया मैंने सूती वस्त्रों और इंजीनियरी के माल के विषय में हमारे निर्यातकों को संयुक्त राज्य अमरीका में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका भी उल्लेख किया। इस बात पर सहमति थी कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार और अन्य आर्थिक आदान प्रदानों का विस्तार करने की पर्याप्त संभावना है। तदनुसार, अमरीका की वाणिज्य मंत्री श्रीमती क्रेप्स इस संभावनाका पता लगाने के लिए इस वर्ष के अन्त में भारत की यात्रा करेगी। मुझे खुशी है कि मेरे विचार विमर्शों के परिणाम स्वरूप संबंद्ध अमरीकी विभाग ने वस्त्रों की खेप के संबंध में जो अभी तक रूकी हूई थी, अपने रवैये में ढील दे दी है।

16. नि संदेह, जहाँ कहीं भी मैं गया वहाँ भारतीय समुदायों के सदस्यों और प्रतिनिधियों से मिला। उनकी संख्या में और उनके व्यवसायों के स्वरूप में वृद्धि हो रही है। इससे जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। हम उनका कल्याण चाहते हैं और बहू-जातीय समरसता की ओर उन्मुख उन सभीप्रयत्नों की सराहना करते हैं जिनसे वे मान-मर्यादासे रह सकें। यह स्थिति विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय भाइयों से इस बात की अपेक्षा करती है कि वे जहाँ कहा भी हों वहाँ के कानूनों को स्वीकार करें और सहनशक्ति की प्राचीन भारतीय परम्परा को ध्यान में रखते हुए अपने आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल अपने को बना लें। मैंने अपने देशवासियों को सलाह दी कि उन्हें अपने अचरण से अपने आपको भारत के, उनके जन्म के देश के, योग्य सिद्ध करना चाहिए। ब्रिटेन में, आप्रवासी भारतीय समुदाय को जातीय संबंधों के बिगड़ जाने की आशंका थी। मैंने ब्रिटेन के नेताओं का ध्यान इन आशंकाओं की ओर आकृष्ट किया और उन्हें तथा भारतीय समुदायके नेताओं को कहा कि विभिन्न जातीय वर्गों के बीच परस्पर विश्वास और समरसता संवधित करने की आवश्यकता है। इसे सर्वोत्तम मार्ग के रुप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया।

निष्कर्ष :—

17. मुझे उन देशों से, जिनकी मैंने यात्रा की, यह आभास मिला कि भारत में उनकी मित्रतापूर्ण और गहरी अभिरुचि है। वे लोग अंतर्राष्ट्रीय मसलों और वास्तविक गुटनिरपेक्षता के प्रति हमारे निर्माणात्मक दृष्टिकोण की बहुत सराहना करते हैं। गणतांत्रिक मानदण्डों और व्यक्तिक स्वतंत्रता को पुन: प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के हमारे उपायों की बहुत प्रसंशा हुई है। आर्थिक विकास के हमारे प्रयत्नों, जिनमे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, उस सब अवगत हैं और वे इस दिशा में हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की हमारी इच्छा पर भी समझ-बूझ के साथ विचार किया गया है। हमारी विदेश नीति की नई दिशा को भी समझा गया है और उसकी सराहना की गई है। बहूत स नेताओं ने पश्चिमी एशिया के सुधरे हूए वातावरण के लिये हमें बधाई दी और वे चाहते हैं कि ऐसा वातावरण हमेशा रहे तथा यह और सुदृढ़ हो। सदन इस ओर से पूरी तरह सन्तुष्ट हो सकता है कि इस समस्या-पूर्ण विश्व में भारत का स्थान ऊंचा है और संसार यह चाहता है कि भारत में स्थायित्व बढ़े और यह भी कि घर और बाहर दोनों ही जगह भारत अपने चुने हूए रास्तों पर चले।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं स्पष्टीकरण के लिए प्रधान मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उसके किए मैं फिर कभी समय निकालूगा। **(व्यवधान)**

श्री बी० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागर) : मैं भी कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम कुछ समय निकालने का प्रयत्न करेंगे। कल ही कार्य मंत्रणा समिति ने इस मामले पर विचार किया था। शीघ्र ही विदेश मंत्री बेलग्रेड जाने वाले है जहां कि विदेशी मंत्रियों की बैठक हो रही है। उनके लोटने पर, इस विषय पर चर्चा की जायेगी। श्रीमती पार्वती कृष्णन्।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं उस खेड़े में गई थी जहां श्री नायर भूख हड़ताल पर हैं। मैंने उन्हें सरकार के न्यायाधिक जांच करवाने के निर्णय के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में बता दिया है। सदन में आज प्रात:काल जो भावनाओं व्यक्त की गई थी, उनके बारे में सभी मैंने उन्हें बता दिया था। श्री नायर ने प्रधानमंत्री द्वारा मामले में तत्परता दिखाये जाने का स्वागत किया है। उन्होंने सभा द्वारा समर्थन किये जाने का स्वागत करते हूये, भूखहड़ताल समाप्त करने का निर्णय किया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—Contd.

उत्तर प्रदेश आसाम और बिहार में बाढ़

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का मैं उत्तर दे चका हूं।

The second question is about sending a study team. The study teams are send only in those states, which are affected by floods.

[**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]** MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

If any state Government will asks for sending a study team, we will certainly send it to assess the loss caused by floods and necessary assistance will also be given.

The suggestion of the hon. member to shift the office of Ganga Commission from Patna to Lucknow is not acceptable, because Patna is a Central place and from there the flood control operations in U.P., Bihar and West Bengal can be carried on properly.

Shri Ugrasen: I did not say about shifting the office. I want a sub-office to be opened in Lucknow.

Shri Surjit Singh Barnala: The hon. member suggested to use dredgers to control floods. It has been our experience that it involves heavy expenditure and so there is no use of using dredgers for flood control purpose.

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम तथा देश के कई अन्य भागों में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय निकालने के लिए 1953 से 1976 तक लगभग 29 उच्चस्तरीय समितियां नियुक्त की गई हैं, किन्तु इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा लकता है कि इस समस्या के प्रति कोई गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं तथा एक हजार गांव पानी में डूब गये हैं। फिर भी मंत्री जी द्वारा गंभीरता से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। श्री उग्रसेन ने बिहार, उत्तर देश आसाम के बाढ़ पीड़ित लोगों की कठिनाइयों के बारे में जो भावनाएं व्यक्त की है, मैं उनसे सहमत हूं।

ऐसी स्थिति में राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए। सरकार ने राहत के तौर पर क्या-क्या कार्य किया है? क्या सरकार राज्य सरकारों को निदेश देगी कि वे भूमि राजस्व की वसूली न करें? सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय कर रही है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बाढ़ स्थिति के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता चूका हूं। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि हम कौन कौन से राहत कार्य कर रहे हैं। राहत कार्य प्रायः राज्य सरकारें द्वारा किए जाते हैं। हम उन्हें हर प्रकार की सहायता देते हैं। यदि उन्हें अनाज की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें अनाज की सप्लाई कर देते है।

उदाहरण के लिए गत वर्ष हमने कुछ गांवों में पकी पकाई रोटियां भेजी कुछ शिबिरों में चिकित्सा आदि की व्यवस्था की कहीं कहीं सहायतार्थ सेना भेजी।

कार्यमंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

19 वां प्रतिवेदन

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 19 वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

लोकपाल विधेयक
LOKPAL BILL

(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं जन सेवकों के विरुद्ध अवचार के अभिकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जन सेवकों के विरुद्ध अवचार के अभिकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाये जायेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन, उससे पहले मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । मैं समझता हूं कि नियम 304 तथा 305 तथा निदेश 92 तथा 93 का अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए ।

इस विधेयक का असाधारण राजनीतिक तथा विधायी महत्व है और इसलिए सभा मुझसे सहमत होगी कि इस पर विचार करते हुए नियम 304 तथा 305 और निदेश 92 तथा 93 का अवश्य अनुपालन किया जाना चाहिए । निदेश 92 तथा 93 का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है ।

इस समिति के केवल साक्ष्य, प्रारुप प्रतिवेदन तथा विलंबित प्रतिवेदन पेश किये गए हैं तथा अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं । कार्यवाही वृतांत तथा अन्य दस्तावेज भी पेश किए जाने चाहिए, निदेश 93(एक) के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन तो पेश कर दिया गया हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : निदेश 92 का अनुपालन नहीं किया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्रीमन्, जिन दस्तावेजों को सभा में पेश करना था उन्हें ग्रन्थालय में रख दिया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : निदेश 92 में कहा गया है :

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात श्री मिश्र ने कही है । जिन दस्तावेजों का आपने उल्लेख किया है, उन्हें ग्रन्थालय में रख दिया गया है । यह ठीक है कि सूची में उनका विवरण न दिया गया हो ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा श्री कान्तिभाई देसाई और कुछ मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के कथित आरोप

श्री वसंत साठे (अकोला): सभा के नेता श्री मोरारजी देसाई के प्रधान मंत्री के रूप में उनकी विश्वस नीयता और दृढ़ता को भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री चरणसिंह ने चुनौती दी है, जिन्होंने श्री कांतिभाई देसाई तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अरोप लगाए हैं और प्रधान मंत्री को अपने पुत्र को बचाने का आरोप लगाया है । प्रधान मंत्री के बेटे के भ्रष्टाचार के मामले में प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के बीच काफी पत्र-व्यवहार हुआ है । जो समाचार मिले हैं उन में प्रधान मंत्री और उनकी सरकार की प्रतिष्ठा काफी कम हुई है । यह जरुरी है कि लोगों को भी मामले के तथ्यों का पता चले । अत: मैं प्रधान मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री से अपील करता हूं कि वह स्थिति स्पष्ट करे । उन दोनों के बीच लिखे गए पत्र सभा पटल पर रखे जायें ।

(दो) पिछड़ी जातियों के लिए सेवाओं में पदों के आरक्षण बारे में राष्ट्रीय नीति की घोषणा करने में विलम्ब

Shri Hukmdeo Narain Yadav (Madhubani) : The Government of Bihar has declared that 26 percent reservations will be made for backward classes in the Government services with effect from the 1st April, 1978. Some disturbances took place in Bihar on this issue. The Central Government then requested the Bihar Government to reconsider the matter and also stated that a national policy will be determined in this regard. But no decision has been taken in the matter so far. The Janata Government has also not fulfilled their Commitment made in the Janata Party election manifesto that 25 to 33 per cent posts in Government Services will be reserved for backward classes in implementation of the recommendations of Kaka Kalekar Commission. I would request the Government to expedite necessary action in the matter.

(तीन) हिन्द महासागर का विसैन्यीकरण

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : दो महांशक्तियां अमरीका तथा सोसियत संघ हिन्द महासागर के विसैन्यीकरण के लिए आगे नहीं आ रही हैं । लगता है कि न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के हाल ही में समाप्त हुए विशेष निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इसकी और विशेष ध्यान नहीं दिया गया । तटीय देशों को इस बात पर आपत्ति नहीं है कि वे अपने सैनिक जहाज स्वतंत्रतापूर्वक समुद्री रस्तों से ले जा सकते हैं लेकिन वे यह नहीं चाहते कि यहां स्थायी अड्डे बनाए जायें । मेरा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि एक वक्तव्य इस बारे में दें ।

[श्री धीरेंद्रनाथ बसु

(चार) आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र की खराब स्थिति के समाचार

श्री राज कृष्ण डान (बर्दवान) : पश्चिम बंगाल के लोग खराब पारेषण के कारण कलकत्ता केन्द्र से प्रसारण होने वाले कार्यक्रम ठीक से नहीं सुन सकते। जिसके परिणामस्वरुप लोगों को मजबूर होकर बंगलादेश आदि जैसे पडोसी देशों के कार्य सुन: पड़ते हैं जिनसे देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के मन में भ्रम पैदा होगा। कलकत्ता की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि वहां लोगों के मार्गदर्शन के लिए एक शक्तिशाली जन-प्रचार माध्यम होना चाहिये। अत: मेरा अनुरोग है कि कलकत्ता में आधुनिक तकनीक वाला अत्यंत शक्तिशाली यंत्र लगाया जाये।

(पांच) दिल्ली में बसों के ड्राइवरों के लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि के समाचार

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : The number of accidents due to rash driving by DTC drivers in Delhi is increasing day by day. Last night two Members of Lok Sabha, Sarvashri Mohan Bhaiya and Parmanand Govindjiwala were knocked down by a bus near Vijay Chowk and they are lying in Willingdon Hospital in a critical condition. In order to avoid such accidents, I would suggest that frequency of buses should be increased by 25% at peak hours, passengers must be allowed to get down at their destinations before the buses moved ahead. Traffic Officers should be posted at bus stops to check the speed of buses and challan the drivers found violating the rules. A Road Safety Week should be observed after every six months and the Government should compensate the victims of accidents and should realise the amount of compensation from owners of the concerned buses.

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक
CUSTOMS TARIFF (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधान सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जायेगा। श्री सतीश अग्रवाल।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में और आगे संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्रीमानजी विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी वक्तव्य में विधेयक के उद्देश्यों का व्यापक ब्यौरा के दिया गया है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 जो कि 2 अगस्त, 1976 को लागू किया गया था, उसमें एक नई योजना दी गई थी। इस से पूर्व भारत में आयात किये गये तथा भारत से निर्यात किये गये माल पर सीमाशुल्क की दरें भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में, जो 1934 में ही बना था, की अनूसूचियों में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक देश 1952 में सीमाशुल्क सहकारिता परिषद नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय स्थापित करने के लिये सहमत हुए थे जिसका मुख्य उद्देश्य सीमाशुल्क प्रक्रिया, तकनीक तथा टैरिफ संहिता को समान बनाता था। भारत 1971 में इसका सदस्य बना। इस परिषद के एक सम्मेलन को नामावली सम्मेलन कहा गया जिसने सदस्य देशों के लिये एक समान सीमाशुल्क संहिता की सिफारिश की थी। इस संहिता को आम तौर पर सीमाशुल्क सहकारिता परिषद नामावली या सी सी सी एन कहते हैं। सी सी सी एन की योजना का आशय सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिये माल का सुगमता से तथा शीघ्र वर्गीकरण करना, विवाद को कम करना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक समान रूप से लागू करना है।

इन फायदों को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी अर्थ व्यवस्था के सन्दर्भ में हमारे विदेश व्यापार के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि हम सीमाशुल्क टैरिफ में संशोधन करें ताकि इसे सी सी सी एन के अनुरुप बनाया जा सके। अत: संसद द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 पास किया गया जो 2 अगस्त, 1976 को लागू किया गया। परन्तु हम फिर भी सी सी सी एन के अनुरूप इसे पूरी तरह न बना सके।

बाद में हमारे टैरिफ के लिये सी सी सी एन को स्वीकार सम्बन्धी प्रस्ताव पर सीमाशुल्क सहकारिता परिषद परामर्श करके विचार किया गया। परिषद ने बताया कि कुछ मामलों में सी सी सी एन योजना से हट कर काम किया गया है। कुछ मामलों में ऐसा जान बूझ कर किया गया है जब कि कुछ मामलों में ऐसा करने से कोई

लाभ नहीं हुआ है । अतः बाद की बातों को सुधारना आवश्यक समझा गया। विधेयक में ऐसे संशोधन करने की मांग की गई है जिन्हें सी सी सी एन के टैरिफ के अनुरुप बनाने के लिये आवश्यक समझा गया है।

कुछ संशोधन लाने के एक अन्य कारण यह है कि सीमाशुल्क सहकारिता परिषद ने वर्तमान सी सी सी एन को 1 जनवरी, 1978 से कुछ संशोधन स्वीकार करने की सिफारिश की है । ये संशोधन, जो परिषद की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी, 1978 से लागू हो गये है, तकनीकी प्रकार के हैं और कुछ शीर्षकों की परिभाषा स्पष्ट करना इनका उद्देश्य है । इस विधेयक में केवल वही संशोधन शामिल किये जायेंगे जो हमारे द्वारा स्वीकृत सी सी सी एन के संहिता के अनुसार आवश्यक समझे गये हैं। तदनुसार जिन संशोधनों को अपने टैरिफ में शीर्षकों के अनुसार आवश्यक नहीं समझा गया, नहीं लिया गया है । इसी तरह सीमा शुल्क, 1962 के उपबन्धों के विरुद्ध संशोधनों को शामिल नहीं किया गया है ।

हम यू० के० तथा अन्य कुछ देशों के साथ अपने परस्पर व्यापार के लिये अधिमान्य सीमाशुल्क टैरिफ की व्यवस्था कर रहे हैं। यू० के० द्वारा यूरोपीय सांझा बाजार में शामिल होने के बाद इस समझौते को समाप्त करने का निर्णय किया गया और यू० के० के साथ अधिमान्य व्यवस्था को कई चरणों में बांटा गया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 4 में अधिमान्य प्रबन्धों को समाप्त करने वाले उपबन्ध है। इस विधेयक का उद्देश्य इस धारा का संशोधन करना है । ऊपर बताए गए उपलब्ध के अन्तर्गत समुचित अधि सूचनाएं जारी करके मूल ब्रिटेन की वस्तुओं की अधिमान्य दरें 1 जुलाई, 1977 से समाप्त कर दी गई । अतः इस विधेयक का उद्देश्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से सम्बन्धित अनुसूची के कालम 4 का लोप करना भी है जिसका सम्बन्ध ब्रिटेन मूल की वस्तुओं के लिए शुल्क की अधिमान्य दरों से है और उसके पश्चात् अधिनियम की धारा 4 तथा 7 में संशोधन करने हैं। ब्रिटेन को छोड़कर शेष सभी अधिमान्य क्षेत्रों में अधिमान्य प्रबन्ध जारी रखे हुए हैं।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में इस विधेयक द्वारा किए जाने वाले सभी परिवर्तन औपचारिक स्वरुप के हैं और इनमें प्रत्यक्ष या महत्वपूर्ण रुप से राजस्व की कोई जटिलता अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार) : निराशा की बात है कि मंत्री जी ने देश में बढ़ती हुई तस्करी को समाप्त करने के लिए इस विभाग द्वारा गत 16 महीनों के दौरान की गई कार्यवाही के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा । मैं जानना चाहता हूं कि इस अवधि के दौरान कितने छापे मारे गए और बरामद की गई वस्तुओं के क्या आंकड़े हैं।

मेरा विचार है कि जब तक मंत्री जी की सहायता के लिए योग्य तथा ईमानदार अधिकारी नहीं होते तब तक चाहे हम यहां कितने भी संशोधन पारित करें उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हीं नहो सकता और इसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते ।

ये तकनीकी मामल हैं और आम सदस्य को इनको समझना आसान नहीं है । इसलिए मंत्री जी को कुछ संसद सदस्यों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा स्थानों पर ले जाना चाहिए और उन्हे इस विभाग के समूचे कार्यकरण को समझाना चाहिए ताकि सदस्यों को इन मामलों के बारे में जानकारी हो सके और वे सरकार को सही सुझाव दे सकें ।

सीमाशुल्क विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । जब हमारे लोग विदेशों से वापस भारत आते हैं तो वे अपने साथ अपनी खून पसीने की कमाई से कुछ वस्तुएं खरीदकर लाते हैं। किन्तु उनके साथ सीमाशुल्क की सभी औपचारिकताएं बरती जाती हैं जबकि तस्करों के मामले में यह विभाग उदारता दिखाता है । सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

हम धारा 4 को समाप्त करने का स्वागत करते हैं। मंत्री जी ने यह एक बहुत ही अच्छा संशोधन पेश किया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The amending Bill sought to bring amendments of technical nature only and hence could not be called complete. It would have been better if a comprehensive Bill is brought to make the customs department more efficient and to eradicate the corruption rampant in the department.

The particulars of the smugglers who were caught, full details of the activities for which they were caught and the action taken against them should be given wide publicity so that they lost their respect and prestige in the society.

As the time passed the art of smuggling is becoming more and more scientific and systematic and big people are found to be involved in it. A great deal of smuggling is being done through diplomatic channels also. The action Government proposed to remove this evil should be made known to the Members.

It was declared by the Government that they would import gold and would export the ornaments made out of it which would provide employment to a large number of people. In this context I may point out that the Gold Control Act, as it existed today, is no more useful. It should be repealed so that about a million goldsmiths could get employment.

Custom clearance facilities are available at big airports only like Delhi, Bombay, Madras, Calcutta etc. Action should be taken, in consultation with the Ministry of Civil Aviation to set up mort customs clearance centres as also to streamline and make easy the procedure of customs clearance.

It was seen that a large number of cases of violation of customs laws are pending for the last 5-10 years. Some machinery should be set up to expedite the disposal of such cases and if necessary, reorganisation of the department should also be made for this purpose.

It is learnt that smuggled goods worth crores of rupees which were seized by the customs department are lying in stores. It was stated earlier that Government would like to send back such confiscated goods to the countries of their origin. In my opinion it is not a good proposition as it would involve much expenditure on transport and it would also not be easily possible to find buyers of those goods in those countries. Such goods should be sold here and revenue earned thereby should be utilised for productive and development purposes. In regard to perishable goods earlier policy should continue.

Some officers are also found to be involved in cases of violation of customs laws. Necessary action should be taken against such persons. The Minister should act more liberally in making the baggage rules simplified.

The Hon. Minister may state the quantity of goods confiscated, returned and sold namewise during the last 15 years.

There are a number of cases involving import and export of goods worth crores of rupees without custom and other duties, during the regime of Mrs. Indira Gandhi. The Hon. Minister should atleast throw light on some of the important cases investigated by the C.B.I.

I want to congratulate the Hon. Minister for simplifying the Baggage rules. They should be made more liberal. I fully support this Bill.

श्री ए० सी० जार्ज (मकंतपूरम) : पिछले 15 महीनों के दौरान औद्योगिक तथा तकनीकी नीतियों के सम्बन्ध में अनेक घोषणायें की गयी है ।

इस विधेयक में कुछ तकनीकी विवरण दिये गये हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से निपटने के लिये कुछ परिवर्तन किये गये हैं। सी० सी० एन० नामों का लेखा-जोखा रखती है क्योंकि इस विभाग को सैकड़ों देशों से सम्बन्ध रखना पड़ता है और विश्व भर से माल आता है। पिछले एक वर्ष की वाणिज्य मंत्रालय की

कारगुज़ारी न के बराबर है तथा इस कारण हमारे ऊपर 100 करोड़ रुपये का भुगतान चढ़ गया है। पर यह जानना रुचिकर होगा कि हमारी विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ कर 4300 रुपये हो गया है। 700 करोड़ रुपये का प्रतिकूल भुगतान संतुलन होने पर यह 5000 करोड़ रुपये बैठता है। यह रुपया 150 लाख भारतीयों से आ रहा है, जो विदेश में रहते है। जैसे खाड़ी आदि के देशों से आ रहा है। सरकार को उनका अहसान मानना चाहिये। अतः सरकार को बैगैज नियमों को उदार बनाना चाहिये। इस विभाग के कार्य में सुधार करें तथा बाहर से आने वाले भारतीयों को भी अपने समान देश भक्त माना जाये।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : This is not a controversial Bill. According to the available statistics smuggling business worth Rs. 3 to 6 crores is transacted every year for which custom authorities are solely responsible. Smuggling is increasing with the increase in export.

It is really sad that custom officers are collaborating with the smugglers by way of international loose check on the movement of smuggling boats.

In view of past record, it is necessary to appoint an Intelligence Department at the boarders to check smuggling.

It has been repeatedly suggested that high speed boats to check the smuggling should be purchased by the Government and put into operation. I request the Government to implement this suggestion.

The Government should also simplify the tarrif customs structure. We should adopt long term policy in respect of exports. As suggested by Sh. A. C. George we should not charge any custom duty on x-ray photo equipment for Medical colleges, baby food etc. etc. but the duty should be increased an luxury items.

श्री अरविंद बाला पंजनौर (पांडिचारी) : मंत्री महोदय इस संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने के लिए बधायी के पात्र है। मेरी शुरु ही से यह शिकायत रही है कि संसद सदस्यों को इस प्रकार के विधेयक सम्बन्धी दस्तावेज तथा अन्य सामग्री नही दी जाती जिससे पढ़कर वे चर्चा में भाग ले सकें। मेरे विचार में संसद सदस्यों को यह सामग्री मिलनी ही चाहिये ताकि वे अध्ययन करके चर्चा में भाग ले सके।

यह अच्छी बात है कि यू० के० के माल को जो तरजीह दी जाती थी, अब समाप्त की जा रही है।

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, वे सभी तकनीकी मामले हैं। इसलिए उनपर अधिक न बोलते हुए अन्य सदस्यों के समान मैं भी मंत्रालय में कार्यकरण पर प्रकाश डालूंगा।

हमारी समुद्री बन्दरगाहों की हालत बहुत खराब है। विदेशों से लौट कर आने वाले लोगों की दशा बहुत खराब है। जब श्रमिकवर्ग या मध्यम वर्ग के लोग वापस भारत आते हैं, तो सीमाशुल्क अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों का उनके प्रति व्यवहार बहुत गन्दा तथा दयनीय होता है। अतः इस सम्बध में गतिशील कदम उठाने होंगे। यह अच्छी बात है कि सामान नियमों में ढील की गई है। परन्तु यह ढील पर्याप्त नहीं है। यह ढील, प्रत्येक को उसके द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए गए योगदान के अनुपात में दी जानी चाहिए।

प्रतियोगिता की भावना बनाए रखने के लिए कुछ समय बाद संरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा सुधार करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है।

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : इस विधेयक का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है तथा इसमें निहित मामले तकनीकी तथा औपचारिक किस्म के हैं। उद्देश्यों तथा कारणों सम्बधी विवरण में यह बताया गया है कि 1975 में पास किये गये सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में सीमाशुल्क टैरिफ प्रणाली में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली नामावली तथा शब्दावली को बदलने के लिये सर्च मदा की विस्तृत सूची नहीं दी गई है।

अतः यह सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिये है। अतः यह आवश्यक है कि नामावली तथा शब्दावली को तदनुसार बदला जाये और इस उद्देश्य हेतु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम पास किया गया था और वर्तमान संशोधन विधेयक में अब कुछ और परिवर्तन करने की मांग की गई है।

[श्री दिनेश जोरदर]

इन संशोधनों का स्वागत है । यह तकनीकी प्रकार की हैं। अतः इसी कारण विभाग ने हवाई अड्डों तथा बन्दरगाहों पर सीमाशुल्क के विभिन्न केन्द्रों में प्रयोग शालायें, आधुनिक मशीनरी तथा उपकरण लगाना आवश्यक समझा ताकि आयातित वस्तुओं की किस्म का आसानी से तथा सही पता चल सके तथा उनका मूल्यांकन किया जा सके । ऐसी प्रणाली लागू करने की मांग की गई है । मालूम नहीं कि इस प्रकार की तकनीकी वस्तुओं के मूल्यांकन को आधुनिक तथा युक्तियुक्तकरण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई
DR. SUSHILA NAYAR *in the chair*]

सीमाशुल्क विभाग द्वारा समय-समय पर पत्र पत्रिकाएं निकाली जानी चाहिये जिनमे सीमाशुल्क पद्धति के बारे में जानकारी दी गई हो तथा सीमाशुल्क विभाग सम्बन्धी नियम, उपनियम तथा विनियम बताये गये हों।

मूल्यांकन प्रणाली में भारी विषमता है । हमारे सीमाशुल्क विभाग में वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली को कोई विशिष्ट स्तर नहीं है । अतः इस प्रकार की विषमता को दूर किया जाना चाहिये ।

जहां तक सीमाशुल्क विभाग में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि विभाग की असक्षमता तथा उसमें बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण ही पकड़े गये तस्करी के माल की मात्रा में कमी हुई है। विभाग द्वारा कुछ ऐसा ठोसी प्रणाली लागू करनी होगी ताकि जब लोग अपने देश में आयें तो वे परेशान न हो।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये माल का निपटान नहीं किया जाता । इसे यथाशीघ्र निपटाया जाना चाहिये । सामान को जब्त करने की प्रक्रिया भी सही नहीं है ।

सीमाशुल्क अधिनियमों तथा अन्य सभी अधिनियमों का स्वरुप बड़ा जटिल है । इनका सरलीकरण किया जाना चाहिये । इन कानूनों को सरल बनाया जाना चाहिये ताकि आम लोग इन्हें जान सकें ।

सीमाशुल्क की लेवी के सम्बन्ध में लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प उद्योगों की सहायता की जानी चाहिये । इन छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा हस्तशिल्प उद्योगों को सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क में रियायत दी जानी चाहिये । जब वे अपना सामान विदेशों में निर्यात करते हैं तो उन सभी आवश्यक रियायतें दी जानी चाहियें ।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का निरसन किया जाना चाहिये । स्वर्ण नियंत्रण प्रणाली, रिजर्व बैंक द्वारा सोने की निलामी तथा इस देश में सोने के आयात संबंधी नीति की पूर्ण समीक्षा की जानी चाहिये ।

Shri **Hukmdeo Narain Yadav** (Madhubani) : Smuggling often takes place as a result of convinance of corrupt politicians, corrupt bureaucracy and corrupt capitalists. Unless their collusion is broken, it will not be possible to abolish smuggling. It require a very strong and firm determination to smash their collusion. The smuggled goods are mainly used by affluent sections of the society. Therefore, a legislation should be enacted to provide that the use of smuggled goods will be considered an offence of treason and the offenders will be given deterrent punishment. The market for smuggled goods should be abolished. A ban should be imposed on the import and the use of foreign goods. Only then it may be possible to check smuggling.

Some kind of vigilance should be exercised on the officials of customs department. Honest officials should be given due reward whereas corrupt officials should be given punishment.

श्री वयालार रवि (चिरियंकिल) : यह विधेयक बहुत ही तकनीकी स्वरुप का है । यह विधेयक पेश करने के लिए मंत्री महोदय निश्चित ही धन्यवाद तथा बधाई के पात्र हैं।

यह स्वागत योग्य परिवर्तन है कि गत तीन वर्षों से विदेशों से यहां भेजी जाने वाली राशि 1200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1900 करोड़ रुपये हो गई है। इस वर्ष हमारे निर्यात-आयात व्यापार में 900 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । इस घाटे को विदेशों में रह रहे हमारे लोगों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि से पूरा किया जा सकता है । मंत्री जी को विचार करना चाहिए कि इन क्षेत्रों में हम अपने निर्यात को कैसे सुधारें क्योंकि वहां

रह रहे लोग भारतीय मूल के हैं। मंत्री जी को उन कतिपय वस्तुओं पर कुछ रियायत देनी चाहिए जिनका उपयोग वहां भारतीय लोग करते हैं और जो लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में रह रहे है। हमारे अपने लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके प्रयोग हेतु कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में रियायत की जाती है। वे अधिक धन बचायेंगे और हमारे देश में अपने सम्बन्धियों को भेजेंगे। इससे हम अधिक विदेशी मुद्रा कमायेंगे।

अच्छी बात है कि सीमा शुल्क विभाग में कुछ सुधार हुआ है। किन्तु अभी भी इसमें सुधार करने की गुंजाइश है। मद्रास हवाई अड्डे में सुधार करने की आवश्यकता है।

जहां तक सीमा शुल्क कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं। अतः इन लोगों की पदोन्नति के लिए अवसर पैदा किए जाने चाहिए।

विदेशों में रह रहे लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सामान नियमों में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। भारत में भेजी जाने वाली धनराशि के अनुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर भी मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को यह विधान पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बंगलादेश तथा नेपाल की सीमा पर तस्करी आये दिन बढ़ती जा रही है। भारत में विभिन्न पत्तनों में 500 करोड़ रुपये के मूल्य का तस्करी माल पड़ा हुआ है। बार बार अनुरोध करने पर भी इसे बेचा नहीं गया है क्योंकि इसमें कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी दोष हैं। मंत्री जी को ये दोष दूर करने चाहियें।

सोना छोटे छोटे नीलामी कर्ताओं तथा स्वर्णकारों को बेचा जाना चाहिए था जो कि प्रायः उपभोक्ताओं के लिये जेवर बनाते हैं। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में समुचित नीति अपनायी जानी चाहिय ताकि बाजार में केवल बड़े बड़े अमीरों का ही एकाधिकार न रहे।

आर्थिक अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिये। किसी भी तस्कर को बिना दंड दिये नहीं छोड़ना चाहिये। मंत्री जी को सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों को आदेश देने चाहियें कि वे विदेशों से आने वाले इमानदार भारतियों को तंग न करें और नियमों के अनुसार वे जो वस्तुएं वहां से लाते हैं, उन्हें लाने दे।

Chaudhury Balbir Singh (Hoshiarpur) : So many things have been said about smuggling. Those who owns foreign articles like Radio, T.V. furniture or cars are considered previledged persons in our country and those keeping Indian made goods are not treated as such.

The custom officers and their relatives have flourished with the blessings of smugglers. The big industrialists have been making money by way of fraudulent methods of import and export. They are looting the country.

The Hon. Minister should bring about reforms in his Department. We should not use and encourage the foreign made goods. Strict check should be kept on custom officials.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैंने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा सरकार को सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों सम्बन्धी विषयों के साथ सामने आना चाहिये और मंत्री को यथाशीघ्र एक विस्तृत विधेयक लाना चाहियें।

देश के अंदर विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मंत्री को सीमाशुल्क विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिये कदम उठाने चाहिये।

तस्करी बहुत ही तकनीकी, वैज्ञानिक तथा सुसंगठित बन गयी है। अतः इसकी रोकथाम के उपायों को भी अधिक वैज्ञानिक तथा सुसंगठित बनाया जाना चाहिये। सीमाशुल्क विभाग को अच्छे औजार तस्करों को पकड़ने के लिये तेज गति से चलने वाली नौकाओं तथा औजार दिये जाने चाहिये।

वस्तुओं को गलती से नहीं पकड़ा जाना चाहिये। सरकार सजा दे सकती है लेकिन चीजों को लम्बे अर्से तक नहीं रखा जाना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुसूची, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ी गई ।

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

Clause 1

श्री सतीश अग्रसाल द्वारा संशोधन संख्या 2 पेश किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 2 was moved by Shri Satish Agrawal and adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

Enacting Formula

श्री सतीश अग्रवाल द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 1 स्वीकृत हुआ ।

The amendment moved by Shri Satish Agarwal was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ा गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण विधेयक)

AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) BILL

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना के लिय, ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

[श्री एम॰ के॰ शेजवलकर पीठासीन हुए
SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

वायु प्रदूषण उतना गम्भीर नहीं हो सकता जितना कि जल प्रदूषण हो सकता है परन्तु इससे इन्कार नहीं हो सकता कि मानव पर्यावरण के लिये यह भी एक बड़ा खतरा है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और कानपूर जैसे औद्योगिक नगर इसके प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। वहां परीक्षण किये गये है और यह पाया गया है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।

इस विधान को लाने से पूर्व मंत्रालय में अध्ययन किया गया था कि क्या वर्तमान विधान में उचित परिवर्तन करके इस समस्या से निपटा जा सकता है? वर्तमान विधान में फैक्ट्री अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, धुआं परेशानी अधिनियम आदि है, परन्तु ये सभी अपर्याप्त हैं। अत: प्रदूषण के सभी पहलुओं से निपटाने के लिये व्यापक विधान की आवश्यकता महसूस की गई। इस उद्देश्य के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने एक केन्द्रीय अधिनियम की सिफारिश की और हमें एक विधेयक का प्रारुप दिया।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के प्रश्न पर इस समय यह राय है कि एकीकृत ढंग से कार्य किया जाये। केन्द्र और राज्यों में जल प्रदूषण रोकने के लिये पहले ही नियंत्रण बोर्ड बनाये गये है। कार्य को समन्वित करने की दृष्टि से यह अनुभव किया गया है कि वे बोर्ड वायु प्रदुषण का काम भी देखें। ये बोर्ड कुछ राज्यों में पहले ही थे और केवल कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 1974 का जल-प्रदूषण अधिनियम नहीं लागू किया गया। वहा नये वायु प्रदूषण बोर्ड बनाने की जरुरत है।

नई व्यवस्था जमो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों घोषित किये जायेंगे। ऐसे क्षेत्रों में विधेयक की अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों को कारखाने से उत्पादन के लिए अपने-अपने राज्य बोर्डों से अनुमति लेनी होगी। राज्य बोर्ड प्रदूषण रोकने के लिए क्या यंत्र लगाये जायें इस बात के निर्देश दगे। इन शर्तों का उल्लंघन करने वाले कारखानों क विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकेगा।

मोटरगाड़ीनों से निकलने वाले धुंएं से होने वाले वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपबंध है कि राज्य सरकारें यातायात अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वे नियमित याता में अधिक धुंआ न छोड़े।

तथापि यह विधेयक जहाजों और विमानों पर लागू नहीं होगा। वर्तमान प्रदूषण बोर्डों का काम बढ़ने से होने वाला अतिरिक्त व्यय राज्य सरकारे वहन करेंगी। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के लागू हो जाने से राज्य बोर्डों की इस वर्ष अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिससे अतिरिक्त व्यय को आंशिक रूप से पूरा किया जा सकेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टी से वायु प्रदूषश निवारण तथा नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना के लिय, ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत और समनुदेशित करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री समर गुह : मैं संशोधन संख्या 48 पेश करता हूँ।

श्री राम किशन : मैं संशोधन संख्या 49 पेश करता हूं।

श्री बी॰ पी॰ कदम (कनारा): वायु प्रदूषण की समस्या योरुप और अनधिक अमरीका तक ही सीमित नहीं। इस देश के बम्बई, कलकत्ता और गोवा में यह समस्या काफी गम्भीर है।

समस्या अब यह है कि इसे कैसे रोका जाए। इसे सुलझाने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिये। यदि धुंआ इसी प्रकार निकलता रहा तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा।

वायु और जल प्रदूषण से न केवल मानव जीवन वरन वनस्पति, पशुपक्षी भी प्रभावित होते हैं। उत्तर केनरा में तो जल प्रदूषण के कारण पशुपक्षियों में गर्भपात तक हो जाते हैं।

[श्री वी० पी० कदम]

विधेयक का उद्देश्य अच्छा है जिसका सभी समर्थन करेंगे लेकिन मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे जोरदार ढंग से पूरी तरह कार्यान्वित किया जाये अन्यथा ये उद्योगपति इन विश्लेषकों, अनुसंधान शाला विशेषज्ञ और बोर्ड के सदस्यों को जेबों में डाले फिरते है । उन्हे हर प्रकार की घूस दी जाती है ।

Shri Durga Chand (Kangra) : I welcome the Bill. The problem of air pollution is not confined to cities alone. Of course, it is correct that most of the big industries are situated around the cities, but the effect of air pollution caused thereby does not remain confined to the cities it reaches the villages as well. Therefore, while considering this problem an integrated approach should be made whereby the entire country can be saved from air pollution.

When there is no big industries the air is not polluted and people have a longer span of life. Now pollution of air and water has adversely affected their health. In order to prevent air pollution it is very necessary to stop the cutting of trees and to plant more trees.

In our cities most of the pollution is caused by coal smoke, a substantial part of which comes from the thermal plants. If we turn over to hydel power this menace will be considerably reduced. Government should consider this matter seriously.

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले यह अनुभव कर लिया था कि समूचे अस्तित्व के पीछे एक गहरा ताल-मेल है और उन्हों ने यह भी महसूस किया था कि मानव जाति को अपने चहूं ओर के वातावरण के साथ ताल-मेलस्थापित करना होगा । उन्होंने मानव जाति को कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं उकसाया। पश्चिम की यह धारणा कि प्रकृति हमारी विरोधी है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं रखती । हमारी धारणा तो सजीव और निर्जीव दोनो तरह की चीजों के साथ ताल-मेल बिठाना है चाहे वे पौधे हो या नदियों हो । हजारों लाखों वर्षों में इस धरती को प्रदूषण की खतरनाक स्थिति में लाकर आज मनुष्य फिर उसी बात को समझने में लगा है ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें । सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 21 जुलाई, 1978 / 30 आषाढ़, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 21, 1978/ *Asadha* 30, 1900 (*Saka*).

भा०स०मु०ना—वि०8—226 एब०एस०एस०दई दिल्ली/78—20-9-78—210.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]